सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

का

मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन

स्थानीय निकाय

बिहार सरकार

2016 का प्रतिवेदन संख्या–1

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

का

मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन

स्थानीय निकाय

बिहार सरकार

2016 का प्रतिवेदन संख्या–1

विषय सूची

विवरण	कंडिका	पृष्ठ सं
प्राक्कथन	–	vii
विहंगावलोकन	–	ix
भाग – अ पंचायती राज संस्थाएँ		
अध्याय – I बिहार में पंचायती राज संस्थाओं (पं.रा.सं.) की कार्यप्रणाली का एक अधिदृश्य		
परिचय	1.1	1
पं.रा.सं. का संगठनात्मक ढाँचा	1.2	2
पं.रा.सं. की कार्यप्रणाली	1.3	2
विभिन्न समितियों का गठन	1.4	4
लेखापरीक्षा व्यवस्था	1.5	5
लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया	1.6	6
जवाबदेही तंत्र	1.7	7
निधि के स्रोत	1.8.1	9
राज्य वित्त आयोग (रा.वि.आ.) की अनुशंसाएँ	1.8.2	11
केंद्रीय वित्त आयोग (के.वि.आ.) की अनुशंसाएँ	1.8.3	11
अभिलेखों का संधारण	1.8.4	11
शेषों का समाधान	1.8.5	12
पं.रा.सं. द्वारा लेखाओं का संधारण	1.8.6	12
लेखापरीक्षा की उपलब्धि	1.8.7	13
उत्तम व्यवहार	1.8.8	13
अध्याय – II निष्पादन लेखापरीक्षा		
पंचायती राज विभाग		
पं.रा.सं द्वारा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की प्राप्ति एवं उपयोगिता	2.1	15
अध्याय – III अनुपालन लेखापरीक्षा		
पंचायती राज विभाग		
सरकारी राशि की कपटपूर्ण निकासी	3.1	45
सोलर स्ट्रीट लाईटों के अधिष्ठापन पर अधिक एवं परिहार्य व्यय	3.2	46

भाग – ब **शहरी स्थानीय निकाय**		
अध्याय – IV **बिहार में शहरी स्थानीय निकायों (श.स्था.नि.) की कार्यप्रणाली का एक अधिदृश्य**		
परिचय	4.1	47
श.स्था.नि. का संगठनात्मक ढाँचा	4.2	47
श.स्था.नि. की कार्यप्रणाली	4.3	48
समितियों का गठन	4.4	50
लेखापरीक्षा व्यवस्था	4.5	50
लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया	4.6	51
जवाबदेही तंत्र	4.7	52
निधि के स्रोत	4.8.1	53
राज्य वित्त आयोग (रा.वि.आ.) की अनुशंसाएँ	4.8.2	55
अभिलेखों का संधारण	4.8.3	55
श.स्था.नि. द्वारा लेखाओं का संधारण	4.8.4	56
लेखापरीक्षा की उपलब्धि	4.8.5	56
उत्तम व्यवहार	4.8.6	56
अध्याय – V **निष्पादन लेखापरीक्षा**		
नगर विकास एवं आवास विभाग		
श.स्था.नि. द्वारा राजस्व प्रबंधन	5.1	57
अध्याय – VI **अनुपालन लेखापरीक्षा**		
नगर विकास एवं आवास विभाग		
निष्फल व्यय	6.1	79
निष्क्रिय वाहन/उपकरण	6.2	81

परिशिष्ट

परिशिष्ट सं.	विषय	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ सं
1.1	पं.रा.सं. को प्रतिनिधायित कार्यों को दर्शाती विवरणी	1.3.3	85
1.2	पं.रा.सं. की स्थायी समितियों के कार्य एवं उत्तरदायित्व को दर्शाती विवरणी	1.4.1	86
1.3	2014–15 के दौरान लेखापरीक्षित पं.रा.सं. की सूची	1.5.1	87
2.1	निष्पादन लेखापरीक्षा के अधीन इकाईयों की सूची	2.1.4	88
2.2	विकास अनुदान की कम/नहीं विमुक्ति को दर्शाती विवरणी	2.1.6.1	89
2.3	राज्य सरकार द्वारा अनुदान के स्थानांतरण में किए गए विलंब पर ब्याज को दर्शाती विवरणी	2.1.6.1	91
2.4	विकास अनुदान के पांच प्रतिशत को कर्णांकित नहीं किए जाने की विवरणी	2.1.6.1	93
2.5	पं.रा.सं. के निचले स्तर को कार्यों का आवंटन को दर्शाती विवरणी	2.1.6.1	94
2.6	पं.रा.सं./श.स्था.नि. के निचले स्तर को अनुदान की विमुक्ति को दर्शाती विवरणी	2.1.6.2 से 2.1.6.5, 2.1.6.7, 2.1.6.8, 2.1.6.10, 2.1.6.11	95
2.7	पं.रा.सं. को अनुदानों का स्थानांतरण नहीं को दर्शाती विवरणी	2.1.6.2, 2.1.6.4, 2.1.6.5, 2.1.6.8, 2.1.6.9, 2.1.6.11	96
2.8	पं.रा.सं. को अनुदानों का अधिक हस्तांतरण को दर्शाती विवरणी	2.1.6.8, 2.1.6.10, 2.1.6.11	98
2.9	पं.रा.सं. को अनियमित रूप से स्थानांतरित अनुदान की विवरणी	2.1.6.3, 2.1.6.6	99
2.10	उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रेषण से संबंधित विवरणी	2.1.6.2 से 2.1.6.10	100
2.11	उपर से नीचे अध्यारोपित किए गए कार्यों को दर्शाती विवरणी	2.1.7.2, 2.1.7.3, 2.1.7.7, 2.1.7.10	101

2.12	विगत वर्ष की वा.का.यो. में अनुमोदित कार्यों को चालू वर्ष की वा.का.यो. में शामिल किए बिना कार्यान्वयन को दर्शाती विवरणी	2.1.7.2 से 2.1.7.6, 2.1.7.8 से 2.1.7.11	102
2.13	नमूना जांचित इकाईयों द्वारा 2010–15 के दौरान लिए गए कार्यों की स्थिति को दर्शाती विवरणी	2.1.8.1 से 2.1.8.10	104
2.14	निधि की उपलब्धता के बावजूद कार्यों का कार्यान्वयन नहीं को दर्शाती विवरणी	2.1.8.1 से 2.1.8.10	105
2.15	वार्षिक कार्य योजना से इतर कार्यों का कार्यान्वयन को दर्शाती विवरणी	2.1.8.1 से 2.1.8.10	107
2.16	सरकार के दिशानिर्देशों की अवहेलना कर तीन से अधिक कार्यों को सौंपे जाने की विवरणी	2.1.8.1, 2.1.8.3, 2.1.8.6 से 2.1.8.8 से 2.1.8.10	110
2.17	अअनुमत्य व्यय को दर्शाने वाली विवरणी	2.1.8.3 से 2.1.8.5, 2.1.8.8, 2.1.8.10	111
2.18	कार्य की संस्वीकृति के विभाजन को दर्शाती विवरणी	2.1.8.3, 2.1.8.4, 2.1.8.7, 2.1.8.8, 2.1.8.10	113
2.19	बकाया अग्रिम को दर्शाने वाली विवरणी	2.1.8.1 से 2.1.8.3, 2.1.8.5 से 2.1.8.10	115
2.20	निर्धारित सीमा से अधिक स्वीकृत अग्रिम को दर्शाती विवरणी	2.1.8.3, 2.1.8.4, 2.1.8.8	117
2.21	संयुक्त भौतिक निरीक्षण के निष्कर्षों को दर्शाती विवरणी	2.1.9	119
2.22	संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्षों की विवरणी	2.1.9	121
2.23	बैंक खाता अवशेष से अधिक रोकड़बही अवशेष को दर्शाती विवरणी	2.1.10	124
2.24	रोकड़ बही अवशेष से अधिक बैंक खाता अवशेष को दर्शाती हुई विवरणी	2.1.10	125
4.1	श.स्था.नि. द्वारा किये जा रहे 13 कार्यों/विषयों की सूची	4.3.2	126
4.2	28 श.स्था.नि. की प्राप्ति एवं उपयोगिता को दर्शाती विवरणी	4.8.1.3	127
5.1	च.रा.वि.आ. अनुदान की विमुक्ति को दर्शाती विवरणी	5.1.2	128
5.2	राजस्व के स्रोत से संबंधित विवरणी	5.1.2, 5.1.9.1	129

5.3	स्ट्रेटीफाइड सैंपलिंग पद्धति के तहत सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट पद्धति के आधार पर चयनित श.स्था.नि. की सूची	5.1.5	130
5.4	श.स्था.नि. में स्वास्थ्य उपकर एवं शिक्षा उपकर को जमा नहीं किए जाने की विवरणी	5.1.7.2 से 5.1.7.4	131
5.5	निगमों में प्राप्ति एवं व्यय के बजट एवं वास्तविक में अंतर को दर्शाती विवरणी	5.1.7.5	132
5.6	निगमों में बजट के अंगीकरण एवं प्रेषण में विलंब को दर्शाती विवरणी	5.1.7.5	133
5.7	परिषद्ों में बजट एवं वास्तविक प्राप्ति एवं व्यय में अंतर को दर्शाती विवरणी	5.1.7.5	134
5.8	परिषद्ों में बजट के अंगीकरण एवं प्रेषण में विलंब को दर्शाती विवरणी	5.1.7.5	135
5.9	पंचायतों के द्वारा तैयार नहीं की गई बजट की विवरणी	5.1.7.5	136
5.10	पंचायतों में बजट एवं वास्तविक प्राप्ति एवं व्यय में अंतर को दर्शाती विवरणी	5.1.7.5	137
5.11	पंचायतों में बजट के अंगीकरण एवं प्रेषण में विलंब को दर्शाती विवरणी	5.1.7.5	138
5.12	परिषद्ों में जिला योजना समिति के अनुमोदन के बिना स्वयं के स्रोतों से कार्यों का कार्यान्वयन को दर्शाती विवरणी	5.1.8.2	139
5.13	पंचायतों में जिला योजना समिति के अनुमोदन के बिना स्वयं के स्रोतों से कार्यों का कार्यान्वयन को दर्शाती विवरणी	5.1.8.3	139
5.14	निगमों द्वारा करों एवं शुल्कों/जुर्मानों के अध्यारोपण की विवरणी	5.1.9.1	140
5.15	परिषद्ों द्वारा करों एवं शुल्कों/जुर्मानों के अध्यारोपण की विवरणी	5.1.9.2	141
5.16	परिषद्ों में संपत्ति कर का पुनरीक्षण नहीं किए जाने की विवरणी	5.1.9.2	143
5.17	पंचायतों द्वारा करों एवं शुल्कों/जुर्मानों के अध्यारोपण की विवरणी	5.1.9.3	144
5.18	पंचायतों में संपत्ति कर का पुनरीक्षण नहीं किए जाने की विवरणी	5.1.9.3	146
5.19	पंचायतों में ठो.अ.प्र. के अंतर्गत उपभोक्ता शुल्क अध्यारोपित नहीं किए जाने की विवरणी	5.1.9.3	147
5.20	निगमों के माँग, वसूली एवं बकाया राजस्व की विवरणी	5.1.10.1	148
5.21	परिषद्ों में बकाया संपत्ति कर की विवरणी	5.1.10.2	148

5.22	परिषद्ों में बकाया मोबाइल टॉवर कर की विवरणी	5.1.10.2	149
5.23	परिषद्ों में बकाया दुकान किराया को दर्शाती विवरणी	5.1.10.2	150
5.24	परिषद्ों में विलंब से जमा की विवरणी	5.1.10.2	151
5.25	परिषद्ों में बकाया बंदोबस्ती की राशि की विवरणी	5.1.10.2	152
5.26	पंचायतों में बकाया संपत्ति कर की विवरणी	5.1.10.3	152
5.27	पंचायतों में बकाया मोबाइल टॉवर कर की विवरणी	5.1.10.3	153
5.28	पंचायतों में बकाया दुकान किराया को दर्शाती विवरणी	5.1.10.3	154
5.29	पंचायतों में वसूली की गई राशि का कम/नहीं जमा की विवरणी	5.1.10.3	155
5.30	पंचायतों में वसूली की गई राशि का विलंब से जमा को दर्शाती विवरणी	5.1.10.3	156
5.31	पंचायतों में बंदोबस्ती की बकाया राशि की विवरणी	5.1.10.3	157
5.32	पंचायतों में सैरातों की बंदोबस्ती नहीं होने से हुई हानि को दर्शाती विवरणी	5.1.10.3	158
5.33 (अ)	निगमों में स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल की विवरणी	5.1.12.1	159
5.33 (ब)	परिषद्ों में स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल की विवरणी	5.1.12.1	159
5.33 (स)	पंचायतों में स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल की विवरणी	5.1.12.1	160
5.34	निगमों में असमायोजित अग्रिमों की विवरणी	5.1.13.2	161
6.1	पटना सिटी चौक से पटना–फतुहा बाईपास सड़क तक नाला निर्माण की स्थिति को दर्शाती विवरणी	6.1	162
6.2	क्रय किए गए व नगर परिषद्ों को सौंपे गए वाहनों एवं उपकरण की विवरणी	6.2	163
6.3	क्षतिग्रस्त वाहनों एवं उपकरणों की विवरणी	6.2	164
6.4	उपकरणों व वाहनों की स्थिति ज्ञात नहीं को दर्शाती विवरणी	6.2	165
–	संक्षिप्तियों की शब्दावली	–	166

प्राक्कथन

मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में राज्य के संबंधित विभागों सहित पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के लेखापरीक्षा के महत्त्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

प्रतिवेदन में वर्ष 2014–15 के दौरान लेखाओं के नमूना लेखापरीक्षा में पाए गए दृष्टांतों के साथ–साथ, जहां कहीं आवश्यक है, वैसे मामलों को भी उल्लेखित किया गया है जो पूर्ववर्ती वर्षों में पाए गए, परंतु पूर्व के प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे।

लेखापरीक्षा का संचालन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में छः अध्याय सम्मिलित हैंः प्रथम एवं चतुर्थ अध्यायों में क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं (पं.रा.सं) एवं शहरी स्थानीय निकायों (श.स्था.नि.) की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय प्रतिवेदन के मामले सम्मिलित हैं। द्वितीय एवं पंचम अध्यायों में क्रमशः पं.रा.सं एवं श.स्था.नि. से संबंधित 'पं.रा.सं. द्वारा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि अनुदान की प्राप्ति एवं उपयोगिता' तथा 'श.स्था.नि. द्वारा राजस्व प्रबंधन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा सम्मिलित हैं। तृतीय एवं छठे अध्यायों में क्रमशः पं.रा.सं. एवं श.स्था.नि. प्रत्येक से दो अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं सम्मिलित हैं।

लेखापरीक्षा में नमूनों का चयन सांख्यिकीय प्रतिचयन के आधार पर किया गया है। प्रत्येक निष्पादन लेखापरीक्षा के अंतर्गत अपनाए गए विशेष लेखापरीक्षा कार्यविधि का उल्लेख किया गया है। लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं सरकार के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं। इस विहंगावलोकन में महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश प्रस्तुत किया गया है।

1. बिहार में पंचायती राज संस्थाओं (पं.रा.सं) की कार्यप्रणाली का एक अधिदृश्य

पंचायती राज संस्थाओं के वित्त की समीक्षा में यह पाया गया कि यद्यपि पं.रा.सं. को राज्य सरकार के 20 कार्यकारी विभागों से संबंधित कार्यों को सितंबर 2001 में प्रतिनिधायित किए गए थे, पंचायतों द्वारा निष्पादित किए जानेवाले हस्तांतरित कार्यों एवं उत्तरदायित्वों से संबंधित प्रावधान व्यावहारिक एवं स्पष्ट नहीं थे तथा पं.रा.सं. को प्रतिनिधायित कार्यों के कार्यान्वयन के लिए प्रचालन मार्गदर्शिका नहीं बनाए गए थे। जिला परिषदों के पास प्रतिनिधायित कार्यों के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त कर्मी नहीं थे तथा 71 प्रतिशत स्वीकृत पद रिक्त थे।

जिला योजना समिति द्वारा सिर्फ पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (पि.क्षे.अ.नि.) योजना के अंतर्गत लिए गए कार्यों का ही समेकन किया जा रहा था तथा पं.रा.सं. एवं श.स्था.नि. द्वारा केंद्र/राज्य प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत लिए गए विकास कार्यों पर इसके द्वारा विचार नहीं किया गया था। लंबित लेखापरीक्षा कंडिकाओं की बढ़ती प्रवृति थी। तिरासी प्रतिशत लेखापरीक्षा कंडिकाएं निपटारे के लिए लंबित थीं। पि.क्षे.अ.नि. योजना के अंतर्गत कार्यान्वित कार्यों के लिए सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया था। वर्ष 2014–15 के लिए चतुर्थ राज्य वित्त आयोग अनुदान का ₹ 953.11 करोड़ कम विमुक्त हुआ। पं.रा.सं. के लेखाओं का संधारण मानक लेखांकन प्रणाली प्रपत्र में नहीं किया गया था।

(कंडिका 1.1 से 1.8)

2. निष्पादन लेखापरीक्षा

(i) पंचायती राज संस्थाओं द्वारा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की प्राप्ति एवं उपयोगिता

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (पि.क्षे.अ.नि.) कार्यक्रम की परिकल्पना देश के विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए किया गया था। पि.क्षे.अ.नि. में पंचायती राज संस्थाओं (पं.रा.सं.) में आयोजना, कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण, लेखांकन तथा जबावदेही एवं पारदर्शिता में सुधार हेतु क्षमता निर्माण अनुदान (क्ष.नि.अ.) तथा पिछड़े क्षेत्र में स्थानीय आधारभूत ढांचे और विकास संबंधी अन्य आवश्यकताओं की नाजुक कड़ियों को जोड़कर विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने हेतु विकास अनुदान (वि.अ.) की व्यवस्था थी।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया किः

बेस लाइन सर्वे एवं दृष्टिकोण पत्र तथा परिप्रेक्ष्य योजना तैयार होने के बावजूद नमूना जांचित 10 जिला परिषद्ों में वार्षिक कार्य योजना पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रस्तावों के आधार पर तैयार किया गया था।

(कंडिका 2.1.7.1)

वर्ष 2010–15 की अवधि के लिए ₹ 186 करोड़ के क्षमता निर्माण अनुदान की कुल हकदारी के विरूद्ध पंचायती राज मंत्रालय (पं.रा.मं.), भारत सरकार ने बिहार को 2010–11 में मात्र ₹ 31.34 करोड़ विमुक्त किया। ऐसा 2011–15 के दौरान पंचायती राज सस्थाओं (पं.रा.सं) से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने, पंचायती राज विभाग द्वारा अनुदानों के उपयोग से कराए गए कार्यों से संबंधित चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रेषित नहीं किए जाने एवं चार्टर्ड एकाउंटेंट के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर कार्रवाई प्रतिवेदन समर्पित नहीं किए जाने के कारण हुआ, जिसके कारण राज्य ₹ 154.66 करोड़ से वंचित रहा।

(कंडिका 2.1.6.1)

विलंब से माँग प्रेषण एवं पं.रा.मं. द्वारा पि.क्षे.अ.नि. कार्यक्रम के पुनरीक्षित प्राक्कलन में निधि की कटौती के कारण वर्ष 2010–15 के दौरान ₹ 3,538.46 करोड़ के विकास अनुदान की हकदारी के विरूद्ध राज्य ₹ 2,194.40 करोड़ अनुदान ही प्राप्त कर सका। परिणामतः राज्य ₹ 1,344.06 करोड़ के विकास अनुदान से वंचित रहा।

(कंडिका 2.1.6.1)

दस नमूना जांचित जिला परिषद्ों में राज्य सरकार द्वारा जिला परिषद्ों को विकास अनुदान की ₹ 370.97 करोड़ निधि के स्थानांतरण में 5 दिन (मधेपुरा) से 157 दिन (औरंगाबाद) का बिलंब हुआ था। तथापि, राज्य सरकार, विलंब हेतु ₹ 1.34 करोड़ के ब्याज का भुगतान करने में विफल रही।

(कंडिका 2.1.6.1)

वार्षिक कार्य योजना में सड़कों, नालों, सामुदायिक भवनों इत्यादि से संबंधित 1001 अनुमोदित कार्यों का कार्यान्वयन ₹ 8.29 करोड़ के अनुदान की उपलब्धता के बावजूद तीन जिला परिषद्ों (2011–12 एवं 2014–15), नौ पंचायत समितियों (2011–15) एवं 47 ग्राम पंचायतों (2011–15) द्वारा कोई कार्य नहीं कराया गया।

(कंडिका 2.1.8.1 से 2.1.8.10)

पाँच जिला परिषद्ों, पाँच पंचायत समितियों एवं तीन ग्राम पंचायतों द्वारा अअनुमत्य कार्यों पर ₹ 68.61 लाख का व्यय किया गया।

(कंडिका 2.1.8.3 से 2.1.8.5, 2.1.8.8 से 2.1.8.10)

दस नमूना जांचित जिला परिषद्ों में से किसी में भी सहयोगी समीक्षा, गुणवत्ता निगरानी प्रणाली एवं सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया था।

(कंडिका 2.1.10)

3. अनुपालन लेखापरीक्षा

वित्तीय नियमों के उल्लंघन एवं आवश्यक आंतरिक नियंत्रण/जाँचों के प्रयोग में विफलता के फलस्वरूप तेरहवां वित्त आयोग (ते.वि.आ.) अनुदान निधि से ₹ पाँच लाख की कपटपूर्ण निकासी की गई।

(कंडिका 3.1)

पंचायत समिति, बेगूसराय में राज्य क्रय संगठन द्वारा निर्धारित दर से उच्चत्तर दर पर खुले बाजार से 339 सौर स्ट्रीट लाईटों का क्रय किया गया जिसके फलस्वरूप ₹ 47.43 लाख का अधिक एवं परिहार्य व्यय हुआ।

(कंडिका 3.2)

4. बिहार में शहरी स्थानीय निकायों (श.स्था.नि.) की कार्यप्रणाली का एक अधिदृश्य

शहरी स्थानीय निकायों के वित्त की समीक्षा में यह पाया गया कि संविधान की बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 विषयों में से, श.स्था.नि. द्वारा 13 विषयों से संबंधित कार्यों का कार्यान्वयन किया जा रहा था तथा शेष पाँच कार्यों का प्रतिनिधायन नहीं किया गया था। श.स्था.नि. में कर्मियों की कमी थी एवं श.स्था.नि. में क्षमतावर्द्धन के लिए प्रयास नहीं किए गए थे। श.स्था.नि. द्वारा स्वयं के स्रोतों से कार्यान्वित विकास कार्यों को जिला योजना समिति द्वारा तैयार एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित विकास योजना में सम्मिलित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा कंडिकाओं का 80 प्रतिशत निपटारे के लिए लंबित थीं। कुल 141 श.स्था.नि. में से केवल 19 श.स्था.नि. में 2011–12 तक अचल परिसंपति पंजी, प्रारंभिक तुलन पत्र एवं वार्षिक वित्तीय विवरणी की तैयारी के साथ द्वि–प्रविष्टी लेखांकन प्रणाली के प्रथम चरण को लागू किया गया था।

(कंडिका 4.1 से 4.8)

5. निष्पादन लेखापरीक्षा

(i) शहरी स्थानीय निकायों द्वारा राजस्व प्रबंधन

राज्य में श.स्था.नि., अपने स्वयं के स्रोतों तथा केंद्र/राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान एवं सहायता द्वारा वित्त पोषित होते हैं। राज्य सरकार ने चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं को लागू किया तथा श.स्था.नि. को उनके स्थापना व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए सहायता अनुदान विमुक्त किया।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि:

नमूना जांचित श.स्था.नि. में स्वयं के स्रोतों से आय, उनके स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। 2010–15 के दौरान स्वयं के स्रोतों से प्राप्त आय, स्थापना व्यय का केवल 36 प्रतिशत से 76 प्रतिशत था।

(कंडिका 5.1.7.2, 5.1.7.3, 5.1.7.4)

बजट प्राक्कलन वास्तविक नहीं थे तथा उनके अंगीकरण एवं प्रेषण में समय सीमा का पालन नहीं किया गया था।

(कंडिका 5.1.7.5)

नमूना जांचित श.स्था.नि. में 31 मार्च 2015 को 2010–11 से पूर्व भुगतान किए गए ₹ 4.20 करोड़ के अग्रिम सहित ₹ 5.74 करोड़ के अग्रिम लंबित थे।

(कंडिका 5.1.13.2)

निगमों द्वारा छः से नौ प्रकार के करों एवं सभी पाँच प्रकार के उपभोक्ता शुल्कों को अध्यारोपित नहीं किया गया था।

(कंडिका 5.1.9.1)

जलापूर्ति एवं घर–घर से ठोस अपशिष्ट के उठाव के लिए उपभोक्ता शुल्क अध्यारोपित नहीं किए जाने के कारण निगमों को अगस्त 2013 से मार्च 2015 के दौरान क्रमशः ₹ 5.46 करोड़ एवं ₹ 9.15 करोड़ के राजस्व से वंचित रहना पड़ा।

(कंडिका 5.1.9.1)

संपत्ति कर, मोबाईल टावर कर एवं दुकान किराया के अंतर्गत ₹ 17.88 करोड़ की राशि 31 मार्च 2015 तक वसूल नहीं की गई थी।

(कंडिका 5.1.10.1)

वर्ष 2010–15 से संबंधित सैरातों की बंदोबस्ती की राशि ₹ 52.45 लाख 31 मार्च 2015 तक वसूल नहीं की गई थी।

(कंडिका 5.1.10.1)

परिषदों/पंचायतों में संग्रह की गई राशि को वसूली के दिन ही जमा करने की बजाए, पाँच परिषदों एवं 12 पंचायतों मे रोकड़पालों/कर संग्राहकों ने संपत्ति कर, दुकान किराया, नीलामी राशि इत्यादि के मद में संग्रहित ₹ 1.02 करोड़ (2010–15) की राशि एक से पाँच वर्षों की अवधि के लिए अपने पास रखा था।

(कंडिका 5.1.10.2 एवं 5.1.10.3)

बाईस पंचायतों द्वारा आठ से बारह प्रकार के करों, सभी पाँच प्रकार के उपभोक्ता शुल्कों तथा एक से चार प्रकार के शुल्कों एवं जुर्मानों को अध्यारोपित नहीं किया गया था।

(कंडिका 5.1.9.3)

6. अनुपालन लेखापरीक्षा

बिहार राज्य जल पर्षद (बि.रा.ज.प.) द्वारा पूरी लंबाई में नाले का निर्माण नहीं किए जाने एवं आंशिक निर्मित नाले के बीच में मिसिंग लिंक छोड़े जाने के फलस्वरूप ₹ 1.33 करोड़ का व्यय निष्फल हुआ।

(कंडिका 6.1)

संविदा अवधि की समाप्ति के उपरांत कंसेसियनर द्वारा ₹ 2.51 करोड़ मूल्य के वाहनों एवं उपकरणों को नगर परिषदों को हस्तांतरित नहीं किए जाने के फलस्वरूप, न केवल ये वाहन/उपकरण दो वर्षों से अधिक की अवधि तक अनुपयोगित पड़े रहे बल्कि समय के साथ उनका क्षति/क्षय हुआ।

(कंडिका 6.2)

अध्याय - I

बिहार में पंचायती राज संस्थाओं (पं.रा.सं.) की कार्यप्रणाली का एक अधिदृश्य

1.1 परिचय

तिहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के परिणामस्वरूप पंचायती राज संस्थाओं (पं.रा.सं.) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तथा एक समान संरचना, चुनाव, समाज के कमजोर वर्ग एवं महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण तथा वित्त आयोगों के द्वारा निधियों के नियमित प्रवाह की एक प्रणाली को स्थापित किया गया। अनुगमन के तौर पर राज्य सरकारों को पं.रा.सं. को ऐसी शक्तियों, कार्यों तथा उत्तरदायित्वों को सौंपना था जिससे वे स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकें। विशेषकर, पं.रा.सं. को भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित विषयों सहित विभिन्न क्षेत्रों के आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाना तथा उन्हें लागू करना है।

तत्पश्चात्, बिहार सरकार ने बिहार पंचायत राज अधिनियम (बि.पं.रा.अ.), 1993 अधिनियमित किया (तत्पश्चात् बि.पं.रा.अ., 2006 के द्वारा प्रतिस्थापित) तथा राज्य में पं. रा.सं. के एक त्रिस्तरीय प्रणाली यथा, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.), प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति (पं.स.) एवं जिला स्तर पर जिला परिषद् (जि.प.) का गठन किया। मार्च 2015 तक, राज्य में 21,061 निर्वाचित प्रतिनिधियों वाली 8,967 पं.रा.सं.[1] थीं। पं.रा. सं. के निर्वाचित निकायों का विगत सामान्य चुनाव अप्रैल–मई 2011 में हुआ था।

94,163 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल के साथ बिहार राज्य देश का तेरहवां सबसे बड़ा राज्य है जो देश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.86 प्रतिशत है। विगत दशक में बिहार की जनसंख्या वृद्धि 25.4 प्रतिशत थी। राज्य में ग्रामीण जनसंख्या 9.23 करोड़ (89 प्रतिशत) जबकि शहरी जनसंख्या 1.18 करोड़ (11 प्रतिशत) थी। बिहार की जनसंख्या घनत्व भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक (1106 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.) तथा साक्षरता दर सबसे कम (61.80 प्रतिशत) है। बिहार का लिंगानुपात 918 है जो राष्ट्रीय औसत 943 से कम है। राज्य के तुलनात्मक जनसांख्यिक तथा विकासात्मक आँकड़ों को नीचे **तालिका 1.1** में दर्शाया गया है:

तालिका–1.1: राज्य के महत्त्वपूर्ण आंकड़े

सूचक	इकाई	राज्य के आँकड़े	राष्ट्रीय आँकड़े	राज्यों के बीच स्थान
जनसंख्या	करोड़	10.41	121.06	3
जनसंख्या घनत्व	प्रति वर्ग कि.मी.	1106	382	1
ग्रामीण आबादी	करोड़	9.23	83.35	2
शहरी आबादी	करोड़	1.18	37.71	11
लिंगानुपात	प्रति 1000 पुरूष	918	943	23
साक्षरता	प्रतिशत	61.8	73	28
जिलों की संख्या	संख्या	38	640	3
पं.रा.सं. की संख्या	संख्या	8967	246076	10
श.स्था.नि. की संख्या	संख्या	138	3842	9
मानव विकास सूचकांक (मा.वि.सू.) 2007–08	मूल्य	0.367	0.467	21

(स्रोतः जनगणना 2011, तेरहवां वित्त आयोग प्रतिवेदन, योजना आयोग, भारत सरकार)

[1] *38 जि.प., 531 पं.स. एवं 8398 ग्रा.पं.*

1.2 पं.रा.सं. का संगठनात्मक ढाँचा

राज्य स्तर पर, पंचायती राज विभाग (पं.रा.वि.) पं.रा.सं. के कार्यों का अनुश्रवण एवं समन्वय करता है। जि.प. की अध्यक्षता, अध्यक्ष के द्वारा जबकि पं.स. एवं ग्रा.पं. की अध्यक्षता क्रमशः प्रमुख एवं मुखिया के द्वारा किया जाता है जो संबंधित पं.रा.सं. के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं।

उप विकास आयुक्त (उ.वि.आ.) तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी (प्र.वि.प.) क्रमशः जि.प. तथा पं.स. के कार्यकारी प्रधान होते हैं। पंचायत सचिव, ग्रा.पं. कार्यालय के प्रभारी होते हैं। पं.रा.सं. के संगठनात्मक ढाँचे को नीचे **चार्ट 1.1** तथा **1.2** में दर्शाया गया है:

चार्ट–1.1: निर्वाचित निकाय

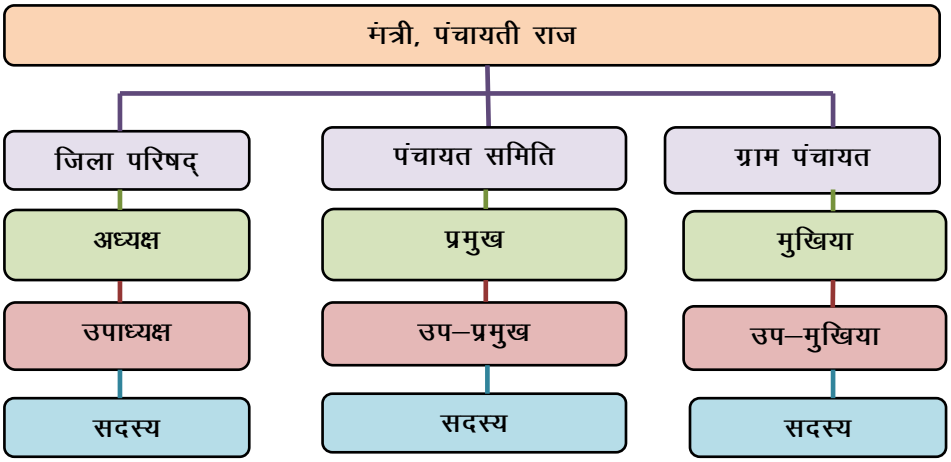

चार्ट–1.2: प्रशासनिक संरचना

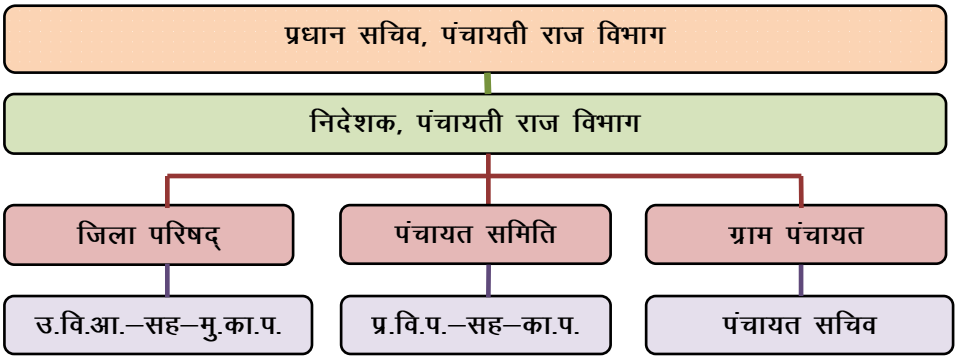

(स्रोत: बि.पं.रा.अ., 2006 तथा www.biharprd.bih.nic.in)

1.3 पं.रा.सं. की कार्यप्रणाली

1.3.1 पं.रा.सं. के कार्य एवं शक्तियाँ

भारत के संविधान का अनुच्छेद 243–जी और 243–एच प्रावधान करता है कि राज्य सरकार निम्नलिखित शक्तियाँ, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्वों को पं.रा.सं. को प्रदान कर सकती है:

- सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास के लिए योजनाओं को तैयार करना;
- सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास के लिए ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित विषयों से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन उन्हें सौपा जाना; तथा

- पंचायतों द्वारा करारोपण की शक्तियाँ तथा उनकी सभी राशियों को जमा करने हेतु निधियों का गठन करना।

इसके अलावा, बि.पं.रा.अ., 2006 की धारा 22, 47 एवं 73 क्रमशः ग्रा.पं., पं.स. एवं जि. प. की शक्तियों तथा कर्तव्यों की प्रकृति का वर्णन करता है।

1.3.2 राज्य सरकार की शक्तियाँ

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 पं.रा.सं. के समुचित कार्यकलापों के अनुवीक्षण के लिए राज्य सरकार को सक्षम बनाने हेतु निम्नलिखित शक्तियाँ प्रदान करता है। पं.रा. सं. के संबंध में राज्य सरकार की शक्तियों एवं भूमिकाओं का एक संक्षिप्त सारांश नीचे **तालिका 1.2** में दिया गया है:

तालिका–1.2: राज्य सरकार की शक्तियाँ

प्राधिकार	राज्य सरकार की शक्तियाँ
बि.पं.रा.अ., 2006 की धारा 146	**नियम बनाने की शक्तिः** राज्य सरकार, बि.पं.रा.अ., 2006 में विनिर्दिष्ट कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए, राज्य विधायिका के अनुमोदन से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती हैं।
बि.पं.रा.अ., 2006 की धारा 150, 152 एवं 153	**सरकार को मानक नियमावली बनाने एवं निरीक्षण की शक्तिः** राज्य सरकार, बि.प.रा.अ., 2006 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मानक नियम बना सकती है तथा यह पं.रा.सं. के नियंत्रणाधीन किसी भी अभिलेख या कार्यालय के निरीक्षण की शक्ति रखती है।
बि.पं.रा.अ., 2006 की धारा 167	**जिला योजना समितिः** राज्य सरकार प्रत्येक जिले में, जिले के अंतर्गत पंचायतों तथा निगमों के द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने तथा संपूर्ण जिले के लिए एक प्रारूप विकास योजना को तैयार करने हेतु एक जिला योजना समिति का गठन करेगी।
बि.पं.रा.अ., 2006 की धारा 168	**पंचायतों के लिए वित्त आयोगः** राज्य सरकार प्रत्येक पाँच वर्षों में, पं.रा.सं. की वित्तीय स्थिति की समीक्षा, निधियों के प्रतिनिधायन तथा उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार के उपाय हेतु सुझाव देने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगी।
बि.पं.रा.अ., 2006 की धारा 27, 55 एवं 82	**कराधानः** पं.रा.सं., राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकतम दर के अधीन होल्डिंग, पेशाओं पर करारोपण तथा टॉल, शुल्क एवं दर अध्यारोपित कर सकती हैं।
बि.पं.रा.अ., 2006 की धारा 172	**कठिनाइयों का निराकरणः** यदि अधिनियम के उपबंधों को प्रभाव में लाने में कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, आदेश निर्गत कर कठिनाईयों के निराकरण हेतु जो आवश्यक है, करेगी।

(स्रोतः बि.पं.रा.अ., 2006)

1.3.3 पं.रा.सं. को कार्यों, निधियों तथा कर्मियों का प्रतिनिधायन

संविधान का 73वां संशोधन, पं.रा.सं. को ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित कार्यों के हस्तांतरण तथा क्रियाकलापों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक निधियों एवं कर्मियों के साथ कार्यों के हस्तांतरण का प्रावधान करता है। तदनुसार, बिहार सरकार ने जि.प. को 61 कार्यों, पं.स. को 60 कार्यों तथा ग्रा.पं. को 79 कार्यों का हस्तांतरण किया (सितंबर 2001) जो इसके 20 कार्यकारी विभागों से संबंधित थे ***(परिशिष्ट–1.1)***। पं.रा.वि. द्वारा अगस्त 2014 में कराए गए एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि विभिन्न विभागों द्वारा समय–समय पर पं.रा.सं. को 621 प्रकार की जिम्मेदारियां सौंपी गई थी जिनमें लाभार्थियों का चयन, वित्तीय शक्तियाँ, योजना तैयार करना, संस्थागत ढ़ाँचों का निर्माण, कार्यक्रमों का प्रबंधन, अनुश्रवण कार्य, परिसंपत्तियों का रखरखाव आदि शामिल हैं। मुख्य सचिव, बिहार ने बताया (जुलाई 2014) कि पंचायतों द्वारा निष्पादित किए जानेवाले हस्तांतरित कार्यों एवं उत्तरदायित्वों से संबंधित प्रावधान व्यावहारिक एवं स्पष्ट नहीं बनाए गए थे एवं प्रभावी प्रत्यायोजन किए जाने की आवश्यकता थी तथा पंचायतों को कार्यों के हस्तांतरण हेतु एक स्पष्ट मार्गदर्शिका बनाने के लिए एक माह का समय दिया गया था। लेकिन, पं.रा.सं. को हस्तांतरित कार्यों के कार्यान्वयन के लिए प्रचालन

मार्गदर्शिका नहीं बनाया गया था (नवंबर 2015)। आगे, राज्य के जि.प. के पास प्रतिनिधायित कार्यों के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त कर्मी नहीं थे तथा नवंबर 2015 तक 71 प्रतिशत [2] स्वीकृत पद रिक्त थे। दो जि.प.[3] में, कार्यरत बल स्वीकृत बल के 10 प्रतिशत से भी कम थे।

कार्यों, कर्मियों तथा निधियों के प्रतिनिधायन में बिहार कमजोर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक है तथा प्रतिनिधायन सूचकांक में इसका स्थान भारतीय राज्यों में नीचे से तीसरा (23वां स्थान) है।

1.4 विभिन्न समितियों का गठन

1.4.1 स्थायी समितियाँ

बि.पं.रा.अ., 2006 की धाराएँ 25, 50 एवं 77 के अनुसार पं.रा.सं., सौंपे गए कार्यों के निष्पादन के लिए, विभिन्न स्थायी समितियों का गठन करेंगीं। एक ग्रा.पं. अपने निर्वाचित सदस्यों के बीच से छः[4] स्थायी समितियों का गठन कर सकती है जो ग्रा.पं. के सामान्य मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण में कार्य करेंगीं। इसी प्रकार, प्रत्येक पं.स. तथा जि.प. अपने निर्वाचित सदस्यों के बीच से सात [5] स्थायी समितियों का गठन करेंगीं। स्थायी समितियों के कर्तव्यों तथा भूमिकाओं का विवरण ***परिशिष्ट–1.2*** में दर्शाया गया है।

1.4.2 *जिला योजना समिति*

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–जेड.डी. एवं बि.पं.रा.अ., 2006 की धारा 167 के अनुपालन में राज्य सरकार ने जिला स्तर पर जिले के पंचायतों एवं नगरपालिकाओं द्वारा तैयार किए गए योजनाओं के समेकन तथा संपूर्ण जिले के लिए विकास योजनाओं को प्रारूपित करने के उद्देश्य से जिला योजना समिति (जि.यो.स.) के गठन से संबंधित बिहार जिला योजना समिति एवं बिजनेस संचालन (बि.जि.यो.स.) नियम, 2006 अधिसूचित किया (सितंबर 2008)। जि.प. का अध्यक्ष, जि.यो.स. का अध्यक्ष होगा तथा जि.प. का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी समिति का सचिव होगा। जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद, विधायक एवं विधानपार्षद, जिलाधिकारी, जिला सहकारी /भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे। जि.यो.स. के कम–से–कम 4/5 सदस्यों का चयन, जिले में ग्रामीण तथा शहरी इलाकों की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार, जि.प. एवं नगर निकायों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाएगा तथा अन्य सदस्यों का नामांकन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

संविधान संशोधन पारित होने के 15 वर्ष व्यतीत होने के बाद राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण जिले के लिए एकीकृत विकास योजना के निर्माण से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 243–जेड. डी. के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कदम उठाया गया। आगे, न तो बि.पं.रा.अ. 2006 और न ही बि.जि.यो.स. नियम, 2006 ने स्थानीय निकायों द्वारा वार्षिक योजनाएं तैयार करने एवं जि.यो.स. को समर्पित करने तथा जि.यो.स. द्वारा संपूर्ण जिले के लिए जिला विकास योजना राज्य सरकार को समर्पित करने के लिए समय सीमा का निर्धारण किया गया था। तथापि, आठ नमूना जांचित जिलों में जि.यो.

---

2 *कुल स्वीकृत पद – 3440; कार्यरत बल – 987; रिक्ति – 2453*

3 *बक्सर एवं सुपौल*

4 *योजना, समन्वय एवं वित्त समिति; उत्पादन समिति; सामाजिक न्याय समिति; शिक्षा समिति; लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति तथा लोक निर्माण समिति*

5 *सामान्य स्थायी समिति, वित्त; अंकेक्षण एवं योजना समिति; उत्पादन समिति; सामाजिक न्याय समिति; शिक्षा समिति; लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति तथा लोक निर्माण समिति*

स. द्वारा पं.रा.वि. को वार्षिक कार्य योजना समर्पित करने में अत्यधिक विलंब पाया गया।

राज्य सरकार ने सूचित किया (अगस्त 2015) कि सभी जिलों में जि.यो.स. का गठन किया गया है एवं सरकार के निर्देशानुसार उनके द्वारा योजनाओं को पारित किया गया था। तथापि, यह पाया गया कि जि.यो.स. द्वारा सिर्फ पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (पि.क्षे.अ.नि.) योजना के अंतर्गत लिए गए कार्यों का ही समेकन किया जा रहा था तथा पं.रा.सं. एवं श.स्था.नि. द्वारा केंद्र/राज्य प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत लिए गए विकास कार्यों पर इसके द्वारा विचार नहीं किया गया था। इस प्रकार, अनुच्छेद 243–जेड.डी. के उद्देश्य की प्राप्ति आंशिक रही।

1.5 लेखापरीक्षा व्यवस्था

1.5.1 प्राथमिक लेखापरीक्षक

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धाराएं 31, 59 एवं 86 पं.रा.सं. के लेखापरीक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा एक प्राधिकार का प्रावधान करती है। बिहार सरकार ने स्थानीय लेखापरीक्षक (स्था.ले.प.), बिहार को पं.रा.सं. की लेखापरीक्षा के लिए विहित 'प्राधिकार' घोषित (2006) किया। बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2011 के द्वारा 'प्राधिकार' शब्द को 'भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार' शब्द से प्रतिस्थापित किया गया। तदनुसार, बिहार में पं.रा.सं. के लेखापरीक्षा का संचालन बिहार एवं उड़ीसा स्थानीय निधि लेखापरीक्षा (स्था.नि.ले.प.) अधिनियम, 1925 के प्रावधानों के अनुसार महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, के पर्यवेक्षण में स्था.ले.प. के द्वारा किया जाता है। वर्ष 2014–15 के दौरान, 8967 पं.रा.सं. में से 1050 पं.रा.सं. का लेखापरीक्षा स्था.ले.प. द्वारा किया गया ***(परिशिष्ट–1.3)***।

1.5.2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा

ग्यारहवें वित्त आयोग ने पंचायतों के सभी स्तरों के लेखाओं के समुचित संधारण एवं लेखापरीक्षा पर नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) को सौंपने की अनुशंसा की थी। तेरहवें वित्त आयोग ने भी अनुशंसा की थी कि नि.म.ले.प. को सभी स्थानीय निकायों (स्था.नि.) के प्रत्येक स्तर के लेखापरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहयोग सौंपा जाना चाहिए तथा उसका वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन, निदेशक स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के वार्षिक प्रतिवेदन के साथ राज्य विधायिका के समक्ष अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए। चौदहवें वित्त आयोग ने भी पूर्ववर्त्ती वित्त आयोगों द्वारा स्था.नि. के लेखाओं के संधारण में सुधार एवं उनके लेखापरीक्षा तथा नि.म.ले.प. द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहयोग व्यवस्था के पहल को जारी रखने की अनुशंसा की थी।

इस संबंध में, राज्य सरकार ने स्था.नि. के लेखापरीक्षा के लिए वित्त विभाग के अंतर्गत एक कोषांग[6] की स्थापना (अक्टूबर 2013) की थी। आगे, वित्त आयोगों की अनुशंसाओं के अनुसार तथा महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार के सतत प्रयासों से बिहार सरकार ने निदेशक स्थानीय निधि लेखापरीक्षा की अध्यक्षता में स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय की स्थापना एवं 11 जून 2015 से इसके कार्यशील होने को अधिसूचित किया (जून 2015)। वित्त विभाग, बिहार सरकार ने सूचित किया (दिसंबर 2015) कि राज्य सरकार ने तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहयोग के अंतर्गत स्था.नि. के लेखापरीक्षा के लिए लेखा एवं लेखापरीक्षा नियमावली, 2007 के तहत नियमों एवं शर्तों को स्वीकार कर लिया है।

[6] *39 वरीय लेखापरीक्षकों एवं एक उप वित्त नियंत्रक से बना*

1.6 लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया

1.6.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की असंतोषप्रद अनुक्रिया

लेखापरीक्षा के पूर्ण होने के बाद, लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) को संबंधित पं.रा.सं. को तथा एक प्रति राज्य सरकार को भेजा गया था। जि.प. एवं पं.स. के कार्यपालक पदाधिकारियों (का.प.) तथा ग्रा.पं. के मुखिया को नि.प्र. में अन्तर्विष्ट प्रेक्षणों पर प्रतिक्रिया देना तथा नि.प्र. की प्राप्ति के तीन महीने के अंदर स्था.ले.प. को अनुपालन प्रतिवेदन भेजना था। तथापि, का.प. ने लेखापरीक्षा कंडिकाओं के अनुपालन के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाया जैसा कि 31 मार्च 2015 को लंबित कंडिकाओं की बढ़ती हुए संख्या से प्रमाणित है। लंबित कंडिकाओं का विवरण नीचे **तालिका 1.3** में दर्शाया गया है:

तालिका – 1.3: विगत पाँच वर्षों में पं.रा.सं. में लंबित कंडिकाएँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	नि.प्र. की सं.	नि.प्र. में कंडिकाओं की सं.	अंतर्निहित राशि	निपटाए गए कंडिकाओं की सं.	निपटान की राशि	लंबित कंडिकाओं की सं.	लंबित कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य
1	2	3	4	5	6	7 (3–5)	8 (4–6)
2010–11	866	2365	178.80	1959	27.52	406	151.28
2011–12	518	5447	117.15	2694	0.38	2753	116.77
2012–13	416	7449	92.80	12	0.37	7437	92.43
2013–14	503	8748	128.12	1	0.00	8747	128.12
2014–15	574	8528	99.14	992	59.67	7536	39.47
कुल	**2877**	**32537**	**616.01**	**5658**	**87.94**	**26879**	**528.07**

(स्रोतः पं.रा.सं. के लेखाओं पर निरीक्षण प्रतिवेदन)

उपरोक्त **तालिका 1.3** से यह स्पष्ट है कि 2010–15 के दौरान बड़ी संख्या में कंडिकाएँ लंबित रहीं। कुल 32,537 लंबित कंडिकाओं में से केवल 5,658 कंडिकाओं (17 प्रतिशत) का निपटान किया गया तथा 31 मार्च 2015 तक ₹ 528.07 करोड़ की राशि के 26,879 कंडिकाएँ निपटारे हेतु लंबित थीं।

लंबित कंडिकाओं की बढ़ती प्रवृति ने संबंधित प्राधिकरियों द्वारा इन कंडिकाओं के अनुपालन समर्पित करने में प्रयासों की कमी को इंगित किया।

1.6.2 स्था.ले.प. के वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

वित्त विभाग, बिहार सरकार ने स्था.ले.प. के वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा के लिए त्रिस्तरीय समितियों–उच्च स्तरीय, विभाग स्तरीय एवं जिला स्तरीय का गठन (मार्च 2010) किया था। जिला स्तरीय समिति[7] का उत्तरदायित्व, जिले के पं.रा.सं. एवं श.स्था.नि. से प्राप्त लेखापरीक्षा कंडिकाओं/प्रतिवेदनों के अनुपालन को सुनिश्चित करना है। विभाग स्तरीय समिति[8] को जिला स्तरीय समितियों द्वारा किए अनुपालन की स्थिति की समीक्षा करना था। जिला एवं विभाग स्तरीय समितियों के कार्यकलापों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति[9] की बैठक छः महीने में एक बार होनी थी।

यह पाया गया कि पं.रा.सं. के लिए अप्रैल 2014 से अगस्त 2015 के दौरान छः जिला स्तरीय समिति की बैठक तथा विभाग स्तरीय समिति की एक बैठक जुलाई 2015 में संपन्न हुई थी। अगस्त 2013 से उच्च स्तरीय समिति की बैठक नहीं हुई थी। अतः त्रिस्तरीय समिति के गठन का उद्देश्य विफल रहा।

---

7 *जिलाधिकारी/उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में*

8 *पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में*

9 *वित्त विभाग, बिहार सरकार के प्रधान सचिव की अध्यक्षता तथा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) एक सदस्य के रूप में*

1.6.3 स्थानीय निकायों पर प्रतिवेदन की स्थिति

बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2011 की धारा 31(4), 59(4) तथा 86(4) के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधायिका के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाएगा। तथापि, स्थानीय निकायों पर नि.म.ले.प./प्राधिकृत प्राधिकार के वार्षिक प्रतिवेदन को लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) या लो.ले.स. जैसी समिति में चर्चा हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

वित्त विभाग, बिहार सरकार ने सूचित किया (जुलाई 2015) कि स्थानीय निकायों पर नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन पर चर्चा एवं समीक्षा हेतु एक समिति का चयन करने के संबंध में माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा सचिवालय से अनुरोध किया गया था। इस दौरान, 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्था.ले.प. का स्थानीय निकायों, बिहार सरकार, का प्रतिवेदन संबंधित विभागों को प्रति के साथ बिहार सरकार को समर्पित (15 जून 2015) किया गया था, परंतु प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत नहीं (नवंबर 2015) किया गया था।

जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय प्रतिवेदन

1.7 जवाबदेही तंत्र

1.7.1 लोकपाल

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की मार्गदर्शिका के अनुसार, राज्य सरकार पारदर्शिता तथा जवाबदेही को सुनिश्चित करने हेतु एक लोकपाल की नियुक्ति करेगी तथा मनरेगा के अंतर्गत शिकायतों के निवारण के लिए लोकपाल के एक कार्यालय की स्थापना करेगी। राज्य सरकार ने जवाब दिया (दिसंबर 2015) कि 17 लोकपालों में से सात लोकपालों का कार्यकाल नवंबर 2015 में पूर्ण हो गया था तथा 21 जिलों में लोकपाल की नियुक्ति प्रक्रियाधीन थी।

1.7.2 सामाजिक अंकेक्षण

समाजिक अंकेक्षण का मूल उद्देश्य परियोजनाओं, कानूनों एवं नीतियों के कार्यान्वयन में लोक जवाबदेही को सुनिश्चित करना है। भारत सरकार ने महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजनाओं की लेखापरीक्षा नियमावली, 2011 अधिनियमित किया। यह नियमावली सामाजिक अंकेक्षण, लेखाओं की लेखापरीक्षा एवं राज्य सरकार द्वारा सामाजिक अंकेक्षण के सरलीकरण तथा सामाजिक अंकेक्षणों के संचालन के लिए स्वतंत्र संगठन की स्थापना शामिल करता है। यह पाया गया कि मनरेगा योजना के अंतर्गत 2014–15 के दौरान राज्य में ग्रा.पं. के 235 सामाजिक अंकेक्षण संचालित किए गए, जिसमें नियमावली के अनुपालन नहीं किए जाने के मामले जैसे कि सभी जॉब कार्ड धारकों को भुगतान की गई राशि को दर्शाती विवरणी का भित्ति चित्रण नहीं किया जाना, निवारण की आवश्यकतावाले शिकायतों की सूची का तैयार नहीं किया जाना इत्यादि पाये गए।

पि.क्षे.अ.नि. मार्गदर्शिका भी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान करता है। उच्च स्तरीय समिति (उ.स्त.स) ने मनरेगा योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार पि.क्षे.अ.नि. के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण के संचालन को अनुमोदित किया (जुलाई 2012)। लेकिन, 10 नमूना जांचित जिलों[10] में वर्ष 2010–15 के दौरान पि.क्षे.अ. नि. योजना के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण का संचालन नहीं किया गया था।

[10] *औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर, कटिहार, लखीसराय, मधेपुरा, पटना, सहरसा, समस्तीपुर एवं सीतामढ़ी*

1.7.3 उपयोगिता प्रमाणपत्र का प्रेषण

पं.रा.सं. को विमुक्त निधियों के आवंटन पत्रों में निहित अनुदेशों के अनुसार निर्धारित तिथि के अंदर राज्य सरकार को उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.प.) प्रस्तुत किया जाना था। यह पाया गया कि पं.रा.वि. ने 2003–04 से 2012–13 के दौरान प.रा.सं. को तेरहवां वित्त आयोग (ते.वि.आ.), चतुर्थ राज्य वित्त आयोग (रा.वि.आ.), तृतीय रा.वि.आ., मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना (मु.मं.ग्रा.यो.), उपकरण एंव फर्निचर इत्यादि शीर्षों के अंतर्गत ₹ 3,618.84 करोड़ अनुदान विमुक्त किया था। परंतु, पं.रा.सं. ने जून 2015 तक केवल ₹ 883.27 करोड़ (24 प्रतिशत) का ही उ.प्र.प. समर्पित किया था। विवरणी नीचे **तालिका 1.4** में दिया गया है:

तालिका – 1.4: विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत आवंटन के विरूद्ध उपयोगिता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	कुल आवंटन	समर्पित किए गए उ.प्र.प.	समर्पित नहीं किए गए उ.प्र.प.	समर्पित किए गए उ.प्र.प. का प्रतिशत
1.	ते.वि.आ.	1624.00	198.97	1425.03	12
2.	च.रा.वि.आ.	1252.72	636.07	616.65	51
3.	मु.मं.ग्रा.यो.	90.52	40.67	49.85	45
4.	तृतीय रा.वि.आ.	61.00	7.56	53.44	12
5.	प्रतिनिधि भत्ता	357.80	0.00	357.80	0
6.	उपकरण एवं फर्निचर	224.38	0.00	224.38	0
7.	अन्य	8.42	0.00	8.42	0
कुल		**3618.84**	**883.27**	**2735.57**	**24**

(स्रोतः पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना)

इतनी लंबी अवधि से ₹ 2735.57 करोड़ का उ.प्र.प. का प्रेषण नहीं किया जाना कमजोर आंतरिक नियंत्रण एवं निधियों के संभावित दुरूपयोग का संकेत करता है।

1.7.4 प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत अनुदानों की उपयोगिता

प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजनाओं (कें.प्रा.यो.) के अंतर्गत अनुदानों की उपयोगिता का विवरण नीचे **तालिका 1.5** में दिया गया है:

तालिका - 1.5: प्रमुख कें.प्रा.यो. के अंतर्गत अनुदानों की उपयोगिता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान / योजना	वर्ष	उपलब्ध निधि	उपयोगिता	उपयोगिता का प्रतिशत
1	मनरेगा	2010–11	3193.84	2642.67	83
		2011–12	2566.45	1668.69	65
		2012–13	2377.68	1971.13	83
		2013–14	2344.22	2038.48	87
		2014–15	1374.24	1090.88	79
2	समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम	2010–11	16.93	4.26	25
		2011–12	6.18	0.67	11
		2012–13	10.11	2.25	22
		2013–14	10.68	0.75	7
		2014–15	उ.न.	उ.न.	उ.न.
3	पि.क्षे.अ.नि.	2010–11	1363.43	646.34	47
		2011–12	1172.08	457.88	39
		2012–13	1179.82	546.34	46
		2013–14	1162.36	786.79	68
		2014–15	740.00	280.23	38

(स्रोतः ग्रा.वि.वि., बिहार सरकार का वार्षिक प्रतिवेदन, पं.रा.वि., बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े); उ.न. – उपलब्ध नहीं

पि.क्षे.अ.नि. के अंतर्गत उपयोगिता 68 प्रतिशत (2013–14) से घट कर 38 प्रतिशत (2014–15) हो गयी। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 2010–14 के दौरान अनुदानों की उपयोगिता का परास सात से पच्चीस प्रतिशत के बीच रहा।

1.8 वित्तीय प्रतिवेदन मामले

1.8.1 निधि के स्रोत

1.8.1.1 वित्त के स्रोत

पं.रा.सं. के संसाधन आधार में संग्रहित कर तथा गैर–कर राजस्व से प्राप्त स्वयं के राजस्व, राज्य तथा केंद्रीय वित्त आयोगों द्वारा निधियों का प्रतिनिधायन, केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा रखरखाव एवं विकास हेतु प्राप्त अनुदान तथा अन्य प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं। बि.पं.रा.अ., 2006 की धारा 27, 55 तथा 82 के अनुसार पं.रा.सं., राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकतम दर के अधीन होल्डिंग, पेशाओं पर करारोपण तथा टॉल, शुल्क एवं दर अध्यारोपित कर सकती हैं। पं.रा.सं. के वित्त के स्रोतों का एक फ्लो चार्ट नीचे **चार्ट 1.3** में दर्शाया गया है:

चार्ट- 1.3: वित्त के स्रोत

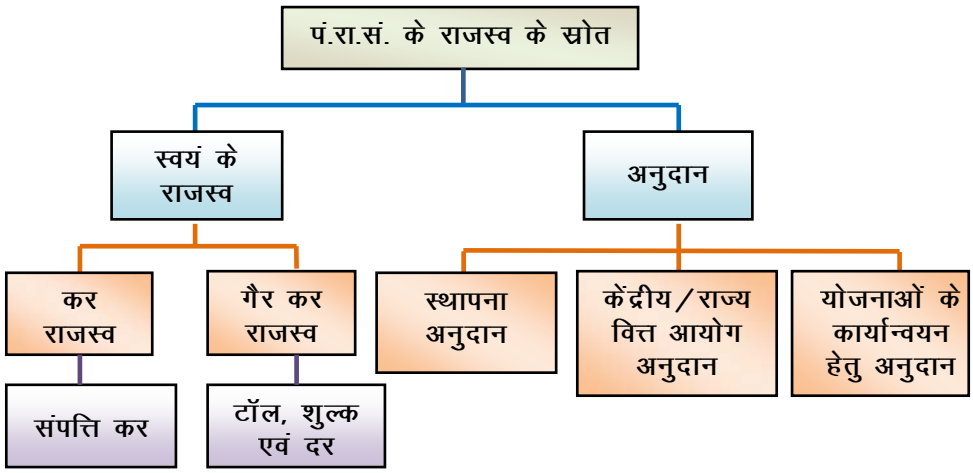

(स्रोत: बि.पं.रा.अ., 2006 की धारा 27, 55 तथा 82)

परंतु, पं.रा.सं. के पास कोई स्वयं कर राजस्व नहीं है क्योंकि राज्य सरकार ने करों, टॉल तथा शुल्कों इत्यादि के अधिकत्तम दर को अधिसूचित नहीं किया था। हांलाकि, जि.प. के पास दुकानों, निरीक्षण बंगलों के किराया, तालाबों/बस–पड़ावों की बंदोबस्ती इत्यादि के रूप में कुछ गैर कर राजस्व के स्रोत हैं लेकिन पं.स. तथा ग्रा.पं. के पास स्वयं का कोई राजस्व स्रोत नहीं है।

1.8.1.2 केंद्र/राज्य प्रायोजित योजनाओं में निधि प्रवाह व्यवस्था

प्रमुख केंद्र/राज्य प्रायोजित योजनाओं में निधियों के प्रवाह व्यवस्था को नीचे **तालिका 1.6** में दर्शाया गया है:

तालिका – 1.6: फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत निधि प्रवाह व्यवस्था

क्र. सं.	योजना का नाम	निधि प्रवाह व्यवस्था
1.	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	राज्य, मनरेगा निधि केंद्र सरकार से प्राप्त करता है। योजना निधि का प्रबंधन राज्य रोजगार गारंटी निधि के माध्यम से किया जाता है तथा इसे जिलों को हस्तांतरित किया जाता है। जिले निधि को जि.प., कार्यान्वयन अभिकरणों, प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम पदाधिकारियों तथा ग्रा.पं. को हस्तांतरित करते हैं।
2.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (पि.क्षे.अ.नि.)	अनुदानों की विमुक्ति जि.प. के उ.वि.आ.–सह–मु.का.प. (आ.वि.प.) को इस निर्देश के साथ किया जाता है कि निधि को जिले की पं.रा.सं. को उनके कोर बैंक खाताओं में अविलंब हस्तांतरित किया जाए।
3.	तेरहवां वित्त आयोग (ते.वि.आ.)	अनुदानों की विमुक्ति दो किस्तों में जि.प. के उ.वि.आ.–सह–मु. का.प. (आ.वि.प.) को इस निर्देश के साथ किया जाता है कि निधि को जिले की पं.रा.सं. को उनके कोर बैंक खाताओं में अविलंब हस्तांतरित किया जाए।
4.	चौदहवां वित्त आयोग (चौ.वि.आ.)	अनुदान प्रतिवर्ष दो किस्तों में जून तथा अक्टूबर में विमुक्त किया जाएगा जिन्हें केंद्र सरकार से प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर अवश्य रूप से ग्रा. पं. को हस्तांतरित किया जाएगा। बिहार सरकार जि.प. को इस निर्देश के साथ निधि विमुक्त करती है कि इसे संबंधित ग्रा.पं. को कोर बैंकिंग के माध्यम से हस्तांतरित किया जाए।
5.	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग (च.रा.वि.आ.)	अनुदानों की विमुक्ति दो किस्तों में जि.प. के उ.वि.आ.–सह–मु. का.प. (आ.वि.प.) को इस निर्देश के साथ किया जाता है कि निधि को जिले की पं.रा.सं. को उनके कोर बैंक खाताओं में अविलंब हस्तांतरित किया जाए।

(स्रोतः योजना मार्गदर्शिका एवं बिहार सरकार के आवंटन पत्र)

1.8.1.3 राज्य बजट आवंटन की तुलना में व्यय

राज्य सरकार का वर्ष 2010–15 के लिए पं.रा.सं. का बजट प्रावधान, जिसमें भारत सरकार की योजनाओं के लिए राज्यांश तथा केंद्रीय वित्त आयोग (कें.वि.आ.) की अनुशंसाओं के तहत प्राप्त अनुदान शामिल है, नीचे **तालिका 1.7** में दर्शाया गया हैः

तालिका - 1.7: बजट आवंटन की तुलना में व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	शीर्ष	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
1	बजट आवंटन	राजस्व	1888.84	3299.79	3276.75	4074.14	4709.01
		पूँजीगत	177.00	250.00	250.00	0.00	100.50
		कुल	**2065.84**	**3549.79**	**3526.75**	**4074.14**	**4809.51**
2	व्यय	राजस्व	1297.80	2179.80	2591.06	3003.35	2374.78
		पूँजीगत	0.00	210.31	0.00	0.00	0.00
		कुल	**1297.80**	**2390.11**	**2591.06**	**3003.35**	**2374.78**
3	बचत (1–2)		768.04	1159.68	935.69	1070.79	2434.73
4	बचत की प्रतिशतता		**37**	**33**	**27**	**26**	**51**

(स्रोतः बिहार सरकार के विनियोजन लेखे)

उपरोक्त **तालिका 1.7** से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने पं.रा.सं. को बजट प्रावधान की पूरी राशि हस्तांतरित नहीं की तथा कम हस्तांतरण की प्रतिशतता का परास 26 से 51 के बीच रहा। 2010–15 के दौरान पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत आवंटन, कुल आवंटन के नौ प्रतिशत से कम रहा जबकि 2010–11 एवं 2012–15 में पूंजीगत व्यय शून्य था।

1.8.2 राज्य वित्त आयोग (रा.वि.आ.) की अनुशंसाएँ

राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों (स्था.नि.) की वित्तीय स्थिति के आकलन और उन सिद्धांतों के निर्धारण हेतु जिनके आधार पर पंचायतों को पर्याप्त वित्तीय संसाधनों को सुनिश्चित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 243–आई के संदर्भ में पाँच राज्य वित्त आयोगों (रा.वि.आ)[11] का गठन किया था। प्रथम दो रा.वि.आ. ने अपना प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया। तृतीय रा.वि.आ. ने स्था.नि. की वित्तीय स्थिति के उन्नयन के लिए महत्त्वपूर्ण अनुशंसाएँ कीं (नवंबर 2004), जिनमें राज्य के निवल स्वयं कर राजस्व का तीन प्रतिशत स्था.नि. को हस्तांतरण, वेतन भुगतान के लिए अनुदान एवं आधारभूत संरचनाओं के लिए अनुदान शामिल हैं, को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत एवं लागू किया गया। चतुर्थ रा.वि.आ. ने राज्य के निवल स्वयं कर राजस्व के 7.5 प्रतिशत का स्था.नि. को प्रतिनिधायन, राज्य सरकार द्वारा स्था.नि. के कर्मियों के लिए वेतन अनुदान एवं उच्च प्राथमिकता क्षेत्रों के लिए अनुदान की अनुशंसा (जून 2010) की।

यह पाया गया कि 2014–15 में चतुर्थ रा.वि.आ. के अंतर्गत पं.रा.सं. को ₹ 1003.79 करोड़ की राशि विमुक्त किया जाना था परंतु केवल ₹ 50.68 करोड़ विमुक्त किया गया। इस प्रकार ₹ 953.11 करोड़ कम विमुक्त हुआ। पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार ने जवाब दिया (अक्टूबर 2015) कि वित्त विभाग, बिहार सरकार के निर्देशों के आलोक में पं.रा.सं. को निधियों की विमुक्ति नहीं की जा सकी।

पंचम रा.वि.आ. का गठन दिसंबर 2013 में किया गया था जिसे अपना प्रतिवेदन मार्च 2015 तक समर्पित करना था परंतु प्रतिवेदन अब तक (नवंबर 2015) समर्पित नहीं किया गया है ।

1.8.3 केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाएँ

तेरहवां वित्त आयोग

तेरहवें वित्त आयोग (ते.वि.आ.) ने राज्यों के हिस्से के अतिरिक्त स्थानीय निकायों को विगत वर्षों के करों के पूल के प्रतिशत के रूप में सहायता अनुदान की अनुशंसा की। राज्य सरकार 2010–15 की अवधि के लिए ₹ 4,954.29 करोड़ अनुदान पाने का पात्र था। यह पाया गया कि राज्य सरकार ने पं.रा.सं. को ₹ 4,972.93 करोड़ विमुक्त (2010–15) किया था। इस राशि में से, पं.रा.सं. केवल ₹ 704.05 करोड़ (14 प्रतिशत) का ही उपयोग कर सकीं तथा जून 2015 तक शेष ₹ 4,268.88 करोड़ अव्ययित थी।

1.8.4 अभिलेखों का संधारण

1.8.4.1 बजट

बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (बजट एवं लेखा) नियमावली, 1964, के नियम 8, 11 एवं 14 के अनुसार जि.प. का वार्षिक बजट प्राक्कलन, इसके विगत तीन वर्षों के वास्तविक आय तथा व्यय के औसत के आधार पर बनाया जाना है। जिला परिषद् का बजट 15 फरवरी से पूर्व परिषद् के द्वारा अनुमोदित किया जाना है एवं इस प्रकार तैयार एवं अनुमोदित बजट 1 मार्च के पूर्व राज्य सरकार को भेजा जाएगा। आगे, नियम 16 जि.प. को बिना बजट प्रावधान के व्यय करने को प्रतिबंधित करता है।

[11] *प्रथम रा.वि.आ.–अप्रैल 1994, द्वितीय रा.वि.आ.–जून 1999, तृतीय रा.वि.आ.–जुलाई 2004, चतुर्थ रा.वि.आ.–जून 2007 तथा पंचम रा.वि.आ.–दिसंबर 2013*

अभिलेखों की जाँच (मई 2014–नवंबर 2015) में यह पाया गया कि 38 जि.प. में से, छः जि.प.[12] ने 2012–15 की अवधि के लिए बजट तैयार नहीं किया था, जबकि जि.प. नालंदा ने विगत वर्षों के आय तथा व्यय के आँकड़ों पर विचार किए बिना आय एवं व्यय के केवल कुछ शीर्षों को समाहित कर 2013–14 का बजट तैयार किया। जि. प. बांका ने 2014–15 का बजट नौ महीने के विलंब से तैयार किया।

जि.प. खगड़िया, किशनगंज तथा भागलपुर ने जवाब दिया (नवंबर 2014 – दिसंबर 2015) कि कर्मचारियों की कमी के कारण बजट प्राक्कलन नहीं बनाया जा सका। जि. प. मुजफ्फरपुर तथा सुपौल ने जवाब दिया (अगस्त – दिसंबर 2014) कि भविष्य में बजट प्राक्कलन तैयार किया जाएगा जबकि जि.प. शेखपुरा ने जवाब दिया (नवंबर 2014) कि 2013–14 के व्यय के लिए बोर्ड की घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी। जि.प. नालंदा ने जवाब दिया (मई 2014) कि भविष्य में पूर्ण बजट तैयार किया जाएगा।

बिना बजट के व्यय करना एक स्वस्थ वित्तीय व्यवहार नहीं है क्योंकि यह आय एवं व्यय पर नियंत्रण प्रक्रिया को कमजोर करने के अतिरिक्त, संसाधनों की प्राथमिकता के महत्त्व को गौण करता है।

1.8.4.2 अभिलेखों का संधारण नहीं

बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (बजट एवं लेखा) नियमावली, 1964 का नियम 40 पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के लिए मूल दस्तावेजों, पंजियों एवं लेखाओं के संधारण को विहित करता है। अभिलेखों की जाँच (2014–15) में पाया गया कि छः जि.प. ने मूल कुंजी दस्तावेजों[13] यथाः अनुदान पंजी, परिसंपत्ति पंजी, दैनिक वसूली पंजी इत्यादि का संधारण नहीं किया था।

1.8.5 शेषों का समाधान

बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (बजट एवं लेखा) नियमावली, 1964 के नियम 80 (क) से (घ) के अनुसार, प्रत्येक माह के अंत में रोकड़बही में शेषों के समाधान को दर्शाती विवरणी बनाया जाना चाहिए। अभिलेखों की जाँच (अगस्त–नवंबर 2015) में यह पाया गया कि जि.प. बेतिया और शेखपुरा में समाधान विवरणी नहीं बनाए गए थे तथा 31 मार्च 2015 तक रोकड़बही शेष तथा बैंक शेष में ₹ 2.34 करोड़[14] (बेतिया) एवं ₹ 69.59 लाख (शेखपुरा–ते.वि.आ.) का अंतर था। अंतर का समाधान नहीं होना, निधियों के दुरूपयोग के जोखिम से भरा था।

1.8.6 पं.रा.सं. द्वारा लेखाओं का संधारण

1.8.6.1 पं.रा.सं. द्वारा लेखाओं का संधारण

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लेखाओं का संधारण एकल प्रविष्टि प्रणाली में नकद आधार पर किया जा रहा था। पं.स. तथा जि.प. द्वारा बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (बजट एवं लेखा) नियमावली, 1964 का अनुसरण किया जा रहा था। इन लेखा नियमावलियों का तत्कालीन उत्तम व्यवहारों के अनुसार पुनरीक्षण नहीं किया गया है। उच्च स्तरीय समिति की बैठक[15] (अगस्त 2013) में पं.रा.वि., बिहार सरकार ने सूचित

---

12 *भागलपुर (2013 – 14), खगड़िया (2013 – 15), किशनगंज (2013 – 15), मुजफ्फरपुर (2012 – 15), शेखपुरा (2013 – 15) एवं सुपौल (2013 – 14)*

13 *परिसंपत्ति पंजी – जि.प. शिवहर एवं पश्चिम चंपारणः दैनिक वसूली पंजी – जि.प. पश्चिम चंपारणः अनुदान पंजी – जि.प. बांका, खगड़िया एवं पश्चिम चंपारण*

14 *ते.वि.आ. – ₹ 0.10 करोड़, च.रा.वि.आ – ₹ 0.99 करोड़, पि.क्षे.अ.नि. – ₹ 1.25 करोड़*

15 *प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में*

किया था कि पं.रा.सं. के लिए पुनरीक्षित बजट एवं लेखा नियमावली सितंबर 2013 तक पूरी कर ली जाएगी परंतु पं.रा.सं. के लिए बजट एवं लेखा नियमावली तैयार करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया (नवंबर 2015)।

1.8.6.2 मानक लेखांकन प्रणाली एवं प्रियासॉफ्ट

मानक लेखांकन प्रणाली (मा.ले.प्र.) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से परामर्श कर भारत सरकार द्वारा समुचित नियंत्रण तथा बेहतर उत्तरदायित्व के लिए विहित (2009) की गई थी। तदनुसार, पं.रा.वि., बिहार सरकार ने अधिसूचित किया (जुलाई 2010) कि पं.रा.सं. द्वारा 1 अप्रैल 2010 से लेखाओं का संधारण मा.ले.प्र. प्रपत्र[16] में किया जाएगा। बिहार में, मा.ले.प्र. का कार्यान्वयन राष्ट्रीय सूचना केंद्र (रा.सू.के.) द्वारा विकसित पंचायती राज संस्थान लेखांकन सॉफ्टवेयर (प्रियासॉफ्ट) द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य मा.ले.प्र. के माध्यम से पं.रा.सं. के तीनों स्तरों के लेखाओं का कंप्यूटरीकरण करना है। तथापि, यह पाया गया कि कुल आठ मा.ले.प्र. प्रपत्रों में से प्रियासॉफ्ट के अंतर्गत केवल तीन प्रपत्रों[17] को ही तैयार किया गया था। वर्ष 2014–15 के दौरान 12798 अभिश्रवों[18] की ऑनलाईन प्रविष्टी पूरी की गई थी।

पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार ने बताया (अगस्त 2015) कि पं.रा.वि. में लेखांकन के नकद आधारित प्रणाली अपनाए जाने, समुचित अभिलेखों की अनुपलब्धता, प्रियासॉफ्ट के अंतर्गत योजनाओं के लिए पंचायत स्तर पर वस्तुसूची का संधारण नहीं किए जाने तथा पं.रा.सं. द्वारा करों का अध्यारोपण नहीं किए जाने के कारण शेष पांच मा.ले.प्र. प्रपत्रों को तैयार नहीं किया जा सका। इस प्रकार, पांच वर्ष व्यतित होने के बाद भी, पं.रा.सं. के लेखाओं को मा.ले.प्र. प्रपत्रों में तैयार करने का निर्णय अकार्यान्वित रहा।

1.8.7 लेखापरीक्षा की उपलब्धि

वर्ष 2014–15 में किए गए लेखापरीक्षा के दौरान नौ पं.रा.सं.[19] में संबंधित व्यक्तियों से ₹ 10.82 लाख की वसूली की गई।

1.8.8 उत्तम व्यवहार

त्रिस्तरीय पं.रा.सं. को समावेशी, प्रभावी रूप से क्रियाशील एवं उत्तरदायी बनाने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने बिहार पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना प्रारंभ किया जिसका उद्देश्य पंचायतों का क्षमतावर्द्धन तथा अवसंरचना विकास है। यह परियोजना ₹ 667.44 करोड़ की लागत से राज्य के छः जिलों[20] के 1304 ग्रा.पं. में विश्व बैंक की साख सहायता से कार्यान्वित की जा रही है।

पं.रा.सं. के मामलों के पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन के लिए बिहार पंचायत (कार्यालयों का निरीक्षण तथा कार्यकलापों की जाँच, पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन) नियमावली, 2014 तैयार (दिसंबर 2014) किया गया है।

---

16 *प्रपत्र – I: मासिक/वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान लेखा; प्रपत्र – II: समेकित सार पंजी; प्रपत्र – III: मासिक समाधान विवरणी; प्रपत्र – IV: प्राप्य एवं भुगतेय विवरणी; प्रपत्र – V: अचल संपत्ति पंजी; प्रपत्र – VI: चल संपत्ति पंजी; प्रपत्र – VII: वस्तुसूची पंजी; प्रपत्र – VIII: मांग एवं संग्रह पंजी*

17 *प्रपत्र – I, II एवं III*

18 *जि.प. – 489 अभिश्रव, पं.स. – 1658 अभिश्रव एवं ग्रा.पं. – 10651 अभिश्रव*

19 *जि.प. – अरवल (₹ 0.23 लाख), गोपालगंज (₹ 0.88 लाख), कैमूर (₹ 1.42 लाख), मुजफ्फरपुर (₹ 0.57 लाख) एवं सुपौल (₹ 0.72 लाख); पं.स. – कराई परसुराई (₹ 1.35 लाख); ग्रा. पं. – अमौना (₹ 4.29 लाख), बरथु (₹ 0.36 लाख) एवं जहाना (₹ 1.00 लाख)*

20 *भोजपुर, मधेपुरा, नालंदा, पटना, सहरसा एवं सुपौल*

अध्याय – II
निष्पादन लेखापरीक्षा

पंचायती राज विभाग

2.1 पंचायती राज संस्थाओं द्वारा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की प्राप्ति एवं उपयोगिता

कार्यकारी सारांश

क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 2006–07 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (पि.क्षे.अ.नि.) की परिकल्पना की गयी। यह कार्यक्रम बिहार के 37 जिलों में, सिवान जिले को छोड़कर जिसने वर्ष 2012–13 से अनुदान प्राप्त किया, 2006–07 से प्रारंभ किया गया था।

वर्ष 2010–15 की अवधि के लिए 'पंचायती राज संस्थाओं द्वारा पि.क्षे.अ.नि. की प्राप्ति एवं उपयोगिता' पर एक निष्पादन लेखा परीक्षा 10 नमूना जांचित जिलों के 10 जिला परिषदों, 30 पंचायत समितियों एवं 96 ग्राम पंचायतों में अप्रैल से अगस्त 2015 के दौरान किया गया तथा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं:

वित्तीय प्रबंधन

वर्ष 2010–15 की अवधि के लिए ₹ 186 करोड़ के क्षमता निर्माण अनुदान की कुल हकदारी के विरूद्ध पंचायती राज मंत्रालय (पं.रा.मं.), भारत सरकार ने बिहार को वर्ष 2010–11 में मात्र ₹ 31.34 करोड़ विमुक्त किया। ऐसा वर्ष 2011–15 के दौरान पंचायती राज सस्थाओं (पं.रा.सं) से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने, पंचायती राज विभाग द्वारा अनुदानों के उपयोग से कराए गए कार्यों से संबंधित चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रेषित नहीं किए जाने एवं चार्टर्ड एकाउंटेंट के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर कार्रवाई प्रतिवेदन समर्पित नहीं किए जाने के कारण हुआ, जिसके कारण राज्य ₹ 154.66 करोड़ से वंचित रहा। ***(कंडिका 2.1.6.1)***

विलंब से माँग प्रेषण एवं पं.रा.मं. द्वारा पि.क्षे.अ.नि. कार्यक्रम के पुनरीक्षित प्राक्कलन में निधि की कटौती के कारण वर्ष 2010–15 के दौरान ₹ 3,538.46 करोड़ के विकास अनुदान की हकदारी के विरूद्ध राज्य ₹ 2,194.40 करोड़ अनुदान ही प्राप्त कर सका। परिणामतः राज्य ₹ 1,344.06 करोड़ के विकास अनुदान से वंचित रहा। ***(कंडिका 2.1.6.1)***

दस नमूना जांचित जिला परिषदों में राज्य सरकार द्वारा जिला परिषदों को विकास अनुदान की ₹ 370.97 करोड़ निधि के स्थानांतरण में 5 दिन (मधेपुरा) से 157 दिन (औरंगाबाद) का बिलंब था। तथापि, राज्य सरकार विलंब हेतु ₹ 1.34 करोड़ के ब्याज का भुगतान करने में विफल रही। ***(कंडिका 2.1.6.1)***

दस नमूना जांचित जिला परिषदें कार्यक्रम को लागू करने हेतु पंचायतों को आवश्यक कर्मी उपलब्ध कराने के लिए ₹ 32.44 करोड़ (विकास अनुदान का पांच प्रतिशत) की निधि को कर्णांकित करने में विफल रहीं। ***(कंडिका 2.1.6.1)***

वर्ष 2010–15 के दौरान आठ जिला परिषदों द्वारा निचले स्तर की पं.रा.सं. को ₹168.74 करोड़ के अनुदान की विमुक्ति में एक से पांच माह का विलंब था। ***(कंडिका 2.1.6.2 से 2.1.6.5, 2.1.6.7, 2.1.6.8, 2.1.6.10, 2.1.6.11)***

छः जिला परिषदों द्वारा ₹ 10.65 करोड़ के पि.क्षे.अ.नि. अनुदान पंचायती राज संस्थाओं के निचले स्तर को स्थानांतरित नहीं किया गया एवं तीन जिला परिषदों द्वारा ₹ 1.77 करोड़ का अधिक स्थानांतरण किया गया। ***(कंडिका 2.1.6.2, 2.1.6.4, 2.1.6.5, 2.1.6.8 से 2.1.6.11)***

आयोजना

बिहार सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति, क्षमता निर्माण अनुदान के उपयोग के निगरानी में विफल रही। ***(कंडिका 2.1.7.1)***

बेस लाइन सर्वे एवं दृष्टिकोण पत्र तथा परिप्रेक्ष्य योजना तैयार होने के बावजूद नमूना जांचित 10 जिला परिषद्ों में वार्षिक कार्य योजना पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रस्तावों के आधार पर तैयार किया गया था। ***(कंडिका 2.1.7.1)***

दस नमूना जांचित जिला परिषद्ों में समेकित जिला योजना तैयार नहीं की गयी। केवल पि.क्षे.अ.नि. की विशेष वार्षिक योजनाएँ तैयार की गयी। ***(कंडिका 2.1.7.1)***

चार जिला परिषदों में ₹ 1.68 करोड़ के 102 कार्यों को 2010–15 में जिला योजना समिति/जिला परिषद् द्वारा पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों की वार्षिक योजनाओं में शामिल की गयी थीं। ***(कंडिका 2.1.7.2, 2.1.7.3, 2.1.7.7, 2.1.7.10)***

दस नमूना जांचित जिला परिषद्ों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कार्यान्वित 402 कार्यों में से मात्र 23 कार्य प्राथमिकता वाले खंड/क्षेत्र से ली गयी थीं। ***(कंडिका 2.1.7.2 से 2.1.7.11)***

विकास अनुदान/क्षमता निर्माण अनुदान की उपयोगिता

वार्षिक कार्य योजना में सड़कों, नालों, सामुदायिक भवनों इत्यादि से संबंधित 1001 अनुमोदित कार्यों का कार्यान्वयन ₹ 8.29 करोड़ के अनुदान की उपलब्धता के बावजूद तीन जिला परिषद्ों (2011–12 एवं 2014–15), नौ पंचायत समितियों (2011–15) एवं 47 ग्राम पंचायतों (2011–15) द्वारा कोई कार्य नहीं कराया गया। ***(कंडिका 2.1.8.1 से 2.1.8.10)***

दो जिला परिषद्ों, 10 पंचायत समितियों एवं 26 ग्राम पंचायतों द्वारा ₹ 7.29 करोड़ के 292 ऐसे कार्य कराये गए जो वार्षिक कार्य योजना में शामिल नहीं थे। ***(कंडिका 2.1.8.1 से 2.1.8.8, 2.1.8.9 से 2.1.8.11)***

पाँच जिला परिषद्ों, पाँच पंचायत समितियों एवं तीन ग्राम पंचायतों द्वारा अअनुमत्य कार्यों पर ₹ 68.61 लाख का व्यय किया गया। ***(कंडिका 2.1.8.3 से 2.1.8.5, 2.1.8.8 से 2.1.8.10)***

दो पंचायत समितियों एवं 18 ग्राम पंचायतों द्वारा उच्च प्राधिकारी की स्वीकृति से बचने के लिए ₹ 1.54 करोड़ के 24 कार्यों को 111 कार्यों में विभाजित किया गया। ***(कंडिका 2.1.8.3, 2.1.8.4, 2.1.8.6, 2.1.8.8 एवं 2.1.8.10)***

आठ जिला परिषद्ों, 20 पंचायत समितियों एवं 23 ग्राम पंचायतों में ₹ 6.20 करोड़ का अग्रिम एक से सात वर्षों तक असमायोजित था। ***(कंडिका 2.1.8.1 से 2.1.8.3, 2.1.8.5 से 2.1.8.10)***

आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी

दो जिला परिषद्ों एवं दो पंचायत समितियों में रोकड़बही का अंतशेष बैंक पासबुक के अंतशेष से अधिक था जबकि दो जिला परिषदों एवं 15 पंचायत समितियों में बैंक पास बुक का अंतशेष रोकड़बही के अंतशेष से अधिक था। ***(कंडिका 2.1.10)***

दस नमूना जांचित जिला परिषद्ों में से किसी में भी सहयोगी समीक्षा, गुणवत्ता निगरानी प्रणाली एवं सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया। ***(कंडिका 2.1.10)***

2.1.1 परिचय

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (पि.क्षे.अ.नि.) कार्यक्रम की परिकल्पना देश के विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2006–07 में की गयी। यह कार्यक्रम सिवान जिला जो वर्ष 2012–13 से अनुदान प्राप्त किया था, को छोड़कर बिहार के 37 पि.क्षे.अ.नि. जिलों में 2006–07 से लागू किया गया।

पि.क्षे.अ.नि. में पंचायती राज संस्थाओं (पं.रा.सं.) में आयोजना, कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण, लेखांकन तथा जबावदेही एवं पारदर्शिता में सुधार के लिए क्षमता निर्माण अनुदान (क्ष.नि.अ.) तथा पिछड़े क्षेत्र में स्थानीय आधारभूत ढांचे और विकास संबंधी अन्य आवश्यकताओं की नाजुक कड़ियों को जोड़कर विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने हेतु विकास अनुदान (वि.अ.) की व्यवस्था थी।

राज्य में प्रत्येक जिला के लिए क्ष.नि.अ. प्रति वर्ष ₹ एक करोड़ था। वि.अ. के अंतर्गत प्रत्येक जिला विशिष्ट शर्तों को पूरा करने पर दो किस्तों में अनुदान प्राप्त करने का हकदार था। जबकि, प्रत्येक जिले को वि.अ. की एक नियत न्यूनतम राशि ₹ 10 करोड़ प्रति वर्ष प्राप्त होना था।

2.1.2 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.ले.प.) का उद्देश्य यह मूल्यांकन करना था कि;

- कार्यक्रम का वित्तीय प्रबंधन प्रभावपूर्ण था;
- सहभागितापूर्ण एवं समग्र योजना प्रक्रिया पर्याप्त एवं प्रभावी थी;
- लक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विकास एवं क्षमता निर्माण अनुदान का उपयोग प्रभावी था;
- विभिन्न स्तरों पर विद्यमान निगरानी प्रणाली प्रभावी थी।

2.1.3 लेखापरीक्षा मानदंड

योजना की समीक्षा के लिए अपनाए गए मानदंडों के स्रोत थेः

- पि.क्षे.अ.नि. कार्यक्रम की मार्गदर्शिका तथा भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा निर्गत आदेश;
- बिहार वित्तीय नियम (बि.वि.नि.) 2005/बिहार कोषागार संहिता (बि.को.सं.) 2011;
- बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता;
- बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (बजट एवं लेखा) नियमावली 1964;
- बिहार पंचायती राज अधिनियम (बि.पं.रा.अ.) 2006।

2.1.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यविधि

वर्ष 2010–15 के दौरान पं.रा.सं. द्वारा पि.क्षे.अ.नि. अनुदानों की प्राप्ति एवं उपयोगिता पर नि.ले.प. सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट प्रणाली के आधार पर चयनित बिहार के 38 जिलों में से 10[21] जिलों के 10 जिला परिषदों (जि.प.), 30 पंचायत समितियों (पं.स.) एवं 96 ग्राम पंचायतों (ग्रा.पं.) में अप्रैल से अगस्त 2015 के दौरान किया गया ***(परिशिष्ट 2.1)***।

प्रधान सचिव, पं.रा.वि., बिहार सरकार के साथ अंतर्गमन सम्मेलन मार्च 2015 में आयोजित किया गया था जिसमें नि.ले.प. के उद्देश्य, क्षेत्र एवं इसमें अपनायी जाने

[21] *औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर, कटिहार, लखीसराय, मधेपुरा, पटना, सहरसा, समस्तीपुर एवं सीतामढ़ी*

वाली कार्यविधि की चर्चा की गयी। नि.ले.प. के दौरान विभिन्न अभिलेखों यथाः रोकड़बही, बैंक पासबुक, कार्य मार्गदर्शिका, उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प.), योजना संचिकाओं/पंजियों इत्यादि की नमूना जांच के साथ–साथ कुछ चयनित कार्यों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया। प्रधान सचिव के साथ 28 दिसंबर 2015 को संपन्न निर्गम सम्मेलन में लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर चर्चा की गयी। विभाग एवं लेखापरीक्षित इकाईयों की अनुक्रिया को प्रतिवेदन में उपयुक्त स्थानों पर सम्मिलित किया गया है।

2.1.5 संगठनात्मक ढांचा

राज्य में पि.क्षे.अ.नि. कार्यक्रम का कार्यान्वयन प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग (पं.रा.वि.) के पूर्ण पर्यवेक्षण में किया गया था। राज्य में पि.क्षे.अ.नि. के कार्यान्वयन के लिए संगठनात्मक ढांचा निम्न प्रकार हैः

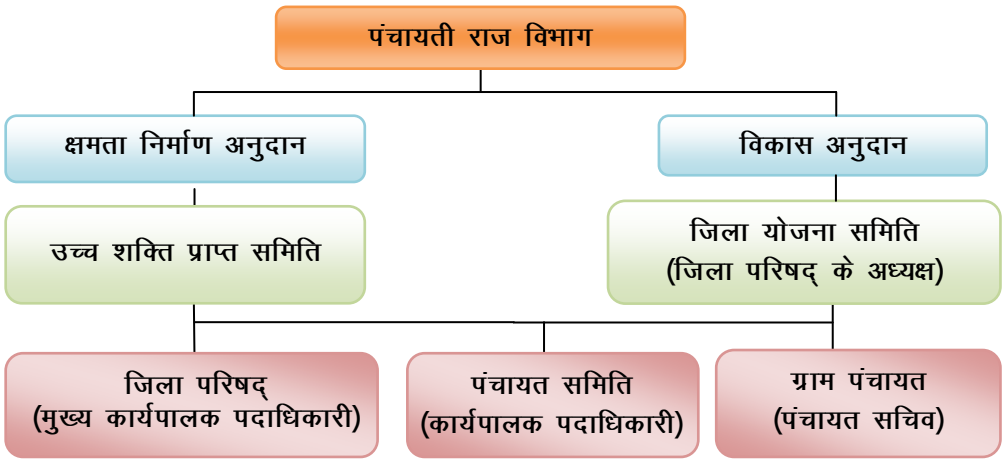

(स्रोतः बि.पं.रा.अ., 2006 एवं पि.क्षे.अ.नि. की मार्गदर्शिका)

2.1.6 वित्तीय प्रबंधन

2.1.6.1 पंचायती राज विभाग

अनुदानों की हकदारी, विमुक्ति एवं उपयोगिता

वर्ष 2010–15 की अवधि में क्षमता निर्माण अनुदान एवं विकास अनुदान के विमुक्ति की स्थिति नीचे **तालिका 2.1** में दर्शाया गया है :

तालिका – 2.1 : पं.रा.सं. को अनुदान की हकदारी एवं विमुक्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान की हकदारी		पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विमुक्त अनुदान		अनुदान की कम विमुक्ति	
	क्ष. नि. अ.	वि. अ.	क्ष. नि. अ.	वि. अ.	क्ष. नि. अ. (प्रतिशत)	वि.अ. (प्रतिशत)
2010–11	36.00	602.99	31.34	602.99	4.66 (13)	0.00 (0)
2011–12	36.00	652.05	0.00	454.99	36.00 (100)	197.06 (30)
2012–13	38.00	684.70	0.00	444.10	38.00 (100)	240.60 (35)
2013–14	38.00	839.80	0.00	485.80	38.00 (100)	354.00 (42)
2014–15	38.00	758.92	0.00	206.52	38.00 (100)	552.40 (73)
कुल	**186.00**	**3538.46**	**31.34**	**2194.40**	**154.66**	**1344.06**

(स्रोतः पं.रा.मं. एवं पं.रा.वि. से प्राप्त सूचना)

तालिका 2.1 से स्पष्ट है कि वर्ष 2010–11 की अवधि में क्ष.नि.अ. की 13 प्रतिशत की कम विमुक्ति हुई एवं 2011–15 की अवधि में क्षमता निर्माण अनुदान की विमुक्ति

नहीं हुई। साथ ही, राज्य को पांच में से चार वर्षों में विकास अनुदान भी 30 प्रतिशत (2011–12) से 73 प्रतिशत (2014–15) कम विमुक्ति की गई।

क्षमता निर्माण अनुदान की कम विमुक्ति का कारण पंचायती राज सस्थाओं (पं.रा.सं.) से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होना, पंचायती राज विभाग द्वारा अनुदानों के उपयोग से कराए गए कार्यों से संबंधित चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रेषित नहीं किया जाना एवं चार्टर्ड एकाउंटेंट के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर कार्रवाई प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया जाना था जिसके परिणामस्वरूप राज्य वर्ष 2010–15 के दौरान ₹ 154.66 करोड़ से वंचित रहा। वहीं विलंब से माँग के प्रेषण एवं पं.रा.मं. द्वारा पि.क्षे.अ.नि. कार्यक्रम के पुनरीक्षित प्राक्कलन में निधि की कटौती के कारण वि.अ. की कम प्राप्ति हुई।

आगे, सैंतीस जि.प. में से 2011–12 में 29 जि.प. एवं 2012–13 में 38 जि.प. में से 26 जि.प. को वि.अ. की ₹ 437.66 करोड़ की द्वितीय किस्त की राशि प्राप्त नहीं हुई। यह भी देखा गया कि वर्ष 2013–14 में 38 जि.प. में से तीन जि.प. एवं 2014–15 में 24 जि.प. को वि.अ. की प्रथम किस्त की क्रमशः ₹ 80.57 करोड़ एवं ₹ 478.57 करोड़ राशि प्राप्त नहीं हुई जबकि 2013–15 में वि.अ. की द्वितीय किस्त की राशि किसी भी जि.प. को विमुक्त नहीं की गयी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा समर्पित उ.प्र.प. के अनुसार क्ष.नि.अ. के अंतर्गत 2010–11 में विमुक्त ₹ 31.34 करोड़ में से ₹ 15.03 करोड़ का व्यय दिखाया गया तथा राज्य कोषागार में ₹ 13.72 करोड़ जमा किया गया। शेष ₹ 2.59 करोड़ संबंधित पं.रा.सं. के खाता में जमा थी।

नमूना जांचित 10 जि.प. में क्ष.नि.अ. की 2010–15 की अवधि के लिए ₹ 50 करोड़ की हकदारी के विरूद्ध मात्र ₹ 4.79 करोड़ 2010–11 के दौरान जि.प. को प्राप्त हुआ और आगामी वर्षों में पि.क्षे.अ.नि. की राशि विमुक्त नहीं हुई।

नमूना जांचित 10 जि.प. में 2010–15 के लिए वि.अ. की ₹ 971.13 करोड़ की हकदारी के विरूद्ध मात्र ₹ 381.93 करोड़ की कम/नहीं विमुक्ति हुई ***(परिशिष्ट 2.2)***।

अनुदानों का बिलंब से स्थानांतरण के कारण ब्याज का भुगतान

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के मार्गदर्शिका के अनुसार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राज्यों/विभागों को विमुक्त राशि प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर कार्यान्वयन अभिकरण (का.अ.) को स्थानांतरित होना चाहिए। स्थानांनरण में बिलंब की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक दर से दंडात्मक ब्याज का भुगतान का.अ. को होना चाहिए था।

नमूना जांचित 10 जि.प. में ₹ 370.97 करोड़ के वि.अ. के स्थानांतरण में पांच दिनों (मधेपुरा) से 157 दिनों (औरंगाबाद) का बिलंब किया गया था। परंतु, राज्य सरकार ₹1.34 करोड़ के ब्याज का भुगतान करने में विफल रही ***(परिशिष्ट–2.3)***।

पंचायती राज विभाग द्वारा बताया गया कि आम चुनाव में लागू आदर्श चुनाव संहिता के कारण राशि स्थानांतरण में बिलंब हुआ। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि आम चुनाव 2010–11 में था जबकि बिलंब सभी पांच वर्षों में पाया गया।

विकास अनुदान के पांच प्रतिशत को कर्णांकित किया जाना

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के मार्गदर्शिका के अनुसार, विकास निधि की पांच प्रतिशत राशि आयोजना एवं कार्यान्वयन के लिए पंचायतों को आवश्यक कर्मी उपलब्ध कराने के लिए कर्णांकित किया जाना था। लेकिन, नमूना जांचित 10 जि.प. में विकास अनुदान ₹ 648.91 करोड़ का पांच प्रतिशत अर्थात् ₹ 32.44 करोड़ इस मद में कर्णांकित नहीं किया गया था ***(परिशिष्ट–2.4)***। परिणामतः, पंचायत स्तर पर कर्मियों में बढ़ोत्तरी नहीं हुई और कार्यक्रम का कार्यान्वयन बाधित हुआ।

केंद्रीय अनुदान की प्रत्याशा में अनुदानों की विमुक्ति

पंचायती राज विभाग अनुदान प्राप्ति के पूर्व ही जिलों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर पं.रा.मं. से विमुक्त होने वाले निधि के प्रत्याशा में जिलों को अनुदान विमुक्त (2012–13 से) किया गया जिसे पं.रा.मं. से जिलों को बाद में विमुक्त निधियों से समायोजित किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पं.रा.मं. को प्रस्ताव सौंपे जाने में बिलंब के कारण बजट में कर्णांकित अनुदान की राशि पुनरीक्षित प्राक्कलन के समय घटा दी गयी (2012–15)। फलतः, 2013–15 में पं.रा.वि. द्वारा विमुक्त ₹ 223.61 करोड़ वर्ष 2014–15 तक असमायोजित रहा। निर्गम सम्मेलन के दौरान प्रधान सचिव, पं.रा.वि. के द्वारा बताया गया कि असमायोजित अनुदान को राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली सहायता राशि के रूप में माने जाने हेतु वित्त विभाग के अनुमोदन से कैबिनेट की सहमति ली जाएगी।

पं.रा.सं. के निचले स्तरों को कार्यों का आवंटन

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की मार्गदर्शिका के अनुसार, यदि पंचायत का उच्चतर स्तर यथा जि.प. अथवा पं.स. विहित प्रत्येक कार्य के लिए ₹ पांच लाख की न्यूनत्तम सीमा से कम राशि के कार्य को स्वीकृत करता है तो वह उस कार्य के लिए आवंटित राशि को संबंधित ग्रा.पं. को कार्यान्वयन हेतु स्थानांतरित करेगा। परंतु, नमूना जांचित किसी भी जि.प. द्वारा विहित न्यूनत्तम सीमा से कम राशि के 1292 कार्य (₹ 32.86 करोड़) ग्रा. पं. को स्थानांतरित नहीं किया गया ***(परिशिष्ट–2.5)***। निर्गम सम्मेलन के दौरान प्रधान सचिव, पं.रा.वि. के द्वारा बताया गया कि वित्तीय अधीनस्थता वांछनीय था, अनिवार्य नहीं। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि मार्गदर्शिका के अनुसार विहित न्यूनत्तम सीमा से कम राशि का कार्य पंचायत के उपयुक्त स्तर द्वारा किया जाना चाहिए था।

2.1.6.2 जिला परिषद औरंगाबाद

अनुदानों की हकदारी, विमुक्ति एवं उपयोगिता

पं.रा.मं. के निर्देशानुसार प्रथम किस्त, जो जिला को प्राप्त होने वाली राशि का 90 प्रतिशत है, की विमुक्ति प्रारंभिक शेष के पूर्व वर्ष में उपलब्ध राशि के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होने पर एवं द्वितीय किस्त अर्थात् 10 प्रतिशत की विमुक्ति 60 प्रतिशत उ.प्र.प., गबन व विचलन नहीं होने का प्रमाण पत्र के साथ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, भौतिक एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् किया जाना था।

पं.रा.मं. द्वारा वि.अ. की आवंटित राशि ₹ 95.34 करोड़ के विरूद्ध मात्र ₹ 45.91 करोड़ की ही विमुक्ति की गयी जिसके कारण 2010–15 में ₹ 49.43 करोड़ कम राशि प्राप्त हुई। ऐसा पूर्व के वर्ष में वि.अ. की राशि के 60 प्रतिशत का उपयोग नहीं करने के कारण हुआ।

पं.रा.सं. के निचले स्तर को अनुदान की विमुक्ति

विकास अनुदान की संस्वीकृति पत्रों के अनुसार जि.प. को तत्काल पं.रा.सं. के निचले स्तर की संस्थाओं को अनुदान का स्थानांतरण करना था जबकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2010–15 की अवधि में ₹ 28.30 करोड़ की अनुदान को विमुक्त करने में एक से पांच माह का बिलंब किया गया ***(परिशिष्ट–2.6)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा बताया गया कि यह प्रक्रियात्मक विलंब था और पंचायतों को सीधे उनके बैंक खातों में राशि स्थानांतरण हेतु कदम उठाये जा रहे हैं।

अनुदानों का स्थानांतरण

जिला परिषदों द्वारा पं.रा.सं. के निचले स्तर को निधि की विमुक्ति, अनुदान संस्वीकृति पत्र के अनुसार करना चाहिए जो अनुसूचित जाति (अ.जा.) के विशेष योजना घटक

एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के उपयोजना की राशि सहित अनुदान की राशि को स्पष्ट इंगित करता है।

अनुसूचित जाति के विशेष योजना घटक एवं अ.ज.जा. उपयोजना से संबंधित वि.अ. की ₹ 8.74 लाख का अनुदान पं.स. रफीगंज एवं पांच ग्रा.पं. (भदवा, चेव, छावड़ा, ढोसिला एवं लोहरा) को जि.प. द्वारा स्थानांतरित किया गया था परंतु एक से तीन वर्ष पश्चात् भी संबंधित पं.रा.सं. के खाते में जमा नहीं हुआ था ***(परिशिष्ट–2.7)***। कार्यपालक पदाधिकारी एवं संबंधित पंचायत सचिवों द्वारा बताया गया कि बैंक एवं जि.प. से इस संबंध में सूचना प्राप्त की जाएगी।

जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि की उपयोगिता

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि मार्गदर्शिका के अनुसार जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि को योजना का अतिरिक्त संसाधन माना जाना चाहिए। वर्ष 2010–15 की अवधि में जि.प. द्वारा जिला अभियंता (जि.अ.) को ₹ 5.93 करोड़ कार्यों के कार्यान्वयन के लिये उपलब्ध कराया गया था तथा इस पर अर्जित ब्याज की राशि ₹ 6.60 लाख को जि.प. को लौटाया जाना था। परंतु, जि.अ. द्वारा ब्याज राशि वापस नहीं की गयी और यह राशि जि.अ. के खाते में अनुपयोगित पड़ी हुई थी। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि जि.प. को राशि लौटाने के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे।

उपयोगिता प्रमाण पत्र

मार्गदर्शिका के अनुसार नोडल विभाग प्रत्येक पंचायत की उ.प्र.प. की विवरणी को संधारित करने हेतु उत्तरदायी होगा एवं राशि की विमुक्ति के एक वर्ष के अंदर उ.प्र.प. समर्पित करना होगा।

पंचायती राज मंत्रालय को प्रेषित किए गए उ.प्र.प. एवं चाटर्ड एकाउंटेंट के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की जाँच में पाया गया कि जि.प. द्वारा वर्ष 2010–11 एवं 2013–14 (अ.जा. के विशेष घटक) में वि.अ. की ₹ 18.06 करोड़ के व्यय के विरूद्ध ₹ 22.03 करोड़ एवं 2013–14 (गैर अ.जा. के विशेष योजना घटक/अ.ज.जा. उपयोजना) में ₹ 6.70 करोड़ के व्यय के विरूद्ध ₹ 4.02 करोड़ का उ.प्र.प. समर्पित किया गया ***(परिशिष्ट–2.10)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया गया कि सुधारात्मक उपाय किये जाएंगे।

2.1.6.3 जिला परिषद् भागलपुर

पूर्व की ***कंडिका 2.1.6.2*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

अनुदानों की हकदारी, विमुक्ति एवं उपयोगिता

पं.रा.मं. द्वारा जि.प. को वि.अ. की हिस्से की राशि ₹ 97.99 करोड़ के विरूद्ध ₹ 42.06 करोड़ की विमुक्ति की गयी जिसके फलस्वरूप 2010–15 में ₹ 55.93 करोड़ कम राशि प्राप्त हुई जिसका कारण पि.क्षे.अ.नि. की मार्गदर्शिका में निर्दिष्ट अर्हक शर्तों को पूरा नहीं करना था।

पं.रा.सं. के निचले स्तर को अनुदान की विमुक्ति

वर्ष 2010–15 की अवधि में जि.प. द्वारा पं.रा.सं. को वि.अ. की ₹ 29.83 करोड़ के अनुदान को विमुक्त करने में एक से दो माह का बिलंब किया गया ***(परिशिष्ट–2.6)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा बताया गया कि यह प्रक्रियात्मक विलंब था और पंचायतों को सीधे उनके बैंक खातों में राशि स्थानांतरण हेतु कदम उठाये जा रहे हैं।

अनुदानों का स्थानांतरण

जिला परिषद् द्वारा वि.अ. के अ.ज.जा. उपयोजना घटक की ₹ 10.89 लाख राशि को अनियमित रूप से वैसे 48 ग्रा.पं. जहां अ.ज.जा. की आबादी नहीं थी, को अनियमित रूप से स्थानांतरित किया गया ***(परिशिष्ट–2.9)***। साथ ही अ.जा. की विशेष घटक

योजना एवं अ.ज.जा. उपयोजना घटक की राशि ₹ 43.77 लाख की राशि को दो पं.स. एवं 119 ग्रा.पं. में गैर–अ.जा./अ.ज.जा. के घटक में विचलन किया गया (2013–14)।

अनुदानों की उपयोगिता

बिहार वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 343 के अनुसार अनुदानों का उपयोग एक सही समय सीमा के अंदर लक्ष्य पर व्यय कर लेना चाहिए। परंतु, 2007–08 एवं 2009–10 के दौरान प्राप्त ₹ 1.07 करोड़ की राशि जि.प. की व्यक्तिगत लेजर खाता में पांच वर्षों से अधिक समय से अनुपयोगित पड़ी थी। मु.का.प., जि.प. द्वारा बताया गया कि कोषागार से राशि निकालने की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि राज्य में पि.क्षे.अ.नि. कार्यक्रम 2015–16 के दौरान बंद कर दिया गया था।

उपयोगिता प्रमाण पत्र

जि.प. द्वारा वर्ष 2010–12 में ₹ 28.33 करोड़ व्यय के विरूद्ध ₹ 33.93 करोड़ का उ.प्र.प. समर्पित किया गया और वर्ष 2013–14 में व्यय किए गए ₹ 12.20 करोड़ के वि.अ. का उ.प्र.प. समर्पित नहीं किया गया ***(परिशिष्ट–2.10)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा बताया गया कि सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।

2.1.6.4 जिला परिषद् भोजपुर

पूर्व की ***कंडिका 2.1.6.2*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

अनुदानों की हकदारी, विमुक्ति एवं उपयोगिता

पं.रा.मं. द्वारा जि.प. को वि.अ. की हिस्से की राशि ₹ 94.74 करोड़ के विरूद्ध ₹ 67.30 करोड़ की विमुक्ति की गयी जिसके कारण 2010–15 में ₹ 27.44 करोड़ कम राशि प्राप्त हुई। इसका कारण पि.क्षे.अ.नि. की मार्गदर्शिका में निर्दिष्ट अर्हक शर्तों को पूरा नहीं करना था।

अनुदानों का लेखांकन

बिहार कोषागार संहिता के नियम 16 के अनुसार प्राप्ति अथवा भुगतान की प्रत्येक राशि के साथ–साथ स्थानांतरण द्वारा किए गए सभी समायोजन को रोकड़बही में प्रविष्टी की जानी चाहिए।

जिला परिषद् की रोकड़बही में केवल अपने हिस्से की राशि को ही रोकड़बही में प्रविष्ट किया जाता था और पं.स. तथा ग्रा.पं. के लिए 2010–15 (द्वितीय किस्त) की राशि ₹ 48.61 करोड़ को जि.प. द्वारा अपने रोकड़बही में दर्ज नहीं किया गया। मु.का.प., जि.प. ने बताया कि पं.रा.सं. के निचले स्तरों के लिए अलग से रोकड़बही का संधारण किया जाएगा।

पं.रा.सं. के निचले स्तर को अनुदान की विमुक्ति

जिला परिषद् द्वारा पं.रा.सं. के निचले स्तर को वि.अ. की ₹ 27.19 करोड़ की राशि को विमुक्त करने में एक से पाँच माह का बिलंब किया गया ***(परिशिष्ट–2.6)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा बताया गया कि यह प्रक्रियात्मक विलंब था एवं पंचायतों को सीधे उनके बैंक खातों में राशि स्थानांतरण हेतु कदम उठाये जा रहे हैं।

अनुदानों का स्थानांतरण

वर्ष 2010–11 की वि.अ. की ₹ 3.34 करोड़ राशि में से जि.प. द्वारा पं.रा.सं. के निचले स्तरों को केवल ₹ 2.62 करोड़ ही स्थानांतरित की गई, परिणामस्वरूप ₹ 0.72 करोड़ कम स्थानांतरण हुआ (जुलाई 2015)। आगे, जि.प. द्वारा स्थानांतरित ₹ 2.62 करोड़ की राशि में से ₹ 24.31 लाख बैंक द्वारा दो पं.स. एवं 17 ग्रा.पं. को स्थानांतरित नहीं किया गया था ***(परिशिष्ट–2.7)***। मु.का.प., जि.प. ने बताया कि अस्थानांतरित वि.अ. को सत्यापन के बाद पं.रा.सं. को स्थानांतरित किया जाएगा।

जमा राशि पर प्राप्त ब्याज की राशि की उपयोगिता

वर्ष 2010–15 की अवधि में जि.अ. के पास ₹ 5.13 करोड़ अनुदान पर ₹ 7.56 लाख की ब्याज की राशि पड़ी हुई थी। जि.अ. द्वारा बताया गया कि अर्जित ब्याज की राशि जि.प. को वापस कर दी जाएगी।

वर्ष 2010–15 के दौरान पि.क्षे.अ.नि. कार्यक्रम के अंतर्गत पं.रा.सं. के तीनों स्तरों की वि.अ. की राशि पर ₹ 57.70 लाख ब्याज के रूप में जि.प. को अर्जित हुआ था जिसमें से का.प., कोईलवर को अनियमित रूप से ₹ 22.30 लाख स्थानांतरित किया गया और ₹ 35.40 लाख अनुपयोगित रहा (जुलाई 2015)। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा बताया गया कि जि.प. को राशि लौटाने हेतु निर्देश जारी किये जाएंगे।

अनुदान की उपयोगिता

जिला परिषद् एवं दो पं.स. (पीरो एवं तरारी) द्वारा क्ष.नि.अ. की ₹ 5.65 लाख राशि एवं जि.प. द्वारा परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने हेतु ₹ 3.88 लाख अनुदान राशि का उपयोग एक से छः वर्षों तक नहीं किया गया। मु.का.प., जि.प. एवं का.प., पीरो ने बताया कि अनुदानों के उपयोग/वापसी के संबंध में पं.रा.वि. से निर्देश प्राप्त किया जाएगा।

उपयोगिता प्रमाणपत्र

वर्ष 2011–15 में ₹ 40.65 करोड़ के वि.अ. का उ.प्र.प. समर्पित नहीं किया गया था ***(परिशिष्ट–2.10)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।

2.1.6.5 जिला परिषद् कटिहार

पूर्व की ***कंडिका 2.1.6.2 एवं 2.1.6.4*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

अनुदानों की हकदारी, विमुक्ति एवं उपयोगिता

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जि.प. को वि.अ. की आवंटित राशि ₹ 99.57 करोड़ के विरूद्ध ₹ 75.42 करोड़ की विमुक्ति की गई जिसके कारण 2010–15 में ₹ 24.15 करोड़ कम राशि प्राप्त हुई। इसका कारण पि.क्षे.अ.नि. की मार्गदर्शिका में निर्दिष्ट अर्हक शर्तों को पूरा नहीं करना था।

पं.रा.सं. के निचले स्तर को अनुदान की विमुक्ति

जिला परिषद् द्वारा पं.रा.सं. के निचले स्तर की संस्थाओं को ₹ 39.80 करोड़ के अनुदान को विमुक्त करने में एक से तीन माह का बिलंब किया गया ***(परिशिष्ट 2.6)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा बताया गया कि यह प्रक्रियात्मक विलंब था और पंचायतों को सीधे उनके बैंक खातों में राशि स्थानांतरण हेतु कदम उठाये जा रहे हैं।

अनुदानों का स्थानांतरण

ग्राम पंचायत सिमरिया दक्षिणी को अनुदान की राशि ₹ 2.12 लाख (2009–10) जि.प. द्वारा स्थानांतरित नहीं किया गया ***(परिशिष्ट–2.7)***। मु.का.प., जि.प. द्वारा बताया गया कि आवश्यकता पड़ने पर राशि स्थानांतरित कर दी जाएगी।

अर्जित ब्याज की राशि की उपयोगिता

वर्ष 2010–15 के दौरान जि.प. द्वारा जि.अ. को कार्यों के कार्यान्वयन हेतु ₹ 6.16 करोड़ दिया गया। जि.अ. द्वारा अर्जित ब्याज राशि ₹ 4.40 लाख जि.प. को वापस नहीं लौटाने के कारण इस राशि का उपयोग कार्यों में नहीं किया जा सका। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि जि.प. को राशि लौटाने हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।

उपयोगिता प्रमाणपत्र

वर्ष 2011–12 एवं 2013–15 के लिए वि.अ. की ₹ 22.29 करोड़ का उ.प्र.प. समर्पित नहीं किया गया था ***(परिशिष्ट–2.10)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा बताया गया कि सुधारात्मक उपाय किये जाएंगे।

2.1.6.6 जिला परिषद् लखीसराय

पूर्व की ***कंडिका 2.1.6.2 एवं 2.1.6.4*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

अनुदानों की हकदारी, विमुक्ति एवं उपयोगिता

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जि.प. को वि.अ. की आवंटित राशि ₹ 70.04 करोड़ के विरूद्ध ₹ 53.44 करोड़ की विमुक्ति की गयी जिसके कारण 2010–15 में ₹ 16.60 करोड़ कम राशि प्राप्त हुई। प्राप्त अनुदान के 60 प्रतिशत से कम राशि का उपयोग करने के कारण ऐसा हुआ।

अनुदानों का स्थानांतरण

अनुसूचित जनजाति उपयोजना अनुदानों को ग्रा.पं. के बीच उनके अ.ज.जा. की जनसंख्या के अनुपात में वितरण करना था परंतु 58 ग्रा.पं. की कर्णांकित राशि ₹ 6.30 लाख को 80 ग्रा.पं. के बीच समान रूप से वितरित कर दिया गया। फलतः तीन पं.स. के 17 ग्रा.पं. में ₹ 1.33 लाख का अनियमित स्थानांतरण हुआ ***(परिशिष्ट– 2.9)***। मु. का.प., जि.प. द्वारा बताया गया कि राशि की वापसी हेतु कार्रवाई की जा रही है।

अनुदानों का उपयोग

क्षमता निर्माण अनुदान की ₹ 3.12 लाख जि.प. में अप्रैल 2012 से अनुपयोगित था।

उपयोगिता प्रमाणपत्र

जिला परिषद् ने 2010–14 में वि.अ. के ₹ 45.29 करोड़ के व्यय के विरूद्ध ₹ 66.55 करोड का उ.प्र.प. समर्पित किया तथा 2013–14 में ₹ 18.66 करोड़ का उ.प्र.प. समर्पित नहीं किया ***(परिशिष्ट–2.10)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।

2.1.6.7 जिला परिषद् मधेपुरा

पूर्व की ***कंडिका 2.1.6.2 एवं 2.1.6.4*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

अनुदानों की हकदारी, विमुक्ति एवं उपयोगिता

पि.क्षे.अ.नि. की मार्गदर्शिका में निर्दिष्ट अर्हक शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण पं.रा.मं. द्वारा जि.प. को वि.अ. की आवंटित राशि ₹ 82.27 करोड़ के विरूद्ध ₹ 67.03 करोड़ की विमुक्ति की गयी जिसके कारण 2010–15 में ₹ 15.24 करोड़ कम राशि प्राप्त हुई।

अनुदानों की विमुक्ति

पंचायती राज संस्थाओं के निचले स्तर को वि.अ. की ₹ 14.75 करोड़ की अनुदान को विमुक्त करने में 23 से 37 दिन का बिलंब किया गया ***(परिशिष्ट–2.6)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा बताया गया कि यह प्रक्रियात्मक विलंब था और पंचायतों को सीधे उनके बैंक खातों में राशि स्थानांतरण हेतु कदम उठाये जा रहे हैं।

जमा राशि पर अर्जित ब्याज का उपयोग

पंचायत समिति आलम नगर द्वारा सहायक अभियंता को 52 कार्यों के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2011–14 में दिए गए ₹ 71.30 लाख पर अर्जित ब्याज ₹ 2.17 लाख को पि.क्षे.अ.

नि. खाते में नहीं लिया गया। का.प. द्वारा बताया गया कि अर्जित ब्याज पि.क्षे.अ.नि. के खाते में स्थानांतरित किया जाएगा।

उपयोगिता प्रमाणपत्र

जिला परिषद् द्वारा वर्ष 2011–12 एवं 2013–14 में वि.अ. के ₹ 12.68 करोड़ के व्यय के विरूद्ध ₹ 17.69 करोड़ का उ.प्र.प. समर्पित किया गया ***(परिशिष्ट–2.10)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा बताया गया कि सुधारात्मक उपाय किये जाएंगे।

2.1.6.8 जिला परिषद् पटना

पूर्व की ***कंडिका 2.1.6.2 एवं 2.1.6.4*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

अनुदानों की हकदारी, विमुक्ति एवं उपयोगिता

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की मार्गदर्शिका में निर्दिष्ट अर्हक शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण पं.रा.मं. ने जि.प. को वि.अ. की आवंटित राशि ₹ 132.81 करोड़ के विरूद्ध केवल ₹ 56.46 करोड़ ही विमुक्त किया जिसके कारण 2010–15 में ₹ 76.35 करोड़ कम राशि प्राप्त हुई।

पं.रा.सं. के निचले स्तरों को अनुदानों की विमुक्ति

पंचायती राज संस्थाओं के निचले स्तर को वि.अ. की ₹ पांच करोड़ की राशि को विमुक्त करने में एक माह का बिलंब किया गया ***(परिशिष्ट–2.6)***। प्रधान सचिव, पं.रा. वि. द्वारा बताया गया कि यह प्रक्रियात्मक विलंब था और पंचायतों को सीधे उनके बैंक खातों में राशि स्थानांतरण हेतु कदम उठाये जा रहे हैं।

अनुदानों का स्थानांतरण

बिहार सरकार ने निर्देश दिया (जुलाई 2012) था कि संविलयित ग्रा.प. के मामले में संविलयित ग्रा.प. का हिस्सा या तो शहरी स्थानीय निकायों को स्थानांतरित कर दिया जाए या उन पंचायतों में समान रूप से बांट दिया जाय जो संविलयित पुराने ग्रा.प. के ग्रामों के क्षेत्राधिकार में थे।

परंतु, वि.अ. की राशि ₹ 76.49 लाख जि.प. द्वारा एक पं.स., तीन श.स्था.नि. एवं चार ग्रा.पं. को स्थानांतरित नहीं किया गया ***(परिशिष्ट–2.7)*** जबकि आठ पं.स. एवं छः ग्रा. पं. को ₹ 1.17 करोड़ दो बार विमुक्त किया गया ***(परिशिष्ट–2.8)***। मु.का.प., जि.प. ने बताया कि चार ग्रा.पं. के नगर पंचायत में शामिल हो जाने के कारण राशि का स्थानांतरण नहीं किया गया एवं अनुदान के दो बार विमुक्ति के मामले में बैंक से वार्ता की जाएगी।

जमा पर अर्जित ब्याज की राशि का उपयोग

वर्ष 2010–15 की अवधि में जि.प. द्वारा जि.अ. को कार्यों के कार्यान्वयन हेतु ₹ 7.80 करोड़ दिया गया था तथा अर्जित ब्याज राशि को जि.प. को वापस किया जाना था परंतु जि.अ. ने अर्जित ब्याज राशि ₹ 11.89 लाख जि.प. को नहीं लौटाया। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि जि.प. को राशि लौटाने हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।

उपयोगिता प्रमाणपत्र

जि.प. द्वारा वर्ष 2010–13 में ₹ 44.41 करोड़ का उ.प्र.प. समर्पित करने में दो से तीन वर्ष का विलंब किया गया जबकि वर्ष 2012–14 के वि.अ. की राशि ₹ 31.88 करोड़ का उ.प्र.प. समर्पित नहीं किया गया ***(परिशिष्ट–2.10)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा बताया गया कि सुधारात्मक उपाय किये जाएंगे।

2.1.6.9 जिला परिषद् सहरसा

पूर्व ***कंडिका 2.1.6.2 एवं 2.1.6.4*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

अनुदानों की हकदारी, विमुक्ति एवं उपयोगिता

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि मार्गदर्शिका में विनिर्दिष्ट अर्हक शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण पं.रा.मं. ने जि.प. को वि.अ. की अर्हक राशि ₹ 84.55 करोड़ के विरूद्ध केवल ₹59.55 करोड़ ही विमुक्त किया जिसके कारण 2010–15 में ₹ 25 करोड़ कम राशि प्राप्त हुई।

अनुदानों का स्थानांतरण

ग्राम पंचायत बख्तियारपुर उत्तरी एवं बख्तियारपुर दक्षिणी को नगर पंचायत सिमरी बख्तियारपुर में मिला दिया गया परंतु वर्ष 2012–13 में उनके हिस्से की राशि ₹ 8.09 लाख को जि.प. द्वारा नगर पंचायत को स्थानांतरित नहीं किया गया। जि.प. द्वारा विकास अनुदान की राशि ₹ चार लाख (2010–11) दो ग्रा.पं. (मुरली वसंतपुर एवं बरसम) में स्थानांतरित नहीं किया गया ***(परिशिष्ट–2.7)***। मु.का.प., जि.प. ने बताया कि ग्रा.पं. की देयता का आकलन कर उन्हें अनुदान स्थानांतरित कर दी जाएगी।

जमा पर अर्जित ब्याज की राशि का उपयोग

जिला परिषद् ने जि.अ. को कार्यों के कार्यान्वयन हेतु ₹ 5.87 करोड़ (2010–15) उपलब्ध कराया था परंतु, जि.अ. द्वारा अर्जित ब्याज की राशि ₹ 6.97 लाख जि.प. को नहीं लौटाया गया। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि जि.प. को राशि लौटाने हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।

अनुदान का उपयोग

जिला परिषद् एवं दो पं.स. द्वारा क्ष.नि.अ. की राशि ₹ 4.30 लाख अनुपयोगित रहा तथा परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने हेतु प्राप्त अनुदान की राशि ₹ 1.13 लाख का तीन से चार वर्षों तक जि.प. द्वारा उपयोग नहीं किया गया। मु.का.प., जि.प. एवं का.प. पं.स. बनमा इटहरी ने बताया कि अनुपयोगित अनुदान का उपयोग/समर्पण पं.रा.वि. के निर्देशानुसार किया जाएगा।

उपयोगिता प्रमाणपत्र

वर्ष 2011–15 में ₹ 19.01 करोड़ के वि.अ. का उ.प्र.प. प्रेषित नहीं किया ***(परिशिष्ट–2.10)*** गया था। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि सुधारात्मक उपाय किये जाएंगे।

2.1.6.10 जिला परिषद् समस्तीपुर

पूर्व ***कंडिका 2.1.6.2 एवं 2.1.6.4*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

अनुदानों की हकदारी, विमुक्ति एवं उपयोगिता

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की मार्गदर्शिका में निर्दिष्ट अर्हक शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण पं.रा.मं. द्वारा जि.प. को वि.अ. की हिस्से की राशि ₹ 113.09 करोड़ के विरूद्ध ₹ 61.21 करोड़ की विमुक्ति की गयी जिसके कारण 2010–15 में ₹ 51.88 करोड़ कम राशि प्राप्त हुई।

पं.रा.सं. के निचले स्तर को अनुदान की विमुक्ति में बिलंब

जिला परिषद् द्वारा पं.रा.सं. के निचले स्तर को ₹ 3.93 करोड़ के अनुदान को विमुक्त करने में जि.प. द्वारा पाँच महीने का बिलंब किया गया ***(परिशिष्ट–2.6)***। यह भी पाया गया कि बैंक द्वारा पं.रा.सं. को राशि के स्थानांतरण में भी 11 से 282 दिन का विलंब

किया गया। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि यह प्रक्रियात्मक विलंब था तथा पंचायतों को सीधे उनके बैंक खातों में राशि स्थानांतरण हेतु कदम उठाये जा रहे हैं।

अनुदान का स्थानांतरण

सत्रह पं.स. को अ.ज.जा. उपयोजना से संबंधित अनुदान की राशि में ₹ 33.75 लाख अधिक राशि का स्थानांतरण किया गया जबकि नगर परिषद् समस्तीपुर को ₹ 1.59 लाख कम स्थानांतरित (मई 2012) की गयी ***(परिशिष्ट–2.8)***। मु.का.प., जि.प. द्वारा बताया गया कि बैंक के द्वारा अधिक राशि का स्थानांतरण किया गया और बैंक तथा पं.स. से इस संबंध में पत्राचार किया जाएगा।

अर्जित ब्याज की राशि का उपयोग

ब्याज के रूप में अर्जित ₹ 6.97 लाख को जि.प. के लेखा में नहीं लिया गया जबकि सेंट्रल बैंक के खाते में रखी गयी विभिन्न शीर्षों की राशि पर अर्जित ब्याज ₹ 1.09 करोड़ को शीर्षवार अलग नहीं किया गया और न ही उसे पि.क्षे.अ.नि. के लेखा में रखा गया। वर्ष 2010–15 की अवधि में जि.प. द्वारा जि.अ. को कार्यों के कार्यान्वयन के लिए ₹ 8.10 करोड़ उपलब्ध कराया गया था परंतु, जि.अ. द्वारा अर्जित ₹ 10.81 लाख की ब्याज राशि जि.प. को नहीं लौटाया गया। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा बताया गया कि जि.प. को राशि लौटाने हेतु निर्देश जारी किये जाएंगे।

अनुदान का उपयोग

परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने हेतु प्राप्त ₹ पाँच लाख का अनुदान मई 2008 से जि.प. में अनुपयोगित था।

उपयोगिता प्रमाणपत्र

वर्ष 2010–15 में वि.अ. की ₹ 54.11 करोड़ का उ.प्र.प. समर्पित नहीं किया गया ***(परिशिष्ट–2.10)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि सुधारात्मक उपाय किये जाएंगे।

2.1.6.11 जिला परिषद् सीतामढ़ी

पूर्व ***कंडिका 2.1.6.1*** एवं ***2.1.6.4*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

अनुदानों की हकदारी, विमुक्ति एवं उपयोगिता

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की मार्गदर्शिका में निर्दिष्ट अर्हक शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण पं.रा.मं. द्वारा जि.प. को वि.अ. की हिस्से की राशि ₹ 100.73 करोड़ के विरूद्ध ₹ 60.82 करोड़ की विमुक्ति की गयी जिसके कारण 2010–15 में ₹ 39.91 करोड़ कम राशि प्राप्त हुई।

पंचायती राज संस्थाओं के निचले स्तर को अनुदान की विमुक्ति में बिलंब

जिला परिषद् द्वारा पं.रा.सं. के निचले स्तर की संस्थाओं को ₹ 19.94 करोड़ के विकास अनुदान को विमुक्त करने में एक से दो माह का बिलंब किया गया था ***(परिशिष्ट–2.6)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि यह प्रक्रियात्मक विलंब था और पंचायतों को सीधे उनके बैंक खातों में राशि स्थानांतरण हेतु कदम उठाये जा रहे हैं।

अनुदानों का स्थानांतरण

निचले स्तर की पं.रा.सं. को ₹ 9.41 करोड़ (फरवरी 2015) के वि.अ. का स्थानांतरण नहीं (मई 2015) किया गया ***(परिशिष्ट–2.7)***। साथ ही गैर–अ.जा. विशेष योजना घटक/अ.ज.जा. उपयोजना से संबंधित वि.अ. की राशि ₹ 26.56 लाख को 11 ग्रा.पं. को दो बार स्थानांतरित कर दिया गया। फलतः अनुदान का अधिक स्थानांतरण हुआ ***(परिशिष्ट–2.8)***। मु.का.प., जि.प. ने बताया कि निधि का स्थानांतरण शीघ्र करने हेतु

संबंधित बैंक को नोटिस दिया गया है तथा उक्त राशि की वापसी संबंधित ग्रा.प. से करने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

जमा पर अर्जित ब्याज की राशि का उपयोग

जिला परिषद् द्वारा जि.अ. को कार्यों के कार्यान्वयन हेतु ₹ 5.73 करोड़ (2010–15) उपलब्ध कराया गया था परंतु जि.अ. द्वारा अर्जित ब्याज की राशि ₹ 15.32 लाख जि. प. को नहीं लौटाया गया। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा बताया गया कि जि.प. को राशि लौटाने हेतु निर्देश जारी किये जाएंगे।

अनुदानों का उपयोग

क्षमता निर्माण अनुदान की राशि ₹ 5.53 लाख जि.प. एवं पं.स., रून्नीसैदपुर में वर्ष 2013–14 से तथा परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने के लिए अनुदान की राशि ₹ 1.83 लाख जि.प. में 2011–12 से अनुपयोगित था।

अनुशंसाएँ :

पं.रा.सं. द्वारा अनुदानों का अधिकतम उपयोग करने, पात्रता के अनुसार अपने हिस्से की अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए पं.रा.मं. को ससमय मांग भेजने, कर्मियों की संख्या में वृद्धि हेतु पांच प्रतिशत राशि कर्णांकित करने के लिए राज्य सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

जि.प. को पं.रा.सं. के निचले स्तर को अनुदानों का स्थानांतरण ससमय करने एवं समय पर सही उ.प्र.प. भेजने से संबधित दिशा निर्देशों का दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए।

2.1.7 आयोजना

2.1.7.1 पंचायती राज विभाग

मार्गदर्शिका के अनुसार, पि.क्षे.अ.नि. का कार्यक्रम बेसलाईन सर्वे और जिला विकास परिप्रेक्ष्य योजना के साथ साथ पिछड़ेपन के अध्ययन पर आधारित प्रत्येक पि.क्षे.अ.नि. जिला में प्रारंभ किया जाना था। कार्यान्वयन के लिए चिन्हित कार्यक्रमों का चयन लोगों की सहभागिता खासकर ग्राम सभा से किया जाना था। प्रत्येक पंचायत द्वारा तैयार इस प्रकार की योजना को जिला योजना समिति द्वारा जिला योजना में शामिल किया जाना था। राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति (उ.स्त.स.) को प्रस्तावित जिला योजना पर विचार कर अनुमोदन देना था।

उच्च स्तरीय समिति

बिहार सरकार द्वारा मार्च 2007 में पि.क्षे.अ.नि. के अंतर्गत योजनाओं के अनुमोदन तथा मूल्यांकन एवं निगरानी के लिए उ.स्त.स. का गठन किया गया था। वर्ष 2010–15 के दौरान उ.स्त.स. की तीन बैठकें हुई जिसमें 2010–11 तक के जिला योजनाओं को अनुमोदित किया गया। उसके बाद विकास अनुदान के लिए यह कार्य जिला योजना समिति को एवं क्ष.नि.अ. के लिए यह कार्य उ.स्त.स. को हस्तांतरित किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2011–15 के दौरान मात्र दो बैठकें (सितंबर 2013 एवं अगस्त 2014) की गयी। परिणामतः, उ.स्त.स., क्ष.नि.अ. के उपयोग की निगरानी करने में विफल रहा एवं राज्य वर्ष 2011–15 की अवधि में ₹ 154.66 करोड़ के क्ष.नि.अ. से वंचित रहा। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा निर्गम सम्मेलन में लेखापरीक्षा के इस निष्कर्ष को स्वीकार किया गया।

बेसलाइन सर्वेक्षण, दृष्टिकोण पत्र एवं संदर्शी योजना

टेक्निकल सपोर्ट इंस्टीटयूशन (टी.एस.आई) द्वारा सभी नमूना जांचित जिलों में बेसलाइन सर्वेक्षण किया गया तथा दृष्टिकोण पत्र एवं संदर्शी योजना तैयार किए गए। परंतु, वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) संदर्शी योजना के आधार पर बनाने की बजाय पं.रा.सं. के निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रस्ताव के आधार पर बनाया गया। परिणामस्वरूप बेसलाइन सर्वे, दृष्टिकोण पत्र एवं संदर्शी योजना व्यर्थ सिद्ध हुए। प्रधान सचिव, पं.रा. वि. द्वारा निर्गम सम्मेलन में लेखापरीक्षा के इस विचार को स्वीकार किया गया।

समेकित जिला योजना (स.जि.यो.) का निर्माण

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि मार्गदर्शिका की कंडिका 2.1 के अनुसार जि.यो.स. द्वारा जिले में उपलब्ध सभी संसाधनों को सम्मिलित कर सरकार के विभिन्न स्तरों को सौंपे गए गतिविधियों/कार्यों को लेकर जि.यो.स. द्वारा एक स.जि.यो. तैयार किया जाना चाहिए। वर्ष 2010–15 के दौरान जि.यो.स. द्वारा 10 नमूना जांचित जिलों में स.जि.यो. तैयार नहीं की गयी और केवल पि.क्षे.अ.नि. विशेष की वार्षिक योजना तैयार की जा रही थी। प्रधान सचिव, पं.रा. वि. ने स्वीकार किया कि समेकित जिला योजना तैयार नहीं की गयी, इसके बजाए केवल पि.क्षे.अ.नि. विशेष की वार्षिक योजना ही तैयार की गयी थी तथा मामले की जाँच की जाएगी।

2.1.7.2 जिला परिषद् औरंगाबाद

अधिरोपित योजना

पि.क्षे.अ.नि. के अन्तर्गत आयोजन प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण बदलाव उपर से नीचे की ओर के स्थान पर निचले स्तर से उपर की ओर योजना तैयारी में हुआ।

जिला परिषद् द्वारा ₹ आठ लाख की पि.क्षे.अ.नि. के तीन कार्यों को पं.स. रफीगंज की वा.का.यो. में बिना इसकी सहमति के शामिल की गयी ***(परिशिष्ट–2.11)***।

पंचायत समिति गोह ने 2012–13 की वा.का.यो. में ₹ 1.56 करोड़ की योजनाओं को शामिल करने हेतु समर्पित किया था परंतु जि.प. द्वारा मनमाने ढंग से योजनाओं को ₹49.41 लाख तक सीमित कर शामिल किया गया। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि विकास योजनाओं का चयन वार्ड सभा से करने हेतु कदम उठाये जा रहे हैं।

पिछले वर्ष नहीं ली गयी योजनाओं का कार्यान्वयन

वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के संबंध में पं.रा.वि. द्वारा मई 2012 में जारी दिशा–निर्देशों में कहा गया था कि पिछले वर्ष में कार्यान्वित नहीं होने वाले कार्यों एवं अपूर्ण कार्यों की समीक्षा कर उन्हें चालू वर्ष की वा.का.यो. में शामिल किया जाय।

जिला परिषद् द्वारा ₹ 2.88 करोड़ के 92 कार्यों (2012–15) का कार्यान्वयन चालू वर्ष की वा.का.यो. में शामिल किए बिना किया गया ***(परिशिष्ट–2.12)***। मु.का.प., जि.प. ने बताया कि समयाभाव के कारण उचित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया।

अ.जा./अ.ज.जा. के लिए अलग से उपयोजना तैयार किया जाना

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की मार्गदर्शिका के अनुसार जिला योजनाओं में अ.जा./अ.ज.जा. के लिए अलग से उपयोजना बनाकर अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित मुददों का पूरा पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि धन का आवंटन कम–से–कम उनकी जनसंख्या के अनुपात में हो और उनका उपयोग प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर हो।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2010–15 के दौरान जि.प. में अ.जा./अ.ज.जा. के लिए अलग से कोई उपयोजना तैयार नहीं की गयी। नमूना जांचित पं.रा.सं. द्वारा ₹ 6.15 करोड़ के 286 कार्यों में अ.जा./अ.ज.जा. के लिए मात्र ₹ 1.09 करोड़

के 60 कार्य कार्यान्वित की गयी। फलतः अ.जा./अ.ज.जा. की 24.52 प्रतिशत ग्रामीण आबादी के फायदे के लिए मात्र 17.72 प्रतिशत निधि का ही उपयोग हुआ। आगे, 60 कार्यों में से मात्र दो कार्य ही प्राथमिकता वाले क्षेत्र के अनुसार कार्यान्वित की गयी। इस प्रकार अ.जा./अ.ज.जा. न केवल अपनी आबादी के अनुपात में सुविधाओं से वंचित रहे बल्कि उनकी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को भी नजरंदाज किया गया। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि यदि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से संबंधित कार्य नहीं लिये गए होंगे तो इसकी जाँच कर तत्त्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

2.1.7.3 जिला परिषद् भागलपुर

पूर्व ***कंडिका 2.1.7.2*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

अधिरोपित योजना

एक पं.स. एवं छः ग्रा.पं. की ₹ 1.32 करोड़ की 91 कार्यों को पं.स. एवं ग्राम सभा के अनुमोदन के बिना ही वा.का.यो. में शामिल कर लिया गया ***(परिशिष्ट–2.11)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि विकास योजनाओं का चयन वार्ड सभा से करने हेतु कदम उठाये जा रहे हैं।

पिछले वर्ष नहीं ली गयी कार्यों का कार्यान्वयन

जि.प. द्वारा वर्ष 2014–15 में ₹ 11.56 लाख की चार योजनाओं का कार्यान्वयन चालू वर्ष की वा.का.यो. में शामिल किए बिना किया गया ***(परिशिष्ट–2.12)***। मु.का.प., जि.प. ने बताया कि जि.प. के निर्वाचित प्रतिनिधियों की अनुशंसा पर कार्यों को कार्यान्वित किया गया और जि.यो.स. की अनुशंसा अगली बैठक में प्राप्त कर ली जाएगी।

अ.जा./अ.ज.जा. के लिए अलग से उपयोजना तैयार किया जाना

वर्ष 2010–15 के दौरान जिला में अ.जा./अ.ज.जा. के लिए अलग से कोई उपयोजना तैयार नहीं की गयी। नमूना जांचित पं.स./ग्रा.पं. द्वारा ₹ 7.36 करोड़ की 402 कार्यों में अ.जा./अ.ज.जा. के लिए मात्र ₹ 22 लाख के 25 कार्य (तीन प्राथमिकता वाले क्षेत्र सहित) कार्यान्वित की गयी। फलतः, अ.जा./अ.ज.जा. की 12.8 प्रतिशत ग्रामीण आबादी के लाभ हेतु मात्र 2.93 प्रतिशत निधि का ही उपयोग हुआ। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि यदि प्राथमिकता के क्षेत्रों से संबंधित कार्य नहीं लिये गए होंगे तो इसकी जाँच कर तत्त्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

2.1.7.4 जिला परिषद् भोजपुर

पूर्व की ***कंडिका 2.1.7.2*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

पिछले वर्ष नहीं ली गयी कार्यों का कार्यान्वयन

दो पं.स. एवं छः ग्रा.पं. द्वारा पिछले वर्ष के 32 कार्यों का कार्यान्वयन चालू वर्ष की वा. का.यो. में शामिल किए बिना किया गया एवं इन कार्यों पर ₹ 1.17 करोड़ का व्यय हुआ ***(परिशिष्ट–2.12)***। ग्रा.पं. बिहटा, इमादपुर और संदेश ने बताया कि योजना का कार्यान्वयन जनहित में किया गया।

अ.जा./अ.ज.जा. के लिए अलग से उपयोजना तैयार किया जाना

जि.प. द्वारा ₹ 75.14 लाख की 31 कार्यों का कार्यान्वयन अ.जा. विशेष योजना घटक/अ.ज.जा. उपयोजना के अंतर्गत किया गया परंतु कोई भी कार्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र से नहीं किया गया। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि यदि प्राथमिकता के क्षेत्रों से संबंधित कार्य नहीं लिये गए होंगे तो इसकी जाँच कर तत्त्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

2.1.7.5 जिला परिषद् कटिहार

पूर्व ***कंडिका 2.1.7.2*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

पिछले वर्ष नहीं ली गयी कार्यों का कार्यान्वयन

एक पं.स. एवं पाँच ग्रा.पं. द्वारा ₹ 79.99 लाख के व्यय (2012–14) से पिछले वर्ष के 18 कार्यों का कार्यान्वयन चालू वर्ष की वा.का.यो. में शामिल किए बिना किया गया ***(परिशिष्ट–2.12)***। का.प., पं.स. कुर्सेला तथा पंचायत सचिव, ग्रा.पं. पूर्वी एवं उत्तरी मुरादपुर ने बताया कि कार्यों के अनुमोदन में विलंब के कारण ऐसा हुआ।

अ.जा./अ.ज.जा. के लिए अलग से उपयोजना तैयार किया जाना

जिला परिषद् द्वारा अ.जा./अ.ज.जा. उपयोजना के लिए ₹ 1.11 करोड़ के 21 कार्यों का कार्यान्वयन जिनमें से 19 कार्य अ.जा./अ.ज.जा. के प्राथमिक क्षेत्र के बाहर की थीं। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि यदि प्राथमिकता के क्षेत्रों से संबंधित कार्य नहीं लिये गए होंगे तो इसकी जाँच कर तत्त्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

2.1.7.6 जिला परिषद् लखीसराय

पूर्व ***कंडिका 2.1.7.2*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

पिछले वर्ष नहीं ली गयी कार्यों का कार्यान्वयन

पंचायत समिति पिपरिया एवं ग्रा.पं. भलुई द्वारा वर्ष 2012–15 के दौरान पिछले वर्ष के छः कार्यों का कार्यान्वयन चालू वर्ष की वा.का.यो. में शामिल किए बिना किया गया जिस पर ₹ 26.90 लाख का व्यय हुआ ***(परिशिष्ट–2.12)***।

अ.जा./अ.ज.जा. के लिए अलग से उपयोजना तैयार किया जाना

अनुदान की राशि कम होने के कारण जिला में अ.जा. के लिए अलग से उपयोजना तैयार नहीं की गयी। जि.प. द्वारा कार्यान्वित ₹ 4.61 करोड़ के 88 कार्यों में से मात्र सात कार्य ही अ.जा के लिए कार्यान्वित की गयी जिसपर ₹ 33.77 लाख का व्यय हुआ। फलतः अ.जा. की 15.78 प्रतिशत आबादी के हित के लिए मात्र 7.32 प्रतिशत निधि का उपयोग हुआ। सात योजनाओं में से कोई भी योजना प्राथमिकता वाले क्षेत्र से नहीं ली गयी थी। आगे, वर्ष 2011–15 के दौरान अनन्य रूप से अ.ज.जा. उपयोजना के लिए अलग से कोई कार्य कार्यान्वित नहीं की गयी जबकि इस शीर्ष के अंतर्गत ₹ 28 लाख अनुदान प्राप्त हुए थे। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि यदि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से संबंधित कार्य नहीं लिये गए होंगे तो इसकी जांच कर तत्त्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

2.1.7.7 जिला परिषद् मधेपुरा

पूर्व ***कंडिका 2.1.7.2*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

अधिरोपित योजना

पंचायत समिति आलम नगर द्वारा ₹ 12.79 लाख प्राक्कलन के चार कार्य बिना पं.स. के अनुमोदन के वा.का.यो. में सम्मिलित कर कार्यान्वित की गयी ***(परिशिष्ट–2.11)***। जिला पंचायत योजना जि.प. के द्वारा नहीं बल्कि जि.प. सदस्यों द्वारा प्रस्तुत कार्यों की सूची के आधार पर जि.यो.स. द्वारा तैयार की गई थी। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि विकास योजनाओं का चयन वार्ड सभा से करने हेतु कदम उठाये जा रहे हैं।

अ.जा./अ.ज.जा. के लिए अलग से उपयोजना तैयार किया जाना

जिला परिषद् द्वारा अ.जा./अ.ज.जा. के लिए ₹ 2.76 करोड़ व्यय से 73 कार्यों को कार्यान्वित किया गया परंतु इनमें से केवल 14 कार्य अ.जा./अ.ज.जा. के प्राथमिकता

वाले क्षेत्र की सूची में सम्मिलित थीं। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा बताया गया कि यदि प्राथमिकता के क्षेत्रों से संबंधित कार्य नहीं लिये गए होंगे तो इसकी जाँच कर तत्त्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

2.1.7.8 जिला परिषद् पटना

पूर्व ***कंडिका 2.1.7.2*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

पिछले वर्ष नहीं ली गयी कार्यों का कार्यान्वयन

वर्ष 2012–15 के दौरान दो पं.स. एवं तीन ग्रा.पं ने ₹ 30.23 लाख के व्यय से पिछले वर्ष के 26 कार्यों का कार्यान्वयन चालू वर्ष की वा.का.यो. में शामिल किए बिना किया ***(परिशिष्ट–2.12)***।

अ.जा./अ.ज.जा. के लिए अलग से उपयोजना तैयार किया जाना

जिला परिषद् ने ₹ 94 लाख व्यय से अ.जा. घटक के 38 कार्यों का कार्यान्वयन किया परंतु इन 38 कार्यों में से केवल एक कार्य अ.जा. के प्राथमिक क्षेत्र की सूची में सम्मिलित था। मु.का.प., जि.प. ने बताया कि जि.प. सदस्यों की अनुशंसा पर कार्य कराए गए। अ.ज.जा. से संबंधित उपयोजना के अंतर्गत ₹ आठ लाख का अनुदान प्राप्त होने के बावजूद अलग से कोई कार्य कार्यान्वित नहीं (2011–15) किया गया। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि यदि प्राथमिकता के क्षेत्रों से संबंधित कार्य नहीं लिये गए होंगे तो इसकी जाँच कर तत्त्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी

2.1.7.9 जिला परिषद् सहरसा

पूर्व की ***कंडिका 2.1.7.2*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

पिछले वर्ष नहीं ली गयी कार्यों का कार्यान्वयन

चार ग्रा.पं द्वारा ₹ 38.06 लाख के व्यय से 11 कार्यों का कार्यान्वयन चालू वर्ष की वा. का.यो. में शामिल किए बिना किया गया ***(परिशिष्ट–2.12)***। ग्रा.पं. पटोरी ने बताया कि कार्यों का कार्यान्वयन जनहित में किया गया एवं ग्रा.पं. को वा.का.यो. के बारे में जानकारी नहीं थी।

अ.जा./अ.ज.जा. के लिए अलग से उपयोजना तैयार किया जाना

जिला परिषद् द्वारा अ.जा. घटक की 18 कार्य कार्यान्वित कर ₹ 80 लाख व्यय किया गया परंतु इनमें सें कोई भी कार्य अ.जा. के प्राथमिकता वाले क्षेत्र की सूची में सम्मिलित नहीं थी। मु.का.प., जि.प. ने बताया कि जि.प. द्वारा सिर्फ जि.यो.स. द्वारा अनुमोदित कार्यों का ही कार्यान्वयन कराया गया।

वर्ष 2011–15 के दौरान अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित किसी भी कार्य का कार्यान्वयन नहीं कराया गया था जबकि इस शीर्ष में ₹ 14 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि यदि प्राथमिकता के क्षेत्रों से संबंधित कार्य नहीं लिये गए होंगे तो इसकी जाँच कर तत्त्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

2.1.7.10 जिला परिषद् समस्तीपुर

पूर्व की ***कंडिका 2.1.7.2*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

अधिरोपित योजना

ग्राम पंचायत रायपुर बुजुर्ग पर ₹ 15.21 लाख के चार कार्य जि.प., समस्तीपुर द्वारा अध्यारोपित की गई थी ***(परिशिष्ट–2.11)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि विकास योजनाओं का चयन वार्ड सभा से कराने हेतु कदम उठाये जा रहे हैं।

पिछले वर्ष नहीं ली गयी कार्यों का कार्यान्वयन

दो पं.स. एवं चार ग्रा.पं द्वारा वर्ष 2012–15 की अवधि में ₹ 96.31 लाख के व्यय से पिछले वर्ष के 28 कार्यों का कार्यान्वयन चालू वर्ष की वा.का.यो. में शामिल किए बिना किया गया ***(परिशिष्ट–2.12)***।

अ.जा./अ.ज.जा. के लिए अलग से उपयोजना तैयार किया जाना

वर्ष 2010–15 की अवधि में वा.का.यो. में अ.जा./अ.ज.जा. के लिए अलग से उपयोजना तैयार नहीं की गयी थी और वा.का.यो. में अ.जा./अ.ज.जा. के हित के लिए केवल विमुक्त होने वाली राशि दर्शायी गयी थी।

नमूना जांचित इकाईयों द्वारा ली गयी ₹ 5.12 करोड़ के 142 कार्यों में ₹ 30.31 लाख के व्यय से मात्र नौ कार्य अ.जा./अ.ज.जा. के लिए ली गयी। फलतः अ.जा./अ.ज.जा. के 18.62 प्रतिशत ग्रामीण आबादी के हित के लिए मात्र 5.92 प्रतिशत का ही उपयोग हुआ। 142 कार्यों में से केवल एक कार्य पं.स. मोहिउद्दीन नगर द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्र से कार्यान्वित किया गया। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि यदि प्राथमिकता के क्षेत्रों से संबंधित कार्य नहीं लिये गए होंगे तो इसकी जाँच कर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

2.1.7.11 जिला परिषद् सीतामढ़ी

पूर्व की ***कंडिका 2.1.7.2*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

पिछले वर्ष नहीं ली गयी कार्यों का कार्यान्वयन

दो पं.स. एवं तीन ग्रा.पं द्वारा वर्ष 2012–15 की अवधि में पिछले वर्ष के ₹ 1.41 करोड़ के 75 कार्यों का कार्यान्वयन चालू वर्ष की वा.का.यो. में शामिल किए बिना किया गया ***(परिशिष्ट–2.12)***।

अ.जा./अ.ज.जा. के लिए अलग से उपयोजना तैयार किया जाना

जिले में अ.जा. के लिए अलग से उपयोजना तैयार नहीं की गयी थी। वर्ष 2012–14 में जि.प. द्वारा ₹ 3.73 करोड़ के 85 कार्यों में से अ.जा. के लिए केवल ₹ 23.18 लाख के सात कार्य लिए गए थे। फलतः, अ.जा. की 11.76 प्रतिशत आबादी के हित के लिए मात्र 6.21 प्रतिशत का ही उपयोग हुआ। मु.का.प., जि.प. ने बताया कि जि.प. ने त्रिस्तरीय पं.रा.सं. तथा नगर निकायों से प्राप्त घटकों के आधार पर समर्पित किया जिसमें उक्त घटक प्राप्त नहीं थे।

वर्ष 2011–15 के दौरान अ.ज.जा. से संबंधित उपयोजना के अन्तर्गत ₹ तीन लाख का अनुदान उपलब्ध होने के बावजूद अलग से कोई कार्य कार्यान्वित नहीं किया गया। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि यदि प्राथमिकता के क्षेत्रों से संबंधित कार्य नहीं लिये गए होंगे तो इसकी जाँच कर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी

अनुशंसाः कार्य को चालू वर्ष के अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर ही कार्यान्वित कराना चाहिए एवं अनुदान के अ.जा./अ.ज.जा. घटक को प्राथमिकता वाले स्रोतों के कार्यों में ही उपयोग किया जाना चाहिए।

2.1.8 विकास/क्षमता निर्माण अनुदान की उपयोगिता

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि मार्गदर्शिका के अनुसार जिला में उपलब्ध सभी वित्तीय संसाधनों का अधिकत्तम उपयोग बिना विलंब एवं विचलन के किया जाना है।

2.1.8.1 जिला परिषद् औरंगाबाद

कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं की भौतिक प्रगति

नमूना जांचित जि.प., दो पं स. एवं आठ ग्रा.पं. में जि.यो.स. द्वारा 2010–15 के दौरान 1516 कार्य अनुमोदित किए गए थे जिसमें से केवल 376 कार्य (25 प्रतिशत) ही लिये गए। तथापि, ₹ 2.28 करोड़ के व्यय के पश्चात् भी 162 कार्य (43 प्रतिशत) एक से चार वर्षों से अपूर्ण थे ***(परिशिष्ट–2.13)***। आगे, जि.प. में वर्ष 2011–12 के दौरान वा. का.यो. में 116 अनुमोदित कार्य उपलब्ध रहने एवं ₹ 1.11 करोड़ अनुदान की प्राप्ति के बावजूद सड़क, नाली, सामुदायिक भवन इत्यादि से संबंधित कार्य नहीं कराया गया ***(परिशिष्ट–2.14)***।

वा.का.यो. से इतर कार्यों का कार्यान्वयन

बिहार सरकार ने दिसंबर 2011 में दिशानिर्देश जारी किया था जिसके अनुसार जि.यो. स. से अनुमोदित योजनाएं ही कार्यान्वयन के लिए ली जाएगी और किसी भी परिस्थिति में विचलन नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त प्रावधान के विपरीत जि.प., दो पं.स., एवं आठ ग्रा.पं. द्वारा ₹ 4.71 करोड़ की 214 कार्य ***(परिशिष्ट– 2.15)*** वा.का.यो. में शामिल किए बिना कार्यान्वित की गयी। फलतः यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से कार्य लिया गया और नाजुक कड़ियों को जोड़ा गया। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि पं.रा.सं. द्वारा पहले ही कार्यों का कार्यान्वयन किये जाने के कारण उस पर किए गए व्यय को जिले को विमुक्त किये जानेवाले अगले अनुदान से समायोजित कर लिया जाएगा।

सरकारी दिशानिर्देशों के विरूद्ध कार्यों का आवंटन

दिसंबर 2012 में सरकार द्वारा निर्देश जारी किया गया था जिसके अनुसार विभागीय कार्य में कार्यकारी अभिकर्ता के रूप में सरकारी कर्मियों को अधिक–से–अधिक तीन कार्य ही सौंपी जा सकती है बशर्ते कार्य स्थल पाँच किलोमीटर के दायरे में हो। शेष कार्य निविदा के माध्यम से कराए जाएंगे।

वर्ष 2014–15 में जि.प. द्वारा सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए ₹ 1.43 करोड़ की 28 योजनाएं तीन अभिकर्ताओं (एक बार में आठ से दस कार्य) को दिया गया ***(परिशिष्ट–2.16)***। फलतः, 16 कार्य (57 प्रतिशत) अपूर्ण रहीं एवं 10 कार्य (36 प्रतिशत) एक से चार महीने विलंब से पूर्ण करायी गयी। मु.का.प., जि.प. ने बताया कि भविष्य में दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।

असमायोजित अग्रिम

बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (बजट एवं लेखा) नियम, 1964 में प्रावधान है कि किसी कार्य के लिए द्वितीय अग्रिम तब तक नहीं दिया जाय जब तक कि प्रथम अग्रिम का समायोजन न हो जाय। प्रावधान के विरूद्ध वर्ष 2010–14 के दौरान अभिकर्ताओं को 54 कार्यों के लिए ₹ 42.90 लाख अग्रिम (जि.प., दो पं.स. एवं पांच ग्रा. पं.) दिया गया। इनमें से 38 कार्य एक से चार वर्ष व्यतीत होने के बावजूद न तो एजेंसी द्वारा प्रारंभ की गयी न ही दिए गए अग्रिम ₹ 18 लाख जि.प. और दो पं.स. को वापस की गयी ***(परिशिष्ट–2.19)***। हांलाकि बाद में वही कार्य दूसरी एजेंसी को आवंटित किया गया और ₹ 18 लाख संबंधित व्यक्तियों से वापस नहीं कराया गया। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा इस संबंध में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया।

2.1.8.2 जिला परिषद् भागलपुर

पूर्व ***कंडिका 2.1.8.1*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यों की भौतिक प्रगति

नमूना जांचित जि.प., तीन पं.स. एवं 12 ग्रा.पं. में जि.यो.स. द्वारा 2010–15 के दौरान 1555 कार्य अनुमोदित किए गए थे जिसमें से केवल 401 कार्य (26 प्रतिशत) ही लिये गए। तथापि, ₹ 1.16 करोड़ के व्यय के पश्चात् भी 72 कार्य (18 प्रतिशत) एक से चार वर्षों से अपूर्ण थे ***(परिशिष्ट– 2.13)***। आगे एक पं.स. एवं दो ग्रा.पं. में वर्ष 2012–14 के दौरान वा.का.यो. में 57 अनुमोदित कार्य उपलब्ध रहने एवं ₹ 20.90 लाख अनुदान की प्राप्ति के बावजूद सड़क, नाली, सामुदायिक भवन इत्यादि से संबंधित कार्य नहीं कराया गया ***(परिशिष्ट–2.14)***।

वा.का.यो. से इतर कार्यों का कार्यान्वयन

सरकार के निर्देशों के विपरीत तीन पं.स. एवं 12 ग्रा.प. द्वारा ₹ 1.89 करोड़ के 133 कार्य वा.का.यो. से अनुमोदित नहीं होने के बावजूद कार्यान्वित ***(परिशिष्ट–2.15)*** किए गए। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा बताया गया कि पं.रा.सं. द्वारा पहले ही कार्यों का कार्यान्वयन किए जाने के कारण उस पर किये गए व्यय को जिला को विमुक्त किए जानेवाले अगले अनुदान से समायोजित कर लिया जाएगा।

अलाभकारी व्यय

बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (बजट एवं लेखा) नियमावली, 1964 के अनुसार कोई भी कार्य अपूर्ण स्थिति में नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

तथापि, जि.प., पं.स. रंगड़ा चौक और ग्रा.पं. ओलापुर में विवादित स्थल, कार्यकारी अभिकर्त्ताओं के स्थानांतरण एवं अपर्याप्त निधि के कारण अपूर्ण कार्यों पर ₹ 7.30 लाख का पर व्यय अलाभकारी साबित हुआ।

असमायोजित अग्रिम

एक पं.स. एवं दो ग्रा.पं. में 10 कार्यों में ₹ 7.85 लाख का अग्रिम एक से साढ़े चार वर्ष बीतने के बावजूद असमायोजित था ***(परिशिष्ट– 2.19)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने इस संबंध में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.1.8.3 जिला परिषद् भोजपुर

पूर्व ***कंडिका 2.1.8.1*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं की भौतिक प्रगति

नमूना जांचित जि.प., तीन पं.स. एवं 11 ग्रा.पं. में 2010–15 के दौरान जि.यो.स. द्वारा 1670 कार्य अनुमोदित किए गए थे जिसमें से केवल 354 कार्य (21 प्रतिशत) ही लिये गए। तथापि, ₹ 0.61 करोड़ के व्यय के पश्चात् भी 56 कार्य (16 प्रतिशत) एक से चार वर्षों से अपूर्ण थे ***(परिशिष्ट–2.13)***।

आगे, जि.प., तीन पं.स. एवं सात ग्रा.पं. में वर्ष 2011–15 के दौरान वा.का.यो. में 284 अनुमोदित कार्य उपलब्ध रहने एवं ₹ 2.62 करोड़ अनुदान की प्राप्ति के बावजूद सड़कों, नालियों, सामुदायिक भवनों इत्यादि से संबंधित कार्य नहीं कराया गया ***(परिशिष्ट–2.14)***।

कार्यपालक पदाधिकारी, संदेश ने बताया कि पं.स. सदस्यों के बीच विवाद के कारण कार्य नहीं कराये गए, जबकि का.प. तरारी ने कर्मियों की कमी इसका कारण बताया। ग्रा.प. बिहटा, इमादपुर, अहपुरा एवं संदेश ने बताया कि ग्राम सभा में विचारों में मतभेद एवं आपसी सामंजन की कमी के कारण कार्य, कार्यान्वित नहीं किये जा सके।

वा.का.यो. से इतर कार्यों का कार्यान्वयन

सरकार के निर्देशों के विपरीत दो पं.स. एवं आठ ग्रा.प. द्वारा वा.का.यो. से इतर की ₹43.21 लाख के 51 कार्य कार्यान्वित करायी गयी ***(परिशिष्ट– 2.15)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा बताया गया कि पं.रा.सं. द्वारा पहले ही कार्यों का कार्यान्वयन किये जाने के कारण उस पर किए गए व्यय को जिला को विमुक्त किए जानेवाले अगले अनुदान से समायोजित कर लिया जाएगा।

सरकारी निर्देशों का उल्लंघन कर कार्यों का आवंटन

वर्ष 2012–15 में जि.प. तथा पं.स. तरारी द्वारा सरकार के निर्देशों की अवहेलना कर ₹1.74 करोड़ के 85 कार्यों को नौ कार्यकारी अभिकरणों (का.अ.) को एक बार में चार से 19 कार्य आवंटित किए गए ***(परिशिष्ट–2.16)***। फलतः, 29 कार्य (34 प्रतिशत) अपूर्ण रहे (जुलाई 2015)। मु.का.प., जि.प. द्वारा बताया गया कि तत्कालीन मु.का.प., जि.प. द्वारा का.अ. को तीन से अधिक कार्य सौंपे गए थे।

अअनुमत्य व्यय

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की मार्गदर्शिका एवं राज्य सरकार के निर्देश में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि वि.अ. का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाय। फिर भी जि.प. और तीन ग्रा.पं. द्वारा अअनुमत्य कार्यों पर ₹ 3.27 लाख का व्यय किया गया ***(परिशिष्ट– 2.17)***। मु.का.प., जि.प. ने बताया कि संबंधित शीर्ष में राशि उपलब्ध नहीं रहने के कारण इस प्रकार का व्यय किया गया। ग्रा.पं. सेधान रजैन और कातर द्वारा बताया गया कि राशि की प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।

उच्च प्राधिकारी की संस्वीकृति से बचने के लिए कार्यों का विभाजन

बिहार वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 206 में प्रावधान है कि उच्चत्तर प्राधिकारियों से संस्वीकृति लेने से बचने के लिए कार्यों को छोटे–छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जाय। इस प्रावधान का उल्लंघन करते हुए छः ग्रा.पं. ने उच्च प्राधिकारियों की संस्वीकृति प्राप्त करने से बचने के लिए ₹ 38.37 लाख की आठ कार्यों को 43 कार्यों में विभक्त कर दिया ***(परिशिष्ट–2.18)***। ग्रा.पं. मोपखुर्द और कटार द्वारा उत्तर दिया गया कि कार्यों का विभाजन कार्य शीघ्र पूर्ण करने के लिए किया गया। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होने का आश्वासन दिया।

असमायोजित अग्रिम

जि.प., दो पं.स. एवं एक ग्रा.पं. में 47 कार्यों पर ₹ 62.97 लाख का अग्रिम एक वर्ष छः महीने से चार वर्षों तक असमायोजित था ***(परिशिष्ट–2.19)***।

बिहार सरकार के निर्देशानुसार, कार्य के कार्यान्वयन के लिए प्रथम अग्रिम ₹ 15,000 अथवा प्राक्कलित राशि का 25 प्रतिशत, दोनों में जो कम हो, दिया जाना चाहिए। परंतु, जि.प. एवं दो ग्रा.पं. द्वारा का.अ. को 177 कार्यों में प्राक्कलित राशि का 10 से 95 प्रतिशत अग्रिम स्वीकृत किया गया ***(परिशिष्ट–2.20)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा इस संबंध में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.1.8.4 जिला परिषद् कटिहार

पूर्व ***कंडिका 2.1.8.1 एवं 2.1.8.3*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यों की भौतिक प्रगति

नमूना जांचित जि.प., तीन पं.स. एवं आठ ग्रा.पं. में 2010–15 के दौरान जि.यो.स. द्वारा 589 कार्य अनुमोदित किए गए थे जिसमें से केवल 211 कार्य (36 प्रतिशत) ही लिये गए ***(परिशिष्ट–2.13)***। आगे, छः ग्रा.पं. में वर्ष 2010–15 के दौरान वा.का.यो. में 50

अनुमोदित कार्य एवं ₹ 33.86 लाख अनुदान उपलब्ध रहने के बावजूद सड़कों, नालियों, सामुदायिक भवनों इत्यादि से संबंधित कार्य नहीं कराया गया ***(परिशिष्ट–2.14)***।

ग्राम पंचायत भटवारा द्वारा बताया गया कि लोगों द्वारा बाधा डालने के कारण कार्य नहीं कराया गया जबकि ग्रा.प. पूर्वी मुरादपुर द्वारा बताया गया कि कार्य विधायक निधि से कराया गया। शेष ग्रा.पं. द्वारा उत्तर दिया गया कि ग्रामीणों में मतभेद के कारण कार्य नहीं कराए गए।

वा.का.यो. से इतर कार्यों का कार्यान्वयन

दो पं.स. एवं तीन ग्रा.प. में वा.का.यो. से इतर ₹ 32.80 लाख के आठ कार्य कार्यान्वित कराए गए ***(परिशिष्ट– 2.15)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया किया कि पं.रा.सं. द्वारा पहले ही कार्यों का कार्यान्वयन किये जाने के कारण उस पर किए गए व्यय को जिला को विमुक्त किए जानेवाले अगले अनुदान से समायोजित कर लिया जाएगा।

अअनुमत्य व्यय

जिला परिषद् द्वारा चार्टड एकाउंटेंट के भुगतान पर ₹ 3.09 लाख व्यय किया गया ***(परिशिष्ट–2.17)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि कार्यक्रम का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन समर्पित करना पि.क्षे.अ.नि. से ससमय अनुदान विमुक्ति हेतु वांछनीय था और पि.क्षे.अ.नि. में लेखापरीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए अलग से कोई राशि उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पि.क्षे.अ.नि. से चार्टड एकाउंटेंट का भुगतान किया गया।

परिहार्य व्यय

पंचायत समिति प्राणपुर में नियत समय में कार्य पूर्ण नहीं किए जाने के कारण योजना लागत ₹ 9.78 लाख से बढ़कर ₹ 12.10 लाख हो गया फलतः ₹ 2.32 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

उच्च प्राधिकारी की संस्वीकृति से बचने के लिए कार्यों का विभाजन

दो पं.स. द्वारा उच्च प्राधिकारियों की स्वीकृति लेने से बचने के लिए ₹ 32.50 लाख के तीन कार्यों को सात कार्यों में विभक्त कर दिया गया ***(परिशिष्ट–2.18)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होने का आश्वासन दिया।

असमायोजित अग्रिम

जिला परिषद्, दो पं.स. और पांच ग्रा.पं. द्वारा अभिकर्ताओं को 185 कार्यों में प्राक्कलित राशि का 10 से 44 प्रतिशत अग्रिम दिया गया ***(परिशिष्ट–2.20)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने इस संबंध में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.1.8.5 जिला परिषद् लखीसराय

पूर्व ***कंडिका 2.1.8.1*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं की भौतिक प्रगति

नमूना जांचित जि.प., दो पं.स. एवं चार ग्रा.पं. में वर्ष 2010–15 के दौरान जि.यो.स. द्वारा 627 कार्य अनुमोदित किए गए थे जिसमें से केवल 204 कार्य (32 प्रतिशत) ही लिये गए। तथापि, ₹ दो करोड़ के व्यय के पश्चात् भी 76 कार्य (37 प्रतिशत) एक से चार वर्षों से अपूर्ण थे ***(परिशिष्ट–2.13)***।

आगे, पं.स. चानन एवं ग्रा.पं. लाखोचक में वर्ष 2012–15 के दौरान वा.का.यो. में 52 अनुमोदित कार्य उपलब्ध रहने एवं ₹ 54.46 लाख अनुदान की प्राप्ति के बावजूद सड़कों, नालियों, सामुदायिक भवनों इत्यादि से संबंधित कार्य नहीं कराया गया ***(परिशिष्ट–2.14)***।

वा.का.यो. से इतर कार्यों का कार्यान्वयन

दो ग्रा.प. द्वारा वा.का.यो. से इतर ₹ 22.52 लाख के 17 कार्यों का कार्यान्वयन कराया गया था ***(परिशिष्ट–2.15)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा बताया गया कि पं.रा.सं. द्वारा पहले ही कार्यों का कार्यान्वयन किये जाने के कारण उस पर किये गए व्यय को जिला को विमुक्त किए जानेवाले अगले अनुदान से समायोजित कर लिया जाएगा।

अअनुमत्य व्यय

पंचायत समिति पिपरिया द्वारा चहारदीवारी निर्माण से संबंधित ₹ 6.45 लाख के लागत से दो अअनुमत्य कार्यों (2010–15) का कार्यान्वयन पि.क्षे.अ.नि. के अंतर्गत कराया गया ***(परिशिष्ट–2.17)***। का.प. द्वारा बताया गया कि जि.यो.स. से पारित एवं पं.स. की बैठक में अनुमोदन के अनुसार कार्यों का कार्यान्वयन किया गया।

सोलर लाइट के अधिष्ठापन पर अधिक/परिहार्य व्यय

बिहार सरकार के निर्देशानुसार सोलर लाइटों का क्रय, राज्य क्रय संगठन (रा.क्र.सं.) द्वारा निर्धारित दर पर किया जाना चाहिए था। परंतु, एक पं.स. एवं चार ग्रा.पं. ने वर्ष 2010–12 के दौरान 56 सोलर लाइटों का क्रय स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से ₹ 39,867 से ₹ 61,740 प्रति इकाई की दर से किया, जबकि रा.क्र.सं. का दर ₹ 26,684 प्रति इकाई (2010–12) थी। इसके कारण ₹ 15.13 लाख का अधिक/परिहार्य व्यय हुआ।

ग्राम पंचायत/पंचायत समिति द्वारा जवाब दिया गया जिला द्वारा रा.क्र.सं. की दर से संबंधित कोई पत्राचार नहीं किया गया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि सभी इकाइयों को रा.क्र.सं. की दर उपलब्ध करायी गयी थी।

असमायोजित अग्रिम

जिला परिषद्, दो पं.स. और दो ग्रा.पं. में 42 कार्यों में ₹ 1.06 करोड़ का अग्रिम (जुलाई 2015) एक से चार वर्षों तक असमायोजित था ***(परिशिष्ट–2.19)***।

प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा इस संबंध में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया।

2.1.8.6 जिला परिषद् मधेपुरा

पूर्व ***कंडिकाओं 2.1.8.1 एवं 2.1.8.5*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं की भौतिक प्रगति

नमूना जांचित जि.प., तीन पं.स. एवं सात ग्रा.पं. में 2010–15 के दौरान जि.यो.स. द्वारा 849 कार्य अनुमोदित किए गए थे जिसमें से केवल 326 कार्य (38 प्रतिशत) ही लिये गए। तथापि, ₹ 3.39 करोड़ के व्यय के पश्चात् भी 106 कार्य (33 प्रतिशत) एक से चार वर्षों से अपूर्ण थे ***(परिशिष्ट–2.13)***। आगे, पं.स. चानन एवं ग्रा.पं. लाखोचक में वर्ष 2010–15 के दौरान वा.का.यो. में 13 अनुमोदित कार्य उपलब्ध रहने एवं ₹ 26.98 लाख अनुदान की प्राप्ति के बावजूद सड़कों, नालियों, सामुदायिक भवनों इत्यादि से संबंधित कार्य नहीं कराया गया ***(परिशिष्ट–2.14)***।

वा.का.यो. से इतर कार्यों का कार्यान्वयन

वर्ष 2010–13 के दौरान जि.प., एक पं.स. एवं सात ग्रा.प. द्वारा ₹ 92.58 लाख के 34 कार्य वा.का.यो. से इतर कार्यान्वित करायी गयीं ***(परिशिष्ट–2.15)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा बताया गया कि पं.रा.सं. द्वारा पहले ही कार्यों का कार्यान्वयन किये जाने के कारण उस पर किए गए व्यय को जिले को विमुक्त किये जानेवाले अगले अनुदान से समायोजित कर लिया जाएगा।

सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर कार्यों को सौंपा जाना

सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर जि.प. द्वारा दो का.अ. को ₹ 1.92 करोड़ के वर्ष 2013–15 के दौरान सात से चौबीस कार्य (49 कार्य) सौंपे गए ***(परिशिष्ट–2.16)*** जिनमें से 39 कार्य (80 प्रतिशत) जून 2015 तक अपूर्ण थे।

असमायोजित अग्रिम

जिला परिषद्, दो पं.स. एवं तीन ग्रा.पं. में 37 कार्यों मे दिए गए ₹ 1.09 करोड़ का अग्रिम एक से चार वर्षों तक (जून 2015) असमायोजित था ***(परिशिष्ट–2.19)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने इस संबंध में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.1.8.7 जिला परिषद् पटना

पूर्व ***कंडिका 2.1.8.1, 2.1.8.3, 2.1.8.5*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं की भौतिक प्रगति

नमूना जांचित जि.प., पांच पं.स. एवं 13 ग्रा.पं. में 2010–15 के दौरान जि.यो.स. द्वारा 1437 कार्य अनुमोदित किए गए थे जिसमें से केवल 656 कार्य (46 प्रतिशत) ही लिये गए। तथापि, ₹ 1.39 करोड़ के व्यय के पश्चात् भी 184 कार्य (28 प्रतिशत) एक से चार वर्षों से अपूर्ण थे ***(परिशिष्ट–2.13)***। आगे, तीन पं.स. एवं सात ग्रा.पं. में वर्ष 2011–15 के दौरान वा.का.यो. में 88 अनुमोदित कार्य उपलब्ध रहने एवं ₹ 85.57 लाख अनुदान की प्राप्ति के बावजूद सड़कों, नालियों, सामुदायिक भवनों इत्यादि से संबंधित कार्य नहीं कराया गया ***(परिशिष्ट–2.14)***।

वा.का.यो. से इतर कार्यों का कार्यान्वयन

तीन पं.स. एवं सात ग्रा.प. द्वारा वा.का.यो. से इतर ₹ 1.26 करोड़ के 231 कार्यों को कार्यान्वित किया गया ***(परिशिष्ट–2.15)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि पं.रा.सं. द्वारा पहले ही कार्यों का कार्यान्वयन किए जाने के कारण उस पर किए गए व्यय को जिले को विमुक्त किए जानेवाले अगले अनुदान से समायोजित कर लिया जाएगा।

अलाभकारी व्यय

कार्यों के पूर्ण नहीं होने के कारण ₹ 16.19 लाख (2010–12) के चार कार्य अलाभकारी साबित हुए। मु.का.प., जि.प. द्वारा बताया गया कि स्थल विवाद के कारण कार्यों को छोड़ दिया गया।

सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर कार्यों को सौंपा जाना

सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर जि.प. द्वारा चार अभिकर्त्ताओं को ₹ 28.33 लाख के चार से छः कार्य (20 कार्य) दिए गए (2013–14) ***(परिशिष्ट–2.16)***। परिणमस्वरूप छः कार्य (30 प्रतिशत) अप्रैल 2015 तक अपूर्ण थीं।

उच्च प्राधिकारी की संस्वीकृति से बचने के लिए कार्यों का विभाजन

ग्राम पंचायत कुम्हारा और सिंही में उच्चत्तर प्राधिकारियों की संस्वीकृति प्राप्त करने से बचने के लिए ₹ 9.78 लाख के तीन कार्यों को छः कार्यो में विभक्त कर दिया गया जबकि जि.प. द्वारा ₹ 7.5 लाख एवं इससे अधिक की ₹ 17.48 लाख के दो कार्य निविदा द्वारा कराने की बजाय विभागीय कराया गया ***(परिशिष्ट–2.18)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होने का आश्वासन दिया गया।

अव्ययित अवशेषों की वापसी

जिला परिषद् द्वारा जि.अ. को वा.का.यो. में अनुमोदित कार्यों के विरूद्ध निधि उपलब्ध कराया गया। अव्ययित अवशेष जि.प. को कार्यक्रम में उपयोग हेतु वापस करना था।

जि.प. द्वारा 27 कार्यों के लिए ₹ 20.05 लाख विमुक्त किया गया (2011–14)। परंतु, एक से तीन वर्ष बीतने के बावजूद जि.अ. द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। मु.का.प., जि.प. ने बताया कि जि.अ. को शीघ्र कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया था।

असमायोजित अग्रिम

जि.प., चार पं.स. और चार ग्रा.पं. में 111 कार्यों मे दिए गए ₹ 89.92 लाख का अग्रिम एक से पांच वर्षों तक असमायोजित (मई 2015) था ***(परिशिष्ट–2.19)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने इस संबंध में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.1.8.8 जिला परिषद् सहरसा

पूर्व ***कंडिका 2.1.8.1, 2.1.8.3, 2.1.8.5*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यों की भौतिक प्रगति

नमूना जांचित जि.प., पांच पं.स. एवं 13 ग्रा.पं. में 2010–15 के दौरान जि.यो.स. द्वारा 412 कार्य अनुमोदित किए गए थे जिसमें से केवल 274 कार्य (67 प्रतिशत) ही लिये गए। तथापि, ₹ 1.14 करोड़ के व्यय के पश्चात् भी 67 कार्य (25 प्रतिशत) एक से चार वर्षों से अपूर्ण थे ***(परिशिष्ट–2.13)***। आगे, पं.स. सत्तर कटैया में वर्ष 2011–13 एवं 2014–15 के दौरान वा.का.यो. में 49 अनुमोदित कार्य उपलब्ध रहने एवं ₹ 45 लाख अनुदान की प्राप्ति के बावजूद सड़कों, नालियों, सामुदायिक भवनों इत्यादि से संबंधित कार्य नहीं कराया गया ***(परिशिष्ट–2.14)***।

कार्यपालक पदाधिकारी, सत्तर कटैया ने जवाब दिया कि पिछले वर्ष के कार्य को पूरा करने के लिए नए कार्य नहीं लिए गए। पंचायत सचिव, पटोरी ने जवाब दिया कि राशि की कमी के कारण कार्य नहीं लिए गए। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि पंचायत निधि में ₹ 9.13 लाख उपलब्ध थी।

वा.का.यो. से इतर कार्यों का कार्यान्वयन

तीन ग्रा.प. द्वारा वा.का.यो. से इतर ₹ 21.81 लाख की 22 कार्य कार्यान्वित किए गए ***(परिशिष्ट–2.15)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा बताया गया कि पं.रा.सं. द्वारा पहले ही कार्यों का कार्यान्वयन किए जाने के कारण उस पर किए गए व्यय को जिले को विमुक्त किए जानेवाले अगले अनुदान से समायोजित कर लिया जाएगा।

सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर कार्यों को सौंपा जाना

सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर वर्ष 2012–15 मे जि.प. द्वारा केवल एक अभिकर्ता को एवं पं.स. सत्तर कटैया द्वारा दो अभिकर्ताओं को ₹ 3.21 करोड़ के 4 से 60 कार्य (कुल 80 कार्य) सौंपे गए ***(परिशिष्ट–2.16)***। परिणामस्वरूप, 42 कार्य (52 प्रतिशत) अपूर्ण रहीं (मई 2015)।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जि.प. ने बताया कि बोर्ड की बैठक में लिये गए निर्णय के आलोक में कार्य कराए गए। का.प. सत्तर कटैया ने बताया कि एक से अधिक ग्रा. पं. का अतिरिक्त कार्यभार होने के कारण पंचायत सचिव को तीन से अधिक कार्य सौंपे गए थे।

अअनुमत्य व्यय

जिला परिषद् द्वारा ₹ 3.58 लाख (2010–13) का अअनुमत्य व्यय किया गया ***(परिशिष्ट–2.17)***। मु.का.प., जि.प. ने बताया कि पि.क्षे.अ.नि. के लेखापरीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए पं.रा.वि. द्वारा अलग से कोई आवंटन नहीं दिया गया था अतः संदर्शी योजना अनुदान की ₹ 3.40 लाख का उपयोग लेखापरीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए किया गया और पं.रा.वि. को इस संबंध में सूचना दे दी गयी थी।

योजना में अनुचित लाभ दिया जाना

ग्राम पंचायत इटहरी में ₹ 0.80 लाख के 12 चापाकलों को 12 लाभुकों में अनियमित रूप से दो बार बांटा गया।

उच्च प्राधिकारी की संस्वीकृति से बचने के लिए कार्यों का विभाजन

छः ग्रा.पं. में उच्च प्राधिकारियों की स्वीकृति लेने से बचने के लिए ₹ 57.91 लाख की छः कार्यो को 39 कार्यों में विभक्त कर दिया गया ***(परिशिष्ट–2.18)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होने का आश्वासन दिया गया।

असमायोजित अग्रिम

अठाईस कार्यों मे दिए गए ₹ 68.25 लाख का अग्रिम जि.प., दो पं.स. और ग्रा.पं. इटहरी में एक से चार वर्षों तक असमायोजित था ***(परिशिष्ट–2.19)***। आगे, जि.प. एवं पं.स. सत्तर कटैया द्वारा अभिकर्ता को 130 कार्यों में प्राक्कलित राशि का 33 से 70 प्रतिशत अग्रिम दिया गया ***(परिशिष्ट–2.20)***। परिणामतः वर्ष 2010–15 के दौरान जि.प. के सहायक अभियंता द्वारा अग्रिम की राशि अपने व्यक्तिगत बैंक खाता में रखा गया जिससे उन्हें ₹ 3.42 लाख ब्याज प्राप्त हुआ। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा इस संबंध में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया।

2.1.8.9 जिला परिषद् समस्तीपुर

पूर्व ***कंडिका 2.1.8.1 एवं 2.1.8.5*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं की भौतिक प्रगति

नमूना जांचित जि.प., चार पं.स. एवं 14 ग्रा.पं. में 2010–15 के दौरान जि.यो.स. द्वारा 912 कार्य अनुमोदित किए गए थे जिसमें से केवल 335 कार्य (37 प्रतिशत) ही लिये गए। तथापि, ₹ 2.78 करोड़ के व्यय के पश्चात् भी 136 कार्य (41 प्रतिशत) एक से चार वर्षों से अपूर्ण थे ***(परिशिष्ट–2.13)***। आगे, जि.प. एवं 10 ग्रा.पं. में वर्ष 2010–15 के दौरान वा.का.यो. में 262 अनुमोदित कार्य उपलब्ध रहने एवं ₹ 1.71 करोड़ अनुदान की प्राप्ति के बावजूद सड़कों, नालियों, सामुदायिक भवनों इत्यादि से संबंधित कार्य नहीं कराया गया ***(परिशिष्ट–2.14)***।

वा.का.यो. से इतर कार्यों का कार्यान्वयन

चार पं.स. एवं आठ ग्रा.प. द्वारा वा.का.यो. से इतर ₹ 1.08 करोड़ की 42 कार्य कार्यान्वित की गयीं ***(परिशिष्ट–2.15)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि पं.रा.सं. द्वारा पहले ही कार्यों का कार्यान्वयन किए जाने के कारण उस पर किए गए व्यय को जिले को विमुक्त किए जानेवाले अगले अनुदान से समायोजित कर लिया जाएगा।

सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर कार्यों को सौंपा जाना

सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर जि.प. द्वारा एक समय में ₹ 4.87 करोड़ के 40 से 73 कार्य (155 कार्य) तीन अभिकर्ताओं को सौंपा गया (2012–15) जिनमें से 52 कार्य (34 प्रतिशत) अपूर्ण थे (जुलाई 2015) ***(परिशिष्ट–2.16)***।

अअनुमत्य व्यय

जिला परिषद् एवं दो पं.स. द्वारा ₹ 10.51 लाख का व्यय अअनुमत्य उद्देश्यों पर किया गया ***(परिशिष्ट–2.17)***। जिला अभियंता द्वारा प्राक्कलन में एक प्रतिशत आकस्मिकता का प्रावधान किया गया और ₹ 6.94 लाख कार्यों के विपत्र से कटौती की गयी जिसके विरूद्ध पि.क्षे.अ.नि. मार्गदर्शिका का उल्लंघन करते हुए जिला अभियंता द्वारा ₹ 2.02 लाख का व्यय किया गया था। मु.का.प. द्वारा बताया गया कि कटौती की गयी राशि का उपयोग कार्यालय स्टेशनरी के क्रय में किया गया।

अव्ययित अवशेषों की वापसी

जिला परिषद् द्वारा पांच कार्यों के लिए जिला अभियंता को ₹ 46.12 लाख विमुक्त किया गया (2008–09) था परंतु एक से छः वर्ष बीतने के बावजूद ₹ 21.73 लाख जिला अभियंता के पास पड़ा हुआ था।

असमायोजित अग्रिम

जिला परिषद्, चार पं.स. एवं चार ग्रा.पं. में 93 कार्यों में दिए गए ₹ 1.20 करोड़ के अग्रिम एक से सात वर्षों तक असमायोजित थे ***(परिशिष्ट–2.19)***। प्रधान सचिव, पं.रा. वि. द्वारा इस संबंध में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया।

2.1.8.10 जिला परिषद् सीतामढ़ी

पूर्व ***कंडिका 2.1.8.1, 2.1.8.3, 2.1.8.5*** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार,

कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं की भौतिक प्रगति

नमूना जांचित जि.प., तीन पं.स. एवं 14 ग्रा.पं. में 2010–15 के दौरान जि.यो.स. द्वारा 1294 कार्य अनुमोदित किए गए थे जिसमें से केवल 600 कार्य (46 प्रतिशत) ही लिये गए ***(परिशिष्ट–2.13)***। आगे, सात ग्रा.पं. में वर्ष 2011–13 एवं 2014–15 के दौरान वा.का.यो. में 30 अनुमोदित कार्य उपलब्ध रहने एवं ₹ 17.80 लाख अनुदान की प्राप्ति के बावजूद सड़कों, नालियों, सामुदायिक भवनों इत्यादि से संबंधित कार्य नहीं कराया गया ***(परिशिष्ट–2.14)***।

वा.का.यो. से इतर कार्यों का कार्यान्वयन

एक पं.स. एवं नौ ग्रा.पं. द्वारा वा.का.यो. से इतर ₹ 1.28 करोड़ की 114 योजनाएं कार्यान्वित की गयी ***(परिशिष्ट–2.15)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने बताया कि पं.रा.सं. द्वारा पहले ही कार्यों का कार्यान्वयन किए जाने के कारण उस पर किए गए व्यय को जिले को विमुक्त किए जानेवाले अगले अनुदान से समायोजित कर लिया जाएगा।

सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर कार्यों को सौंपा जाना

वर्ष 2010–14 के दौरान जि.प. द्वारा ₹ 4.26 करोड़ लागत के 194 कार्य कार्यान्वित कराये गए। सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर जि.प. द्वारा ₹ 3.34 करोड़ के 162 कार्य सहायक अभियंता को दिए गए जिसमें से 34 कार्य (21 प्रतिशत) एक से चार वर्ष तक अपूर्ण थीं ***(परिशिष्ट–2.16)***।

अअनुमत्य व्यय

जिला परिषद् एवं दो पं.स. द्वारा पि.क्षे.अ.नि. के अंतर्गत ₹ 41.71 लाख लागत का अअनुमत्य कार्य (2012–14) लिया गया ***(परिशिष्ट–2.17)***। का.प., पं.स. रून्नीसैदपुर और सुरसंड ने बताया कि कार्य जि.यो.स. से अनुमोदित थी इसलिए उन्हें कार्यान्वित किया गया जबकि मु.का.प., जि.प. ने बताया कि जि.प. में तत्त्कालीन मु.का.प. द्वारा क्रय किया गया था।

उच्च प्राधिकारी की संस्वीकृति से बचने के लिए कार्यों का विभाजन

चार ग्रा.पं. में उच्चत्तर प्राधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त करने की अनिवार्यता से बचने के लिए ₹ 15.27 लाख के चार कार्यों को 16 कार्यों में विभक्त कर दिया गया था***(परिशिष्ट–2.18)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होने का आश्वासन दिया।

अव्ययित राशि की वापसी

जिला परिषद् ने 30 अनुमोदित कार्यों के लिए ₹ 56.62 लाख जिला अभियंता को विमुक्त (अगस्त 2010 से दिसंबर 2013) किया था परंतु, जिला अभियंता द्वारा दो से पाँच वर्ष व्यतीत होने के बाद भी कोई कार्य नहीं कराया गया जिसके कारण राशि अवरूद्ध रही। मु.का.प., जि.प. द्वारा बताया गया कि जिला अभियंता से इस संबंध में जवाब मांगा जा रहा है।

असमायोजित अग्रिम

सत्रह कार्यों मे दिए गए ₹ 12.55 लाख का अग्रिम जि.प., पं.स. नानपुर और ग्रा.पं. गिद्धा फुलवरिया में एक से चार वर्षों तक असमायोजित था ***(परिशिष्ट–2.19)***। प्रधान सचिव, पं.रा.वि. द्वारा इस संबंध में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया।

अनुशंसाः पं.रा.सं. द्वारा योजनाओं का कार्यान्वयन पि.क्षे.अ.नि. की मार्गदर्शिका/सरकार के निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए और अग्रिम का समायोजन नियमानुसार किया जाना चाहिए।

2.1.9 संयुक्त भौतिक सत्यापन

वर्ष 2010–15 के दौरान पि.क्षे.अ.नि. के अंतर्गत तीन जि.प., 11 पं.स. एवं 32 ग्रा.पं. में कार्यान्वित 259 कार्यों यथाः सड़क, चापाकल, शौचालय, सामुदायिक भवन इत्यादि का संयुक्त भौतिक सत्यापन संबंधित पं.रा.सं. के कनीय अभियंता एवं पंचायत सचिव के साथ किया गया।

सहरसा जिला के दो ग्रा.पं. (रसलपुर एवं इटहरी) में 185 चापाकल ग्रा.पं. द्वारा अधिष्ठापन किए जाने की बजाय लाभुकों के बीच वितरित किए गए। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि 185 चापाकलों में से 78 चापाकल जिसकी लागत ₹ 2.65 लाख थी, लाभुकों को उपलब्ध नहीं कराया गया था। ग्रा.पं. सेधान भोजपुर में ₹ 0.65 लाख की लागत के 11 चापाकल उन नियत स्थलों पर नहीं लगाये गए थे जिनकी प्रविष्टी मापीपुस्त में की गयी थी। 225 चापाकल में से 77 चापाकलों का अधिष्ठापन किया गया था ***(परिशिष्ट–2.21)*** और 13 शौचालय में से चार शौचालय का निर्माण पि.क्षे.अ.नि. की मार्गदर्शिका का उल्लंघन करते हुए निजी परिसर में किया गया था ***(परिशिष्ट–2.22)***।

लखीसराय, पटना एवं सीतामढ़ी जिलों में ₹ 27.47 लाख के सात कार्य (सड़क एवं चबूतरा निर्माण) क्षतिग्रस्त पाए गए। तीन जिलों (पटना, मधेपुरा और समस्तीपुर) में आंगनवाड़ी केंद्र, कल्वर्ट इत्यादि के निर्माण के नौ कार्य ₹ 42.65 लाख का व्यय करने के बाद छोड़ दिए गए थे ***(परिशिष्ट–2.22)***।

2.1.10 आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के कार्यो के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक मजबूत एवं कार्यकारी नियंत्रण एवं निगरानी की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित निष्कर्ष परिलक्षित हुएः

रोकड़बही का बैंक के साथ समाशोधन किया जाना

बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (बजट एवं लेखा) नियमावली, 1964 में निहित प्रावधानों के अनुसार रोकड़बही का प्रतिदिन मिलान किया जाएगा एवं सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा प्रत्येक माह के अंत में, अंतशेषों के समाधान को दर्शाती विवरणी को रोकड़बही में दर्ज किया जाना है।

दो जि.प. एवं दो पं.स. में रोकड़बही का अंतशेष बैंक पास बुक के अंतशेष से ₹ 79.60 लाख अधिक था ***(परिशिष्ट–2.23)*** जबकि दो जि.प. एवं 15 पं.स. में बैंक पासबुक का

अंतशेष रोकड़बही के अंतशेष से ₹ 3.60 करोड़ अधिक था ***(परिशिष्ट–2.24)*** जिसने इंगित किया कि पं.रा.सं. द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं किया गया।

जिला में सहयोगी समीक्षा एवं समीक्षा समिति का गठन

ग्राम पंचायत एवं पं.स. द्वारा कार्यान्वित कार्यों की प्रगति का सहयोगी समीक्षा करने का प्रावधान पि.क्षे.अ.नि. की मार्गदर्शिका में किया गया। यह भी परामर्शित था कि इस प्रकार के सहयोगी समीक्षा प्रतिवेदन की समीक्षा करने हेतु जिला नियोजन समिति के द्वारा समीक्षा समिति के गठन हो। परंतु, वर्ष 2010–15 के दौरान किसी भी नमूना जांचित जिलों में सहयोगी समीक्षा नहीं की गयी।

गुणवत्ता निगरानी की प्रणाली का गठन

राज्य सरकार द्वारा कार्यों के कार्यान्वयन में गुणवत्ता बनाये रखने हेतु गुणवत्ता निगरानी की प्रणाली तैयार करने हेतु निर्देश जारी (सितंबर 2010) किया गया था जिसकी समीक्षा जि.यो.स. द्वारा नियमित रूप से की जानी थी। किसी भी नमूना जांचित जिलों में इस प्रकार की समीक्षा जि.यो.स. द्वारा नहीं की गयी।

सामाजिक अंकेक्षण का संचालन

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि ने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान किया था। उच्च स्तरीय समिति द्वारा निर्देश (अप्रैल 2010) दिया गया कि सामाजिक अंकेक्षण किए जाएं तथा इसके लिए दिशानिर्देश भी जारी किया गया था (सितंबर 2010)। बाद में, उच्च स्तरीय समिति ने मनरेगा के दिशानिर्देशों के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण को अनुमोदित (जुलाई 2012) किया। परंतु, 10 नमूना जांचित जिलों में से किसी में भी सामाजिक अंकेक्षण संचालित नहीं (2010–15) किए गए।

प्रधान सचिव, पं.रा.वि. लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सहमत थे और उस पर अपनी चिंता व्यक्त की।

अनुशंसा : राज्य सरकार को निगरानी समिति के गठन हेतु कदम उठाना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखों का समाशोधन एवं पं.रा.सं. द्वारा किये जा रहे कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण नियमित रूप से हो रहा है।

2.1.11 निष्कर्ष

मांग प्रेषण में विलंब एवं कम व्यय के कारण राज्य को विकास एवं क्षमतावर्द्धन अनुदान के बड़े हिस्से से वंचित रहना पड़ा। पं.रा.सं. को निधि की विमुक्ति में विलंब हुआ लेकिन राज्य सरकार द्वारा पं.रा.सं. को कोई ब्याज की राशि नहीं दी गयी।

आयोजना की प्रक्रिया संतोषप्रद नहीं थी क्योंकि दृष्टिकोण पत्र एवं परिप्रेक्ष्य योजना तैयार होने के बावजूद पं.रा.सं. द्वारा कार्यो का कार्यान्वयन जि.प. एवं पं.स. के निर्वाचित प्रतिनिधियों की अनुशंसा पर किया गया।

सरकारी निर्देशों, योजना मार्गदर्शिका इत्यादि के उल्लंघन के कारण योजना के अंतर्गत कार्यों का कार्यान्वयन नहीं हुआ। वार्षिक कार्य योजना में अनुमोदित कार्यों एवं निधि की उपलब्धता के बावजूद कार्यों को नहीं लिया जा सका।

निगरानी की व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी क्योंकि सहयोगी समीक्षा एवं सामाजिक अंकेक्षण किसी भी नमूना जांचित जिला परिषद् में नहीं कराया गया।

अध्याय – III
अनुपालन लेखापरीक्षा

पंचायती राज विभाग

3.1 सरकारी राशि की कपटपूर्ण निकासी

बिहार वित्तीय नियमावली व बिहार पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ग्राम पंचायत, सिंघी के पंचायत सचिव एवं मुखिया द्वारा लेन–देनों को बिना रोकड़बही में दर्ज किए बैंक से ₹ पाँच लाख आहरित कर दुर्विनियोजन किया गया।

बिहार वित्तीय नियमावली (बि.वि.नि.) का नियम 452 प्रावधान करता है कि सरकारी राशि के व्यय हेतु उत्तरदायी प्रत्येक पदाधिकारी को यह देखना चाहिए कि सभी वित्तीय लेन–देनों जिनसे वह संबंधित है, के लेखाओं का समुचित संधारण तथ्यों के विश्वसनीय साक्ष्यों के साथ संतोषप्रद एवं विश्वसनीय रूप से दर्ज किया गया है। आगे, बिहार पंचायत राज अधिनियम (बि.पं.रा.अ.), 2006 सह–पठित बिहार ग्राम पंचायत (सचिव की नियुक्ति, अधिकार व कर्तव्य) नियमावली, 2011 यह प्रावधान करता है कि ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.) के वित्तीय व कार्यकारी प्रशासन का सामान्य उत्तरदायित्व मुखिया के पास होगा एवं पंचायत सचिव, ग्रा.पं. का कार्यालय प्रभारी होगा तथा इसके समस्त कार्यों एवं प्रकार्यों का निष्पादन मुखिया के निर्देश के अंतर्गत करेगा।

पंचायत समिति, दुल्हिनबाजार के अधीन ग्रा.पं. सिंघी के अभिलेखों की जाँच (जून 2015) में यह पाया गया कि ग्रा.पं. सिंघी द्वारा तेरहवें वित्त आयोग (ते.वि.आ.) अनुदान निधि के लिए संधारित बैंक खाते[22] में से पंचायत सचिव (पं.स.) एवं मुखिया के संयुक्त हस्ताक्षरित चेक के माध्यम से ₹ छह लाख की निकासी (मई 2012 से अप्रैल 2013) की गयी। हालाँकि, रोकड़बही एवं योजना पंजी में मात्र ₹ एक लाख की राशि की ही पं.स. द्वारा प्रविष्टी एवं मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया तथा शेष ₹ पाँच लाख की राशि अलेखांकित रही (जुलाई 2015)।

आगे, 20 अक्टूबर 2013 को ग्रा.पं. द्वारा संधारित ते.वि.आ. अनुदान निधि के रोकड़बही का अंतशेष ₹ 14.80 लाख था जबकि, 28 अक्टूबर 2013 को बैंक खाते से ₹ पाँच लाख के अलेखांकित निकासी के समायोजन हेतु रोकड़बही का प्रारंभिक शेष ₹ 9.80 लाख दर्शाया गया (21–27 अक्टूबर 2013 के दौरान कोई लेन–देन नहीं पाया गया)। इस प्रकार, ग्रा.पं. सिंघी के पं.स. व मुखिया ने बि.वि.नि. तथा बि.पं.रा.अ. 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया तथा ग्रा.पं. के खाते से आहरित ₹ पाँच लाख का दुर्विनियोजन किया।

ग्रा.पं. सिंघी के मुखिया ने जवाब दिया (जून 2015) कि पूर्व पंचायत सचिव ने चेक पर जाली हस्ताक्षर कर बैंक से राशि की निकासी किया तथा राशि का गबन कर लिया। प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग (पं.रा.वि.), बिहार सरकार ने जवाब दिया (सितंबर 2015) कि पंचायत सचिव के विरूद्ध साबित गबन के लिए प्राथमिकी दर्ज (अगस्त 2015) किया गया है।

---

[22] *केनरा बैंक खाता संख्या–0287101020567; चेक संख्या–559287 (30 मई 2012), 559288 (30 मई 2012), 559289 (27 जून 2012) एवं 559290 (27 जून 2012) प्रत्येक की राशि ₹ एक लाख तथा ₹ दो लाख का चेक संख्या–559293 (22 अप्रैल 2013)*

3.2 सोलर स्ट्रीट लाईटों के अधिष्ठापन पर अधिक एवं परिहार्य व्यय

पंचायत समिति, बेगूसराय में राज्य क्रय संगठन द्वारा निर्धारित दर से उच्चत्तर दर पर खुले बाजार से 339 सौर स्ट्रीट लाईटों का क्रय किया गया जिसके फलस्वरूप ₹ 47.43 लाख का अधिक एवं परिहार्य व्यय हुआ।

बिहार वित्तीय नियमावली (बि.वि.नि.) 2005 के नियम 129 के अंतर्गत बिहार सरकार ने, बिहार के सभी जिलों में सौर उर्जा उपस्करों की आपूर्ति/अधिष्ठापन में एकरूपता लाने हेतु बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (बेल्ट्रॉन) को राज्य क्रय संगठन (रा.क्र.सं.) नामित किया (फरवरी 2007)। तत्पश्चात्, बेलट्रॉन के स्थान पर बिहार नवीकरणीय उर्जा विकास अभिकरण (ब्रेडा) को रा.क्र.सं. नामित किया गया (सितंबर 2012) तथा यह सभी विभागाध्यक्षों, जिलाधिकारियों एवं उप–विकास आयुक्तों आदि को संचारित की गई थी। रा.क्र.सं. ने सोलर स्ट्रीट लाइटों के तकनीकी विशिष्टियों[23] तथा क्रय की दर को (फरवरी 2009) संचारित किया ।

पंचायत समिति बेगूसराय के अभिलेखों की जाँच (फरवरी 2015) में यह पाया गया कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (पि.क्षे.अ.नि.) एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग (च.रा.वि.आ.) के अंतर्गत उपलब्ध निधि से स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से 339 सोलर स्ट्रीट लाइटों का क्रय (जनवरी 2010 से मार्च 2013) किया गया था। आगे उपरोक्त सोलर स्ट्रीट लाइटों के क्रय से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा तथा रा.क्र.सं. द्वारा जारी दरों[24] एवं विशिष्टियों के साथ उनके मिलान में यह पाया गया कि रा.क्र.सं. के द्वारा निर्धारित समान विशिष्टियों वाले सोलर स्ट्रीट लाइटों का क्रय प्रति इकाई ₹ 43,700 की बाजार दर पर किया गया जबकि वर्ष 2009–13 के दौरान रा.क्र.सं. द्वारा जारी किया गया प्रति इकाई दर ₹ 29,352 से ₹ 30,217 (पाँच वर्षों की वारंटी अवधि सहित) के बीच था। इस प्रकार, 2009–13 के दौरान पं.स. बेगूसराय द्वारा 339 सोलर स्ट्रीट लाईटों के क्रय एवं अधिष्ठापन पर ₹ 47.43 लाख का अधिक व परिहार्य व्यय किया गया।

प्रधान सचिव, पं.रा.वि., बिहार सरकार ने जवाब दिया (सितंबर 2015) कि पं.स. बेगूसराय के तत्कालीन प्र.वि.प. के खिलाफ आरोप पत्र प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार को अनुमोदनार्थ अग्रसारित किया गया है।

---

[23] *सोलर पैनल – 75 वाट, बैटरी – 12 वोल्ट एवं 75 ए.एच., पोल – 4.5 मीटर लंबी, सी.एफ.एल.–11 वाट*

[24] *सितंबर 2009 से दिसंबर 2011 के दौरान पाँच वर्षों की वारंटी अवधि सहित सोलर पैनल – 75 वाट, बैटरी – 12 वोल्ट एवं 75 ए.एच., पोल – 4.5 मीटर लंबी, सी.एफ.एल. – 11 वाट से युक्त सोलर स्ट्रीट लाईट की प्रति इकाई दर – ₹ 29,352 एवं जनवरी 2012 से जून 2013 के दौरान – ₹ 30,217*

अध्याय – IV

बिहार में शहरी स्थानीय निकायों (श.स्था.नि.) की कार्यप्रणाली का एक अधिदृश्य

4.1 परिचय

चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम (सं.सं.अ.) के परिणामस्वरूप शहरी स्थानीय निकायों (श.स्था.नि.) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तथा एक समान संरचना, नियमित चुनाव, समाज के कमजोर वर्ग एवं महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण तथा वित्त आयोगों के द्वारा निधियों के नियमित प्रवाह की एक प्रणाली को स्थापित किया गया। अनुपालन के तौर पर, राज्यों को इन निकायों को ऐसी शक्तियों, कार्यों तथा उत्तरदायित्वों को सौंपना था जिससे वे स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकें तथा संविधान की बारहवीं अनुसूची में वर्णित उत्तरदायित्वों सहित उनको प्रदत्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सकें।

तदनुसार, बिहार सरकार ने बिहार एवं उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम, 1922 को निरस्त करते हुए बिहार नगरपालिका अधिनियम (बि.न.अ.), 2007 को अधिनियमित किया तथा बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 एवं बिहार नगरपालिका बजट नियमावली बनाया। 2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार की शहरी आबादी 1.18 करोड़ थी जो राज्य की कुल आबादी (10.41 करोड़) का 11 प्रतिशत थी। मार्च 2015 को राज्य में 141 श.स्था.नि.[25] थे। श.स्था.नि. के निर्वाचित निकायों के लिए विगत चुनाव 16 मई 2012 को संपन्न हुआ था।

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 7 एवं 20, विगत अंतिम जनगणना के आधार पर राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका क्षेत्र के वर्गीकरण के मानदंडों का उल्लेख करता है, जैसा कि नीचे **तालिका 4.1** में दिया गया है:

तालिका 4.1: श.स्था.नि. का वर्गीकरण

श.स्था.नि. की श्रेणी	कोटि	जनसंख्या
नगर निगम	वृहत शहरी क्षेत्र	2 लाख से अधिक
नगर परिषद्	श्रेणी 'क'	1.5 से 2 लाख
	श्रेणी 'ख'	1 से 1.5 लाख
	श्रेणी 'ग'	0.40 से 1 लाख
नगर पंचायत	ट्रांजीसन क्षेत्र	0.12 से 0.40 लाख

(स्रोत: बि.न.अ. की धारा 7 एवं 20)

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार पर्वतीय क्षेत्र, तीर्थाटन केंद्र, पर्यटन केंद्र अथवा मंडी शहर में नगरपालिका क्षेत्रों के लिए जनसंख्या के अलग–अलग आकार का निर्धारण कर सकती है।

4.2 श.स्था.नि. का संगठनात्मक ढाँचा

शहरी स्थानीय निकाय, नगर विकास एवं आवास विभाग (न.वि. एवं आ.वि.), बिहार सरकार के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन है। नगर आयुक्त, नगर निगम के कार्यकारी प्रमुख होते हैं जबकि नगर परिषद् एवं नगर पंचायत के प्रधान, कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं।

श.स्था.नि. में एक सशक्त स्थायी समिति (स.स्था.स) होता है जिसका गठन लोगों द्वारा निर्वाचित पार्षदों/सदस्यों द्वारा तथा निर्वाचित सदस्यों में से निर्वाचित महापौर (नगर

[25] *11 नगर निगम, 42 नगर परिषद् एवं 88 नगर पंचायत*

निगम के लिए)/सभापति (नगर परिषद् व नगर पंचायत के लिए) जो स.स्था.स की बैठकों की अध्यक्षता करता है। श.स्था.नि. की संगठनात्मक संरचना को नीचे **चार्ट 4.1** एवं **4.2** में दर्शाया गया है:

चार्ट – 4.1: निर्वाचित निकाय

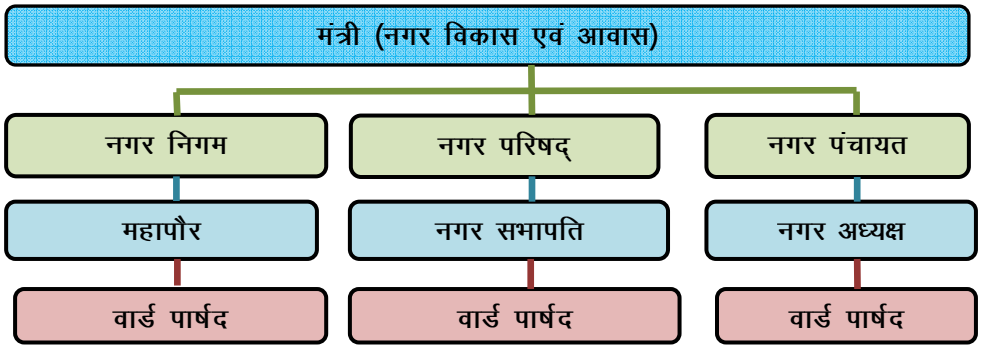

चार्ट - 4.2: प्रशासनिक निकाय

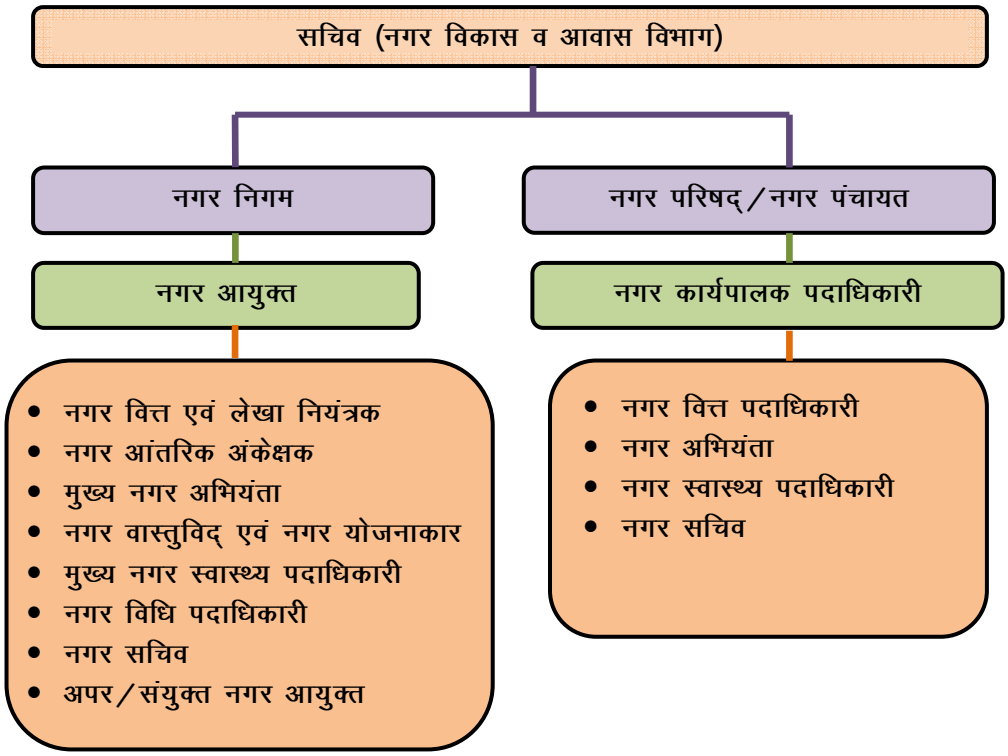

(स्रोतः बि.न.अ., 2007 की धारा 36 एवं www.urban.bih.nic.in)

4.3 श.स्था.नि. की कार्यप्रणाली

4.3.1 राज्य सरकार की शक्तियाँ

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 राज्य सरकार को श.स्था.नि. के कार्यकलापों की समुचित निगरानी के लिए सक्षम बनाने हेतु कुछ निश्चित शक्तियाँ प्रदान करती है। राज्य सरकार की शक्तियों का एक संक्षिप्त सार नीचे **तालिका 4.2** में दर्शाया गया है:

तालिका – 4.2: राज्य सरकार की शक्तियाँ

प्राधिकार	राज्य सरकार की शक्तियाँ
बि.न.अ., 2007 की धारा 44	**राज्य नगरपालिका निगरानी प्राधिकारः** राज्य सरकार नगरपालिका के प्रमुख/उप–प्रमुख पार्षद/पदाधिकारियों अथवा अन्य कर्मचारियों के किसी भ्रष्टाचार, कदाचार, सत्यनिष्ठा के अभाव या अनाचार या कुशासन अथवा बदसलूकी की जाँच करने के लिए लोक प्रहरी की नियुक्ति कर सकती है।
बि.न.अ., 2007 की धारा 65 एवं 66	**कार्यालय, अभिलेख इत्यादि के निरीक्षण अथवा जाँच की शक्तिः** राज्य सरकार श.स्था.नि. के नियंत्रणाधीन किसी भी कार्यालय की जाँच या अभिलेखों की मांग कर सकती है।
बि.न.अ., 2007 की धारा 87	राज्य सरकार नगरपालिकाओं में सभी वित्तीय एवं लेखांकन मामले व प्रक्रियाओं के विवरण से युक्त एक्रुअल आधारित द्विप्रविष्टी लेखांकन तंत्र के कार्यान्वयन हेतु एक नियमावली यथाः बिहार नगरपालिका लेखांकन पुस्तिका तैयार कर इसका संधारण करेगी।
बि.न.अ., 2007 की धारा 419	**नियम बनाने की शक्तिः** राज्य सरकार, राज्य विधायिका के अनुमोदन से अधिसूचना द्वारा बि.न.अ., 2007 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।
बि.न.अ., 2007 की धारा 421 एवं 423	**विनियम बनाने की शक्तिः** नगरपालिका बि.न.अ., 2007 के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के अनुमोदन से विनियम बना सकती है।
बि.न.अ., 2007 की धारा 487	**कठिनाईयों का निवारणः** बि.न.अ., 2007 के उपबंधों को कार्यान्वित करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, उस कठिनाई का निराकरण करने के लिए आवश्यक आदेश निर्गत कर सकती है।

4.3.2 कार्यों व निधियों का प्रतिनिधायन

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के अंतर्गत चौहत्तरवां सं.सं.अ., 1992 राज्य सरकार को बारहवीं अनुसूची में वर्णित 18 विषयों पर कार्य करने के लिए कानून अभिनीत, ऐसी शक्तियों व अधिकारों के साथ श.स्था.नि. को सशक्त बनाने के लिए सक्षम बनाता है। परंतु, बिहार में श.स्था.नि. द्वारा बि.न.अ., 2007 की धारा 45 में उल्लेखित विषयों में से केवल 13 विषयों ***(परिशिष्ट–4.1)*** पर ही परंपरागत रूप से कार्य किया जा रहा था। 74वें सं.सं.अ. के आलोक में कार्यों के प्रतिनिधायन पर अलग से कोई अधिसूचना निर्गत नहीं की गयी थी। शेष पाँच विषयों[26] से संबंधित निधियों, कार्यों व कर्मियों का प्रतिनिधायन राज्य सरकार द्वारा किया जाना बाकी था। राज्य सरकार ने श.स्था.नि. के मूलभूत कार्यों को सुचारू बनाने के लिए पैरास्टेटल[27] संगठनों का गठन किया है तथा श.स्था.नि. को सौंपे गए कार्यों के निष्पादन के लिए उन्हें निधियों का प्रतिनिधायन किया है।

4.3.3 कर्मियों का प्रतिनिधायन

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 36 श.स्था.नि. के लिए पदों की संख्या का प्रावधान करता है, परंतु इनमें से अधिकांश पद रिक्त थे। श.स्था.नि. में कर्मचारियों की कमी थी एवं 1990 से ही भर्ती बंद थी। श.स्था.नि. के क्षमता निर्माण हेतु प्रयास नहीं किए गए थे।

---

[26] *भूमि उपयोग एवं भवन निर्माण का नियमन; आग से बचाव कार्य; शहरी वानिकी पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय पहलुओं का बढ़ावा;अपंग एवं मानसिक रूप से विकलांग लोगों सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा; सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं सौंदर्य पहलुओं को बढ़ावा*

[27] *बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि. (बूडको), बिहार शहरी राज्य परिवहन लि. (बि.स.रा.प.लि.), बिहार शहरी विकास अभिकरण (बूडा) एवं जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा)*

4.4 समितियों का गठन

4.4.1 सशक्त स्थायी समितियाँ

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 21 एवं 22 यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक नगरपालिका में एक सशक्त स्थायी समिति (स.स्था.स.) होगा तथा नगरपालिका की कार्यकारी शक्तियाँ स.स्था.स. में अंतर्निहित रहेंगी। मुख्य पार्षद, स.स्था.स. द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं प्रकार्यों का प्रयोग करेंगे। स.स्था.स. की संरचना नीचे **तालिका 4.3** में दर्शाया गया है:

तालिका – 4.3: सशक्त स्थायी समितियाँ

श.स्था.नि. की श्रेणी	पीठासीन पदाधिकारी	स.स्था.स. की संरचना	अभियुक्ति
नगर निगम	महापौर	महापौर, उप–महापौर एवं सात अन्य पार्षद	स.स्था.स. के अन्य सदस्यों को मुख्य पार्षद द्वारा निर्वाचित पार्षदों के बीच से नामित किया जाएगा।
श्रेणी 'क' अथवा श्रेणी 'ख' नगर परिषद्	नगर सभापति	नगर सभापति, नगरपालिका उप–सभापति एवं पाँच अन्य पार्षद्	
श्रेणी 'ग' नगर परिषद्	नगर अध्यक्ष	नगर सभापति, नगर उपाध्यक्ष एवं तीन अन्य पार्षद्	
नगर पंचायत	नगर अध्यक्ष	नगर सभापति, नगर उपाध्यक्ष एवं तीन अन्य पार्षद्	

(स्रोतः बि.न.अ., 2007 की धारा 21)

स.स्था.स. नगर निगम अथवा नगर परिषद् अथवा नगर पंचायत जैसी स्थिति हो, के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है।

4.4.2 जिला योजना समिति

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 275 के अनुसार, श.स्था.नि. द्वारा कार्यान्वित सभी योजनाएं जिला योजना समिति (जि.यो.स.) द्वारा तैयार एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रारूप विकास योजना (प्रा.वि.यो.) में सम्मिलित होना चाहिए। यह पाया गया कि श.स्था.नि. द्वारा 2010–15 के दौरान उनके स्वयं के स्रोतों से कार्यान्वित की गईं योजनाएं जि.यो.स. द्वारा तैयार एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रा.वि.यो. में सम्मिलित नहीं थीं।

4.5 लेखापरीक्षा व्यवस्था

4.5.1 प्राथमिक लेखापरीक्षक

राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों (श.स्था.नि.) के लेखाओं की लेखापरीक्षा के संचालन के लिए स्थानीय लेखापरीक्षक (स्था.ले.प.), बिहार को सांविधिक लेखापरीक्षक घोषित (नवंबर 2007) किया। तद्नुसार, श.स्था.नि. के लेखापरीक्षा का संचालन, स्था.ले.प. द्वारा महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार के पर्यवेक्षण में किया जा रहा है। लेखापरीक्षा का संचालन बिहार एवं उड़ीसा स्थानीय निधि लेखापरीक्षा अधिनियम, 1925 के अंतर्गत किया जाता है। 2014–15 के दौरान, राज्य के 141 श.स्था.नि. में से 44 श.स्था.नि.[28] के लेखाओं का लेखापरीक्षा स्था.ले.प. द्वारा किया गया।

[28] *नगर निगम (10): आरा, भागलपुर, बिहारशरीफ, बेगूसराय, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर एवं पूर्णिया; नगर परिषद (19): अरवल, औरंगाबाद, बगहा, बाढ़, बक्सर, छपरा, दानापुर, डुमरांव, हाजीपुर, जमालपुर, जहानाबाद, खगड़िया, लखीसराय, मसौढ़ी, मोकामा, नवादा, रक्सौल, सासाराम एवं सीवान; नगर पंचायत (15): बेलसंड, दिघवारा, डुमरा, हवेली खड़गपुर, हिसुआ, इस्लामपुर, जगदीशपुर, जनकपुर रोड, झाझा, कोइलवर, महाराजगंज, मैरवा, मनेर, परसा बाजार एवं टिकारी*

4.5.2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा

ग्यारहवें वित्त आयोग ने पंचायतों के सभी स्तरों के लेखाओं के समुचित संधारण एवं लेखापरीक्षा पर नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) को सौंपने की अनुशंसा की थी। तेरहवें वित्त आयोग ने भी अनुशंसा की थी कि नि.म.ले.प. को सभी स्थानीय निकायों (स्था.नि.) के प्रत्येक स्तर के लेखापरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहयोग सौंपा जाना चाहिए तथा उसका वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन, निदेशक स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के वार्षिक प्रतिवेदन के साथ राज्य विधायिका के समक्ष अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए। चौदहवें वित्त आयोग ने भी पूर्ववर्त्ती वित्त आयोगों द्वारा स्था.नि. के लेखाओं के संधारण में सुधार एवं उनके लेखापरीक्षा तथा नि.म.ले.प. द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहयोग व्यवस्था के पहल को जारी रखने की अनुशंसा की थी।

इस संबंध में, राज्य सरकार ने स्था.नि. के लेखापरीक्षा के लिए वित्त विभाग के अंतर्गत एक कोषांग[29] की स्थापना की थी (अक्टूबर 2013)। आगे, वित्त आयोगों की अनुशंसाओं के अनुसार तथा महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार के सतत् प्रयासों से राज्य सरकार ने निदेशक स्थानीय निधि लेखापरीक्षा की अध्यक्षता में स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय की स्थापना एवं 11 जून 2015 से इसके कार्यशील होने को अधिसूचित किया (जून 2015)। वित्त विभाग, बिहार सरकार ने सूचित किया (दिसंबर 2015) कि राज्य सरकार ने तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहयोग के अंतर्गत स्था.नि. के लेखापरीक्षा के लिए लेखा एवं लेखापरीक्षा नियमावली, 2007 के तहत नियमों एवं शर्तों को स्वीकार कर लिया है।

4.6 लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया

4.6.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की असंतोषप्रद अनुक्रिया

लेखापरीक्षा के पूर्ण होने के बाद, लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) को श.स्था.नि. को प्रेषित किए गए थे। संबंधित श.स्था.नि. के कार्यपालक पदाधिकारियों (का.प.) को नि.प्र. में अंतर्विष्ट टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देना था तथा नि.प्र. की प्राप्ति के तीन महीने के अंदर स्था.ले.प. को अनुपालन प्रतिवेदन भेजना था। तथापि, का.प. ने लेखापरीक्षा कंडिकाओं के अनुपालन के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाया, जैसा कि लंबित कंडिकाओं की बढ़ती हुए संख्या से प्रमाणित है। लंबित कंडिकाओं का विवरण नीचे **तालिका 4.4** में दर्शाया गया है:

तालिका – 4.4: विगत पाँच वर्षों में श.स्था.नि. में लंबित कंडिकाएँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	नि.प्र. की सं.	नि.प्र. में कंडिकाओं की सं.	सम्मिलित राशि	निपटान कंडिकाओं की सं.	निपटान की राशि	लंबित कंडिकाओं की सं.	लंबित कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य
1	2	3	4	5	6	7 (3–5)	8 (4–6)
2010–11	39	1043	71.57	386	3.04	657	68.53
2011–12	43	1237	52.94	230	2.81	1007	50.13
2012–13	61	1398	45.63	128	0.37	1270	45.26
2013–14	67	1141	75.35	82	3.52	1059	71.83
2014–15	93	1898	373.66	540	9.02	1358	364.64
कुल	**303**	**6717**	**619.15**	**1366**	**18.76**	**5351**	**600.39**

(स्रोतः श.स्था.नि. के लेखाओं का निरीक्षण प्रतिवेदन)

[29] *39 वरीय लेखापरीक्षकों एवं एक उप–वित्त नियंत्रक से बना*

उपरोक्त **तालिका 4.4** से यह स्पष्ट है कि कुल 6,717 कंडिकाओं में से केवल 1,366 कंडिकाओं (20 प्रतिशत) का ही निपटान हुआ तथा 31 मार्च 2015 को ₹ 600.39 करोड़ की राशि की 5,351 कंडिकाएँ निपटारे हेतु लंबित थीं।

लंबित कंडिकाओं की बढ़ती प्रवृति (अपवाद 2013–14) ने संबंधित प्राधिकरियों द्वारा इन कंडिकाओं के अनुपालन समर्पित करने में प्रयासों की कमी को दर्शाया।

4.6.2 स्था.ले.प. के वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवदनों का अनुपालन

वित्त विभाग, बिहार सरकार ने स्था.ले.प. के वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा के लिए त्रिस्तरीय समितियों – उच्च स्तरीय, विभाग स्तरीय एवं जिला स्तरीय का गठन (मार्च 2010) किया था। जिला स्तरीय समिति[30] का उत्तरदायित्व, जिले के पं.रा.सं. एवं श.स्था.नि. से प्राप्त लेखापरीक्षा कंडिकाओं/प्रतिवेदनों के अनुपालन को सुनिश्चित करना है। विभाग स्तरीय समिति[31] को जिला स्तरीय समितियों द्वारा किए अनुपालन की स्थिति की समीक्षा करना था। जिला एवं विभाग स्तरीय समितियों के कार्यकलापों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति[32] की बैठक छः महीने में एक बार होनी थी।

यह पाया गया कि अप्रैल 2014 से अगस्त 2015 के दौरान केवल एक जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई थी। 2014–15 के दौरान विभाग स्तरीय एवं उच्च स्तरीय समिति की कोई बैठक नहीं हुई थी। अतः, त्रिस्तरीय समिति के गठन का उद्देश्य विफल रहा।

4.6.3 स्थानीय निकायों पर प्रतिवेदन की स्थिति

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (जनवरी 2014 में यथा संशोधित) की धारा 91(2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नि.म.ले.प. द्वारा तैयार किए गए श.स्था.नि. के वार्षिक प्रतिवेदन को राज्य विधायिका के दोनों सदनों के पटल पर रखा जायेगा। तथापि, स्थानीय निकायों पर नि.म.ले.प. के वार्षिक प्रतिवेदन को लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) या लो.ले.स. जैसी समिति में चर्चा हेतु कोई प्रावधान नहीं है। वित्त विभाग, बिहार सरकार ने सूचित किया (जुलाई 2015) कि स्थानीय निकायों पर नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन पर चर्चा एवं समीक्षा हेतु एक समिति का चयन करने के संबंध में माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा सचिवालय से अनुरोध किया गया है।

जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय प्रतिवेदन

4.7 जवाबदेही तंत्र

4.7.1 लोकपाल

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 44(1) श.स्था.नि. के प्राधिकारियों के भ्रष्टाचार, सत्यनिष्ठा का अभाव, कदाचार आदि के किसी आरोप की जाँच करने के लिए लोक प्रहरी (लोकपाल) की नियुक्ति का प्रावधान करता है। परंतु, नवंबर 2015 तक राज्य सरकार के द्वारा लोकप्रहरी की नियुक्ति नहीं की गयी थी।

4.7.2 संपत्ति कर बोर्ड

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 138(अ) संपत्ति कर के निर्धारण की स्वतंत्र एवं पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करने के लिए राज्य स्तरीय संपत्ति कर बोर्ड की

---

30 *जिलाधिकारी/उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में*

31 *नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में*

32 *वित्त विभाग, बिहार सरकार के प्रधान सचिव की अध्यक्षता तथा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) एक सदस्य के रूप में*

स्थापना का प्रावधान करता है। यद्यपि बिहार संपत्ति कर बोर्ड नियमावली, 2013 को न.वि. एवं आ.वि., बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित (अप्रैल 2013) कर दिया गया था, नवंबर 2015 तक बोर्ड का गठन नहीं किया गया था।

4.7.3 सेवा स्तर मानक

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की कंडिका 10.160 (viii) के आलोक में न.वि. एवं आ.वि., बिहार सरकार ने वर्ष 2013–15 के लिए श.स्था.नि. में जलापूर्ति, मल–जल, वर्षा जल निकासी, एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में सेवा स्तर में सुधार हेतु विभिन्न संकेतकों के आधार पर लक्ष्य निर्धारित (फरवरी 2014) किया था। परंतु, सेवा स्तर के कार्यान्वयन का आगे निगरानी नहीं किया जा सका तथा श.स्था.नि. द्वारा उनके कार्यान्वयन के संबंध में विभाग ने कोई जवाब नहीं दिया।

4.7.4 फायर हजार्ड रिसपांस

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, 10 लाख (2001 जनगणना) से अधिक की जनसंख्या वाले सभी नगर निगम अपने अधिकार क्षेत्र में एक फायर हजार्ड रिसपौंस एवं मिटिगेशन योजना बनाएंगे। न.वि. एवं आ.वि., बिहार सरकार ने पटना नगर निगम के लिए फायर हजार्ड रिसपौंस एवं मिटिगेशन की योजना को अधिसूचित किया (मार्च 2011)।

4.7.5 उपयोगिता प्रमाणपत्र का प्रेषण

शहरी स्थानीय निकाय को विमुक्त निधियों के आवंटन पत्रों में निहित अनुदेशों के अनुसार निर्धारित तिथि के अंदर राज्य सरकार को उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.प.) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। यह पाया गया कि न.वि. एवं आ.वि. ने 2002–03 से 2014–15 के दौरान श.स्था.नि. को विभिन्न सहायक अनुदान शीर्ष में ₹ 4,009.56 करोड़ अनुदान विमुक्त किया था। परंतु, श.स्था.नि. ने केवल ₹ 1,978.44 करोड़ (49 प्रतिशत) का उ.प्र.प. ही समर्पित किया था तथा मार्च 2015 तक ₹ 2,031.12 करोड़ के उ.प्र.प. लंबित थे।

इतनी लंबी अवधि से ₹ 2,031.12 करोड़ का उ.प्र.प. का प्रेषण नहीं किया जाना कमजोर आंतरिक नियंत्रण एवं निधियों के संभावित दुरूपयोग को संकेत करता है।

4.8 वित्तीय प्रतिवेदन मामले

4.8.1 निधि के स्रोत

4.8.1.1 वित्त के स्रोत

शहरी स्थानीय निकाय, विकास कार्यों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार से अनुदान के रूप में निधि प्राप्त करते हैं। भारत सरकार के अनुदानों में केंद्रीय वित्त आयोग (के.वि.आ.) की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदान शामिल है। राज्य सरकार के अनुदान, राज्य वित्त आयोग (रा.वि.आ.) की अनुशंसा पर कुल कर राजस्व के निवल प्राप्तियों के हस्तांतरण एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्राप्त होते हैं। इसके अलावा, श.स्था.नि. के पास निधियों के स्वयं के स्रोत (कर राजस्व व गैर–कर राजस्व) भी थे। भूमि एवं भवनों पर लगने वाला संपत्ति कर श.स्था.नि. के स्वयं के राजस्व स्रोतों में मुख्य है। श.स्था.नि. के वित्त प्रवाह को **चार्ट 4.3** में दर्शाया गया है:

चार्ट–4.3: निधि के स्रोत

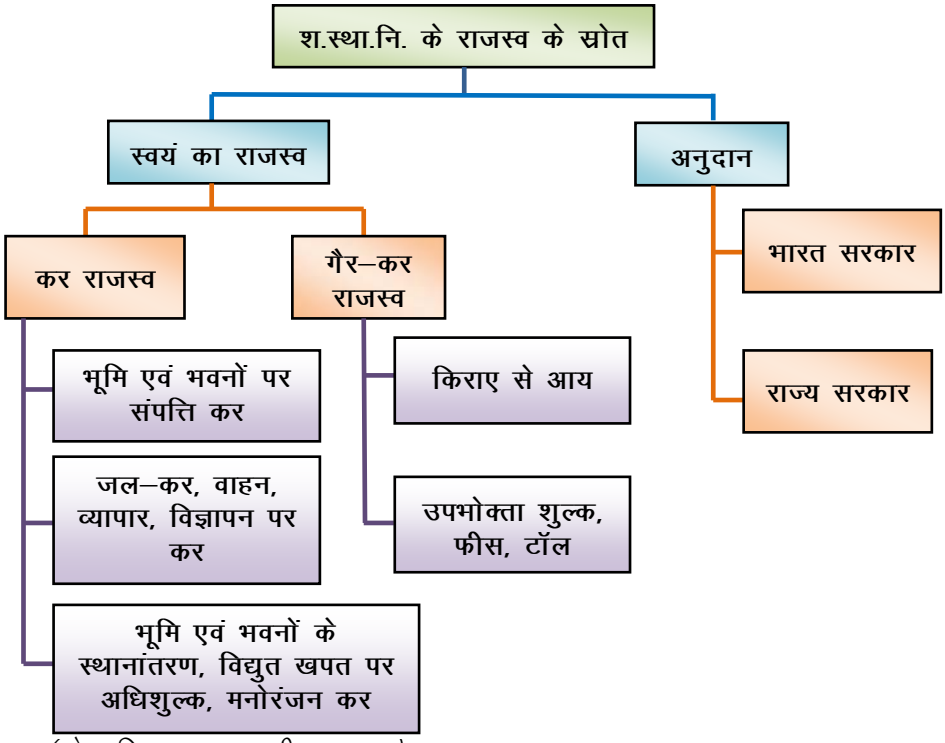

(स्रोतः बि.न.अ., 2007 की धारा 127)

4.8.1.2 राज्य बजट आवंटन की तुलना में व्यय

राज्य सरकार का वर्ष 2010–15 के लिए श.स्था.नि. के बजट प्रावधान, जिसमें भारत सरकार की योजनाओं के लिए राज्यांश तथा केंद्रीय वित्त आयोग (कें.वि.आ.) की अनुशंसाओं के तहत प्राप्त अनुदान शामिल हैं, नीचे **तालिका 4.5** में दिए गए हैं:

तालिका 4.5: बजट आवंटन की तुलना में व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	शीर्ष	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
1.	**बजटीय आवंटन**	राजस्व	2143.46	1374.83	1668.44	2537.40	3300.59
		पूँजी	7.00	7.00	2.00	1.00	1.00
		कुल	**2150.46**	**1381.83**	**1670.44**	**2538.40**	**3301.59**
2.	**व्यय**	राजस्व	611.56	661.37	1263.72	1717.44	1778.46
		पूँजी	0	0	2.00	1.00	0
		कुल	**611.56**	**661.37**	**1265.72**	**1718.44**	**1778.46**
3.	बचत (1–2)		1538.90	720.46	404.72	819.96	1523.16
4.	**बचत का प्रतिशत**		**72**	**52**	**24**	**32**	**46**

(स्रोतः विनियोजन लेखे, बिहार सरकार)

उपरोक्त **तालिका 4.5** से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने श.स्था.नि. को बजट प्रावधान की पूरी राशि हस्तांतरित नहीं की तथा कम हस्तांतरण की प्रतिशतता का परास 24 से 72 के बीच रहा। वर्ष 2010–15 के दौरान पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत आवंटन कुल आवंटन का एक प्रतिशत से कम रहा जबकि वर्ष 2010–12 तथा 2014–15 में पूंजीगत व्यय शून्य था।

4.8.1.3 श.स्था.नि. का आय व व्यय

राज्य स्तर पर श.स्था.नि. के आय व व्यय की समेकित स्थिति का संधारण नहीं किया गया था। तथापि, न.वि. एवं आ.वि. द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी के अनुसार,

वर्ष 2012–15 के दौरान शहरी सुधार हेतु सहयोग कार्यक्रम (स्पर) परियोजना[33] के तहत 28 श.स्था.नि.[34] की निधियों के प्राप्ति व व्यय की स्थिति का विवरण नीचे **तालिका 4.6** में दर्शाया गया है:

तालिका – 4.6: 28 श.स्था.नि. की आय एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2012–13	2013–14	2014–15
1	प्रारंभिक शेष	326.98	430.08	641.89
2	प्राप्तियाँ	300.79	444.33	735.17
3	उपलब्ध राशि (1+2)	627.77	874.41	1377.06
4	व्यय	201.66	296.60	589.40
5	उपयोगिता का प्रतिशत	32	34	43

(स्रोत: न.वि. एवं आ.वि. द्वारा प्रदत आंकड़े)

(विवरण ***परिशिष्ट–4.2*** पर)

उपरोक्त स्थिति इंगित करती है कि 2012–14 के दौरान उपलब्ध निधि का मात्र 32 से 43 प्रतिशत का ही उपयोग किया गया था। न.वि. एवं आ.वि. द्वारा केवल 28 श.स्था. नि. के लिए ही निधियों की उपलब्धता/विमुक्ति एवं उनकी उपयोगिता के आंकड़े उपलब्ध (अगस्त 2015) कराए गए।

4.8.2 राज्य वित्त आयोग (रा.वि.आ.) की अनुशंसाएँ

राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों (स्था.नि.) की वित्तीय स्थिति के आकलन और राज्य तथा स्था.नि. के बीच करों, शुल्कों आदि के बंटवारे को विनियमित करने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा के लिए राज्य वित्त आयोगों का गठन किया गया था। बिहार सरकार ने चतुर्थ राज्य वित्त आयोग (च.रा.वि.आ.) का गठन (जून 2007) किया जिसने अपना प्रतिवेदन जून 2010 में समर्पित किया। यद्यपि च.रा.वि.आ. द्वारा दो किस्तों में निधियों की विमुक्ति की अनुशंसा की गई थी, न.वि. एवं आ.वि. द्वारा श.स्था.नि. को निधियों की विमुक्ति एक ही किस्त में की गई थी। आगे, यद्यपि च.रा.वि.आ. ने निधियों की विमुक्ति ठीक विगत वर्ष की प्राप्तियों के आंकड़ों के आधार पर करने की अनुशंसा की थी, न.वि. एवं आ.वि. ने निधियों की विमुक्ति, विगत दो वर्षों की प्राप्तियों के आधार पर किया। यह पाया गया कि ₹ 1250.12 करोड़ की पात्रता के विरूद्ध, श.स्था.नि. को केवल ₹ 1247.61 करोड़ ही विमुक्त (2010–15) किया गया। इस प्रकार, ₹ 2.51 करोड़ की कम विमुक्ति हुई।

पंचम रा.वि.आ. का गठन दिसंबर 2013 में किया गया था तथा इसे अपना प्रतिवेदन मार्च 2015 तक समर्पित करना था परंतु प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया था (नवंबर 2015)।

4.8.3 अभिलेखों का संधारण

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धाराएं 86, 88 व 89 नगरपालिकाओं को आय एवं व्यय लेखा, प्राप्तियां एवं अदायगी लेखा तथा तुलन पत्र से युक्त वित्तीय विवरण तैयार करने एवं इसके संधारण हेतु प्राविहित करती हैं। परंतु, सात श.स्था.नि.[35] ने 2011 से 2015 की अवधि के लिए वार्षिक लेखाओं को तैयार नहीं किया था।

---

[33] *आरा, औरंगाबाद, बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर, बिहारशरीफ, बोधगया, छपरा, दानापुर, दरभंगा, डेहरी, गया, हाजीपुर, जमालपुर, कटिहार, खगौल, किशनगंज, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, फुलवारीशरीफ, पूर्णिया, सहरसा, सासाराम, सीतामढ़ी एवं सीवान*

[34] *श.स्था.नि. के क्षमतावर्द्धन के लिए वित्तीय, तकनीकी एवं प्रबंधकीय सहयोग प्रदान करने हेतु यूनाईटेड किंगडम के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय विभाग (डी.आई.एफ.डी) के वित्त सहयोग से बिहार सरकार का पहल*

[35] *भागलपुर, दरभंगा, डुमरांव, हिसुआ, जमुई, मैरवा एवं नवादा*

संबंधित श.स्था.नि. के कार्यपालक पदाधिकारियों ने जवाब दिया कि भविष्य में वार्षिक लेखाओं को तैयार किया जाएगा।

4.8.4 श.स्था.नि. द्वारा लेखाओं का संधारण

शहरी स्थानीय निकायों द्वारा एक्रुअल आधारित लेखाओं के संधारण हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प) के साथ परामर्श कर राष्ट्रीय नगरपालिका लेखांकन पुस्तिका (रा.न.ले.पु.) तैयार किया (2004)। बि.न.अ., 2007 की धारा 87 प्राविहित करता है कि राज्य सरकार, नगरपालिकाओं से संबंधित सभी वित्तीय मामलों एवं प्रक्रियाओं को समाहित करते हुए एक्रुअल आधारित द्वि–प्रविष्टि लेखांकन प्रणाली (द्वि.प्र.ले.प्र.) को लागू करने के लिए बिहार नगरपालिका लेखांकन पुस्तिका (बि.न.ले.पु.) तैयार करेगी। न.वि. एवं आ.वि. के विशेष सचिव ने बताया कि दिसंबर 2015 तक बि.न.ले.पु. को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

आगे, न.वि. एवं आ.वि. ने बिहार के नगरपालिकाओं में 1 अप्रैल 2014 से एक्रुअल आधारित द्वि–प्रविष्टी प्रणाली में वित्तीय विवरणों[36] को तैयार करने एवं उनके संधारण हेतु ''बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली (बि.न.ले.नि.), 2014'' अधिसूचित (जनवरी 2014) किया। विभाग ने सभी श.स्था.नि. को लेखांकन के नकद प्रणाली की जगह 1 अप्रैल 2014 से एक्रुअल आधारित द्वि–प्रविष्टी लेखांकन प्रणाली के प्रभावी होने का निर्देश जारी किया (फरवरी 2014)।

नगर विकास एवं आवास विभाग ने बताया (अगस्त 2015) कि 19 श.स्था.नि. में वर्ष 2011–12 तक अचल संपत्ति पंजी (अ.सं.पं.), प्रारंभिक तुलन पत्र एवं वार्षिक वित्तीय विवरण को तैयार करने सहित द्वि.प्र.ले.प्र. के कार्यान्वयन का प्रथम चरण पूर्ण कर लिया गया था तथा अन्य श.स्था.नि. के लिए सक्षम चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन थी।

4.8.5 लेखापरीक्षा की उपलब्धि

वर्ष 2014–15 में किए गए लेखापरीक्षा के दौरान सात श.स्था.नि.[37] में संबंधित व्यक्तियों से ₹ 8.74 लाख की वसूली की गई।

4.8.6 उत्तम व्यवहार

भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस) आधारित संपत्ति सर्वेक्षण की शुरूआत की गई है तथा इसे पूर्णिया नगर निगम एवं कटिहार निगम में पूर्ण कर लिया गया है। पूर्णिया में, जी.आई.एस सर्वेक्षण के पश्चात् संपत्तियों की संख्या 29,618 से बढ़कर 76,184 हो गयी तथा संपत्ति कर की मांग ₹ 1.10 करोड़ से बढ़कर ₹ 3.22 करोड़ हो गयी। कटिहार में, जी.आई.एस सर्वेक्षण के पश्चात् भवनों की संख्या एवं भवन कर से प्राप्त राजस्व में वृद्धि क्रमशः 85 प्रतिशत एवं 158 प्रतिशत थी।

नगरपालिका सेवाओं से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु एक केंद्रीयकृत शिकायत निवारण केंद्र की स्थापना की गई है। यह सिटीजंस चार्टर के आधार पर कार्य करता है जो शिकायतों के निवारण के लिए निर्धारित समय सीमा को पारिभाषित करता है।

---

36 *प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, आय एवं व्यय लेखा तथा आस्तियों एवं दायित्वों का तुलन पत्र*

37 *औरंगाबाद (₹ 0.29 लाख), डुमरांव (₹ 2.39 लाख), इसलामपुर (₹ 1.41 लाख), जहानाबाद (₹ 2.04 लाख), मनेर (₹ 0.38 लाख), मसौढ़ी (₹ 0.46 लाख) एवं नवादा (₹ 1.77 लाख)*

अध्याय – V
निष्पादन लेखापरीक्षा

नगर विकास एवं आवास विभाग

5.1 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा राजस्व प्रबंधन

कार्यकारी सारांश

राजस्व प्रबंधन आर्थिक स्थिरता और शहरी आधारभूत संरचना के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण है। अपने कार्यों के समुचित निष्पादन एवं आर्थिक विकास की जरूरतों को पूरा करने हेतु शहरी स्थानीय निकायों (श.स्था.नि.) के लिए यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है कि वे अपने राजस्व का प्रबंधन सबसे अच्छे संभव तरीके से करें। 'श.स्था.नि. के राजस्व प्रबंधन' पर अप्रैल से अगस्त 2015 के दौरान निष्पादन लेखापरीक्षा का संचालन किया गया जिसमें 36 श.स्था.नि. शामिल थे। महत्वपूर्ण निष्कर्षों का सारांश नीचे दिया गया है:

नमूना जाँचित श.स्था.नि. में स्वयं के स्रोतों से आय, उनके स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। वर्ष 2010–15 के दौरान स्वयं के स्रोतों से प्राप्त आय, स्थापना व्यय का केवल 36 प्रतिशत से 76 प्रतिशत था। ***(कंडिका 5.1.7.2, 5.1.7.3, 5.1.7.4)***

बजट प्राक्कलन वास्तविक नहीं थे तथा उनके अंगीकरण एवं समर्पित करने में समय सीमा का पालन नहीं किया गया था। ***(कंडिका 5.1.7.5)***

नमूना जांचित श.स्था.नि. में 31 मार्च 2015 को 2010–11 से पूर्व भुगतान किए गए ₹ 4.20 करोड़ के अग्रिम सहित ₹ 5.74 करोड़ के अग्रिम लंबित थे। ***(कंडिका 5.1.13.2)***

नगर निगम (निगम)

वर्ष 2010–15 के दौरान निगमों द्वारा ₹ 2.78 करोड़ की योजनाएं बिना जिला योजना समिति द्वारा तैयार एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रारूप विकास योजना में शामिल किए कार्यान्वित की गईं। ***(कंडिका 5.1.8.1)***

निगमों द्वारा छः से नौ प्रकार के करों एवं सभी पाँच प्रकार के उपभोक्ता शुल्कों को अध्यारोपित नहीं किया गया था। ***(कंडिका 5.1.9.1)***

जलापूर्ति एवं घर–घर से ठोस अपशिष्ट के उठाव के लिए उपभोक्ता शुल्क अध्यारोपित नहीं किए जाने के कारण निगमों को अगस्त 2013 से मार्च 2015 के दौरान क्रमशः ₹ 5.46 करोड़ एवं ₹ 9.15 करोड़ के राजस्व से वंचित रहना पड़ा। ***(कंडिका 5.1.9.1)***

संपत्ति कर, मोबाईल टावर कर एवं दुकान किराया के अंतर्गत ₹ 17.88 करोड़ की राशि 31 मार्च 2015 तक वसूल नहीं की गई थी। ***(कंडिका 5.1.10.1)***

वर्ष 2010–15 से संबंधित सैरातों की बंदोबस्ती की राशि ₹ 52.45 लाख 31 मार्च 2015 तक वसूल नहीं की गई थी। ***(कंडिका 5.1.10.1)***

नगर परिषद् (परिषद्)

परिषदों द्वारा ₹ 12.64 करोड़ की योजनाएं बिना जिला योजना समिति द्वारा तैयार एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रारूप विकास योजना में शामिल किए कार्यान्वित की गईं। ***(कंडिका 5.1.8.2)***

परिषदों द्वारा छः से ग्यारह प्रकार के करों एवं सभी पाँच प्रकार के उपभोक्ता शुल्कों का अध्यारोपण नहीं किया गया था। ***(कंडिका 5.1.9.2)***

जलापूर्ति एवं घर–घर से ठोस अपशिष्ट के उठाव के लिए उपभोक्ता शुल्क अध्यारोपित नहीं किए जाने के कारण परिषद्ों को अगस्त 2013 से मार्च 2015 के दौरान क्रमशः ₹ 1.44 करोड़ एवं ₹ 5.38 करोड़ के राजस्व से वंचित रहना पड़ा। ***(कंडिका 5.1.9.2)***

संपत्ति कर, मोबाईल टावर कर एवं दुकान किराया के अंतर्गत ₹ 16.24 करोड़ की राशि 31 मार्च 2015 तक वसूल नहीं की गई थी। ***(कंडिका 5.1.10.2)***

परिषद्ों में संग्रह की गई राशि को वसूली के दिन ही जमा करने के बजाए, पाँच परिषद्ों मे रोकड़पालों/कर संग्राहकों ने संपत्ति कर, दुकान किराया, नीलामी राशि इत्यादि के मद में संग्रहित ₹ 54.69 लाख (2010–15) की राशि, एक से पाँच वर्षों की अवधि के लिए अपने पास रखा था। ***(कंडिका 5.1.10.2)***

नगर पंचायत (पंचायत)

पंचायतों द्वारा ₹ 1.87 करोड़ की योजनाएं बिना जिला योजना समिति द्वारा तैयार एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रारूप विकास योजना में शामिल किए कार्यान्वित की गईं। ***(कंडिका 5.1.8.2)***

बाईस पंचायतों द्वारा आठ से बारह प्रकार के करों, सभी पाँच प्रकार के उपभोक्ता शुल्कों तथा एक से चार प्रकार के शुल्कों एवं जुर्मानों को अध्यारोपित नहीं किया गया था। ***(कंडिका 5.1.9.3)***

घर–घर से ठोस अपशिष्ट के उठाव के लिए उपभोक्ता शुल्क अध्यारोपित नहीं किए जाने के कारण 14 पंचायतों को अगस्त 2013 से मार्च 2015 के दौरान ₹ 3.93 करोड़ के राजस्व से वंचित रहना पड़ा। ***(कंडिका 5.1.9.3)***

बीस पंचायतों में संपत्ति कर, मोबाईल टावर कर एवं दुकान किराया के अंतर्गत ₹ 5.47 करोड़ की राशि 31 मार्च 2015 तक वसूल नहीं की गई थी। ***(कंडिका 5.1.10.3)***

5.1.1 परिचय

74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 में अधिनियमित, उन शहरी क्षेत्रों, जहां नगरपालिकाओं को शासन के लिए संवैधानिक शक्ति प्रदान की गई थी, के लिए स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को प्राविहित किया। इस संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों (श.स्था.नि.) को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए दक्षतापूर्ण एवं प्रभावी रूप से योजनाओं को तैयार करने तथा संविधान की 12वीं अनुसूची में वर्णित मामलों सहित अन्य कार्यों के निष्पादन के लिए शक्ति प्रदान किया। बिहार में 1.18 करोड़ लोग (कुल जनसंख्या का 11 प्रतिशत) शहरी क्षेत्र में निवास करते है एवं राज्य सरकार ने शहरी जनसंख्या के आधार पर नगरीय जनसंख्या को नागरिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु 141 श.स्था.नि. (11 नगर निगम, 42 नगर परिषद् एवं 88 नगर पंचायत) का गठन किया। श.स्था.नि. में निर्वाचित निकायों के गठन के लिए विगत चुनाव वर्ष 2012 में संपन्न हुआ था।

राजस्व प्रबंधन, आर्थिक स्थिरता और शहरी आधारभूत संरचना के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण है। अपने कार्यों के समुचित निर्वहन एवं आर्थिक विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए श.स्था.नि. को पर्याप्त संसाधन स्रोत जुटाना है। शहरी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण शहरी आधारभूत संरचना पर बढ़ते दवाब ने श.स्था.नि. के लिए

इसे अत्यधिक महत्त्वपूर्ण बनाया है कि वे अपने राजस्व का प्रबंधन सबसे अच्छे संभव तरीके से करें तथा राजस्व के नए स्रोतों का पता लगाकर उनका प्रभावी उपयोग करें।

5.1.2 नगरपालिका निधि के स्रोत

राज्य में श.स्था.नि. अपने स्वयं के स्रोतों तथा केंद्र/राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान एवं सहायता द्वारा वित्त पोषित होते हैं। राज्य सरकार ने चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं को लागू किया ***(परिशिष्ट – 5.1)*** तथा श.स्था.नि. को उनके स्थापना व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए सहायता अनुदान विमुक्त किया। बिहार नगरपालिका अधिनियम (बि.न.अ.), 2007 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, श.स्था.नि. को 12 प्रकार के करों, पाँच प्रकार के उपभोक्ता शुल्कों एवं चार प्रकार के शुल्कों एवं जुर्मानों ***(परिशिष्ट – 5.2)*** को अध्यारोपित करने तथा अपनी भूमि, भवनों, दुकानों, बाजारों, वाहन पड़ावों इत्यादि से किराया एवं शुल्क वसूलने हेतु सक्षम बनाया गया था।

5.1.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि :

- श.स्था.नि. द्वारा अधिनियमों एवं नियमावलियों या अन्यथा में प्रदत्त राजस्व के स्रोतों का तत्परतापूर्वक आकलन एवं अध्यारोपण किया गया था;
- अध्यारोपित राजस्व की तत्परतापूर्वक वसूली की गई थी एवं नगरपालिका कोष में ससमय जमा किया गया था;
- श.स्था.नि. द्वारा संग्रहित राजस्व का प्रबंधन एवं उपयोग मितव्ययता, दक्षतापूर्वक एवं प्रभावी तरीके से किया गया था; तथा
- श.स्था.नि. द्वारा उनके स्वयं के स्रोतों से प्राप्त आय, मुख्य दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त थे।

5.1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मानदंड के मुख्य स्रोत थे :

- बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007
- बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928/2014
- बिहार वित्तीय नियम, 2005
- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन; तथा
- राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश एवं परिपत्र

5.1.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यविधि

श.स्था.नि. द्वारा राजस्व प्रबंधन पर वर्ष 2010–15 की अवधि के लिए अप्रैल से अगस्त 2015 के दौरान निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.ले.प.) का संचालन किया गया। इस नि.ले.प. में, कुल 141 श.स्था.नि. में से 36 ईकाइयों यथा: 3 नगर निगमों (निगमों), 11 नगर परिषदों (परिषदों) एवं 22 नगर पंचायतों (पंचायतों) का सिंपल रैंडम सैंपलिग विदाउट रिप्लेसमेंट विधि से चयन ***(परिशिष्ट – 5.3)*** कर नमूना जांच किया गया।

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग (न.वि. एवं आ.वि.), बिहार सरकार के साथ अंर्तगमन सम्मलेन मार्च 2015 में आयोजित किया गया था जिसमें नि.ले.प. के लेखापरीक्षा उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र एवं कार्यविधि की चर्चा की गई थी। विशेष सचिव, न.वि. एवं आ.वि. के साथ 23 दिसंबर 2015 को बर्हिगमन सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई थी। बर्हिगमन सम्मेलन में न.वि. एवं

आ.वि. तथा लेखापरीक्षित इकाईयों के प्रत्युत्तरों को प्रतिवेदन में समुचित स्थानों पर शामिल किया गया है।

5.1.6 संगठनात्मक ढांचा

राज्य सरकार का न.वि. एवं आ.वि., श.स्था.नि. का नोडल विभाग है जो प्रधान सचिव द्वारा शीर्षित होता है। नगर निकायों का संगठनात्मक ढांचा निम्न प्रकार है:

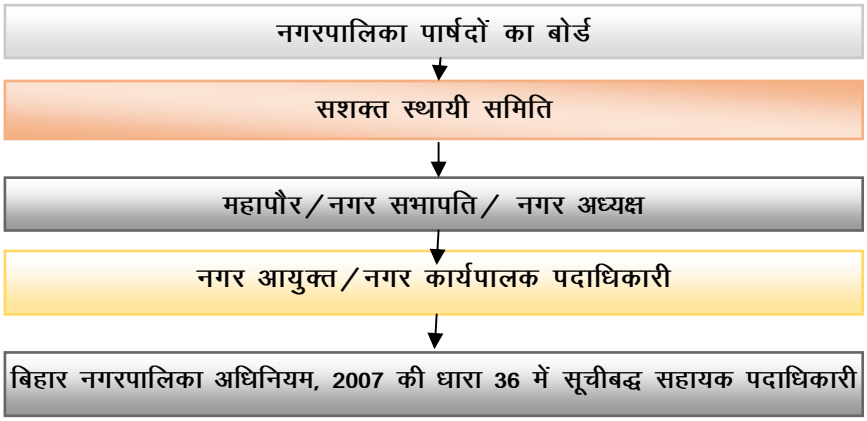

(स्रोतः बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 20 एवं 36)

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

5.1.7 वित्तीय प्रबंधन

5.1.7.1 राज्य के श.स्था.नि. का राजस्व

स्वयं के स्रोतों से राजस्व

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों के अनुसार, 2012–15 के दौरान श.स्था.नि. की स्वयं के स्रोतों से प्राप्त राजस्व की स्थिति नीचे **तालिका 5.1** में दर्शायी गई है:

तालिका – 5.1: स्वयं के स्रोतों से राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण*	2012–13	2013–14	2014–15
कुल मांग	125.54	129.58	149.97
कुल वसूली	72.75	52.15	53.78
वसूली का प्रतिशत	57.95	40.25	35.86

(स्रोतः न.वि. एवं आ.वि. द्वारा प्रदत जानकारी)

**2010–12 की अवधि के आंकड़े विभाग के पास उपलब्ध नहीं थे।*

उपरोक्त आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2012–15 के दौरान स्वयं के स्रोतों से राजस्व के संग्रहण में क्रमिक कमी आई थी।

विशेष सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने बर्हिगमन सम्मेलन में जवाब दिया कि श.स्था.नि. के स्तर पर कर्मियों की कमी के कारण राजस्व का संग्रहण घटा। यद्यपि, वर्ष 2015–16 में संग्रह के प्रतिशत में सुधार हुआ है। उन्होनें आगे कहा कि राज्य स्तर पर श.स्था. नि. द्वारा राजस्व वसूली के आँकड़ों के संकलन के लिए कदम उठाए गए हैं।

राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार अनुदान

बिहार सरकार द्वारा स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने तथा राज्य एवं स्थानीय निकायों के बीच करों के निवल आय एवं शुल्कों आदि के बंटवारे की

अनुशंसा देने के लिए राज्य वित्त आयोगों का गठन किया गया था। राज्य सरकार ने चर्तुथ राज्य वित्त आयोग (च.रा.वि.आ.) का गठन जून 2007 में किया जिसने अपना प्रतिवेदन जून 2010 में सौंपा। वर्ष 2011–15 के दौरान च.रा.वि.आ. की अनुशंसा के अनुसार विमुक्त की गई निधियों को नीचे **तालिका 5.2** में दर्शाया गया है:

तालिका – 5.2: च.रा.वि.आ. अनुदान की विमुक्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	च.रा.वि.आ. की अनुशंसा के अनुसार विमुक्त किए जानेवाले अनुदान	अनुदानों की वास्तविक विमुक्ति	कम विमुक्ति
1	2	3	4 (2–3)
2011–12	252.63	251.02	1.61
2012–13	264.77	264.27	0.50
2013–14	325.93	325.63	0.30
2014–15	406.79	406.69	0.10
कुल	**1250.12**	**1247.61**	**2.51**

(स्रोत: न.वि. एवं आ.वि. का आवंटन पत्र)

तालिका 5.2 से यह स्पष्ट है कि 2011–15 के दौरान ₹ 1250.12 करोड़ की पात्रता के विरूद्ध ₹ 1247.61 करोड़ विमुक्त किया गया था। इस प्रकार, 2011–15 के दौरान ₹ 2.51 करोड़ के अनुदान की कम विमुक्त हुई।

5.1.7.2 नमूना जांचित नगर निगमों का राजस्व

स्वयं के स्रोतों से प्राप्त राजस्व

वर्ष 2010–15 के दौरान निगमों की स्वयं के स्रोतों से प्राप्त राजस्व तथा उनके स्थापना व्यय को नीचे **तालिका 5.3** में दर्शाया गया है:

तलिका – 5.3: स्वयं के स्रोतों से राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	कुल
स्वयं के स्रोतों से राजस्व	5.82	8.02	10.63	12.00	13.40	49.87
स्थापना पर व्यय	14.53	19.94	27.30	25.64	31.60	119.01
संसाधन में कमी	8.71	11.92	16.67	13.64	18.20	69.14
स्थापना व्यय के प्रतिशत के रूप में स्वयं के स्रोतों से राजस्व	40.05	40.22	38.94	46.80	42.41	41.90

(स्रोत: लेखापरीक्षित इकाइयों द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी)

तालिका 5.3 से यह स्पष्ट है कि निगमों की अपने स्वयं के स्रोतों से आय उनके स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी तथा 2010–15 के दौरान यह उनके स्थापना व्यय के 39 से 47 प्रतिशत के बीच थी।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि नमूना जांचित निगमों द्वारा स्वास्थ्य उपकर एवं शिक्षा उपकर के रूप में ₹ 12.18 करोड़ राशि ***(परिशिष्ट–5.4)*** संग्रहित किया था जिसमें से 10 प्रतिशत वसूली शुल्क रखकर शेष राशि को सरकारी खाते में जमा किया जाना था, जिसे जमा नहीं किया गया एवं इस राशि को स्वयं के स्रोतों से राजस्व माना गया। इसका परिणाम स्वयं के स्रोतों से प्राप्त राजस्व का अधिक दर्शाना हुआ।

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार अनुदान

वर्ष 2011–15 की अवधि में निगमों को च.रा.वि.आ. से प्राप्त अनुदानों का विवरण नीचे **तालिका 5.4** में दर्शाया गया है:

तालिका – 5.4: निगमों द्वारा च.रा.वि.आ. के अंतर्गत प्राप्त अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	कुल
1.	प्राप्त अनुदान	21.85	19.37	24.09	28.52	93.83
2.	वेतन/पेंशन के लिए अनुदान	4.65	6.70	10.93	13.70	35.98
3.	स्वयं के स्रोत से राजस्व	8.02	10.63	12.00	13.40	44.05
4.	स्थापना पर व्यय	19.94	27.30	25.64	31.60	104.48
5.	संसाधन में कमी (4–3)	11.92	16.67	13.64	18.20	60.43

(स्रोतः लेखापरीक्षित इकाइयों द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी एवं अनुदान संस्वीकृति पत्र)

जैसा कि **तालिका 5.4** से स्पष्ट है कि 2011–15 की अवधि के लिए संसाधन में कमी ₹ 60.43 करोड़ थी। इस प्रकार, वेतन और पेंशन के लिए अनुदान को स्वयं के स्रोतों से प्राप्त राजस्व में जोड़ देने के बावजूद निगम अपने स्थापना व्यय को पूरा करने में सक्षम नहीं थे।

5.1.7.3 नमूना जांचित नगर परिषद्ों का राजस्व

स्वयं के स्रोतों से प्राप्त राजस्व

वर्ष 2010–15 की अवधि में परिषद्ों की स्वयं के स्रोतों से प्राप्त राजस्व तथा स्थापना व्यय का विवरण नीचे **तालिका 5.5** में दिया गया है:

तालिका – 5.5: स्वयं के स्रोतों से राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	कुल
स्वयं के स्रोतों से राजस्व	6.06	7.62	6.77	9.48	9.46	39.39
स्थापना पर व्यय	10.53	10.08	19.05	16.92	25.13	81.71
संसाधन में कमी	4.47	2.46	12.28	7.44	15.67	42.32
स्थापना व्यय के प्रतिशत के रूप में स्वयं के स्रोतों से राजस्व	57.55	75.60	35.54	56.03	37.64	48.21

(स्रोतः लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी)

तालिका 5.5 से स्पष्ट है कि परिषद्ों की स्वयं के स्रोतों से राजस्व उनके स्थापना लागत को पूरा करने में सक्षम नहीं था तथा 2010–15 के दौरान यह उनके स्थापना व्यय के 36 से 76 प्रतिशत के बीच था।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि नमूना जांचित नौ परिषद्ों द्वारा स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की संग्रहित ₹ 5.32 करोड़ ***(परिशिष्ट – 5.4)*** की राशि में से 10 प्रतिशत संग्रह शुल्क रखकर शेष राशि को सरकारी खाते में जमा किया जाना था, परंतु ऐसा नहीं किया गया एवं इस राशि को स्वयं के स्रोतों से प्राप्त राजस्व माना गया। इसका परिणाम स्वयं के स्रोतों से राजस्व का उस सीमा तक अधिक दर्शाना हुआ।

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार अनुदान

वर्ष 2011–15 के दौरान परिषद्ों को चतुर्थ राज्य वित आयोग से प्राप्त अनुदान का विवरण नीचे **तालिका 5.6** में दिया गया है:

तालिका – 5.6: परिषद्ों द्वारा च.रा.वि.आ. के अंतर्गत प्राप्त अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	कुल
1.	प्राप्त अनुदान	27.85	24.66	30.19	36.96	119.66
2.	वेतन/पेंशन के लिए अनुदान	6.35	9.15	14.92	19.70	50.12
3.	स्वयं के स्रोतों से राजस्व	7.62	6.77	9.48	9.46	33.33
4.	स्थापना पर व्यय	10.08	19.05	16.92	25.13	71.18
5.	संसाधन में कमी (4–3)	2.46	12.28	7.44	15.67	37.85

(स्रोतः लेखापरीक्षित इकाइयों द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी एवं अनुदान संस्वीकृति पत्र)

जैसा कि **तालिका 5.6** से स्पष्ट है कि परिषदें अपने स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए च.रा.वि.आ. अनुदान पर निर्भर थीं क्योंकि 2011–15 के दौरान संसाधन में कमी ₹ 37.85 करोड़ थी जिसे च.रा.वि.आ. अनुदान के बिना पूरा नहीं किया जा सकता था।

5.1.7.4 नमूना जांचित नगर पंचायतों का राजस्व

स्वयं के स्रोतों से प्राप्त राजस्व

वर्ष 2010–15 के दौरान पंचायतों की स्वयं के स्रोतों से प्राप्त राजस्व तथा स्थापना व्यय को नीचे **तालिका 5.7** में दर्शाया गया है:

तालिका – 5.7: स्वयं के स्रोतों से राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	कुल
स्वयं के स्रोतों से राजस्व	2.17	2.83	2.99	3.24	3.97	15.20
स्थापना पर व्यय	3.66	4.38	6.26	6.40	8.35	29.05
संसाधन में कमी	1.49	1.55	3.27	3.16	4.38	13.85
स्थापना व्यय के प्रतिशत के रूप में स्वयं के स्रोतों से राजस्व	59.28	64.61	47.76	50.62	47.54	52.32

(स्रोत: लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी)

तालिका 5.7 से यह स्पष्ट है कि पंचायतों की स्वयं के स्रोतों से राजस्व उनके स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी तथा यह 2010–15 के दौरान उनके स्थापना व्यय के 48 से 65 प्रतिशत के बीच था।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि नमूना जांचित 14 पंचायतों द्वारा स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की संग्रहित ₹ 57.24 लाख ***(परिशिष्ट – 5.4)*** की राशि में से 10 प्रतिशत संग्रह शुल्क रखकर शेष राशि को सरकारी खाते में जमा किया जाना था, परंतु ऐसा नहीं किया गया एवं इस राशि को स्वयं के स्रोतों से राजस्व माना गया। इसका परिणाम स्वयं के स्रोतों से राजस्व का उस सीमा तक अधिक दर्शाना हुआ।

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार अनुदान

वर्ष 2011–15 के दौरान पंचायतों को च.रा.वि.आ. से प्राप्त अनुदानों का विवरण नीचे **तालिका 5.8** में दर्शाया गया है।

तालिका – 5.8: पंचायतों द्वारा च.रा.वि.आ. के अंतर्गत प्राप्त अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	कुल
1.	प्राप्त अनुदान	14.50	16.72	21.29	26.38	78.89
2.	वेतन/पेंशन के लिए अनुदान	3.98	5.98	10.24	13.77	33.97
3.	स्वयं के स्रोतों से राजस्व	2.83	2.99	3.24	3.97	13.03
4.	स्थापना पर व्यय	4.38	6.26	6.40	8.35	25.39
5.	संसाधन में कमी (4–3)	1.55	3.27	3.16	4.38	12.36

(स्रोत: लेखापरीक्षित इकाइयों द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी एवं अनुदान संस्वीकृति पत्र)

जैसा कि **तालिका 5.8** से स्पष्ट है पंचायत अपने स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए च.रा.वि.आ. निधि पर निर्भर थे क्योंकि 2011–15 के दौरान संसाधन में कमी ₹ 12.36 करोड़ था जिसे च.रा.वि.आ. निधि के बिना पूरा नहीं किया जा सकता था।

विशेष सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने बहिर्गमन सम्मेलन में जवाब दिया कि श.स्था.नि. के राजस्व में सुधार के लिए कदम उठाए जाएंगे तथा श.स्था.नि. को स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर को सरकारी खाते में जमा करने के लिए समुचित निर्देश जारी किए जाएंगे।

5.1.7.5 बजट

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 84 यह प्राविहित करती है कि नगरपालिका प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट अंगीकार करेगी तथा अंगीकृत बजट प्राक्कलनों को राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। प्राप्त बजट प्राक्कलन राज्य सरकार द्वारा उपबंधों में संशोधन के साथ या बिना संशोधन के 31 मार्च के पूर्व नगरपालिका को लौटा दी जायेगी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार बजट एवं वास्तविक के आंकड़ों में 10 प्रतिशत से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।

आगे, इसी अधिनियम की धारा 75 प्राविहित करती है कि नगरपालिका निधि से कोई भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा व्यय बजट प्रावधान से आच्छादित न हो। लेखापरीक्षा संवीक्षा में निम्नांकित कमियाँ उद्भेदित हुईं:

नगर निगम

अवास्तविक बजट प्राक्कलन

नमूना जाँचित निगमों के बजटीय एवं वास्तविक व्यय के आंकड़ों की तुलना से यह पाया गया कि 2010–15 के दौरान, ₹ 30.88 करोड़ (510 प्रतिशत) तक का आधिक्य एवं ₹ 173.42 करोड़ (92 प्रतिशत) तक का बचत था ***(परिशिष्ट–5.5)***।

बजट के अंगीकरण एवं प्रस्तुतीकरण में विलंब

वर्ष 2010–15 के दौरान निगमों द्वारा बजट के अंगीकरण में तीन माह (दरभंगा) तक का विलंब एवं राज्य सरकार को प्रस्तुत करने में चार माह (दरभंगा) से अधिक का विलंब पाया गया ***(परिशिष्ट–5.6)***।

निगमों के नगर आयुक्तों ने जवाब दिया कि भविष्य में बजट को वास्तविक आधार पर तैयार किया जायेगा तथा इसके अंगीकरण एवं प्रस्तुतीकरण में समय सीमा का पालन किया जायेगा।

राज्य सरकार द्वारा संशोधन नहीं

वर्ष 2010–15 के दौरान किसी भी नमूना जांचित निगमों का बजट, राज्य सरकार द्वारा संशोधन या बिना संशोधन के लौटाया नहीं गया था।

नगर परिषद्

बजट तैयार नहीं किया जाना

बगहा परिषद् में एक वर्ष (2014–15) के लिए एवं मधेपुरा परिषद् में चार वर्षों (2010–14) के लिए बजट तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार, उपरोक्त परिषदों द्वारा किया गया ₹ 37.55 करोड़ का व्यय अप्राधिकृत था।

अवास्तविक बजट प्राक्कलन

नमूना जांचित परिषदों के बजटीय एवं वास्तविक व्यय के आंकड़ों की तुलना से यह पाया गया कि 2010–15 के दौरान, ₹ 5.32 करोड़ (51 प्रतिशत) तक का आधिक्य एवं ₹ 273.06 करोड़ (98 प्रतिशत) तक का बचत था ***(परिशिष्ट–5.7)***।

बजट के अंगीकरण एवं प्रस्तुतीकरण में विलंब

वर्ष 2010–15 के दौरान परिषदों द्वारा बजट के अंगीकरण में एक वर्ष (जमुई) तक का विलंब एवं राज्य सरकार को प्रस्तुत करने में 16 माह (जमुई) से अधिक तक का विलंब पाया गया ***(परिशिष्ट–5.8)***।

परिषदों के नगर कार्यपालक पदाधिकारियों ने जवाब दिया कि भविष्य में बजट को वास्तविक आधार पर तैयार किया जायेगा तथा इसके अंगीकरण एवं प्रस्तुतीकरण में समय सीमा का पालन किया जायेगा।

राज्य सरकार द्वारा संशोधन नहीं

वर्ष 2010–15 के दौरान किसी भी नमूना जांचित परिषद्ों का बजट, राज्य सरकार द्वारा संशोधन या बिना संशोधन के लौटाया नहीं गया था।

नगर पंचायत

बजट तैयार नहीं किया जाना

सात पंचायतों में वर्ष 2010–15 के दौरान तीन से पाँच वर्षों के लिए बजट तैयार नहीं किया गया ***(परिशिष्ट–5.9)*** था और इसलिए, पंचायतों द्वारा उपरोक्त अवधि में किया गया ₹ 38.63 करोड़ का व्यय अप्राधिकृत था।

अवास्तविक बजट प्राक्कलन

नमूना जांचित पंचायतों के बजटीय एवं वास्तविक व्यय के आंकड़ों की तुलना से यह पाया गया कि 2010–15 की अवधि में, ₹ 14.80 करोड़ (695 प्रतिशत) तक का आधिक्य एवं ₹ 70.44 करोड़ (96 प्रतिशत) तक का बचत था ***(परिशिष्ट–5.10)***।

बजट के अंगीकरण एवं प्रस्तुतीकरण में विलंब

यह पाया गया कि 2010–15 के दौरान पंचायतों द्वारा बजट के अंगीकरण में एक वर्ष (कोईलवर) तक का विलंब एवं राज्य सरकार को प्रस्तुत करने में छः माह (लालगंज) से अधिक तक का विलंब था ***(परिशिष्ट–5.11)***।

पंचायतों के नगर कार्यपालक पदाधिकारियों ने जवाब दिया कि भविष्य में बजट को वास्तविक आधार पर तैयार किया जायेगा तथा इसके अंगीकरण एवं प्रस्तुतीकरण में समय सीमा का पालन किया जायेगा।

राज्य सरकार द्वारा संशोधन नहीं

वर्ष 2010–15 के दौरान किसी भी नमूना जांचित पंचायतों का बजट, राज्य सरकार द्वारा संशोधन या बिना संशोधन के लौटाया नहीं गया था।

विशेष सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने बहिर्गमन सम्मेलन में जवाब दिया कि कार्रवाई की जाएगी तथा श.स्था.नि. को वास्तविक बजट तैयार करने के लिए दिशा–निर्देश जारी किया जाएगा।

अनुशंसाः श.स्था.नि. द्वारा वास्तविक बजट प्राक्कलन तैयार किया जाना चाहिए एवं राज्य सरकार को बजट प्रस्तावों के बारे में टिप्पणियों को श.स्था.नि. को भेजना चाहिए।

5.1.8 आयोजना

5.1.8.1 नगर निगम

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 275 के अनुसार श.स्था.नि. द्वारा कार्यान्वित की जानेवाली सभी योजनाएँ जिला योजना समिति (जि.यो.स.) द्वारा तैयार एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित जिले के प्रारूप विकास योजना (प्रा.वि.यो.) में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह पाया गया कि नमूना जांचित तीन निगमों में से दो निगमों ने स्वयं के स्रोतों से ₹ 2.78 करोड़ (बिहारशरीफ में ₹ 1.13 करोड़ के 59 कार्य एवं

दरभंगा में ₹ 1.65 करोड़ के 101 कार्य) के व्यय से 160 कार्यों का कार्यान्वयन बिना जि.यो.स. द्वारा तैयार एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित जिले के प्रा.वि.यो. में सम्मिलित किए किया गया था।

निगमों के नगर आयुक्तों ने बताया कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (पि.क्षे.अ.नि.) के अलावा अन्य योजनाओं को जि.यो.स. के अनुमोदन के लिए नहीं भेजा गया था। तथापि, भविष्य में इसका पालन किया जाएगा।

5.1.8.2 नगर परिषद्

पूर्व ***कंडिका 5.1.8.1*** में संदर्भित प्रावधानों के विपरीत, सात परिषदों में स्वयं के स्रोतों से ₹ 12.64 करोड़ के व्यय से 446 विकास कार्यों का कार्यान्वयन बिना जि.यो.स. द्वारा तैयार एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित जिले के प्रा.वि.यो. में सम्मिलित किए किया गया था ***(परिशिष्ट – 5.12)***।

परिषदों के नगर कार्यपालक पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि पि.क्षे.अ.नि. के अलावा अन्य योजनाओं को जि.यो.स. के अनुमोदन के लिए नहीं भेजा गया था। तथापि, भविष्य में इसका पालन किया जाएगा।

5.1.8.3 नगर पंचायत

पूर्व ***कंडिका 5.1.8.1*** में संदर्भित प्रावधानों के विपरीत, आठ पंचायतों में स्वयं के स्रोतों से ₹ 1.87 करोड़ के व्यय से 147 कार्यों का कार्यान्वयन, जि.यो.स. द्वारा तैयार एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित जिले के प्रा.वि.यो. में सम्मिलित किए बिना किया गया था ***(परिशिष्ट – 5.13)***।

विशेष सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने बहिर्गमन सम्मेलन में जवाब दिया कि इस संबंध में श.स्था.नि. को उपयुक्त दिशा–निर्देश जारी किए जाएंगे।

5.1.9 स्वयं के राजस्व का अध्यारोपण

5.1.9.1 नगर निगम

कर, उपभोक्ता शुल्क एवं शुल्क/जुर्माना

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 127 से 129 के अंतर्गत श.स्था.नि. द्वारा 12 प्रकार के करों, अधिभार, टॉल इत्यादि, पाँच प्रकार के उपभोक्ता शुल्कों एवं चार प्रकार के शुल्क/जुर्माने अध्यारोपण योग्य थे ***(परिशिष्ट – 5.2)***।

बारह प्रकार के करों में से संपत्ति कर, जल कर एवं मोबाईल टावर कर सभी तीन नमूना जांचित निगमों द्वारा अध्यारोपित किए गए थे वहीं भूमि के हस्तांतरण पर अधिभार एवं विज्ञापन पर कर केवल दरभंगा एवं मुंगेर निगमों द्वारा अध्यारोपित किया गया था। टॉल केवल मुंगेर निगम द्वारा अध्यारोपित किया गया था जबकि पार्किंग स्थल की कमी पर कर, अग्नि कर, मनोरंजन कर पर अधिभार, सभाकर, तीर्थत्रियों कर एवं पर्यटकों पर कर का अध्यारोपण किसी भी नमूना जांचित निगम द्वारा नहीं किया गया ***(परिशिष्ट – 5.14)*** था।

आगे, बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 में प्रत्येक पाँच वर्ष में एक बार दरों के पुनरीक्षण का प्रावधान होने के बावजूद बिहारशरीफ निगम में 15 वर्षों एवं मुंगेर में पांच वर्षों के विलंब से संपत्ति कर का पुनरीक्षण किया गया वहीं दरभंगा निगम में वर्ष 2002–03 से बकाए रहने के बावजूद पुनरीक्षण नहीं किया गया (अप्रैल 2015)।

पाँच प्रकार के उपभोक्ता शुल्कों में से किसी भी शुल्क का अध्यारोपण किसी भी नमूना जांचित निगमों में नहीं किया गया था।

बिहारशरीफ एवं दरभंगा निगमों में चार प्रकार के शुल्कों/जुर्मानों में से भूमि एवं भवनों के विभिन्न गैर आवासीय उपयोग हेतु जारी किए जानेवाले नगरपालिका अनुज्ञप्तियों पर शुल्कों का अध्यारोपण नहीं किया गया था ***(परिशिष्ट – 5.14)***।

दरभंगा एवं मुंगेर निगमों के नगर आयुक्तों ने बताया कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात् करों, उपभोक्ता शुल्कों एवं शुल्कों/जुर्मानों को अध्यारोपित किया जाएगा।

बिहारशरीफ एवं मुंगेर निगमों में जलापूर्ति एवं घर–घर से ठोस अपशिष्टों के उठाव के लिए उपभोक्ता शुल्क अध्यारोपित नहीं किए जाने के कारण, निगमों को इन दो मदों में अगस्त 2013 से मार्च 2015 के दौरान क्रमशः ₹ 5.46 करोड़ (बिहारशरीफ – ₹ 4.02 करोड़ एवं मुंगेर – ₹ 1.44 करोड़ में) एवं ₹ 9.15 करोड़ (बिहारशरीफ – ₹ 7.20 करोड़ एवं मुंगेर – ₹ 1.95 करोड़) के राजस्व से वंचित रहना पड़ा।

बिहारशरीफ के नगर आयुक्त ने बताया कि घर–घर से ठोस अपशिष्ट संग्रहण के लिए शुल्क की वसूली पर बोर्ड द्वारा रोक लगा दिया गया था तथा वर्तमान में यह सेवा निःशुल्क प्रदान किया जा रहा था एवं जलापूर्ति के अंतर्गत शुल्क का अध्यारोपण विचाराधीन था। मुंगेर निगम के नगर आयुक्त ने बताया कि जलापूर्ति एवं घर–घर से ठोस अपशिष्ट संग्रहण के लिए शुल्क अध्यारोपित करने का प्रयास किया जाएगा।

परिसंपत्तियों से राजस्व

मुंगेर निगम में निगम के खाली जमीन पर बाजारों एवं स्टॉलों के निर्माण के लिए बोर्ड के संकल्प (2007 एवं 2013) के बावजूद तत्कालीन नगर कार्यपालक पदाधिकारी की निष्क्रियता के कारण निगम बाजार/स्टॉल के निर्माण में विफल रहा। निगम के वर्तमान नगर आयुक्त ने बताया कि इस मामले को बोर्ड के समक्ष पुनः रखा जाएगा एंव तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।

दरभंगा निगम में, आवंटन के लिए नोटिस तैयार करने में गलती एवं बिना कारण दर्ज किए महापौर द्वारा आवंटन को रद्द किए जाने के कारण 28 दुकानों का आवंटन अप्रैल 2015 में किया गया यानी इसके निर्माण (अप्रैल 2008) के सात वर्ष पश्चात्। दुकानों के आवंटन में विलंब के कारण अप्रैल 2008 से मार्च 2015 की अवधि में ₹ 12.74 लाख के किराए की हानि हुई। निगम के नगर आयुक्त ने बताया कि दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया को बोर्ड/महापौर द्वारा स्थगित कर दिया गया था।

पट्टेदार के आग्रह किए जाने के बावजूद निगम, फरवरी 2006 में पेट्रोल पंप के लिए नियत जमीन के पट्टे के नवीनीकरण में विफल रहा। इसके फलस्वरूप निगम को फरवरी 2006 से मार्च 2015 की अवधि में ₹ 1.71 लाख की हानि हुई। निगम के नगर आयुक्त ने बताया कि पट्टेवाली भूमि को खाली करने के लिए प्रथम नोटिस फरवरी 2015 में दिया गया था।

दरभंगा निगम में दुकानों को किराए पर लगाने के लिए किए गए एकरारनामा में किराया पुनरीक्षण के लिए विशेष प्रावधान नहीं था जिसके कारण किराया पुनरीक्षण में 15 वर्षों से अधिक का विलंब हुआ। दरभंगा निगम के नगर आयुक्त ने बताया कि किराया पुनरीक्षण में विलंब का कारण बोर्ड के द्वारा निर्णय लिए जाने में विफलता था। जवाब तर्कसंगत नहीं था क्योंकि एकरारनामा में किराए के पुनरीक्षण का कोई प्रावधान नहीं था।

बिहारशरीफ निगम में विगत 17 वर्षों से किराया पुनरीक्षित नहीं हुआ था। किराए के पुनरीक्षण में विलंब के कारण निगम को राजस्व की हानि हुई। नगर प्रबंधक बिहारशरीफ ने जवाब दिया कि दुकान बहुत पुराने तथा जर्जर अवस्था में थे, जिसके

कारण किराए का पुनरीक्षण नहीं किया गया था। नगर प्रबंधक का जवाब तर्कसंगत नहीं था क्योंकि ऐसा कोई छूट किसी सक्षम पदाधिकारी द्वारा नहीं दिया गया था।

5.1.9.2 नगर परिषद्

कर, उपभोक्ता शुल्क एवं शुल्क/जुर्माना

पूर्व ***कंडिका 5.1.8.2*** में संदर्भित प्रावधानों के विपरीत;

बारह प्रकार के करों में से मोबाईल टावर कर का नमूना जांचित सभी 11 परिषदों द्वारा, संपत्ति कर का नमूना जांचित 10 परिषद्ों (अरवल को छोड़कर) द्वारा, जल कर का केवल छः परिषद्ों द्वारा, भूमि के हस्तांतरण पर अधिभार का केवल चार परिषद्ों द्वारा एवं विज्ञापन पर कर का अध्यारोपण केवल तीन परिषद्ों द्वारा किया गया था। अग्निकर (किशनगंज), विद्युत उपभोग पर अधिभार (किशनगंज) एवं भारी वाहन पर टॉल (जमालपुर) इत्यादि केवल एक ही परिषद् द्वारा अध्यारोपित किया गया था जबकि, पार्किंग स्थल में कमी पर कर, मनोरंजन कर पर अधिभार, सभाकर तथा तीर्थत्रियों कर एवं पर्यटकों पर कर किसी भी नमूना जाँचित परिषद्ों द्वारा अध्यारोपित नहीं किए गए थे ***(परिशिष्ट – 5.15)***।

प्रावधानों के विपरीत दो परिषदों में संपत्ति कर का पुनरीक्षण 5 से 28 वर्षों के विलंब से किया गया एवं आठ परिषद्ों में पुनरीक्षण 2 से 16 वर्षों के बीत जाने के बाद भी नहीं किया गया था ***(परिशिष्ट – 5.16)***।

पाँच प्रकार के उपभोक्ता शुल्कों में से किसी भी शुल्क को किसी भी नमूना जांचित परिषद्ों में अध्यारोपित नहीं किया गया था।

चार प्रकार के शुल्कों/जुर्मानों में से जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए शुल्क सभी 11 नमूना जाँचित परिषद्ों द्वारा, भवन योजना की मंजूरी के लिए शुल्क 10 परिषद्ों (बाढ़ को छोड़कर) द्वारा, विभिन्न प्रकार के अनुज्ञा शुल्क केवल सात परिषद्ों द्वारा तथा भूमि एवं भवनों के गैर आवासीय उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार के नगरपालिका अनुज्ञप्ति निर्गत करने पर शुल्क केवल दो परिषद्ों (मधेपुरा एवं सुपौल) द्वारा अध्यारोपित किए गए थे ***(परिशिष्ट – 5.15)***।

परिषदों के नगर कार्यपालक पदाधिकारियों ने बताया कि करों, उपभोक्ता शुल्कों एवं शुल्क/जुर्माना को अध्यारोपित किया जाएगा।

सात परिषद्ों में घर–घर से ठोस अपशिष्टों के उठाव के लिए उपभोक्ता शुल्क अध्यारोपित नहीं किए जाने के कारण ₹ 5.38 करोड़ (बगहा – ₹ 0.84 करोड़, जमालपुर – ₹ 1.37 करोड़, जमुई – ₹ 0.63 करोड़, किशनगंज – ₹ 0.95 करोड़, मधेपुरा – ₹ 0.50 करोड़, मोकामा – ₹ 0.69 करोड़ एवं सुपौल – ₹ 0.40 करोड़) की वसूली नहीं की जा सकी तथा मोकामा परिषद् में जलापूर्ति के लिए उपभोक्ता शुल्क अध्यारोपित नहीं किए जाने के कारण अगस्त 2013 से मार्च 2015 के दौरान ₹ 1.44 करोड़ संग्रहित नहीं की जा सकी।

परिसंपत्तियों से राजस्व

जमुई परिषद् में जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा निर्मित एवं परिषद् को हस्तांतरित (सितंबर 2013) 15 दुकानों को बोर्ड द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किए जाने के बावजूद किराए पर नहीं लगाये जाने के कारण वर्ष 2013–15 के दौरान परिषद् को ₹ 1.43 लाख की हानि हुई।

तीन परिषदों में बोर्ड के संकल्प/एकरारनामा के बावजूद दुकान किराया का पुनरीक्षण नहीं किए जाने के कारण ₹ 2.70 लाख (जमुई – ₹ 0.77 लाख, किशनगंज – ₹ 0.35 लाख एवं सुपौल – ₹ 1.58 लाख) की हानि हुई। मधेपुरा एवं सासाराम परिषद्ों में

दुकान किराया दर क्रमशः विगत तेरह से बीस एवं नौ वर्षों से पुनरीक्षित नहीं किया गया था।

5.1.9.3 नगर पंचायत

कर, उपभोक्ता शुल्क एवं शुल्क/जुर्माना

पूर्व ***कंडिका 5.1.8.2*** में संदर्भित प्रावधानों के विपरीत;

बारह प्रकार के करों में से मोबाईल टावर कर का नमूना जांचित सभी 21 पंचायतों (कटेया को छोड़कर) द्वारा, संपत्ति कर का 17 पंचायतों द्वारा, जलकर का चार पंचायतों द्वारा, भूमि के हस्तांतरण पर अधिभार का चार पंचायतों द्वारा, भारी वाहन पर टॉल इत्यादि का तीन पंचायतों द्वारा अध्यारोपण किया गया था जबकि विद्युत उपभोग पर अधिभार (नासरीगंज) एवं विज्ञापन कर (शेरघाटी) को केवल एक ही पंचायत द्वारा अध्यारोपित किया गया था। यद्यपि, पार्किंग स्थल के अभाव पर कर, अग्नि कर, मनोरंजन कर पर अधिभार, सभाकर तथा तीर्थत्रियों कर एवं पर्यटकों पर कर का अध्यारोपण किसी भी नमूना जांचित पंचायतों द्वारा नहीं किया गया ***(परिशिष्ट – 5.17)***।

पूर्व ***कंडिका 5.1.8.2*** में वर्णित प्रवाधानों के विपरीत, 13 पंचायतों में 1 से 35 वर्ष बीत जाने के बाद भी संपत्ति कर का पुनरीक्षण नहीं किया गया तथा शेरघाटी पंचायत में संपत्ति कर का पुनरीक्षण 31 वर्ष के विलंब से किया गया ***(परिशिष्ट – 5.18)***।

पाँच प्रकार के उपभोक्ता शुल्कों में से किसी भी शुल्क का अध्यारोपण किसी भी नमूना जांचित पंचायतों द्वारा नहीं किया गया था।

चार प्रकार के शुल्कों/जुर्मानों में से जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु शुल्क नमूना जांचित 21 पंचायतों (अरेराज को छोड़कर) द्वारा, भवन योजना की मंजूरी के लिए शुल्क 16 पंचायतों द्वारा, विभिन्न प्रकार की अनुज्ञप्ति के लिए शुल्क केवल पाँच पंचायतों द्वारा तथा भूमि के विभिन्न गैर–आवासीय उपयोग के लिए शुल्क केवल दो पंचायतों (नौबतपुर एवं शेरघाटी) द्वारा अध्यारोपित किया गया था ***(परिशिष्ट – 5.17)***।

पंचायतों के नगर कार्यपालक पदाधिकारियों ने बताया कि करों, उपभोक्ता शुल्कों एवं शुल्कों/जुर्मानों को अध्यारोपित किया जाएगा।

चौदह पंचायतों में घर–घर से ठोस अपशिष्ट उठाव के लिए उपभोक्ता शुल्क अध्यारोपित नहीं किए जाने के कारण ₹ 3.93 करोड़ तथा बांका एवं लालगंज पंचायतों में अगस्त 2013 से मार्च 2015 के दौरान जलापूर्ति के लिए उपभोक्ता शुल्क अध्यारोपित नहीं किए जाने के कारण क्रमशः ₹ 0.50 लाख एवं ₹ 1.16 लाख की वसूली नहीं किया जा सकी ***(परिशिष्ट – 5.19)***।

परिसंपत्तियों से राजस्व

बिक्रमगंज में 16 वर्षों से तथा चनपटिया एवं मोतीपुर में 7 वर्षों से दुकान किराया दर का पुनरीक्षण नहीं किया गया था।

विशेष सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने बहिर्गमन सम्मेलन में जवाब दिया कि नगरपालिका बोर्ड द्वारा सहयोग की कमी एवं स्थानीय मुद्दे जैसे जन प्रतिरोध आदि के कारण सभी प्रकार के करों, उपभोक्ता शुल्कों, शुल्कों एवं जुर्मानों का अध्यारोपण/वसूली तथा करों की दरों का पुनरीक्षण नहीं किया जा सका।

अनुशंसाः श.स्था.नि. को बि.न.अ., 2007 के अनुसार करों एवं उपभोक्ता शुल्कों के अध्यारोपण के लिए प्रभावी कदम उठाना चाहिए एवं नियमित अंतराल पर दरों का पुनरीक्षण करना चाहिए।

5.1.10 स्वयं के स्रोतों की वसूली

5.1.10.1 नगर निगम

संपत्ति कर

वर्ष 2010–15 के दौरान तीनों निगमों में संपत्ति कर के अंतर्गत ₹ 50.56 करोड़ की कुल मांग के विरूद्ध केवल ₹ 36.73 करोड़ की ही वसूली की गई तथा शेष ₹ 13.83 करोड़ की वसूली नहीं हो सकी (मार्च 2015)। वर्ष 2010–15 में बिहारशरीफ, दरभंगा तथा मुंगेर निगम में संपत्ति कर की वसूली कुल मांग के क्रमशः 67, 64 एवं 88 प्रतिशत थी ***(परिशिष्ट–5.20)***। निगमों के नगर आयुक्तों ने वसूली में कमी का करण कर्मियों की कमी बताया।

मोबाईल टावर कर

वर्ष 2010–15 की अवधि में तीनों निगमों में मोबाईल टावर कर के अंतर्गत ₹ 2.97 करोड़ की कुल मांग के विरूद्ध केवल ₹ 0.80 करोड़ की वसूली हुई तथा ₹ 2.17 करोड़ की वसूली 31 मार्च 2015 तक नहीं हो सकी। बिहारशरीफ, दरभंगा तथा मुंगेर निगम में मोबाईल टावर कर की वसूली कुल मांग के क्रमशः 26, 13 एवं 43 प्रतिशत थी ***(परिशिष्ट–5.20)***।

दुकान किराया

वर्ष 2010–15 की अवधि में तीनों निगमों में दुकान किराया के अंतर्गत कुल ₹ 2.83 करोड़ की मांग के विरूद्ध केवल ₹ 0.95 करोड़ की वसूली की गई तथा शेष ₹ 1.88 करोड़ की वसूली 31 मार्च 2015 तक नहीं की जा सकी। बिहारशरीफ, दरभंगा तथा मुंगेर में दुकान किराया की वसूली कुल मांग के क्रमशः 39, 38 एवं 21 प्रतिशत थी ***(परिशिष्ट–5.20)***।

करों की वसूली के लिए प्रक्रिया

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 155, करों की वसूली की प्रक्रिया जिसमें विपत्र का प्रस्तुतीकरण, मांग नोटिस का तामिला, संपत्ति की कुर्की व विक्रय, वारंट जारी करना इत्यादि शामिल हैं, प्राविहित करता है। परंतु, वर्ष 2010–15 की अवधि में किसी भी निगम द्वारा ₹ 16 करोड़ की राशि के वसूल नहीं किये गए करों के लिए मांग एवं वसूली से संबंधित इस प्रावधान का पालन नहीं किया गया।

वसूली राशि का नहीं/विलंब से जमा होना

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 सह–पठित बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए वर्ष 2010–15 के दौरान संपत्ति कर तथा दुकान किराया के मद में संग्रहित ₹ 5.87 लाख राशि को बिहारशरीफ निगम में (₹ 0.29 लाख) एवं मुंगेर निगम में (₹ 5.58 लाख) अगले दिन बैंक/कोषागार में अप्रैल 2015 तक जमा नहीं किया गया था। मुंगेर निगम के नगर आयुक्त ने बताया कि संबंधित कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया था। यद्यपि, राशि की वसूली नहीं की जा सकी थी।

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 की धारा 20 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार, नगर आयुक्त भी संग्रहित राशि के ससमय जमा को सुनिश्चित करने में विफल रहे। तीनों निगमों में संपत्ति कर के मद में संग्रहित ₹ 99.89 लाख राशि को बिहारशरीफ (₹ 81.96 लाख) में दो महीने से अधिक के विलंब से, दरभंगा (₹ 12.94 लाख) में 19 महीने से अधिक के विलंब से एवं मुंगेर (₹ 4.99 लाख) में सात

महीने से अधिक के बिलंब से जमा किया गया। निगमों के नगर आयुक्तों ने कहा कि भविष्य में राशि समय पर जमा की जाएगी।

बंदोबस्त सैरातों में बकाया नीलामी राशि

बिहार सरकार के निर्देशानुसार, जहाँ सैरातों की नीलामी राशि वसूल नहीं की गई हो वहां नीलामपत्र वाद दर्ज किया जाना चाहिए। आगे, निगम के सैरात बंदोबस्ती की नियमों एवं शर्त्तों के अनुसार, बंदोबस्ती की राशि को नीलामी के समय/एक वर्ष के अंदर जिस वर्ष के लिए नीलामी की गई हो, वसूल किया जाना चाहिए।

तथापि यह पाया गया कि 2010–15 की अवधि के लिए 18 सैरातों में ₹ 52.45 लाख की नीलामी राशि (बिहारशरीफ – 11 सैरातों में ₹ 12.86 लाख, दरभंगा – चार सैरातों में ₹ 36.33 लाख एवं मुंगेर – तीन सैरातों में ₹ 3.26 लाख) 31 मार्च 2015 तक वसूली हेतु लंबित थी।

बिहारशरीफ एवं दरभंगा के नगर आयुक्तों ने बताया कि बकायदारों के विरूद्ध नीलामपत्र वाद दर्ज किया जाएगा जबकि मुंगेर के नगर आयुक्त ने जवाब दिया कि राशि की वसूली के लिए कार्रवाई की जाएगी।

सैरातों की बंदोबस्ती नहीं

बिहार सरकार के निर्देशानुसार सैरातों को बिना बंदोबस्ती के नहीं छोड़ा जाना चाहिए। परंतु यह पाया गया कि बिहारशरीफ निगम में नौ सैरातों की न तो निविदा के द्वारा बंदोबस्ती की गई और न ही विभागीय वसूली की गई जिसके कारण ₹ 3.79 लाख की हानि हुई।

विकास अनुज्ञा शुल्क की वसूली नहीं

भवन उपविधि (1993 में संशोधित) के अनुसार, पटना नगर निगम (पूर्व में पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण) को किसी व्यक्ति द्वारा शहरी समूह क्षेत्र के किसी भूखंड के विकास या पुर्नःविकास करने के मामले में निर्धारित शुल्क के पैमाने पर विकास अनुज्ञा शुल्क अध्यारोपित करना था। इस शुल्क को भूमि के विकास के लिए आवेदन समर्पित करते समय ही व्यक्तिगत रूप से भुगतान किया जाना था। तत्पश्चात्, बिहार सरकार द्वारा भवन उपविधि, 2014 तैयार किया गया, जो बिहार के सभी नगरपालिकाओं में 29 जनवरी 2015 से लागू था।

उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत, 2014–15 के दौरान आरा नगर निगम ने भवन निर्माण स्वीकृति के 133 मामलों में विकास अनुज्ञा शुल्क वसूल नहीं किया। परिणामतः निगम को ₹ 13.30 लाख के राजस्व की हानि हुई। नगर आयुक्त ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और जवाब दिया (मई 2015) कि भविष्य में विकास अनुज्ञा शुल्क वसूल किया जाएगा।

श्रमिक कल्याण उपकर की वसूली नहीं

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 तथा बिहार सरकार द्वारा निर्गत (जून 2008) निर्देशों के अनुसार नगर निकायों द्वारा वैसे आवासीय भवनों जिनका निर्माण लागत ₹ 10 लाख से अधिक है, निर्माण लागत का एक प्रतिशत श्रमिक कल्याण उपकर के रूप में भवन योजनाओं को मंजूरी देने के पूर्व ही वसूल किया जाएगा तथा संग्रह शुल्क के रूप में एक प्रतिशत की कटौती कर शेष राशि को अन्य सन्निर्माण श्रम कल्याण बोर्ड के खाते में जमा किया जाएगा।

उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत, आरा निगम द्वारा 2014–15 के दौरान स्वीकृत 530 भवन योजनाओं से संबंधित ₹ 1.18 करोड़ के श्रमिक उपकर की वसूली नहीं की गई

थी तथा निगम को संग्रह शुल्क के रूप में ₹ 1.18 लाख की हानि हुई। नगर आयुक्त ने जवाब दिया (मई 2015) कि भविष्य में श्रमिक उपकर की वसूली की जाएगी।

5.1.10.2 नगर परिषद्

संपत्ति कर

नौ परिषद्ों में संपत्ति कर के अंतर्गत कुल ₹ 27.40 करोड़ की मांग के विरूद्ध केवल ₹ 14.90 करोड़ ही वसूल किया गया था एवं शेष ₹ 12.50 करोड़ 31 मार्च 2015 तक वसूल नहीं किया जा सका था। वर्ष 2010–15 के दौरान संपत्ति कर का संग्रह चार से अड़सठ प्रतिशत के बीच रहा ***(परिशिष्ट–5.21)***।

मोबाईल टावर कर

मोबाईल टावर कर के अंतर्गत ₹ 3.03 करोड़ की कुल मांग के विरूद्ध केवल ₹ 0.85 करोड़ की ही वसूली की गई थी एवं ₹ 2.18 करोड़ की राशि 31 मार्च 2015 तक वसूल नहीं की जा सकी थी। मोबाईल टावर कर का संग्रह कुल मांग के 18 से 66 प्रतिशत के बीच रहा ***(परिशिष्ट–5.22)***।

दुकान किराया

दुकान किराया के अंतर्गत ₹ 2.21 करोड़ की मांग के विरूद्ध केवल ₹ 0.65 करोड़ की ही वसूली की गई थी एवं ₹ 1.56 करोड़ की राशि 31 मार्च 2015 तक वसूली नहीं जा सकी थी। दुकान किराया का संग्रह कुल मांग के एक से चौंसठ प्रतिशत के बीच रहा ***(परिशिष्ट–5.23)***।

करों की वसूली के लिए प्रक्रिया

पूर्व ***कंडिका 5.1.10.1*** में वर्णित प्रावधानों के विपरीत, किसी भी परिषद् ने करों की बड़ी राशि (₹ 14.68 करोड़) बकाया रहने के बावजूद करों के वसूलने की अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया।

संग्रहित राशि का नहीं/देरी से जमा होना

पूर्व ***कंडिका 5.1.10.1*** में वर्णित प्रावधानों के विपरीत, वर्ष 2010–15 के दौरान पाँच परिषद्ों में संपत्ति कर, दुकान किराया, नीलामी राशि इत्यादि मद में ₹ 54.69 लाख की संग्रहित राशि (अरवल – ₹ 48.41 लाख, जमुई – ₹ 0.16 लाख, किशनगंज – ₹ 0.10 लाख, मधेपुरा – ₹ 5.33 लाख एवं सुपौल – ₹ 0.69 लाख) को नगरपालिका निधि में अप्रैल 2015 तक जमा नहीं किया गया था तथा रोकड़पालों/कर संग्राहकों के द्वारा अपने पास रखा गया था। परिषद्ों के नगर कार्यपालक पदाधिकारियों ने बताया कि राशि को नगरपालिका निधि में जमा कर दिया जाएगा।

पाँच परिषद्ों में संपत्ति कर इत्यादि के मद में वसूल किए गए राशि (₹ 1.13 करोड़) को 23 महीने तक के विलंब से जमा किया गया ***(परिशिष्ट–5.24)***। परिषद्ों के नगर कार्यपालक पदाधिकारियों द्वारा जवाब दिया गया कि वसूली की गई राशि को भविष्य में ससमय जमा किया जाएगा।

मधेपुरा परिषद् में 2010–15 के दौरान भवन योजना (112 मामले) की मंजूरी के लिए संग्रहित ₹ 2.82 लाख के बैंक ड्राफ्ट को अप्रैल 2015 तक परिषद् द्वारा बैंक में जमा नहीं किया गया था, जिसके कारण राजस्व की हानि हुई।

बंदोबस्त सैरातों में बकाया नीलामी राशि

पूर्व ***कंडिका 5.1.10.1*** में संदर्भित प्रावधानों के विपरीत, 2010–15 की अवधि के लिए पाँच परिषद्ों में 19 सैरातों की बंदोबस्ती की ₹ 9.19 लाख राशि की वसूली 31 मार्च 2015 तक नहीं की गई थी ***(परिशिष्ट–5.25)***।

सैरात की बंदोबस्ती नहीं

पूर्व ***कंडिका 5.1.10.1*** में संदर्भित प्रावधानों के विपरीत, 22 सैरातों (अरवल में एक एवं बगहा में 21) में न तो विभागीय वसूली की गई और न ही निविदा के द्वारा बंदोबस्ती की गई जिसके कारण दो परिषद्ों में ₹ 10.65 लाख (अरवल में ₹ 0.13 लाख एवं बगहा में ₹ 10.52 लाख) की हानि हुई।

विकास अनुज्ञा शुल्क की वसूली नहीं

पूर्व ***कंडिका 5.1.10.1*** में संदर्भित प्रावधानों के विपरीत, वर्ष 2012–15 के दौरान दानापुर, खगौल एवं फुलवारीशरीफ परिषद्ों ने 1007 मामलों में (दानापुर – 766, खगौल – 85 एवं फुलवारीशरीफ – 156) भवन योजनाओं की स्वीकृति के समय विकास अनुज्ञा शुल्क की वसूली नहीं की, जिसके फलस्वरूप इन परिषद्ों को ₹ 15.11 लाख (दानापुर –₹ 11.49 लाख, खगौल – ₹ 1.28 लाख एवं फुलवारीशरीफ – ₹ 2.34 लाख) के राजस्व की हानि हुई। नगर कार्यपालक पदाधिकारियों ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया एवं जवाब दिया (दिसंबर 2014 से जून 2015) कि भविष्य में विकास अनुज्ञा शुल्क की वसूली की जाएगी।

श्रमिक कल्याण उपकर की वसूली नहीं

पूर्व ***कंडिका 5.1.10.1*** में संदर्भित प्रावधानों के विपरीत दानापुर एवं फुलवारीशरीफ परिषद्ों द्वारा 883 भवन योजनाओं (दानापुर – 720 एवं फुलवारीशरीफ – 163) से संबंधित ₹ 6.32 करोड़ (दानापुर – ₹ 5.49 करोड़, फुलवारीशरीफ – ₹ 0.83 करोड़) के श्रमिक उपकर की वसूली नहीं की गई जिसके कारण इन परिषद्ों को संग्रह शुल्क के रूप में ₹ 6.32 लाख की हानि हुई। नगर कार्यपालक पदाधिकारियों ने जवाब दिया (मई एवं जून 2015) कि वे इस प्रावधान से अनभिज्ञ थे तथा भविष्य में इसे भवन योजनाओं को मंजूरी देते समय वसूल किया जाएगा।

5.1.10.3 नगर पंचायत

संपत्ति कर

पंद्रह पंचायतों में संपत्ति कर के अंतर्गत ₹ 5.29 करोड़ के कुल मांग के विरूद्ध केवल ₹ 1.63 करोड़ की ही वसूली की गयी थी एवं शेष ₹ 3.66 करोड़ की वसूली 31 मार्च 2015 तक नहीं की जा सकी। 13 पंचायतों में संपत्ति कर का संग्रहण कुल मांग के एक से बासठ प्रतिशत के बीच रहा ***(परिशिष्ट–5.26)***।

मोबाईल टावर कर

बीस पंचायतों में मोबाईल टावर कर के अंतर्गत ₹ 1.54 करोड़ के कुल मांग के विरूद्ध केवल ₹ 0.35 करोड़ ही वसूल किया गया था एवं शेष ₹ 1.19 करोड़ 31 मार्च 2015 तक वसूल नहीं किया जा सका। 2010–15 के दौरान मोबाईल टावर कर का संग्रह कुल मांग के छः से चालीस प्रतिशत के बीच रहा ***(परिशिष्ट–5.27)***।

दुकान किराया

दुकान किराया के अंतर्गत छः पंचायतों में ₹ 1.16 करोड़ के कुल मांग के विरूद्ध केवल ₹ 0.54 करोड़ ही वसूल किया गया था एवं शेष ₹ 0.62 करोड़ 31 मार्च 2015 तक वसूल नहीं किया जा सका। 2010–15 के दौरान दुकान किराया की वसूली कुल मांग के नौ से सत्तर प्रतिशत के बीच रही ***(परिशिष्ट–5.28)***।

करों के वसूली की प्रक्रिया

पूर्व ***कंडिका 5.1.10.1*** में वर्णित प्रावधानों के विपरीत, किसी भी पंचायत ने करों की बड़ी राशि (₹ 4.85 करोड़) बकाया रहने के बावजूद करों के वसूलने की अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया।

संग्रहित राशि का नहीं/देरी से जमा होना

पूर्व ***कंडिका 5.1.10.1*** में संदर्भित प्रावधानों के विपरीत, 2010–15 के दौरान 12 पंचायतों में संपत्ति कर इत्यादि के रूप में ₹ 46.86 लाख के संग्रहित राशि को अप्रैल 2015 तक नगरपालिका निधि में जमा नहीं किया गया था तथा इसे रोकड़पालों/कर संग्राहकों द्वारा अपने पास रखा गया था ***(परिशिष्ट–5.29)***। पंचायतों के नगर कार्यपालक पदाधिकारियों ने बताया कि राशि को नगरपालिका निधि में जमा कर दिया जाएगा।

यह भी पाया गया कि उपरोक्त संग्रहित राशि में से प्रावधानों के विपरीत दो पंचायतों में ₹ 15.87 लाख (गोगरी जमालपुर पंचायत में ₹ 15.74 लाख एवं सिमरी बख्तियारपुर पंचायत में ₹ 0.13 लाख) की राशि का दैनिक व्यय के लिए प्रत्यक्ष विनियोग किया गया था।

चार पंचायतों में संपत्ति कर के मद में संग्रहित राशि (₹ 10.82 लाख) को चार वर्षों से अधिक तक के विलंब से जमा किया गया था ***(परिशिष्ट–5.30)***।

बंदोबस्त सैरातों में बकाया नीलामी राशि

पूर्व ***कंडिका 5.1.10.1*** में संदर्भित प्रावधानों के विपरीत, नौ पंचायतों में 35 सैरातों की बंदोबस्ती की ₹ 29.60 लाख की राशि को 31 मार्च 2015 तक वसूल नहीं किया जा सका ***(परिशिष्ट–5.31)***।

सैरातों की बंदोबस्ती नहीं

पूर्व ***कंडिका 5.1.10.1*** में संदर्भित प्रावधानों के विपरीत, 2010–14 के दौरान नौ सैरातों की बंदोबस्ती नहीं होने के कारण पाँच पंचायतों को ₹ 18.87 लाख की हानि हुई ***(परिशिष्ट–5.32)***।

विशेष सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने बहिर्गमन सम्मेलन में जवाब दिया कि कर्मियों की कमी के कारण संपत्ति कर का संग्रह कम था तथा श.स्था.नि. में मानव संसाधन को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। यह भी बताया गया कि दुकान किराए एवं नीलामी राशि के बकाए की वसूली के लिए श.स्था.नि. को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे एवं बकायादारों के विरूद्ध संग्रहित राशि को जमा नहीं करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

अनुशंसाः श.स्था.नि. को विभिन्न प्रकार के राजस्व के संग्रह को बढ़ाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए एवं संग्रहित राशि को ससमय नगरपालिका निधि में जमा किया जाना चाहिए।

5.1.11 स्वयं के राजस्व का उपयोग

5.1.11.1 वेतन पर व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 41 प्राविहित करता है कि नगर कार्यपालक पदाधिकारियों के वेतन पर किए गए व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

परंतु, नमूना जांचित निगमों में 2010–15 के दौरान नगर आयुक्तों के वेतन पर ₹ 1.76 करोड़ (बिहारशरीफ – ₹ 91.44 लाख, दरभंगा – ₹ 70.90 लाख, मुंगेर –

₹ 13.19 लाख) व्यय किए गए जिसकी प्रतिपूर्ति निगमों द्वारा राज्य सरकार को मांग प्रेषित किए जाने के बावजूद नहीं किया गया था। विशेष सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने बहिर्गमन सम्मेलन में जवाब दिया कि प्रतिपूर्ति की जाएगी।

5.1.11.2 सु.वृ.यो. योजना के अंतर्गत अनियमित उन्नयन

बिहार सरकार ने स्वायत्त निकायों के कर्मियों को सुनिश्चित वृति योजना (सु.वृ.यो.) को देने पर प्रतिबंध (जुलाई 2010) लगाया था।

परंतु, बिहारशरीफ निगम में 2010–15 के दौरान दो कर्मियों को सु.वृ.यो. प्रदान किया गया था जिसके कारण उन्हें ₹ 16.76 लाख का अग्राह्य व्यय हुआ। निगम के नगर आयुक्त ने बताया कि सु.वृ.यो. का लाभ बोर्ड के निर्णय के आलोक में दिया गया था।

सुपौल परिषद में एक कनीय अभियंता को सु.वृ.यो. प्रदान किया गया एवं उसका वेतन उच्च श्रेणी में गलत निर्धारित कर दिए जाने के कारण वर्ष 2012–15 के दौरान ₹ 1.95 लाख का अअनुमत्य भुगतान हुआ। परिषद् के नगर कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि मामले की जाँच की जाएगी।

5.1.11.3 संविदा के आवंटन एवं इसके निष्पादन में अनियमितताएं

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 75 प्राविहित करता है कि ₹ 12 लाख से अधिक के व्यय वाली संविदा परिषद् के अनुमोदन से किया जाएगा। बिहार वित्तीय नियमावली (बि.वि.नि.), 2005 में निहित है कि क्रय की जानेवाली सामग्रियों की मात्रा का उल्लेख विज्ञापन में किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि सीवान एवं सासाराम परिषद् द्वारा संविदा के आवंटन एवं इसके निष्पादन में नियमों एवं विनियमों की अवहेलना की गई जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

परिषद् बोर्ड की अनुमोदन के बिना क्रय

सीवान परिषद् में, ₹ 3.28 करोड़ के 37 हाई मास्ट लाईटों एवं 50 डेकोरेटिव पोल एवं ₹ 5.89 करोड़ के 1100 एल.ई.डी. लाईटों का क्रय परिषद् बोर्ड के अनुमोदन के बिना किया गया। परिषद के नगर कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि भविष्य में परिषद् बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

मात्रा के उल्लेख के बिना क्रय

सासाराम परिषद् में ₹ 4.34 करोड़ की लागत से 39 हाई मास्ट लाइटों एवं 102 डेकोरेटिव पोल का क्रय विज्ञापन में मात्रा के प्रकटीकरण के बिना किया गया। सासाराम के नगर कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि बोर्ड के निर्णय के अनुसार आवश्यकतानुसार क्रय किया जाना था इसलिए विज्ञापन में मात्रा का उल्लेख नहीं किया गया।

विशेष सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने बहिर्गमन सम्मेलन में जवाब दिया कि उक्त मामले पर जाँच किया जा रहा है।

5.1.12 मानव संसाधन प्रबंधन

5.1.12.1 कर्मियों की कमी

नमूना जांचित श.स्था.नि. में, स्वीकृत कार्यबल के विरूद्ध रिक्तियों का प्रतिशत निगमों में 47 प्रतिशत (मुंगेर) एवं 69 प्रतिशत (दरभंगा) के बीच, परिषदों में 50 प्रतिशत (बगहा) एवं 100 प्रतिशत (अरवल) के बीच तथा पंचायतों में 11 प्रतिशत (बैरगनिया) एवं 100 प्रतिशत (कांटी) के बीच रहा ***{परिशिष्ट–5.33(अ),(ब),(स),)}***। कर्मियों की

कमी ने राजस्व के संग्रहण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है जैसा कि **कंडिका 5.1.10** में चर्चा की गई है।

विशेष सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने बहिर्गमन सम्मेलन में जवाब दिया कि इस मामले की उच्च स्तर पर चर्चा की जा रही थी एवं आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

अनुशंसाः राज्य सरकार को आवश्यक कर्मियों की नियुक्ति के लिए पर्याप्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि राजस्व संग्रहण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

5.1.13 निगरानी एवं आंतरिक नियंत्रण

5.1.13.1 राज्य स्तरीय निगरानी

लोक प्रहरी

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 44(1) श.स्था.नि. के प्राधिकारियों के किसी भ्रष्टाचार, सत्यनिष्ठा के अभाव, कदाचार इत्यादि के आरोप की जाँच करने के लिए लोक प्रहरी (लोकपाल) की नियुक्ति का प्रावधान करता है। परंतु, नवंबर 2015 तक राज्य सरकार द्वारा लोकप्रहरी की नियुक्ति नहीं की गयी थी।

नगर सेवा प्रभार सलाहकार बोर्ड

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 128(अ)(1) श.स्था.नि. द्वारा उपभोक्ता शुल्कों के अध्यारोपण के लिए नगर सेवा प्रभार सलाहकार बोर्ड की स्थापना का प्रावधान करता है। परंतु, नवंबर 2015 तक नगर सेवा प्रभार सलाहकार बोर्ड की स्थापना नहीं की गई थी।

संपत्ति कर बोर्ड

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 138(अ) संपत्ति कर के निर्धारण की स्वतंत्र एवं पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करने के लिए राज्य स्तरीय संपत्ति कर बोर्ड की स्थापना का प्रावधान करता है। यद्यपि न.वि. एवं आ.वि., बिहार सरकार द्वारा बिहार संपत्ति कर बोर्ड नियमावली, 2013 तैयार (अप्रैल 2013) किया गया था, नवंबर 2015 तक बोर्ड का गठन नहीं किया गया था।

5.1.13.2 असमायोजित अग्रिम

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 के नियम 76(फ) के प्रावधानों के अनुसार अग्रिमों का नियमित एवं त्वरित समायोजन किया जाना चाहिए। परंतु, योजनाओं के कार्यान्वयन, आकस्मिकता इत्यादि के लिए अग्रिम के रूप में भुगतान की गई ₹ 5.74 करोड़ (2010–11 के पूर्व का ₹ 4.20 करोड़) की राशि मार्च 2015 तक असमायोजित रही जिसका विवरण ***परिशिष्ट–5.34 (अ), (ब), (स)*** में एवं सारांश **तालिका 5.9** में दर्शाया गया है:

तालिका–5.9: असमायोजित अग्रिम

(₹ लाख में)

श.स्था.नि.	2010–11 से पूर्व	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	कुल
नगर निगम	352.76	1.49	0	0.97	1.06	50.42	406.70
नगर परिषद्	63.27	1.07	2.47	0.43	1.54	1.98	70.76
नगर पंचायत	3.76	0.22	0.78	5.25	9.32	77.70	97.03
कुल	**419.79**	**2.78**	**3.25**	**6.65**	**11.92**	**130.10**	**574.49**

(स्रोतः लेखापरीक्षित इकाईयों के द्वारा प्रदत्त जानकारी)

आगे, मुंगेर निगम में पाँच सेवानिवृत कर्मियों के विरूद्ध अप्रैल 2010 से पूर्व भुगतान किए गए ₹ 6.45 लाख का अग्रिम उनके सेवांत लाभ से समायोजन के पश्चात् भी

लंबित था। निगमों के नगर आयुक्तों, परिषदों एवं पंचायतों के नगर कार्यपालक पदाधिकारियों ने जवाब दिया कि अग्रिमों का समायोजन किया जाएगा।

विशेष सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने बहिर्गमन सम्मेलन में जवाब दिया कि श.स्था.नि. को अग्रिमों का समायोजन प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए निर्देश दिया जाएगा।

5.1.13.3 भविष्य निधि अंशदान का जमा नहीं

भविष्य निधि के प्रबंधन के लिए आर्दश नियम यह प्राविहित करता है कि कर्मियों के अंशदान को भविष्य निधि खाते में प्रत्येक माह की पहली एवं चौथी तारीख के बीच जमा किया जाएगा ताकि उस माह के जमा के लिए ब्याज की गणना की जा सके। इस प्रावधान के विपरीत, दो निगमों (दरभंगा एवं मुंगेर) द्वारा 1981 से 2012 की अवधि के बीच कुल ₹ 2.49 करोड़ की कटौती कर्मियों के वेतन से की गई थी परंतु, मार्च 2015 तक इस राशि को भविष्य निधि खाते में जमा नहीं किया गया था। इस प्रकार, निगमों के नगर आयुक्त भविष्य निधि अंशदान को कर्मियों के व्यक्तिगत खाते में जमा को सुनिश्चित करने में विफल रहे जिसके फलस्वरूप उन्हें ब्याज की बड़ी राशि की हानि हुई।

5.1.13.4 मूल दस्तावेजों का असंधारण

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के अनुसार, श.स्था.नि. को राजस्व संग्रहण एवं इसके प्रबंधन तथा पारदर्शिता एवं जवाबदेही की निगरानी के लिए मूल दस्तावेजों यथाः वित्तीय विवरणों, तुलन पत्र, आंतरिक स्रोतों की मांग एवं वसूली पंजी, परिसंपत्तियों की सूची इत्यादि को तैयार, संधारित एवं अद्यतन करना था।

परंतु, नमूना जांचित किसी भी श.स्था.नि. ने इन मूल दस्तावेजों एवं पंजियों का संधारण नहीं किया था।

5.1.13.5 नगरपालिका लेखा समिति का गठन नहीं

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 98, नगरपालिका के लेखाओं की जाँच करने तथा इस प्रकार के जाँच का प्रतिवेदन समर्पित करने के लिए एक नगरपालिका लेखा समिति के गठन का प्रावधान करता है। परंतु, नमूना जांचित किसी भी श.स्था. नि. में नगरपालिका लेखा समिति का गठन नहीं किया गया था।

5.1.13.6 आवश्यक जाँचों का प्रयोग नहीं

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 एवं 2014, प्राप्तियों के समुचित लेखांकन के लिए कई जाँचों का प्रावधान करता है तथा इस प्रकार का एक जाँच बि.न.ले.नि., 2014 के नियम 22 में वर्णित है जो सभी प्राप्तियों के अगले कार्यदिवस में दोपहर के पूर्व नगरपालिका के कोषागार या बैंक खाते में जमा किया जाना प्राविहित करता है।

परंतु, प्राधिकारियों द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप कर संग्राहकों/रोकड़पालों के द्वारा बड़ी राशि को अपने पास रखा गया जैसा कि **कंडिका 5.1.10** में चर्चा की गई है।

अनुशंसाः श.स्था.नि. को संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत निगरानी एवं आंतरिक नियंत्रण की व्यवस्था को बढ़ाना चाहिए ताकि लंबे समय से लंबित अग्रिमों एवं भविष्य निधि अंशदान को जमा नहीं किए जाने के मामलों से बचा जा सके।

5.1.14 निष्कर्ष

राज्य में श.स्था.नि. के वित्तीय प्रबंधन में कमी थी जो मूल अभिलेखों के असंधारण, अवास्तविक बजट की तैयारी, संग्रहित राशि के नहीं/विलंब से जमा, बहुत अधिक असमायोजित अग्रिम तथा राजस्व उगाही करने वाले परिसंपत्तियों के अनुचित प्रबंधन से प्रमाणित है।

शहरी स्थानीय निकायों की आय उनके दायित्त्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। श.स्था.नि., स्थापना व्यय को पूरा करने एवं नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकारी अनुदानों पर निर्भर थे।

बारह प्रकार के करों में से, केवल छः करों का अध्यारोपण ही श.स्था.नि. द्वारा किया गया था जबकि उपभोक्ता शुल्कों को उनके द्वारा बिलकुल अध्यारोपित नहीं किया गया था। आगे, करों/किरायों/शुल्कों को न तो नियमित अंतराल पर पुनरीक्षण किया गया था और न ही ससमय संग्रह किया गया था जिसके परिणामस्वरूप बकायों का संचय हुआ।

शहरी स्थानीय निकायों में कर्मियों की अत्यंत कमी थी जिसने इसकी कार्यप्रणाली को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

निगरानी अपर्याप्त था जैसे वित्तीय विवरण तैयार नहीं किया गया था, नगरपालिका लेखा समिति का गठन नहीं किया गया था, राजस्व प्रबंधन पर अनिवार्य जाँच नहीं किया गया था तथा नगर सेवा प्रभार सलाहकार बोर्ड एवं संपत्ति कर बोर्ड का गठन नहीं किया गया था।

अध्याय – VI
अनुपालन लेखापरीक्षा

नगर विकास एवं आवास विभाग

6.1 निष्फल व्यय

बिहार राज्य जल पर्षद (बि.रा.ज.प.) द्वारा पूरी लंबाई में नाले का निर्माण नहीं किए जाने एवं आंशिक निर्मित नाले के बीच में मिसिंग लिंक छोड़े जाने के फलस्वरूप ₹ 1.33 करोड़ का व्यय निष्फल हुआ।

बिहार राज्य जल पर्षद (बि.रा.ज.प.) ने फतुहा–पटना रेलवे लाइन एवं न्यु बाई पास क्षेत्र के बीच मल जल के फैलाव को रोकने हेतु चौक शिकारपुर (रेलवे लाईन) से पटना – फतुहा बाई–पास रोड तक नाले के निर्माण के लिए ₹ 3.76 करोड़ का एक प्राक्कलन तैयार किया था (अगस्त 2005)। कार्य की तकनीकी स्वीकृति (अगस्त 2005) मुख्य अभियंता, बि.रा.ज.प. द्वारा तथा ₹ 3.73 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति (फरवरी 2006) नगर विकास एवं आवास विभाग (विभाग), बिहार सरकार द्वारा प्रदान की गयी। विभाग ने पटना नगर निगम के माध्यम से बि.रा.ज.प. को ₹ 3.73 करोड़ का सहायता अनुदान विमुक्त (2006–09) किया।

बि.रा.ज.प. के कार्यपालक अभियंता (का.अ.), गंगा परियोजना प्रमंडल – 4 (प्रमंडल) करमलीचक, पटना के कार्यालय के अभिलेखों के नमूना जाँच (सितंबर 2014) में पाया गया कि 2006 – 11 के दौरान, बि.रा.ज.प. ने प्रमंडल को नाले के निर्माण के लिए ₹2.25 करोड़ की राशि विमुक्त किया। विस्तृत प्राक्कलन के अनुसार, कार्य का कार्यान्वयन तीन भागों[38] में निधि प्राप्ति के एक वर्ष के अंदर किया जाना था। तथापि, जून 2006 से मई 2010 के दौरान कुल 2815 मी. लंबाई में से केवल 2205 मी. लंबाई में ही कार्य पूरा किया गया था जिसके उपरांत कार्य को परित्यक्त कर दिया गया। कार्य को टुकड़ों में कार्यान्वित किया गया एवं इनके बीच में कई मिसिंग लिंक थे जिसका विवरण ***परिशिष्ट – 6.1*** में दर्शाया गया है।

मूल प्राक्कलन के अनुसार, नाले के प्रथम भाग[39] का निर्माण 1260 मी. लंबाई (₹ 1.26 करोड़) में किया जाना था परंतु, तकनीकी कारणों से केवल 500 मी. लंबाई[40] में ही आर.सी.सी. नाला निर्माण व जीर्णोद्धार' हेतु प्राक्कलन को संशोधित किया गया। कार्य का आवंटन (मई 2009) ₹ 1.40 करोड़ के लिए एक अभिकरण को एक वर्ष की

---

38 *(i) सिटी चौक से रेलवे स्टेशन तक नाला निर्माण (ii) मंगल तालाब क्षेत्र से गुरू गोविंद सिंह लेन तक शाखा लाईन का निर्माण (iii) रेलवे लाईन से न्यू बाईपास सड़क तथा न्यू बाईपास रोड से पहाड़ी–पुनपुन नाले तक नाला का निर्माण*

39 *सिटी चौक से रेलवे स्टेशन*

40 *प्राक्कलित राशि ₹ 1.36 करोड़*

अंदर पूरा करने की नियत तिथि के साथ किया गया। संवेदक ने ₹ 71.02 लाख के व्यय से केवल 435 मी. लंबाई में ही नाले का निर्माण किया तथा शेष भाग में कार्य को अकार्यान्वित छोड़ दिया। संवेदक ने कार्य पूरा नहीं होने का कारण लोगों के द्वारा डायवर्जन को क्षति पहुँचाना तथा कार्य स्थल पर बारिश होना बताया (दिसम्बर 2010)।

नाले के द्वितीय भाग[41] के कार्य का आवंटन (जून 2006) ₹ 40.56 लाख के लिए अभिकरण को मई 2007 में पूर्ण करने की नियत तिथि के साथ किया गया था। मई 2007 में पूर्ण करने के लिए आवंटित किया गया। कार्य, ₹ 38.41 लाख के व्यय से पूर्ण हुआ (मार्च 2009)।

कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए नाले के तृतीय भाग (सिटी चौक से रेलवे लाईन – 1700 मी.) को तीन खंडों[42] में विभक्त किए गए तथा विभिन्न अभिकरणों से अलग–अलग एकरारनामे निष्पादित किए गए। केवल प्रथम खंड (0 से 550 मी.) का कार्य ₹ 62.05 लाख के व्यय के साथ पूर्ण हुआ (सितम्बर 2010)। द्वितीय खंड (550 से 1100 मी.) का कार्य अभिकरण को ₹ 67.36 लाख के लिए, 31 मई 2007 को पूर्ण करने की नियत तिथि के साथ आवंटित किया गया (जून 2006)। 550 मी. में नाले के निर्माण हेतु सौंपे गए कार्य के विरूद्ध ₹ 29.51 लाख के व्यय से केवल 275 मी. में कार्य पूर्ण किया गया (मई 2008)। तृतीय खंड (1100 से 1700 मी.) का कार्य अभिकरण को ₹ 61.65 लाख के लिए फरवरी 2007 में पूर्ण करने की नियत तिथि के साथ आवंटित किया गया (सितंबर 2006)। मई 2008 तक ₹ 32.01 लाख के व्यय से नाले के केवल 330 मी. लंबाई का ही निर्माण किया गया। संवेदक ने कार्यस्थल पर सामग्रियों की ढुलाई में बाधा होने के कारण कार्य को जारी रखने में अपनी असमर्थता बताई (सितम्बर 2009)।

कार्य के संयुक्त भौतिक सत्यापन (अक्टूबर 2014) में पाया गया कि नाले का निर्माण प्राक्कलन के अनुसार नहीं किया गया था तथा मल जल पटना–फतुहा रेलवे लाईन एवं आवासीय क्षेत्र के मध्य फैला हुआ था। इसके अतिरिक्त, विभिन्न अभिकरणों द्वारा निष्पादित किये गए कार्य के मध्य कई मिसिंग लिंक एवं नाले के अनिर्मित भाग थे।

इसे इंगित किए जाने पर, प्रमंडल के का.अ. ने मिसिंग लिंक के अस्तित्व को स्वीकार किया (नवंबर 2014) तथा बताया कि वर्तमान में मूल प्राक्कलन के अनुसार कार्य को पूरा करने की कोई योजना नहीं थी। उन्होनें पुनः बताया (मई 2015) कि नाला, पहाड़ी–पुनपुन नाले के 0–550 मी. खंड के साथ जुड़ा हुआ था तथा यह अच्छी तरह से कार्य कर रहा था। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि 550 – 1100 मी., 1100 – 1700 मी. खंड में एवं पटना सिटी चौक से रेलवे स्टेशन (500 मी.) भाग में नाले का

---

41 *मंगल तालाब क्षेत्र से गुरू गोविंद सिंह लेन तक शाखा लाईन*

42 *प्रथम खंड – पटना सिटी रेलवे लाईन के निकट (0 – 550 मी.); द्वितीय खंड – पुनपुन नाला से रेलवे लाईन की ओर (550 – 1100 मी.); तृतीय खंड – पटना सिटी रेलवे लाईन से बाई पास की ओर (1100 – 1700 मी.)*

निर्माण नहीं होने तथा निर्मित भागों के मध्य मिसिंग लिंक होने के कारण फतुहा–पटना रेलवे लाइन एवं न्यू बाईपास क्षेत्र के बीच मल जल के फैलाव को रोकने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। इस प्रकार, नाले के निर्माण (आंशिक) पर किया गया ₹1.33 करोड़[43] का संपूर्ण व्यय वांछित उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सका तथा निष्फल हो गया।

मामले को सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2015); उनका जवाब प्रतीक्षित था।

6.2 निष्क्रिय वाहन/उपकरण

संविदा अवधि की समाप्ति के उपरांत कंसेसियनर द्वारा ₹ 2.51 करोड़ मूल्य के वाहनों एवं उपकरणों को नगर परिषदों को हस्तांतरित नहीं किए जाने के फलस्वरूप, न केवल ये वाहन/उपकरण दो वर्षों से अधिक की अवधि तक अनुपयोगित पड़े रहे बल्कि समय के साथ उनका क्षति/क्षय हुआ।

नगर विकास एवं आवास विभाग (न.वि.आ.वि), बिहार सरकार ने जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के अंतर्गत पटना के शहरी क्षेत्रों (दानापुर, खगौल एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद्) के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में कुशल एवं प्रभावी ढंग से कूड़ा संग्रहण एवं परिवहन तंत्र तैयार करने हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (ठो.अ.प्र.) योजना अनुमोदित किया था।

राज्य सरकार ने उक्त योजना को बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम (बुडको) के द्वारा कार्यान्वित करवाने का निर्णय लिया (दिसंबर 2009) तथा जनवरी 2010 से मई 2013 में ₹ 5.20 करोड़[44] विमुक्त किया। बुडको ने सभी तीनों नगर परिषदों (न.प.) में इस कार्य को एक कंसेसियनर को सौंप दिया तथा दिसंबर 2011 से जनवरी 2012[45] के बीच न.प. के कार्यपालक पदाधिकारियों एवं कंसेसियनर के साथ एक त्रिपक्षीय एकरारनामा किया गया। कंसेसियनर ने मई 2012 में कार्य प्रारंभ किया। कुल अनुदान राशि में से बुडको ने ₹ 3.09 करोड़ का व्यय ठो.अ.प्र. के लिए आवश्यक वाहनों/उपकरणों के क्रय पर जुलाई से अक्टूबर 2012 के दौरान किया।

---

43 *₹ 71.02 लाख + ₹ 29.51 लाख + ₹ 32.01 लाख*

44 *केंद्रांश – ₹ 2.31 करोड़ एवं राज्यांश – ₹ 2.89 करोड़*

45 *दानापुर नगर परिषद् – 25 जनवरी 2012; खगौल नगर परिषद् – 5 दिसंबर 2011 एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद् – 6 जनवरी 2012*

एकरारनामा के अनुसार, बुडको कंसेसियनर के माध्यम से वाहनों/उपकरणों को क्रय करेगा तथा उसे न.प. को हस्तांतरित करेगा जिसे पुनः कार्य संपादन के लिए कंसेसियनर को हस्तांतरित किया जाएगा। हांलाकि, वाहनों एवं उपकरणों का स्वामित्त्व न.प. का होगा। संविदा अवधि की समाप्ति के उपरांत, कंसेसियनर को इन वाहनों एवं उपकरणों को क्रियाशील स्थिति में न.प. को हस्तांतरित करना था। कंसेसियनर को एक वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए बैंक गारंटी[46] भी जमा करना था एवं उसे प्रतिवर्ष नवीनीकरण किया जाना था, जब तक संविदा समाप्त न हो।

नगर परिषद् दानापुर, फुलवारीशरीफ एवं खगौल के लेखाओं की लेखापरीक्षा (जुलाई 2014 – जुलाई 2015) में पाया गया कि जुलाई से सितंबर 2012 के दौरान कंसेसियनर को ₹ 3.09 करोड़[47] मूल्य के 1020 वाहनों एवं उपकरणों[48] का हस्तांतरण किया गया ***(परिशिष्ट – 6.2)***। परन्तु, न.प. द्वारा वाहनों एवं उपकरणों की भंडार पंजी में प्रविष्टि नहीं की गई। कंसेसियनर द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा संतोषप्रद नहीं होने के कारण, न.प. ने अप्रैल से अगस्त 2013 के दौरान संविदा समाप्त कर दिया। तथापि, कंसेसियनर संबंधित न.प. को वाहनों एवं उपकरणों के हस्तांतरण में विफल रहे। कंसेसियनर ने 397 उपकरणों एवं 4 वाहनों को न.प. परिसर में तथा एक वाहन को सिंचाई विभाग के परिसर में छोड़ दिया। इनमें से, न.प. खगौल एवं फुलवारीशरीफ द्वारा 78 वाहनों/उपकरणों[49] को उपयोग में लाया गया। शेष ₹ 1.58 करोड़ के 324 उपकरण क्षतिग्रस्त अवस्था ***(परिशिष्ट–6.3)*** में थे तथा न.प. परिसर में पड़े हुए थे। कंसेसियनर को हस्तांतरित किए गए कुल 1020 वाहनों/उपकरणों में से ₹ 93.41 लाख मूल्य के शेष 618 उपकरणों का पता नहीं चल सका ***(परिशिष्ट–6.4)***।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि न.प. कंसेसियनर द्वारा जमा कराए गए ₹ 76 लाख के बैंक गारंटी को नकदीकरण कराने में विफल रहे। यद्यपि, कंसेसियनर द्वारा एकरारनामे की शर्तों का पालन नहीं किये जाने के बावजूद, न.प. के प्राधिकारियों ने समस्त वाहनों एवं उपकरणों का हस्तांतरण प्राप्त करने हेतु प्रभावी कदम नहीं उठाए। वाहनों/उपकरणों के क्षतिग्रस्त/अज्ञात होने के बावजूद न.प. बैंक गारंटी का नकदीकरण कराने में विफल रहे। जिसके फलस्वरूप, न.प. ₹ 2.51 करोड़ के क्षतिग्रस्त एवं अज्ञात उपकरणों का लागत मूल्य कंसेसियनर से वसूल नहीं कर सके तथा न.प. एक प्रभावी कूड़ा परिवहन तंत्र से वंचित रहा।

---

46 *दानापुर – ₹ 39 लाख; खगौल – ₹ 18 लाख एवं फुलवारीशरीफ – ₹ 21 लाख*

47 *दानापुर – 583, खगौल – 205 एवं फुलवारीशरीफ – 232*

48 *दानापुर – ₹ 1.42 करोड़, खगौल – ₹ 0.82 करोड़ एवं फुलवारीशरीफ – ₹ 0.86 करोड़*

49 *फुलवारीशरीफ – 25 उपकरण (₹ 6.95 लाख) एवं एक वाहन (₹ 24.18 लाख); खगौल – 51 उपकरण (₹ 1.79 लाख) एवं एक वाहन (₹ 24.18 लाख)*

इसे इंगित किए जाने पर, न.प. के कार्यपालक पदाधिकारियों ने बताया गया कि वाहनों एवं उपकरणों को हस्तांतरित करने के लिए कंसेसियनर को निर्देश (जुलाई 2013 से जुलाई 2014) दिया गया था परंतु अगस्त 2015 तक इसे हस्तांतरित नहीं किया गया।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जुलाई 2015); स्मार–पत्र निर्गत किया गया (नवंबर 2015); उनका जवाब प्रतीक्षित था।

पटना **(प्रवीण कुमार सिंह)**

दिनांकः 04 मार्च 2016 **महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**

दिनांकः 11 मार्च 2016 **भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट–1.1

(संदर्भ : कंडिका 1.3.3; पृष्ठ–3)

पं.रा.सं. को प्रतिनिधायित कार्यों को दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	प्रकार्य का नाम	पं.रा.सं को हस्तांतरित कार्यों की संख्या		
		जि.प.	पं.स.	ग्रा.पं.
1	कृषि	6	6	4
2	राजस्व एवं भूमि विकास	शून्य	1	10
3	जल संसाधन (लघु सिंचाई)	2	3	8
4	पशुपालन एवं मत्स्य पालन	8	3	10
5	वन एवं पर्यावरण	5	5	5
6	उद्योग	6	6	6
7	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	4	3	3
8	ग्रामीण विकास	1	2	3
9	ग्रामीण अभियंत्रण (सड़क, पुल, पुलिया इत्यादि)	2	1	1
10	उर्जा	3	3	3
11	प्राथमिक शिक्षा	7	8	9
12	व्यस्क शिक्षा	1	1	1
13	साक्षरता	1	1	1
14	सांस्कृतिक क्रियाकलाप	3	2	3
15	चिकित्सा	शून्य	1	1
16	परिवार कल्याण	शून्य	1	1
17	समाजिक कल्याण,	5	5	5
18	विकलांग लोगों के कल्याण	4	4	2
19	जन वितरण प्रणाली	3	3	2
20	राहत एवं पुर्नवास	शून्य	1	1
कुल		**61**	**60**	**79**

(स्रोतः चतुर्थ राज्य वित्त आयोग प्रतिवेदन)

परिशिष्ट–1.2
(संदर्भ : कंडिका 1.4.1; पृष्ठ–4)

पं.रा.सं. की स्थायी समितियों के कार्य एवं उत्तरदायित्व को दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	पं.रा.सं. की श्रेणी	स्थायी समिति का नाम	कार्य एवं उत्तरदायित्व
1	ग्राम पंचायत	योजना, समन्वय एवं वित्त समिति	ग्राम पंचायत से संबंधित सामान्य कार्य, अन्य समितियों के कार्यों का समन्वय तथा सभी अवशेष कार्य जो अन्य समितियों के प्रभार के अंतर्गत न हो।
		उत्पादन समिति	कृषि, पशुपालन, डेयरी, कुक्कुट, एवं मत्स्य पालन, वन संबंधी क्षेत्र, खादी, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम संबंधी कार्य।
		सामाजिक न्याय समिति	(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एंव अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य हितों को प्रोत्साहन (ख) इन जातियों एवं वर्गों को सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा (ग) महिलाओं एवं बच्चों का कल्याण
		शिक्षा समिति	शिक्षा संबंधी कार्य जिसके अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक एवं जन–शिक्षा, पुस्तकालय एवं सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल हैं।
		लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता पर समिति	लोक–स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता संबंधी कार्य
		लोक निर्माण समिति	ग्रामीण आवास, जलापूर्ति के स्रोत, सड़कें एवं यातायात के अन्य साधन, ग्रामीण विद्युतीकरण एवं संबंधित कार्यों के सभी प्रकार के निर्माण तथा देख रेख संबंधी कार्य
2	पंचायत समिति	सामान्य स्थायी समिति	पंचायत समिति से संबंधित सामान्य कार्य जिसके अंतर्गत, अन्य समितियों के कार्यों का समन्वय तथा अन्य अवशेष कार्य जो अन्य समितियों क प्रभार में नहीं हो।
		वित्त, अंकेक्षण एवं योजना समिति	वित्त, अंकेक्षण, बजट एवं योजना संबंधी कार्य
		उत्पादन समिति	कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई एवं जल प्रबंधन, पशुपालन, डेयरी, कुक्कुट, एवं मत्स्य पालन, वन संबंधी क्षेत्र, खादी, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम संबंधी कार्य
		समाजिक न्याय समिति	ग्राम पंचायत के समान
		शिक्षा समिति	ग्राम पंचायत के समान
		लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता पर समितियाँ	ग्राम पंचायत के समान
		लोक निर्माण समिति	ग्राम पंचायत के समान
3	जिला परिषद्	सामान्य स्थायी समिति	स्थापना मामले, समन्वय एवं सभी अवशिष्ट कार्य जो अन्य समिति के प्रभार में नहीं है, सहित जिला परिषद् से संबंधित सामान्य कार्य
		वित्त, अंकेक्षण एवं योजना समिति	पंचायत समिति के समान
		उत्पादन समिति	पंचायत समिति के समान
		समाजिक न्याय समिति	ग्राम पंचायत के समान
		शिक्षा समिति	प्राथमिक, माध्यमिक, जनशिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय एवं सांस्कृतिक कार्यकलापों सहित शिक्षा से संबंधित कार्य
		लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समितियाँ	ग्राम पंचायत के समान
		लोक निर्माण समिति	ग्राम पंचायत के समान

(स्रोत: बि.पं.रा.अ, 2006 की धारा 25, 51 एवं 78)

परिशिष्ट–1.3
(संदर्भ : कंडिका 1.5.1; पृष्ठ–5)

2014–15 के दौरान लेखापरीक्षित पं.रा.सं. की सूची

जिला परिषद्	पंचायत समिति
अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, भभुआ, भागलपुर, बेगूसराय, बेतिया, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल एवं वैशाली **(38)**	औरंगाबाद, अगियांव, अलीगंज, अमनौर, आंध्रा थराही, अरेराज, असरगंज, बहादुरगंज, बखरी, बख्तियारपुर, बलिया, बरहट, बारून, बरारी, बरहरिया, बेगूसराय, बेन, भगवानपुर, भवानीपुर, भरगावा, भितहा, बिभूतिपुर, बिहटा, बिंद, बीरपुर, बोधगया, चक्की, चांदन, चंडी, चेनारी, छौराही, डंडारी, दंडखोरा, दरियापुर, देव, दिघवारा, डोभी, एकंगरसराय, एकमा, फारबिसगंज, गायघाट, गिद्धौर, गोह, गुरूआ, हालसी, हरलाखी, हरनौत, हिल्सा, हिसुआ, हुलासगंज, इस्लामपुर, जलालगढ़, जहानाबाद, जोकीहाट, कहारा, कलेर, काराकाट, करगहर, कराईपसुराई, कासीचक, कसबा, कटिहार, कटरा, खजौली, कोईलवर, कुद्रा, कुरहानी, कुरूसकाटा, लाहलदपुर जनता बाजार, लखनौर, लकरी नवीगंज, लौरिया, लक्ष्मीपुर, मदनपुर, महाराजगंज, महनार, मैरवा, मढ़ौरा, मजोरगंज, मांझी, मंझौलिया, मसौढ़ी, मसरख, मोहनपुर, मोतीहारी सदर, मुरौल, नागर, नगरनौसा, नौतन, नवादा, नवानगर, नोखा, नूरसराय, नुवांव, नवीनगर, पकरीदयाल, पलासी, पंचदेवरी, परवलपुर, पताही, पातेपुर, पटोरी, फुलवरिया, रघुनाथपुर, रहुई, राजगीर, रतनीफरीदपुर, रोह, रोहतास, रूपौली, साहेबपुर कमाल, सहार, समोहो अखा कुरहा, सरमेरा, सासाराम, शाहपुर, शेखपुरा, शेरघाटी, श्रीनगर, सिकटी, सिलाव, सिरदला, सिवान, सोनो, तेजपुर, तेरागाछी, ठाकुरगंज, उजियारपुर, वजीरगंज एवं वारसलीगंज **(130)**

नोट : 2014–15 के दौरान 882 ग्रा.पं. का लेखापरीक्षा किया गया।

परिशिष्ट–2.1

(संदर्भ : कंडिका 2.1.4; पृष्ठ–17)

निष्पादन लेखापरीक्षा के अधीन इकाइयों की सूची

जिला परिषद	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत
औरंगाबाद	औरंगाबाद	औरा, परसाडीह, पोईवन
	रफीगंज	भदवा, चौबरा, चेव, ढोसीला, लोहरा
भागलपुर	पीरपैंती	मोहनपुर, ओलापुर, प्रसबन्ना, पायलपुर, रानी दियारा, रौशनपुर
	रंगरा चौक	बैसी जहांगीरपुर, रंगरा
	शाहकुंड	दरियापुर, हाजीपुर, खुलनी, मकंदपुर
भोजपुर	पीरो	भारशर, जमुऑन, जीताओरजम, काटर, रजेया
	संदेश	अहपुरा, संदेश
	तरारी	बिहटा, इमादपुर, मौपर्खुद, सेधान
कटिहार	प्राणपुर	केहुनिया, प्राणपुर
	कोडहा	भटवारा, फुलवरिया, मखदमपुर, रामपुर
	कुरसेला	मुरादपुर पूर्वी, मुरादपूर उत्तरी,
लखीसराय	चानन	भलुई, लाखोचक
	पिपरिया	मोहनपुर, सैदपुरा
मधेपुरा	आलम नगर	खापुर, किशनपुर रतवारा, नरथुआ भागीपुर
	बिहारीगंज	लक्ष्मीपुर लालचंद, राजगंज
	पुरैनी	औराई, दुर्गापुर
पटना	दानापुर	गंगघहरापन, हथिया कांध, मोबारकपुर रघुरामपुर
	दुल्हिन बाजार	सधावादोरवा, सिही, सोनियावां
	फतुहा	गौरीपुंदाह, मौजीपुर, मोहिउद्दीनपुर
	घोसवारी	कुमहारा, पैजाना
	पटना सदर	नकटा दियारा, सोनवापुर
सहरसा	बनमा इटहरी	इटहरी, रसलपुर
	सत्तर कटैया	पटौरी, रकिया, साहपुर
समस्तीपुर	दलसिंहसराय	नगरगामा, नबादा, रामपुर जलालपुर
	मोहिउद्दीन नगर	मदूदाबाद, रासपुर पसतसिया पश्चिम, तेतरपुर
	सरायरंजन	बिसंभरपुर अलौथ, गंगसारा, हारपुर बरहेता, जखरा, रायपुर बुजुर्ग
	सिंघिया	माहे, सिंघिया III, बारे
सीतामढ़ी	नानपुर	जानीपुर, नानपुर उत्तरी, सिरसी
	रून्नीसैदपुर	अथरी, बघारी, बरहेता, बेलाही नीलकंठ, देवना बुजुर्ग, गिद्धा फुलवरिया, गौसनगर
	सुरसंड	बनौली, दधवारी, मरूकी, सुरसंड उत्तरी
कुल 10 जि.प.	**30 पं.स.**	**96 ग्रा.पं.**

परिशिष्ट–2.2

(संदर्भ : कंडिका 2.1.6.1; पृष्ठ–19)

विकास अनुदान की कम/नहीं विमुक्ति को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

जिला	वर्ष	वार्षिक हकदारी	प्राप्त अनुदान	कम/नहीं विमुक्ति
1	2	3	4	5 (3–4)
औरंगाबाद	2010–11	16.76	16.76	0
	2011–12	18.13	12.13	6.00
	2012–13	18.13	7.02	11.11
	2013–14	22.23	10.00	12.23
	2014–15	20.09	0.00	20.09
	कुल	**95.34**	**45.91**	**49.43**
भागलपुर	2010–11	17.19	17.19	0
	2011–12	18.64	3.00	15.64
	2012–13	18.64	11.87	6.77
	2013–14	22.86	10.00	12.86
	2014–15	20.66	0.00	20.66
	कुल	**97.99**	**42.06**	**55.93**
भोजपुर	2010–11	16.67	16.67	0
	2011–12	18.01	14.44	3.57
	2012–13	18.01	8.85	9.16
	2013–14	22.09	14.43	7.66
	2014–15	19.96	12.91	7.05
	कुल	**94.74**	**67.30**	**27.44**
कटिहार	2010–11	17.44	17.44	0
	2011–12	18.95	18.95	0
	2012–13	18.95	7.02	11.93
	2013–14	23.23	20.12	3.11
	2014–15	21.00	11.89	9.11
	कुल	**99.57**	**75.42**	**24.15**
लखीसराय	2010–11	12.69	12.69	0
	2011–12	13.23	13.23	0
	2012–13	13.23	4.91	8.32
	2013–14	16.23	12.12	4.11
	2014–15	14.66	10.49	4.17
	कुल	**70.04**	**53.44**	**16.60**
मधेपुरा	2010–11	14.65	14.65	0
	2011–12	15.60	12.95	2.65
	2012–13	15.60	9.29	6.31
	2013–14	19.13	15.69	3.44
	2014–15	17.29	14.45	2.84
	कुल	**82.27**	**67.03**	**15.24**
पटना	2010–11	22.79	22.79	0
	2011–12	25.38	16.62	8.76
	2012–13	25.38	17.05	8.33
	2013–14	31.13	0	31.30
	2014–15	28.13	0	28.13
	कुल	**132.81**	**56.46**	**76.35**
सहरसा	2010–11	14.52	14.52	0
	2011–12	15.44	9.35	6.09
	2012–13	15.44	9.63	5.81

	2013–14	22.05	14.60	7.45
	2014–15	17.10	11.45	5.65
	कुल	**84.55**	**59.55**	**25.00**
समस्तीपुर	2010–11	19.62	19.62	0
	2011–12	21.56	11.19	10.37
	2012–13	21.56	10.44	11.12
	2013–14	26.45	19.96	6.49
	2014–15	23.90	0	23.90
	कुल	**113.09**	**61.21**	**51.88**
सीतामढ़ी	2010–11	17.63	17.63	0
	2011–12	19.17	15.27	3.90
	2012–13	19.17	7.98	11.19
	2013–14	23.51	19.94	3.57
	2014–15	21.25	0	21.25
	कुल	**100.73**	**60.82**	**39.91**
कुल योग		**971.13**	**589.20**	**381.93**

(स्रोत : पं.रा.वि. द्वारा उपलब्ध की गई जानकारी)

परिशिष्ट–2.3

(संदर्भ : कंडिका 2.1.6.1; पृष्ठ–19)

राज्य सरकार द्वारा अनुदान के स्थानांतरण में किए गए विलंब पर ब्याज को दर्शाती विवरणी

जिला	वर्ष	पंचायत राज मंत्रालय (भारत सरकार)		पंचायती राज विभाग (बिहार सरकार)			विलंब (दिन में)	दंडात्मक ब्याज की दर/4% (₹ में)	अभियुक्ति
		स्वीकृत अनुदान (₹ करोड़ में)	स्वीकृति की तिथि	पं.रा.सं. को स्थानांतरण की नियत तिथि	विमुक्ति की तिथि	विमुक्त अनुदान की राशि (₹ करोड़ में)			
औरंगाबाद	2011–12	12.13	14.10.11	29.10.11	29.12.11	12.13	61	810882	
	2012–13	7.02	25.09.12	10.10.12	18.10.12	7.02	8	61546	
	2013–14	10.00	10.02.14	25.02.14	01.08.14	10.00	157	1720549	
	कुल	**29.15**				**29.15**		**2592977**	
भागलपुर	2010–11	4.19	08.07.10	23.07.10	06.08.10	4.19	14	64285	
	2011–12	3.00	21.11.11	06.12.11	30.12.11	3.00	24	78904	
	2012–13	6.31	14.01.13	29.01.13	21.02.13	6.31	23	159047	
	कुल	**13.50**				**13.50**		**302236**	
भोजपुर	2010–11	13.33	16.07.10	31.07.10	16.08.10	13.33	16	233732	
	2011–12	14.44	09.01.12	24.01.12	02.02.12	14.44	9	142422	
	2012–13	8.85	31.01.13	15.02.13	05.03.13	8.85	18	174575	
	2014–15	13.00	09.12.14	24.12.14	13.01.15 से 30.01.15	12.91	20 से 37	320592	विगत वर्ष में अधिक विमुक्त की राशि समायोजित
	कुल	**49.62**				**49.53**		**871321**	
कटिहार	2010–11	9.51	31.08.10	15.09.10	07.10.10	9.51	22	229282	
	2011–12	15.01	16.05.12	31.05.12	12.07.12	15.01	42	690871	
	2013–14	20.12	25.09.13	10.10.13	28.11.13	19.79	49	1062696	विगत वर्ष में अधिक विमुक्त की राशि समायोजित
	2014–15	11.89	03.11.14	18.11.14	28.11.14	11.89	10	130301	
	कुल	**56.53**				**56.2**		**2113150**	
लखीसराय	2010–11	5.71	6.09.10	21.09.10	11.10.10	5.71	20	125151	
	2011–12	3.68	16.05.12	31.05.12	05.07.12	3.68	35	141151	
	2012–13	4.91	05.02.13	20.02.13	27.02.13	4.91	7	37666	
	कुल	**14.30**				**14.30**		**303968**	
मधेपुरा	2009–10	1.46	30.07.10	14.08.10	19.08.10	1.46	5	8000	2009–10 के लिए अनुदान की विमुक्ति 2010–11 में की गयी
	2010–11	10.47	10.09.10	25.09.10	12.10.10	10.47	17	195058	
	2011–12	12.95	18.10.11	02.11.11	29.12.11	12.95	57	808931	
	2012–13	9.29	25.09.12	10.10.12	18.10.12	9.29	8	81446	
	2013–14	4.63	15.10.13	30.10.13	28.11.13	4.63	29	147146	
	2014–15	14.45	10.10.14	25.10.14	24.11.14	14.45	30	475068	
	कुल	**53.25**				**53.25**		**1715649**	

पटना	2009–10	5.61	26.07.10	11.08.10	19.08.10	5.61	20	122959	
	2010–11	12.88	22.03.11	06.04.11	03.08.11	12.88	110	1552657	
	2011–12	16.62	14.10.11	29.10.11	29.12.11	16.62	61	1111036	
	2012–13	5.00	25.09.12	10.10.12	18.10.12	5.00	8	43836	
	कुल	**40.11**				**40.11**		**2830488**	
सहरसा	2010–11	9.53	09.06.10, 30.07.10	24.06.10, 14.08.10	10.08.10, 16.08.10	9.53	2 से 47	157983	
	2011–12	9.35	21.11.11	06.12.11	04.01.12	9.35	29	297151	
	2012–13	9.63	26.09.12	11.10.12	18.10.12	9.63	7	73874	
	2013–14	2.18	26.09.13	11.10.13	28.11.13	2.18	48	114674	बिहार सरकार द्वारा पहले ही निधि की विमुक्ति जिले में की गयी थी। इस प्रकार सामान्य और अ.जा. की प्रथम किस्त की शेष राशि की विलंबित विमुक्ति थी।
	2014–15	11.45	27.10.14	11.11.14	28.11.14	11.45	17	213315	
	कुल	**42.14**				**42.14**		**856997**	
समस्तीपुर	2011–12	11.19	16.12.11	31.12.11	07.01.12	11.19	7	85841	
	2012–13	10.44	31.01.13	15.02.13	03.03.13	10.44	16	183057	
	2013–14	19.96	17.10.13	01.11.13	28.11.13	4.35	27	128712	₹ 19.96 करोड़ में से ₹ 15.96 करोड़ बिहार सरकार द्वारा पहले ही विमुक्त किया गया था।
	कुल	**41.59**				**25.98**		**397610**	
सीतामढ़ी	2010–11	4.35	24.08.10	09.09.10	12.10.10	4.35	32	152548	
	2010–11	8.19	10.09.10	25.09.10	12.10.10	8.19	17	152581	
	2011–12	15.27	14.10.11	29.10.11	26.12.11	15.27	58	970586	
	2013–14	2.97	24.09.13	09.10.13	22.11.13	2.97	43	139956	
	कुल	**30.78**				**30.78**		**1415671**	
कुल योग		**370.97**						**13400067**	

(स्रोत : पं.रा.मं., भा.स. एवं पं.रा.वि., बि.स. की संस्वीकृति एवं आवंटन पत्र)

परिशिष्ट–2.4

(संदर्भ : कंडिका 2.1.6.1; पृष्ठ–19)

विकास अनुदान के पांच प्रतिशत को कर्णांकित नहीं किए जाने की विवरणी

(₹ करोड़ में)

जिला	अवधि	प्राप्त अनुदान	आवंटन का 5 प्रतिशत
औरंगाबाद	2010–11	21.00	1.05
	2011–12	12.13	0.61
	2012–13	7.02	0.35
	2013–14	10.00	0.50
	2014–15	6.56	0.33
	कुल	**56.71**	**2.84**
भागलपुर	2011–12	3.00	0.15
	2012–13	11.87	0.59
	2013–14	12.20	0.61
	2014–15	8.27	0.41
	कुल	**35.34**	**1.76**
भोजपुर	2010–11	16.67	0.83
	2011–12	14.44	0.72
	2012–13	8.85	0.44
	2013–14	14.43	0.72
	2014–15	12.91	0.65
	कुल	**67.30**	**3.36**
कटिहार	2010–11	17.44	0.87
	2011–12	18.95	0.95
	2012–13	7.35	0.37
	2013–14	19.79	0.99
	2014–15	11.89	0.59
	कुल	**75.42**	**3.77**
लखीसराय	2010–11	12.69	0.63
	2011–12	13.23	0.66
	2012–13	4.91	0.25
	2013–14	12.12	0.61
	2014–15	10.49	0.52
	कुल	**53.44**	**2.67**
मधेपुरा	2010–11	16.11	0.81
	2011–12	12.95	0.65
	2012–13	9.29	0.46
	2013–14	15.69	0.78
	2014–15	14.45	0.72
	कुल	**68.49**	**3.42**
पटना	2010–11	15.52	0.78
	2011–12	29.50	1.48
	2012–13	5.00	0.25
	2013–14	31.88	1.59
	कुल	**81.90**	**4.10**
सहरसा	2010–11	17.30	0.87
	2011–12	9.35	0.47
	2012–13	9.63	0.48
	2013–14	14.60	0.73
	2014–15	11.45	0.57
	कुल	**62.33**	**3.12**

समस्तीपुर	2010–11	19.62	0.98
	2011–12	11.19	0.56
	2012–13	10.44	0.52
	2013–14	19.96	1.00
	2014–15	9.17	0.46
	कुल	**70.38**	**3.52**
सीतामढ़ी	2010–11	12.54	0.63
	2011–12	24.71	1.24
	2012–13	7.98	0.40
	2013–14	19.94	0.99
	2014–15	12.43	0.62
	कुल	**77.60**	**3.88**
कुल योग		**648.91**	**32.44**

(स्रोत : पं.रा.वि., बि.स. द्वारा उपलब्ध की गई जानकारी)

परिशिष्ट–2.5

(संदर्भ : कंडिका 2.1.6.1; पृष्ठ–20)

पं.रा.सं. के निचले स्तर को कार्यों का आवंटन को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

जिला	कार्यों की संख्या	राशि
औरंगाबाद	160	2.66
भागलपुर	163	3.62
भोजपुर	167	3.75
कटिहार	53	2.08
लखीसराय	54	1.94
मधेपुरा	92	3.07
पटना	133	3.41
सहरसा	42	1.84
समस्तीपुर	263	5.69
सीतामढ़ी	165	4.80
कुल	**1292**	**32.86**

(स्रोत : जि.प. द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी)

परिशिष्ट–2.6

(संदर्भ : कंडिका 2.1.6.2 से 2.1.6.5, 2.1.6.7, 2.1.6.8, 2.1.6.10, 2.1.6.11; पृष्ठ–20 से 27)

पं.रा.सं./श.स्था.नि. के निचले स्तर को अनुदान की विमुक्ति को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	अनुदान प्राप्ति की तिथि	प्राप्त अनुदान	पं.स. एवं ग्रा.पं. को विमुक्त अनुदान की तिथि	बिलंब (माह)
1.	जि.प. औरंगाबाद	23.08.2010	6.44	30.09.2010	1
		29.12.2011	2.44	31.01.2012	1
		18.10.2012	4.36	10.12.2012 – 21.03.2013	1 – 5
		18.10.2012	1.42	10.12.2012 – 21.03.2013	1 – 5
		01.08.2014	6.22	10.10.2014	2
		01.08.2014	2.02	10.10.2014	2
		13.01.2015	4.08	09.04.2015	2
		13.01.2015	1.32	09.04.2015	2
		कुल	**28.30**		
2.	जि.प. भागलपुर	24.08.2010	7.59	03.11.2010	2
		31.03.2011	7.27	12.05.2011	1
		31.10.2013	7.69	31.12.2013	2
		31.10.2013	0.99	31.12.2013	2
		31.10.2013	0.24	31.12.2013	2
		16.02.2015	5.21	30.03.2015	1
		16.02.2015	0.68	30.03.2015	1
		16.02.2015	0.16	30.03.2015	1
		कुल	**29.83**		
3.	जि.प. भोजपुर	09.09.2010	15.00	05.12.2010	3
		18.04.2011	3.34	23.09.2011	5
		16.03.2013	8.85	27.04.2013	1
		कुल	**27.19**		
4.	जि.प. कटिहार	03.11.2010	9.51	26.11.2010	1
		21.04.2011	7.85	24.05.2011	1
		21.04.2011	0.08	28.07.2011	3
		01.08.2012	15.01	28.08.2012	1
		22.03.2013	7.35	13.04.2013	1
		कुल	**39.80**		
5.	जि.प. मधेपुरा	22.09.2010	1.26	29.10.2010	1
		09.10.2013	7.80	14.11.2013	1
		11.10.2013	1.65	14.11.2013	1
		09.10.2013	0.06	14.11.2013	1
		11.01.2014	3.27	03.02.2014	1
		11.01.2014	0.69	03.02.2014	1
		11.01.2014	0.02	03.02.2014	1
		कुल	**14.75**		
6.	जि.प. पटना	05.11.2012	5.00	18.12.2012	1
7.	जि.प. समस्तीपुर	15.02.2014	3.93	24.06.2014	4
8.	जि.प. सीतामढ़ी	30.09.2013	16.97	28.10.2013	1
		17.12.2013	2.97	01.03.2014	2
		कुल	**19.94**		

(स्रोत : जि.प. द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी)

परिशिष्ट–2.7

(संदर्भ : कंडिका 2.1.6.2, 2.1.6.4, 2.1.6.5, 2.1.6.8, 2.1.6.9, 2.1.6.11; पृष्ठ–21 से 23, 25 से 27)

पं.रा.सं. को अनुदानों का स्थानांतरण नहीं को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख़ में)

क्रम सं.	जिला	इकाई का नाम	अवधि/किस्त	स्थानांतरित नहीं की गयी राशि	अभियुक्ति
1	औरंगाबाद	पं.स. रफीगंज	2011–12 का प्रथम अ.जा.वि.यो घटक	5.73	जि.प. के खाते से राशि की निकासी हुई परंतु राशि का जमा पं.रा.सं. के बैंक खाते एवं रोकड़ बही में नहीं पाया गया।
			2012–13 का प्रथम अ.जा.वि.यो घटक	1.29	
		ग्रा.पं. भदवा	2012–13 का प्रथम अ.जा.वि.यो घटक	0.19	
		ग्रा.पं. चेव	2012–13 का प्रथम अ.जा.वि.यो घटक	0.19	
		ग्रा.पं. चौबरा	2012–13 का प्रथम अ.जा.वि.यो घटक	0.19	
		ग्रा.पं. ढोसीला	2012–13 का प्रथम अ.जा.वि.यो घटक	0.19	
		ग्रा.पं. लोहरा	2012–13 का प्रथम अ.जा.वि.यो घटक	0.19	
			2013–14 का प्रथम अ.जा.वि.यो घटक	0.77	
		1 पं.स. तथा 5 ग्र.पं.	**कुल**	**8.74**	
2	भोजपुर	पं.स. पीरो	2010–11 का द्वितीय किस्त	5.41	बैंक द्वारा 2 पं.स. एवं 17 ग्रा.पं. को राशि हस्तांतरित नहीं की गई।
		पं.स. उदवंत नगर		3.94	
		ग्रा.पं. छोटा सासाराम		0.88	
		ग्रा.पं. उदवंत नगर		0.88	
		ग्रा.पं. पियनियां		0.88	
		ग्रा.पं. पश्चिमी बबुरा		0.88	
		ग्रा.पं. पूर्वी बबुरा		0.88	
		ग्रा.पं. मथुरापुर		0.88	
		ग्रा.पं. दौलतपुर		0.88	
		ग्रा.पं. कायम नगर		0.88	
		ग्रा.पं. नोनौर		0.88	
		ग्रा.पं. मझियांव		0.88	
		ग्रा.पं. ईश्वरपुर		0.88	
		ग्रा.पं. देवमालपुर बहुदरी		0.88	
		ग्रा.पं. गौरा		0.88	
		ग्रा.पं. लछुटोला बारसिंघा		0.88	
		ग्रा.पं. मझोवा बेलवनिया		0.88	
		ग्रा.पं. बुनरिया		0.88	
		ग्रा.पं. बहोरनपुर		0.88	
		2 पं.स. , 17 ग्रा.पं.	**कुल**	**24.31**	

3	कटिहार	ग्रा.पं. सिमरिया दक्षिण	2009–10	2.12	अनुदान की राशि (₹ 2.12 लाख) 2009–2010 में हस्तांतरित परंतु उक्त चेक मार्च 2015 तक नहीं भुनाया गया जिसके कारण जिला परिषद् द्वारा अनुदान की राशि को 31. 03.15 को प्राप्ति पक्ष में लिया गया।
4.	पटना	ग्रा.पं. गंगाचक तेलपा	वर्ष 2010–11 की द्वितीय किस्त	2.24	
		ग्रा.पं. मनेर तेलपा	वर्ष 2010–11 की द्वितीय किस्त	2.24	
		ग्रा.पं. नौबतपुर	वर्ष 2010–11 की द्वितीय किस्त	2.24	
		ग्रा.पं. निसारपुरा	वर्ष 2010–11 की द्वितीय किस्त	2.24	
		न.पं. बाढ़		24.45	
		न.पं. मसौढ़ी		22.84	
		न.पं. बिक्रम		6.81	
		पं.स. बाढ़		13.43	
		1 पं.स., 4 ग्रा.पं. एवं 3 न.पं.	**कुल**	**76.49**	
5	सहरसा	न.पं. सिमरी बख्तियारपुर	2012–13	8.09	दो ग्रा.पं. (बख्तियारपुर उत्तरी एवं बख्तियारपुर दक्षिणी) नगर पंचायत सिमरी बख्तियारपुर में समाहित हो गए थे परंतु उनकी हिस्सेदारी नगर पंचायत को हस्तांतरित नहीं की गई थी।
		ग्रा.पं. मुरली बसंतपुर	2010–11	1.17	
		ग्रा.पं. बड़साम	2010–11	2.83	
		1 न.पं. एवं 2 ग्रा.पं.		**12.09**	
6	सीतामढ़ी	जि.प. सीतामढ़ी	2014–15	941.37	मई 2015 तक हस्तांतरित नहीं

(स्रोत : जि.प. द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी)

परिशिष्ट–2.8

(संदर्भ : कंडिका 2.1.6.8, 2.1.6.10, 2.1.6.11; पृष्ठ–25 एवं 27)

पं.रा.सं. को अनुदानों का अधिक हस्तांतरण को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	जिला	इकाई का नाम	अवधि / अनुदान	हस्तांतरित की जानेवाली राशि	हस्तांतरित राशि	अधिक हस्तांतरण
1	पटना	पं.स. पटना सदर	2013–14	792400	1584800	792400
		पं.स. संपतचक	2013–14	897520	1795040	897520
		पं.स. मोकामा	2013–14	1323260	2646520	1323260
		पं.स. पंडारक	2013–14	1467720	2935440	1467720
		पं.स. घोषवरी	2013–14	669000	1338000	669000
		पं.स. मसौढ़ी	2013–14	1845270	3690540	1845270
		पं.स. धनरूआ	2013–14	2052260	4104524	2052264
		पं.स. पुनपुन	2013–14	1336000	2672000	1336000
		6 ग्रा.पं.	2013–14	1290904	2989808	1290904
		कुल				**11674328**
2	समस्तीपुर	पं.स. विद्यापति नगर	2010–11	558000	568000	10000
		पं.स. सरायरंजन	2013–14	640	64000	63360
		पं.स. पटोरी	2013–14	80	8000	7920
		पं.स. मोहिउद्दी नगर	2013–14	80	8000	7920
		पं.स. कल्याणपुर	2013–14	10	1000	990
		पं.स. वारिस नगर	2013–14	1870	187000	185130
		पं.स. खानपुर	2013–14	130	13000	12870
		पं.स. समस्तीपुर	2013–14	3000	300000	297000
		पं.स. पूसा	2013–14	80	8000	7920
		पं.स. ताजपुर	2013–14	80	8000	7920
		पं.स. मोरवा	2013–14	140	14000	13860
		पं.स. हसनपुर	2013–14	40	4000	3960
		पं.स. विभूतिपुर	2013–14	400	40000	39600
		पं.स. सिंघिया	2013–14	170	17000	16830
		पं.स. शिवाजीनगर	2013–14	130	13000	12870
		पं.स. दलसिंहसराय	2013–14	24700	2470000	2445300
		पं.स. उजियारपुर	2013–14	2120	212000	209880
		पं.स. विद्यापति नगर	2013–14	320	32000	31680
		कुल				**3375010**
3	सीतामढ़ी	ग्रा.पं. बथना	2011–12	228216	456432	228216
		ग्रा.पं. हरनहिया	2011–12	228216	456432	228216
		ग्रा.पं.जानीपुर	2011–12	324805	649610	324805
		ग्रा.पं. बथना	2012–13	228216	456432	228216
		ग्रा.पं. हरनहिया	2012–13	228216	456432	228216
		ग्रा.पं. चोरांत उ.	2012–13	68051	136102	68051
		ग्रा.पं. अमना	2012–13	68051	136102	68051
		ग्रा.पं. कोरियाही	2012–13	68051	136102	68051
		ग्रा.पं. कुमा	2012–13	68051	136102	68051
		ग्रा.पं. पकरी मथवा	2013–14	63223	126446	63223
		ग्रा.पं. पुनौरा पूर्वी	2013–14	361003	722006	361003
		ग्रा.पं. हरि छपरा	2013–14	361003	722006	361003
		ग्रा.पं. विष्णुपुर	2013–14	361003	722006	361003
		कुल				**2656105**

(स्रोत : जि.प. द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी)

परिशिष्ट–2.9

(संदर्भ : कंडिका 2.1.6.3 एवं 2.1.6.6; पृष्ठ–21 एवं 24)

पं.रा.सं. को अनियमित रूप से स्थानांतरित अनुदान की विवरणी

क्र. सं.	जिला	इकाई का नाम	अवधि / किस्त	स्थानांतरित राशि
1	भागलपुर	पं.स. नरायणपुर के 11 ग्रा.पं.	2011–12	93984
		पं.स. खरीक के 13 ग्रा.पं.	2012–13	362928
		पं.स. इस्माईलपुर के 5 ग्रा.पं. और	2013–14	376656
		पं.स. सुल्तानगंज के 19ग्रा.पं.	2014–15	255456
		कुल		**1089024**
2	लखीसराय	पं.स. बड़हिया के 7 ग्रा.पं.,	2011–13	54866
		पं.स. पिपरिया के 5 ग्रा.पं. और	2011–13	39190
		पं.स. रामगढ़ चौक के 5 ग्रा.पं.	2011–13	39190
		कुल		**133246**

(स्रोत : जि.प. द्वारा उपलब्ध कराये गए संस्वीकृति पत्र एवं जानकारी)

परिशिष्ट–2.10

(संदर्भ : कंडिका 2.1.6.2 से 2.1.6.10; पृष्ठ–21 से 27)

उपयोगिता प्रमाण–पत्र के प्रेषण से संबंधित विवरणी

(₹ करोड़ में)

जि.प. का नाम	वर्ष	कुल अनुदान	उ.प्र.प. के समर्पण में विलंब		नहीं समर्पित उ.प्र.प.	गलत उ.प्र.प. का समर्पण			
			राशि	विलंब (माह)		उ.प्र.प. में प्रतिवेदित व्यय	सी.ए. रिपोर्ट के अनुसार व्यय	अंतर	
								कम	स्फीत
औरंगाबाद	2010–11	21.00	–	–	–	20.11	17.32	0	2.79
	2013–14 (अ.जा.वि.यो.घ.)	2.35	–	–	–	1.92	0.74	0	1.18
	कुल		–	–	–	**22.03**	**18.06**	**0**	**3.97**
	2013–14 (गैर अ.जा./अ.ज.)	7.64	–	–	–	4.02	6.70	2.68	0
भागलपुर	2010–11	21.38	–	–	–	21.48	17.83		3.65
	2011–12	3.00	–	–	–	12.45	10.50		1.95
	2013–14	12.20	–	–	12.20	–	–	–	–
	कुल				**12.20**	**33.93**	**28.33**		**5.60**
भोजपुर	2011–12	14.44	–	–	4.46	–	–		–
	2012–13	8.85	–	–	8.85	–	–		–
	2013–14	14.43	–	–	14.43	–	–		–
	2014–15	12.91	–	–	12.91	–	–		–
	कुल				**40.65**				–
कटिहार	2011–12	18.95	–	–	1.17	–	–		–
	2013–14	19.79	–	–	9.23	–	–		–
	2014–15	11.89	–	–	11.89	–	–		–
	कुल				**22.29**				
लखीसराय	2010–11	12.69	–	–	–	17.45	11.43	0	6.02
	2011–12	13.23			–	16.04	12.00	0	4.04
	2012–13	4.91			–	17.93	9.41	0	8.52
	2013–14	12.12			8.17	15.13	12.45	0	2.68
	2014–15	10.49	–		10.49	0	0	0	0
	कुल				**18.66**	**66.55**	**45.29**	**0**	**21.26**
मधेपुरा	2011–12	12.95	–	–	–	17.53	12.62		4.91
	2013–14	0.09	–	–	–	0.16	0.06		0.10
	कुल					**17.69**	**12.68**		**5.01**
पटना	2010–11	22.79	22.79	26–36	–	–	–	–	–
	2011–12	16.62	16.62	21	0	–	–	–	–
	2012–13	17.05	5.00	21	12.05			–	–
	2013–14	19.83	0	0	19.83	–	–	–	–
	कुल		**44.41**		**31.88**			–	–
सहरसा	2011–12	9.35	–	–	0.01	–	–	–	–
	2012–13	9.63	–	–	0.03	–	–	–	–
	2013–14	14.60	–	–	7.52	–	–	–	–
	2014–15	11.45	–	–	11.45	–	–	–	–
	कुल				**19.01**				
समस्तीपुर	2010–11	19.62			3.35				
	2011–12	11.19	–	–	11.19	–	–	–	–
	2012–13	10.44	–	–	10.44	–	–	–	–
	2013–14	19.96	–	–	19.96	–	–	–	–
	2014–15	9.17	–	–	9.17	–	–	–	–
	कुल				**54.11**				

(स्रोत : पं.रा.मं.,भारत सरकार, एवं पं.रा.वि., बिहार सरकार की संस्वीकृति पत्र)

परिशिष्ट–2.11

(संदर्भ : कंडिका 2.1.7.2, 2.1.7.3, 2.1.7.7 एवं 2.1.7.10; पृष्ठ–29 से 32)

उपर से अध्यारोपित किए गए कार्यों को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख़ में)

जिला	इकाई	वर्ष	अध्यारोपित कार्यों की सं.	प्राक्कलित राशि	व्यय	प्राधिकारी जिसके द्वारा योजना अध्यारोपित की गई
औरंगाबाद	पं.स. रफीगंज	2013–14	3	8.00	––	जि.यो.स.
भागलपुर	पं.स. शाहकुंड	2011–12	17	22.65	––	जि.यो.स.
		2013–14	5	2.40	––	जि.यो.स.
	ग्रा.पं. दरियापुर	2012–13	5	6.75	––	जि.यो.स.
		2013–14	6	6.00	––	जि.यो.स.
	ग्रा.पं. मकंदपुर	2011–12	2	3.50	––	जि.यो.स.
		2012–13	5	5.00	––	जि.यो.स.
		2013–14	3	5.00	––	जि.यो.स.
	ग्रा.पं. हाजीपुर	2011–12	5	16.00	––	जि.यो.स.
		2012–13	3	3.00	––	जि.यो.स.
		2013–14	5	7.00	––	जि.यो.स.
		2014–15	1	5.00	––	जि.यो.स.
	ग्रा.पं. खुलनी	2011–12	3	3.70	––	जि.यो.स.
		2012–13	2	2.00	––	जि.यो.स.
		2013–14	4	4.00	––	जि.यो.स.
	ग्रा.पं. रानीपुर दियारा	2014–15	5	5.00	––	जि.यो.स.
	ग्रा.पं. प्यालपुर	2010–11	1	4.50	––	जि.यो.स.
		2011–12	7	3.50	––	जि.यो.स.
		2012–13	2	12.00	––	जि.यो.स.
		2013–14	3	8.00	––	जि.यो.स.
		2014–15	7	7.00	––	जि.यो.स.
	कुल		**91**	**132.00**		जि.यो.स.
मधेपुरा	पं.स. आलम नगर	2013–14	4	12.79	12.79	जि.यो.स.
समस्तीपुर	ग्रा.पं. रायपुर बुर्जुग	2014–15	4	15.24	15.21	जि.प.

(स्रोत : लेखा परीक्षित इकाईयों द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी)

परिशिष्ट–2.12

(संदर्भ : कंडिका 2.1.7.2 से 2.1.7.6, 2.1.7.8 से 2.1.7.11; पृष्ठ–29 से 33)

विगत वर्ष की वा.का.यो. में अनुमोदित योजनाओं को चालू वर्ष की वा.का.यो. में शामिल किए बिना कार्यान्वयन को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला	इकाई का नाम	वा.का.यो. में अनुमोदन का वर्ष	विगत वर्ष में अनुमोदित एवं चालू वर्ष में कार्यान्वित किए गए कार्य		
				कार्यान्वयन का वर्ष	संख्या	राशि
1	औरंगाबाद	जि.प. औरंगाबाद	2011–12	2012–13	68	165.79
			2011–12	2013–14	1	6.17
			2013–14	2014–15	23	115.70
				कुल	**92**	**287.66**
2	भागलपुर	जि.प. भागलपुर	2013–14	2014–15	4	11.56
3	भोजपुर	ग्रा.पं. इमादपुर	2011–12	2012–13	1	4.00
			2012–13	2013–14	1	1.89
		ग्रा.पं. बिहटा	2011–12	2012–13	1	5.00
			2012–13	2013–14	1	2.68
		पं.स. संदेश	2011–12	2012–13	3	12.87
			2012–13	2013–14	2	8.95
			2013–14	2014–15	4	10.15
		ग्रा.पं. संदेश	2011–12	2012–13	1	4.47
			2012–13	2013–14	1	2.39
		ग्रा.पं. मौपर्खुद (तरारी)	2011–12	2012–13	1	4.82
			2012–13	2013–14	1	1.15
		ग्रा.पं. सेधान (तरारी)	2012–13	2013–14	1	3.98
		ग्रा.पं. रजेया (पीरो)	2011–12	2013–14	1	5.00
		पं.स. पीरो	2011–12	2012–13	7	26.08
			2012–13	2013–14	6	23.52
				कुल	**32**	**116.95**
4	कटिहार	पं.स. कोडहा	2010–11	2012–13	4	19.71
			2011–12	2012–13	1	4.97
			2008–09	2013–14	1	4.99
			2012–13	2013–14	5	21.28
		ग्रा.पं. मखदुमपुर	2008–09	2012–13	1	1.90
			2012–13	2013–14	1	3.35
		ग्रा.पं. फुलवरिया	2012–13	2013–14	1	5.00
		ग्रा.पं. भटवारा	2012–13	2013–14	1	4.99
		ग्रा.पं. प्राणपुर	2012–13	2013–14	1	5.00
		ग्रा.पं. पूर्वी मुरादपुर	2009–10	2012–13	2	8.80
				कुल	**18**	**79.99**
5	लखीसराय	पं.स. पिपरिया	2011–12	2012–13	1	9.99
			2012–13	2013–14	1	5.10
			2013–14	2014–15	2	2.80
		ग्रा.पं. भलूई	2011–13	2013–14	2	9.01
				कुल	**6**	**26.90**
6	पटना	पं.स. पटना सदर	2013–14	2014–15	18	18.81
		ग्रा.पं. सोनावा	2011–12	2012–13	1	0.94
		ग्रा.पं. मोबारकपुर रघुरामपुर	2013–14	2014–15	2	3.32
		पं.स. फतुहा	2011–12	2012–13	3	5.31
		ग्रा.पं. गौरी पुंदाह	2012–13	2013–14	1	0.99
			2012–13	2014–15	1	0.86
				कुल	**26**	**30.23**

7	सहरसा	ग्रा.पं. इटहरी	2011–12	2012–13	2	9.04
			2012–13	2013–14	2	4.84
		ग्रा.पं. रकिया	2012–13	2013–14	1	2.58
		ग्रा.पं. शाहपुर	2011–12	2012–13	2	3.18
			2013–14	2014–15	1	4.08
		ग्रा.पं. पटोरी	2011–12	2012–13	3	14.34
				कुल	**11**	**38.06**
8	समस्तीपुर	ग्रा.पं. नवादा	2012–13	2013–14	1	4.91
		ग्रा.पं. नगरगामा	2011–12	2012–13	1	3.53
		पं.स. दलसिंहसराय	2013–14	2014–15	7	32.49
		पं.स. सरायरंजन	2011–12	2012–13	3	8.75
			2012–13	2013–14	8	16.05
			2012–13	2014–15	2	4.86
		ग्रा.पं. झखड़ा	अनुपलब्ध	2013–14	4	19.26
		ग्रा.पं. बि.एलौथ	2011–12	2012–13	1	4.74
			2012–13	2013–14	1	1.72
				कुल	**28**	**96.31**
9	सीतामढ़ी	ग्रा.पं. नानपुर उत्तरी	2012–13	2013–14	1	4.52
		पं.स. सुरसंड	2011–13	2013–14	3	8.61
		ग्रा.पं. दाढ़ावाड़ी	2012–13	2013–14	1	0.73
			2013–14	2014–15	1	1.62
		ग्रा.पं. मरूकी	2012–13	2013–14	1	4.05
		पं.स. रून्नीसैदपुर	2010–12	2012–13	21	52.20
			2011–13	2013–14	47	69.15
				कुल	**75**	**140.88**

(स्रोत : लेखा परीक्षित इकाईयों द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी)

परिशिष्ट–2.13

(संदर्भ : कंडिका 2.1.8.1 से 2.1.8.10; पृष्ठ–34 से 42)

नमूना जांचित इकाईयों द्वारा 2010–15 के दौरान लिए गए कार्यों की स्थिति को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

जिला	जि.यो.स. द्वारा अनुमोदित कार्यों की संख्या	लिए गए कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की संख्या	अपूर्ण कार्यों की संख्या	अपूर्ण कार्यों में व्ययित राशि
औरंगाबाद	1516	376	214	162	2.28
भागलपुर	1555	401	329	72	1.16
भोजपुर	1670	354	298	56	0.61
कटिहार	589	211	195	16	0.22
लखीसराय	627	204	128	76	2.00
मधेपुरा	849	326	220	106	3.39
पटना	1437	656	472	184	1.39
सहरसा	412	274	207	67	1.41
समस्तीपुर	912	335	199	136	2.78
सीतामढ़ी	1294	600	540	60	0.31

(स्रोत : पंचायती राज संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्यों का विवरणी)

परिशिष्ट–2.14

(संदर्भ : कंडिका 2.1.8.1 से 2.1.8.10 ; पृष्ठ–34, 35, 37 से 42)

निधि की उपलब्धता के बावजूद कार्यों का कार्यान्वयन नहीं को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला	इकाई का नाम	वर्ष	वर्ष के दौरान उपलब्ध राशि/प्राप्त अनुदान	वर्ष के लिए अनुमोदित एवं कार्यान्वयन हेतु कार्यों की संख्या
1.	औरंगाबाद	जि.प.औरंगाबाद	2011–12	111.05	116
2.	भागलपुर	पं.स. शाहकुंड	2012–13	13.66	52
		ग्रा.पं. प्रसबन्ना	2013–14	4.45	4
		ग्रा.पं. बैसी जहॉगीरपुर	2012–13	2.79	1
		कुल		**20.90**	**57**
3.	भोजपुर	जि. प. भोजपुर	2014–15	161.02	220
		पं.स. पीरो	2014–15	20.88	29
		ग्रा.पं. कतर	2011–12	4.70	2
		पं.स. तरारी	2013–14	30.99	15
		ग्रा.पं. इमादपुर	2011–12	6.01	2
			2014–15	3.40	2
		ग्रा.पं. बिहटा	2011–12	4.74	2
		ग्रा.पं. मौपखुर्द	2011–12	5.99	2
		ग्रा.पं. सेधान	2014–15	2.98	2
		पं.स. संदेश	2011–12	14.32	5
		ग्रा.पं. आहपुरा	2014–15	3.40	1
		ग्रा.पं. संदेश	2011–12	3.83	2
		कुल		**262.26**	**284**
4.	कटिहार	ग्रा.पं. पूर्वी मुरादपुर	2011–12	6.42	5
			2014–15	3.16	3
		ग्रा.पं. भटवारा	2012–13	4.01	2
		ग्रा.पं. फुलवरिया	2012–13	4.01	2
		ग्रा.पं. मखदुमपुर	2010–11	2.54	5
		ग्रा.पं. प्राणपुर	2010–11	2.54	26
			2012–13	4.01	2
		ग्रा.पं. केहुनिया	2012–13	4.01	2
			2014–15	3.16	3
		कुल		**33.86**	**50**
5.	लखीसराय	ग्रा.पं. लाखोचक	2012–13	6.42	5
		पं.स. चानन	2013–14	25.75	29
			2014–15	22.29	18
		कुल		**54.46**	**52**
6.	मधेपुरा	ग्रा.पं. खापुर	2013–14	4.89	1
		ग्रा.पं. किशनपुर रतवार	2012–13	1.56	2
		ग्रा.पं. नरथुआ भागीपुर	2013–14	0.88	2
		ग्रा.पं. लक्ष्मीपुर लालचंद	2013–14	6.23	2
		ग्रा.पं. राजगंज	2013–14	5.34	2
		ग्रा.पं. दुर्गापुर	2010–11	2.75	2
			2013–14	5.33	2
		कुल		**26.98**	**13**
7.	पटना	ग्रा.पं. सोनावा	2013–14	5.45	7
		ग्रा.पं. नकटा दियारा	2012–13	0.86	3
		पं.स. घोषवरी	2012–13	1.69	12
			2014–15	6.69	10

		ग्रा.पं. पैजना	2011–12	6.84	2
			2014–15	3.43	3
		ग्रा.पं. कुम्हारा	2011–12	5.11	3
		पं.स. दानापुर	2014–15	17.07	18
		ग्रा.पं. मोबारकपुर रघुरामपुर	2013–14	5.45	5
		ग्रा.पं. गंघरा	2010–11	6.11	7
		पं.स. फतुहा	2013–14	21.42	14
		ग्रा.पं. मौजीपुर	2013–14	5.45	4
		कुल		**85.57**	**88**
8.	सहरसा	पं.स. सत्तर कटैया	2012–13	16.38	27
			2014–15	19.49	20
		ग्रा.पं. पटोरी	2011–12	9.13	2
		कुल		**45.00**	**49**
9.	समस्तीपुर	जि.प. समस्तीपुर	2011–12	111.90	235
		ग्रा.पं. नगरगामा	2010–11	2.20	1
			2011–12	4.08	1
		ग्रा.पं. रामपुर जलालपुर	2012–13	1.85	1
			2013–14	2.76	2
		ग्रा.पं. हरपुर बरहेता	2011–12	4.08	1
			2012–13	1.85	1
			2013–14	2.76	2
		ग्रा.पं. झखड़ा	2010–11	2.20	1
			2012–13	1.85	2
			2014–15	0.77	3
		ग्रा.पं. रायपुर बुजुर्ग	2010–11	2.20	1
			2011–12	4.08	1
			2012–13	1.85	2
			2013–14	2.76	1
		ग्रा.पं. गंगसारा	2011–12	4.08	1
			2014–15	0.77	1
		ग्रा.पं. बिशंभरपुर एलौथ	2011–12	3.47	1
		ग्रा.पं. रासपुर पतासिया पश्चिम	2012–13	6.10	2
		ग्रा.पं. माहे	2013–14	2.01	1
		ग्रा.पं. सिंघिया III	2012–13	7.24	1
		कुल		**170.86**	**262**
10.	सीतामढ़ी	ग्रा.पं. जानीपुर	2014–15	0.72	2
		ग्रा.पं. सिरसी	2011–12	2.28	3
		ग्रा.पं. सुरसंड उत्तरी	2011–12	2.28	2
		ग्रा.पं. मरूकी	2011–12	2.28	6
			2012–13	4.47	3
		ग्रा.पं. देवना बुजुर्ग	2011–12	2.28	3
		ग्रा.पं. बेलाही नीलकंठ	2012–13	1.21	4
		ग्रा.पं. अथरी	2011–12	2.28	7
		कुल		**17.80**	**30**

(स्रोत : जि.प. द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी)

परिशिष्ट–2.15

(संदर्भ : कंडिका 2.1.8.1 से 2.1.8.10; पृष्ठ–34 से 42)

वार्षिक कार्य योजना से इतर कार्यों का कार्यान्वयन को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

जिला	इकाई का नाम	कार्यान्वयन का वर्ष	कार्यों की संख्या	व्यय
औरंगाबाद	जि.अ. औरंगाबाद	2010–15	176	402.48
	पं.स. औरंगाबाद सदर	2010–15	8	18.35
	पं.स. रफीगंज	2010–11	1	0.48
	ग्रा.पं. औरा	2012–15	4	5.00
	ग्रा.पं. पारसडीह	2010–15	7	14.09
	ग्रा.पं. प्वाइवां	2010–13	3	0.91
	ग्रा.पं. भदवा	2010–15	3	6.50
	ग्रा.पं. चेव	2010–12	3	6.05
	ग्रा.पं. चोवारा	2010–14	5	8.71
	ग्रा.पं. ढोसीला	2014–15	1	0.83
	ग्रा.पं. लोहरा	2010–12	3	7.18
		कुल	**214**	**470.58**
भागलपुर	पं.स. पीरपैंती	2010–15	13	53.82
	पं.स. शाहकुंड	2010–11	8	33.56
	पं.स. रंगरा चौक	2010–11	2	4.46
	ग्रा.पं. मोहनपुर	2012–14	5	3.74
	ग्रा.पं. ओलापुर	2010–14	5	6.56
	ग्रा.पं. प्रसबन्ना	2014–15	1	4.07
	ग्रा.पं. प्यालापुर	2010–14	15	11.08
	ग्रा.पं. रानी दियारा	2013–14	6	4.01
	ग्रा.पं. रौशनपुर	2013–15	5	3.46
	ग्रा.पं. बैसी जहाँगीरपुर	2010–14	16	13.25
	ग्रा.पं. रंगड़ा	2010–12	11	9.65
	ग्रा.पं. दरियापुर	2010–15	8	7.97
	ग्रा.पं. हाजीपुर	2010–14	18	13.92
	ग्रा.पं. खुलनी	2011–13	6	7.63
	ग्रा.पं. मकंदपुर	2010–15	14	11.84
		कुल	**133**	**189.02**
भोजपुर	ग्रा.पं. इमादपुर	2010–11	5	3.89
		2012–13	2	1.55
	ग्रा.पं. बिहटा	2010–11	1	1.11
	पं.स. संदेश	2012–13	1	1.59
	ग्रा.पं. संदेश	2010–11	2	1.04
	ग्रा.पं. आहपुरा	2010–11	10	5.92
	ग्रा.पं. मोपखुर्द (तरारी)	2010–11	5	4.31
	ग्रा.पं. सेधान (तरारी)	2010–11	2	1.17
		2013–14	1	2.27
	ग्रा.पं. रजेया (पीरो)	2011–12	1	0.82
		2012–13	6	3.81
		2013–14	3	2.40
	ग्रा.पं. कतर (पीरो)	2012–13	3	2.57
		2013–14	5	4.77
		2014–15	3	1.97
	पं.स. पीरो	2010–11	1	4.02
		कुल	**51**	**43.21**

कटिहार	पं.स. कोढ़ा	2013–14	1	4.25
	पं.स. कुरसेला	2011–12	2	7.39
		2012–13	1	6.59
	ग्रा.पं. केहुनिया	2011–12	1	4.99
	ग्रा.पं. मुरादपुर उत्तरी	2010–11	1	4.48
		2011–12	1	1.98
	ग्रा.पं. प्राणपुर	2011–12	1	3.12
		कुल	**8**	**32.80**
लखीसराय	ग्रा.पं. मोहनपुर	2011–12	5	2.38
		2013–14	6	8.50
	ग्रा.पं. लाखोचक	2010–11	1	0.51
		2011–12	2	3.36
		2013–14	3	7.77
		कुल	**17**	**22.52**
मधेपुरा	जि.अ., जि.प.	2010–11	8	32.49
	पं.स. पुरैनी	2010–13	3	6.09
	ग्रा.पं. खापुर	2010–11	2	6.20
	ग्रा.पं. किशनपुर रतवार	2010–11	1	4.98
	ग्रा.पं. नरथुआ भागीपुर	2010–13	13	18.68
	ग्रा.पं. लक्ष्मीपुर लालचंद	2011–13	2	5.92
	ग्रा.पं. राजगंज	2010–12	2	8.80
	ग्रा.पं. औराई	2011–12	2	8.17
	ग्रा.पं. दुर्गापुर	2011–12	1	1.25
		कुल	**34**	**92.58**
पटना	पं.स. फतुहा	2010–11	5	19.89
		2011–12	1	0.58
		2012–13	2	4.55
	ग्रा.पं. गौरीपुंदाह	2010–11	1	0.80
		2013–14	5	4.82
	ग्रा.पं. मोहिउद्दीनपुर	2010–11	1	3.37
		2011–12	4	3.42
		2013–14	6	5.41
	पं.स. दुल्हिन बाजार	2010–11	141	15.64
	ग्रा.पं. सोनियावा	2010–11	5	3.16
		2011–12	9	3.25
		2013–14	3	2.02
		2014–15	1	2.08
	ग्रा.पं. सिंही	2010–11	9	6.16
		2011–12	5	4.82
		2012–13	4	3.98
		2013–14	3	2.17
		2014–15	1	0.49
	ग्रा.पं. कुम्हारा	2012–13	1	4.98
		2013–14	1	1.00
	ग्रा.पं. पैजना	2010–11	2	7.22
		2012–13	1	4.58
		2013–14	4	9.22
	पं.स. पटना सदर	2011–12	2	2.53
		2012–13	7	4.13
	ग्रा.पं. सोनावा	2011–12	5	0.93
		2012–13	1	4.62
		कुल	**230**	**125.82**

सहरसा	ग्रा.पं. रसलपुर	2010–11	8	7.29
	ग्रा.पं. इटहरी	2010–11	13	11.98
	ग्रा.पं. शाहपुर	2011–12	1	2.54
		कुल	**22**	**21.81**
समस्तीपुर	पं.स. दलसिंहसराय	2010–11	1	0.76
	पं.स. सरायरंजन	2010–11	5	17.34
	ग्रा.पं. हरपुर बरहेता	2014–15	1	2.65
	ग्रा.पं. गंगसारा	2010–11	1	4.95
	ग्रा.पं. रायपुर बुजुर्ग	2014–15	4	15.21
	पं.स. मेहिउद्दीन नगर	2014–15	1	4.90
	पं.स. सिंघिया	2012–13	4	17.31
		2013–14	5	14.90
	ग्रा.पं. रासपुर पतासिया पश्चिम	2014–15	1	0.95
	ग्रा.पं. तेतरपुर	2010–11	1	2.47
	ग्रा.पं. माहे	2014–15	1	4.99
	ग्रा.पं. सिंघिया III	2013–14	1	4.90
	ग्रा.पं. बारी	2010–11	15	11.96
		2013–14	1	4.60
		कुल	**42**	**107.89**
सीतामढ़ी	ग्रा.पं. जानीपुर	2010–11	7	5.99
		2011–12	2	2.51
		2012–13	2	3.85
	ग्रा.पं. नानपुर उत्तरी	2010–11	9	5.57
		2011–12	2	1.57
		2012–13	1	1.58
		2013–14	1	0.62
	ग्रा.पं. सुरसंड उत्तरी	2010–11	4	6.10
		2012–13	2	3.94
		2013–14	2	5.50
	ग्रा.पं. बनौली	2010–11	1	0.63
		2013–14	1	0.69
		2014–15	4	3.51
	ग्रा.पं. दाढ़ावारी	2010–11	2	2.76
		2011–12	7	3.28
		2012–13	1	0.64
	पं.स. सुरसंड	2010–11	3	9.09
		2012–13	5	20.24
	ग्रा.पं. देवना बुजुर्ग	2010–11	1	0.31
		2012–13	4	3.75
	ग्रा.पं. बघाड़ी	2010–11	4	2.25
		2012–13	9	5.68
		2013–14	2	1.34
	ग्रा.पं. अथरी	2010–11	17	13.38
		2012–13	9	5.76
		2013–14	2	8.00
	ग्रा.पं. बेलाही नीलकंठ	2010–11	8	5.44
		2013–14	2	4.09
		कुल	**114**	**128.07**

(स्रोत : लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी)

परिशिष्ट–2.16

(संदर्भ : कंडिका 2.1.8.1, 2.1.8.3, 2.1.8.6 से 2.1.8.10; पृष्ठ–34, 36, 39 से 42)

सरकार के दिशानिर्देशों की अवहेलना कर तीन से अधिक कार्यों को सौंपे जाने की विवरणी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला	इकाई	अवधि	कार्यान्वयन अभिकर्त्ता का नाम	कार्यान्वित कार्यों की संख्या	व्यय
1	औरंगाबाद	जि.प. औरंगाबाद	2014–15	घनश्याम सिंह, क.अ.	8	52.95
			2014–15	सुरेश कुमार राम, क.अ.	10	35.66
			2014–15	उपेंद्र नाथ राय, क.अ.	10	54.47
			कुल		**28**	**143.08**
2	भोजपुर	जि.प. भोजपुर	2013–14	अमित कुमार	9	11.60
			2013–14	अशोक मिश्रा	8	18.85
			2013–14	धर्मेंद्र कुमार	19	56.58
			2013–14	दीनानाथ	6	23.25
			2013–14	द्वारका पासवान	7	3.88
			2013–14	श्याम सुंदर	17	27.07
			2013–14	सुमेश्वर नाथ	4	8.80
		पं.स तरारी	2012–13	रमेश कुमार सिंह	6	9.04
			2012–13	रंगनाथ सिंह	4	4.30
			2014–15	रंगनाथ सिंह	5	10.38
			कुल		**85**	**173.75**
3	मधेपुरा	जि.प. मधेपुरा	2013–14	नवीन कुमार, क.अ.	8	41.11
			2013–14	अरूण कुमार, क.अ.	24	99.10
			2014–15	नवीन कुमार, क.अ.	8	20.04
			2014–15	अरूण कुमार, क.अ.	9	31.51
			कुल		**49**	**191.76**
4	पटना	जि.प. पटना	2011–12	सत्येंद्र कुमार	6	4.02
				अखिलानंद	5	1.25
			2012–13	उमाकांत शर्मा	4	5.18
			2013–14	दिनेश प्रसाद राज	5	17.88
			कुल		**20**	**28.33**
5	सहरसा	जि.प. सहरसा	2012–15	दयानंद तिवारी, स.अ.	60	291.84
		पं.स. सत्तर कटैया	2013–14	राधा कृष्ण यादव, पं.से.	4	9.12
				लाल मोहन झा, पं.से.	16	20.44
			कुल		**80**	**321.40**
6	समस्तीपुर	जि.प. समस्तीपुर	2012–15	अरविंद कुमार	42	123.80
				सत्यपाल सिंह	73	226.80
				कुमुद कुमार सिन्हा	40	136.25
			कुल		**155**	**486.85**
7	सीतामढ़ी	जि.प. सीतामढ़ी	2010–14	महेश कुमार चौधरी	162	334.47

(स्रोत : लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी)

परिशिष्ट–2.17

(संदर्भ : कंडिका 2.1.8.3 से 2.1.8.5, 2.1.8.8 से 2.1.8.10; पृष्ठ–36 से 38, 40 से 42)

अअनुमत्य व्यय को दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	जिला	इकाई	योजना संख्या	विवरण	व्यय	अभियुक्ति
1.	भोजपुर	जि.प. भोजपुर	2010–11	पि.क्षे.अ.नि. आकस्मिकता	18534	विकास अनुदान
			2011–12	पि.क्षे.अ.नि. आकस्मिकता	26836	विकास अनुदान
			2012–13	सी.ए. को भुगतान	123331	क्षमता निर्माण अनुदान
			2013–14	सी.ए. को भुगतान	136034	क्षमता निर्माण अनुदान
		ग्रा.पं. सेधान	2013–14	आकस्मिकता	7500	क्षमता निर्माण अनुदान
		ग्रा.पं. रजेया	2013–14	आकस्मिकता	7500	क्षमता निर्माण अनुदान
		ग्रा.पं. काटर	2013–14	आकस्मिकता	7000	क्षमता निर्माण अनुदान
			कुल		**326735**	
2.	कटिहार	जि.प. कटिहार	2012–13	सी.ए. को भुगतान	229755	विकास अनुदान
			2014–15	सी.ए. को भुगतान	79577	विकास अनुदान
			कुल		**309332**	
3.	लखीसराय	पं.स. पिपरिया	4/10–11	चहारदिवारी का निर्माण कार्य	300000	विकास अनुदान
			4/14–15	चहारदिवारी का निर्माण कार्य	345000	विकास अनुदान
			कुल		**645000**	
4.	सहरसा	जि.प. सहरसा	2010–11	सी.ए. को भुगतान, कार्यदिवस भुगतान – आकस्मिकता	161653	परिप्रेक्ष्य योजना अनुदान
			2011–12	सी.ए. को भुगतान, कार्यदिवस भुगतान – आकस्मिकता	110364	परिप्रेक्ष्य योजना अनुदान
			2012–13	सी.ए. को भुगतान	85697	परिप्रेक्ष्य योजना अनुदान
			कुल		**357714**	
5.	समस्तीपुर	जि.प. समस्तीपुर	–	बैठक एवं कार्यालय आकस्मिकता	202017	विकास अनुदान
			348/10–11	वार्ड नं. 18 में ब्रह्मस्थान के चहारदिवारी का निर्माण	137254	विकास अनुदान
		पं.स. दलसिंहसराय	9/2010–11	पंचायत समिति भवन का सौंदर्यीकरण	76240	विकास अनुदान
		पं.स. सिंघिया	2/09–10	निरीक्षण भवन के चहारदिवारी का निर्माण	339500	विकास अनुदान (2010–11 में कार्यान्वित)
			4/13–14	मंदिर के सीढ़ीयों का निर्माण	295705	विकास अनुदान
			कुल		**1050716**	
6.	सीतामढ़ी	जि.प. सीतामढ़ी		कम्प्यूटर टेबल एवं कुर्सी का क्रय	94305	क्षमता निर्माण अनुदान
		पं.स. सुरसंड	1/10–11	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मिट्टी भराई एवं ईंटीकरण कार्य	390000	
			5/10–11	प्रखंड कार्यालय में शौचालय निर्माण	107936	
			7/10–11	प्रखंड कार्यालय में मिट्टी भराई एवं ईंटीकरण	337071	
			8/10–11	प्रखंड कार्यालय का मरम्मती कार्य	423000	
			1/11–12	प्रखंड कार्यालय से प्र.वि.प. के निवास तक पी.सी.सी. कार्य	353075	
			4/11–12	सुरसंड ग्राम पंचायत में नालों की सफाई	115120	
			4/13–14	सुरसंड ग्राम पंचायत में नालों की सफाई	280650	

			02 / 13–14	कब्रिस्तान की चहारदिवारी निर्माण	428415	
		पं.स. रून्नीसैदपुर	05 / 12–13	प्रखंड कार्यालय भवन का सौंदर्यीकरण	491935	
			06 / 12–13	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का सौंदर्यीकरण	400678	
			29 / 12–13	प्रखंड कार्यालय भवन का सौंदर्यीकरण	499550	
			30 / 12–13	पुलिस स्टेशन केंद्र का सौंदर्यीकरण	249088	
		कुल			**4170823**	

(स्रोत : लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी)

परिशिष्ट–2.18

(संदर्भ : कंडिका 2.1.8.3, 2.1.8.4, 2.1.8.7, 2.1.8.8, 2.1.8.10; पृष्ठ–36, 37, 39, 41 एवं 42)

कार्य की संस्वीकृति के विभाजन को दर्शाती विवरणी

जिला	इकाई का नाम	कार्य का नाम	विभाजित किए गए कार्य (योजना संख्या)	प्राक्कलित राशि	कार्य को एक साथ कराने पर प्राक्कलन
भोजपुर	ग्रा.पं. इमादपुर	मिट्टी खुदाई कार्य – ग्राम विशनपुरा में मेन रोड से उमेश चौबे के घर तक भाया रामजी चौक नाला निर्माण कार्य	01/10–11	83900	165700
			02/10–11	81800	
		ग्राम विशनपुरा में इंद्रदेव चौबे के घर से राम राज साव के घर तक ईंटकरण तथा पी.सी.सी. निर्माण कार्य	03/10–11	93300	177500
			05/10–11	84200	
		ग्राम विशनपुरा में नाला की मरम्मति तथा मेन रोड से भाला अरूण के दरवाजे तक पी.सी.सी. निर्माण कार्य	06/10–11	99400	395100
			07/10–11	96800	
			08/10–11	100000	
			09/10–11	98900	
	ग्रा.पं. मौपर्खुद (तरारी)	ग्राम सहीयारा में रामप्रवेश राम के घर से समुदायिक भवन तक पी.सी.सी. निर्माण कार्य	03/10–11	99800	299200
			04/10–11	99700	
			05/10–11	99700	
	ग्रा.पं. सेधान (तरारी)	17 सोलर लाइटों का अधिष्ठापन	01 से 06/11–12	462400	462400
	ग्रा.पं. रजेया (पीरो)	37 सोलर लाइटों का अधिष्ठापन	01 से 05/10–11	408750	1029670
			01 से 06/12–13	380800	
			01 से 03/13–14	240120	
	ग्रा.पं. काटर (पीरो)	24 सोलर लाइटों का अधिष्ठापन	01 से 08/10–11	652800	652800
	ग्रा.पं. जमुअॅन (पीरो)	24 सोलर लाइटों का अधिष्ठापन	01 से 04/11–12	655056	655056
	कुल	**8 कार्य**	**43 कार्य**	**3837426**	**3837426**
कटिहार	पं.स. कोढ़ा	बिसहरिया पंचायत में कुआं के नजदीक से महीनाथपुर बॉउंड्री विशनदेव पासवान टोला भाया राय टोला तक पी.सी.सी. निर्माण कार्य	01/13–14	499300	752900
			05/13–14	253600	
	पं.स. प्राणपुर	सहजा पंचायत में कास्ट हवर लाखर चौक से कालीमुद्दीन के घर तक पी.सी.सी. निर्माण	01/13–14	499500	1498500
			02/13–14	499500	
			03/13–14	499500	
		मोजीब के घर होते हुए भलगौर सागीर के घर से प्रधानमंत्री रोड तक पी.सी.सी. निर्माण कार्य	01/14–15	499500	999000
			02/14–15	499500	
	कुल	**3 कार्य**	**7 कार्य**	**3250400**	**3250400**
पटना	ग्रा.पं. कुमहारा (घोसवारी)	ग्राम पंचायत कुम्हारा में मिडिल स्कूल करकैन से वर्तमान मुखिया तेतरी देवी एवं जीत पासवान के घर तक शिवदानी ठाकुर के घर होते हुए मिट्टीकरण, नाला निर्माण एवं पी.सी.सी. कार्य	01/2012–13	498000	622200
			01/2013–14	124200	
	ग्रा.पं. सिंही	सरयु मोची के घर से समुदायिक भवन की ओर नाला निर्माण तथा ईंटीकरण कार्य	02/2013–14	99900	164700
		दिलिप मोची के घर से पाली मसौढ़ी रोड की ओर नाला निर्माण तथा ईंटीकरण कार्य	03/2013–14	64800	
		रविन्द्र राम के घर से राम इकबाल मिस्त्री के घर तक नाला निर्माण कार्य	02/2011–12	93670	191060
		राम इकबाल मिस्त्री के घर से पोखरी तक नाला निर्माण कार्य	03/2011–12	97390	
	कुल	**3 कार्य**	**6 कार्य**	**977960**	**977960**
सहरसा	ग्रा.पं. रसलपुर	चापाकल का वितरण	01/10–11 से 08/10–11	728750	728750

	ग्रा.पं. इटहरी	चापाकल का वितरण	04/10–11 से 15/10–11	1192500	1192500
	ग्रा.पं. रकिया	चापाकल का अधिष्ठापन	01/10–11	98300	684100
			02/10–11	98300	
			05/10–11	97500	
			06/10–11	97500	
			07/10–11	97500	
			08/10–11	97500	
			09/10–11	97500	
	ग्रा.पं. साहपुर	चापाकल का अधिष्ठापन	02/10–11	99980	699860
			03/10–11	99980	
			04/10–11	99980	
			05/10–11	99980	
			06/10–11	99980	
			07/10–11	99980	
			08/10–11	99980	
		सदानंद यादव के घर से राधो यादव के घर तक पी. सी.सी. निर्माण कार्य	01/12–13	499100	999050
			02/12–13	499950	
	ग्रा.पं. पटौरी	भरत साव के फुलवारी से संजीव कुमार कर्ण के घर तक पी.सी.सी. निर्माण कार्य	01/12–13	499900	1486900
			02/12–13	499900	
			03/12–13	487100	
	कुल	**6 कार्य**	**39 कार्य**	**5791160**	**5791160**
सीतामढ़ी	ग्रा.पं. बेलाही नीलकंठ	मुख्य सड़क से प्रेम लाल प्रसाद के घर तक नाली निर्माण कार्य भाग–I तथा भाग– II	01/11–12	99750	199605
			02/11–12	99855	
	ग्रा.पं. बरहेता	नासीर के घर से हफीजुल के घर तक पी.सी.सी. कार्य	02/11–12	98950	395800
		हफीजुल के घर से अख्तर के घर तक पी.सी.सी. कार्य	03/11–12	98950	
		अख्तर के घर से गुदरी पासवान के घर तक पी.सी.सी. कार्य	04/11–12	98950	
		गुदरी पासवान के घर से नवीन सिंह के घर तक पी. सी.सी. कार्य	05/11–12	98950	
	ग्रा.पं. देवना बुर्जुग	ललन पंडित के घर से कृष्णदेव सिंह के घर तक पी. सी.सी. कार्य	01/12–13	99170	396680
		कृष्णदेव सिंह के घर से कैलाश भंडारी के घर तक पी. सी.सी. कार्य	02/12–13	99170	
		कैलाश भंडारी के घर से त्रिवेणी सिंह के घर तक पी. सी.सी. कार्य	03/12–13	99170	
		त्रिवेणी सिंह के घर से कमलु लाल के घर तक पी.सी. सी. कार्य	04/12–13	99170	
	ग्रा.पं. अथरी	जगनाथ साह के घर से भैरव महतो के घर तक नाली निर्माण कार्य	01/12–13	94400	535000
		भैरव महतो के घर से योगी राय के घर तक नाली निर्माण कार्य	02/12–13	94400	
		योगी राय के घर से मुनु ठाकुर के घर तक नाली निर्माण कार्य	03/12–13	94400	
		मुनु ठाकुर के घर से राकेश ठाकुर के घर तक नाली निर्माण कार्य	04/12–13	94400	
		राकेश ठाकुर के घर से आनंद मिश्रा के घर तक नाली निर्माण कार्य	05/12–13	78700	
		आनंद मिश्रा के घर से महेश झा के घर तक नाली निर्माण कार्य	06/12–13	78700	
	कुल	**4 कार्य**	**16 कार्य**	**1527085**	**1527085**

(स्रोत : लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी)

परिशिष्ट–2.19

(संदर्भ : कंडिका 2.1.8.1 से 2.1.8.3, 2.1.8.5 से 2.1.8.10; पृष्ठ–34 से 36, 38 से 43)

बकाया अग्रिम को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ लाख में)

जिला का नाम	इकाई का नाम	अग्रिम देने का वर्ष	कार्यान्वित कार्यो की संख्या	अग्रिम की राशि	असमायोजित अग्रिम की अवधि
औरंगाबाद	जि.प. औरंगाबाद	2010–11	6	3.75	चार वर्ष से चार वर्ष छः महीना
		2012–13	15	5.74	एक वर्ष से तीन वर्ष
		2014–15	1	0.25	छः महीना
	पं.स. औरंगाबाद सदर	2010–11	3	3.23	चार वर्ष
	पं.स. रफीगंज	2010–11	12	5.30	चार वर्ष छः महीना
		2011–12	4	3.30	तीन वर्ष
	ग्रा.पं. औरा	2011–12	1	2.88	तीन वर्ष छः महीना
	ग्रा.पं. परसाडीह	2010–11	1	0.98	तीन वर्ष
		2012–13	2	3.08	दो वर्ष से दो वर्ष छः महीना
	ग्रा.पं. पोईवन	2010–11	1	0.33	चार वर्ष छः महीना
	ग्रा.पं. चीओ	2010–11	2	3.60	चार वर्ष छः महीना
		2011–12	2	4.52	तीन वर्ष से चार वर्ष
	ग्रा.पं. चौबरा	2011–12	3	2.62	दो वर्ष से तीन वर्ष छः महीना
		2012–13	1	3.32	तीन वर्ष
	कुल		**54**	**42.90**	
भागलपुर	पं.स. रंगरा चौक	2010–11	1	2.28	चार वर्ष छः महीना
	ग्रा.पं. रंगरा	2010–11	1	0.07	चार वर्ष
	ग्रा.पं. मकंदपुर	2010–11	5	2.08	चार वर्ष
		2013–14	3	3.42	एक वर्ष
	कुल		**10**	**7.85**	
भोजपुर	जि.प. भोजपुर	2013–14	40	49.61	एक वर्ष छः महीना से दो वर्ष
	पं.स. तरारी	2011–12	01	1.27	तीन वर्ष
	ग्रा.पं. आहपुरा	2010–11	02	1.20	चार वर्ष
	पं.स. पीरो	2012–13	01	0.07	तीन वर्ष
		2013–14	03	10.82	एक वर्ष छः महीना
	कुल		**47**	**62.97**	
लखीसराय	जि.प. लखीसराय	2010–11	3	4.25	चार वर्ष से अधिक
		2011–12	9	16.68	तीन वर्ष से अधिक
		2012–13	2	7.00	दो वर्ष से अधिक
		2013–14	20	61.51	एक वर्ष से अधिक
	पं.स. चानन	2010–11	1	2.87	चार वर्ष से अधिक
		2011–12	1	0.25	तीन वर्ष से अधिक
		2012–13	2	1.88	दो वर्ष से अधिक
	ग्रा.पं. भलुई	2010–11	1	1.55	चार वर्ष से अधिक
	ग्रा.पं. सैदपुरा	2011–12	1	3.50	तीन वर्ष से अधिक
	पं.स. पिपरिया	2010–11	2	6.76	चार वर्ष से अधिक
	कुल		**42**	**106.25**	
मधेपुरा	जि.अ., जि.प.	2010–11	2	9.28	चार वर्ष से अधिक
		2012–13	1	5.03	दो वर्ष से अधिक
		2013–14	14	55.13	एक वर्ष से अधिक
	पं.स. आलम नगर	2013–14	1	0.58	दो वर्ष से अधिक
	पं.स. बिहारीगंज	2010–11	2	2.25	एक से चार वर्ष
		2013–14	1	4.00	एक वर्ष से अधिक
	ग्रा.पं. नरथुआ भागीपुर	2010–11	1	4.08	चार वर्ष से अधिक
		2011–12	11	10.23	तीन वर्ष से अधिक

		2012–13	2	16.47	तीन वर्ष से अधिक
	ग्रा.पं. लक्ष्मीपुर लालचंद	2012–13	1	1.08	तीन वर्ष से अधिक
	ग्रा.पं. दुर्गापुर	11–12	1	1.25	तीन वर्ष से अधिक
	कुल		**37**	**109.38**	
पटना	जि.प. पटना	2011–12	17	13.93	एक से तीन वर्ष
		2012–13	13	21.61	
		2013–14	21	23.01	
	पं.स. पटना सदर	2010–11	6	1.0	चार वर्ष से चार वर्ष छः महीना
	ग्रा.पं. कुम्हारा	2013–14	1	0.98	दो वर्ष
	पं.स. दानापुर	2011–12	1	0.08	तीन वर्ष
	ग्रा.पं. हथिया कांध	2012–13	1	0.98	दो वर्ष
	ग्रा.पं. गंघहरा	2012–13	1	2.58	एक वर्ष से दो वर्ष
	ग्रा.पं. मोबारकपुर रघुरामपुर	2011–12, 2012–13	3	3.70	दो वर्ष से तीन वर्ष
	पं.स. दुल्हिन बाजार	2010–11	33	0.99	चार वर्ष से अधिक
	पं.स. फतुहा	2010–11	1	2.64	चार वर्ष से अधिक
		2012–13	13	11.22	दो वर्ष से अधिक
	कुल		**111**	**89.92**	
सहरसा	जि.प. सहरसा	2010–11 से 2013–14	13	53.09	एक वर्ष से चार वर्ष
	पं.स. बनमा इटहरी	2010–11	1	0.08	तीन वर्ष छः महीना
		2013–14	1	2.08	एक वर्ष छः महीना
	ग्रा.पं. इटहरी	2010–11	2	2.15	चार वर्ष से पांच वर्ष
		2012–13	1	4.38	तीन वर्ष
		2013–14	4	0.30	दो वर्ष छः महीना
	पं.स. सत्तर कटैया	2010–11	3	3.36	चार वर्ष
		2011–12	3	2.83	दो वर्ष से दो वर्ष छः महीना
	कुल		**28**	**68.27**	
समस्तीपुर	जि.प. समस्तीपुर	2008–10	4	6.23	पांच वर्ष से सात वर्ष
		2010–11	46	50.06	पांच वर्ष
		2012–13	1	2.19	दो वर्ष से अधिक
		2013–14	21	7.03	एक वर्ष से अधिक
	पं.स. दलसिंहसराय	2012–13	1	4.15	दो वर्ष से अधिक
		2014–15	2	7.60	एक वर्ष
	पं.स. सरायरंजन	2013–14	2	0.30	एक वर्ष से अधिक
	ग्रा.पं. हारपुर बरहेता	2009–10	1	1.10	पांच वर्ष से अधिक
		2010–11	1	2.03	तीन वर्ष से अधिक
		2014–15	1	2.65	एक वर्ष
	ग्रा.पं. जखरा	2013–14	2	10.15	एक वर्ष से अधिक
	ग्रा.पं. गंगसारा	2010–11	3	11.75	चार वर्ष से अधिक
		2012–13	1	1.85	दो वर्ष से अधिक
		2013–14	1	4.70	एक वर्ष से अधिक
	पं.स. सिंघिया	2010–14	4	6.97	एक वर्ष से चार वर्ष
	ग्रा.पं. बारे	2010–11	1	0.20	चार वर्ष
	पं.स. मोहिउद्दीन नगर	2013–14	1	1.25	एक वर्ष छः महीना
	कुल		**93**	**120.21**	
सीतामढ़ी	जि.प. सीतामढ़ी	2010–11	2	1.98	चार वर्ष से अधिक
		2011–12	2	3.10	तीन वर्ष से अधिक
		2013–14	1	0.66	दो वर्ष से अधिक
	पं.स. नानपुर	2013–14	3	0.23	दो वर्ष से अधिक
	ग्रा.पं. गिद्धा फुलवरिया	2010–11	4	3.03	चार वर्ष से अधिक
		2011–12	5	3.55	तीन वर्ष से अधिक
	कुल		**17**	**12.55**	

(स्रोत : लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट–2.20

(संदर्भ : कंडिका 2.1.8.3, 2.1.8.4, 2.1.8.8; पृष्ठ–36, 37 एवं 41)

निर्धारित सीमा से अधिक स्वीकृत अग्रिम को दर्शाती विवरणी

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	जिला	इकाई का नाम	योजना संख्या / कुल कार्यों की संख्या	प्राक्कलित राशि	प्रथम अग्रिम की राशि	परास (प्रतिशत में)	अभियुक्ति
1	भोजपुर	जि.प. भोजपुर	168	67000 से 734500	18000 से 100000	10 से 90	
		ग्रा.पं. आहपुरा	1 / 10–11	111000	25000	–	
			3 / 10–11	147800	20000	–	
			6 / 10–11	149400	25000	–	
			5 / 10–11	27254	20000	73–38	
			9 / 10–11	27254	25000	91–72	
			10 / 10–11	27254	20000	73–38	
			2 / 10–11	54500	15000	27–52	
		ग्रा.पं. भारसर (पीरो)	1 / 13–14	499700	475000	95	पंचायत सचिव द्वारा चेक सं. 717402–04 दिनांक 07.05.2014 को ₹ 4,75,000 की निकासी की गई
			1 / 14–15	367800	347000	94	
कुल			**177 कार्य**				
2	कटिहार	जिला परिषद	120		40000 से 250000	10 से 44	
		पं.स. कोडहा	28		25000		
		ग्रा.पं. भटवारा	3		25000		
			2		100000		
		ग्रा.पं. रामपुर	3		25000		
			1		125000	32	
		ग्रा.पं. मखदमपुर	4		25000		
			1		125000	32	
		ग्रा.पं. फुलवरिया	4		25000		
			1		100000		
		पं.स. प्राणपुर	12		25000		
			1		50000		
		ग्रा.पं. केहुनिया	5		25000		
कुल			**185 कार्य**				
3	सहरसा	जि.प. सहरसा	107		96000 से 833000	41 से 70	
		पं.स. सत्तर कटैया	2 / 10–11	498600	190000	38	
			3 / 10–11	480000	190000	40	
			4 / 10–11	480000	190000	40	
			5 / 10–11	480000	190000	40	
			6 / 10–11	480000	190000	40	
			7 / 10–11	240000	96000	40	
			8 / 10–11	68900	25000	36	

			9 / 10–11	98700	35000	35	
			10 / 10–11	160000	60000	38	
			11 / 10–11	497900	190000	38	
			12 / 10–11	120000	48000	40	
			13 / 10–11	120000	48000	40	
			14 / 10–11	120000	48000	40	
			15 / 10–11	120000	48000	40	
			16 / 10–11	200000	80000	40	
			17 / 10–11	120000	48000	40	
			18 / 10–11	97800	35000	36	
			19 / 10–11	480000	190000	40	
			20 / 10–11	240000	48000	20	
			21 / 10–11	97800	35000	36	
			22 / 10–11	240000	80000	33	
			16 / 11–12	200000	100000	50	
			17 / 11–12	200000	100000	50	
कुल			**130 कार्य**		**25000 से 833000**	**33 से 70**	

(स्रोत : लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी)

परिशिष्ट–2.21

(संदर्भ : कंडिका 2.1.9; पृष्ठ–43)

संयुक्त भौतिक निरीक्षण के निष्कर्षों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	जिला	निरीक्षित इकाई का नाम	योजना संख्या/वर्ष	अभिकर्ता का नाम एवं कार्य के कार्यान्वयन के समय मुखिया का नाम	अभियुक्ति
1	सहरसा	ग्रा.पं. रसलपुर (पं.स. बनमा इटहरी)	01, 02, 06, 07, 08/2010–11	ज्योतिष प्रसाद, पंचायत सचिव तथा उषा देवी	वितरित किए गए कुल 75 चापाकलों में से 44 चापाकलों का संयुक्त जाँच किया जिसमें राशि ₹ 1.26 लाख के 19 चापाकलों (₹ 6625 × 19) को लाभुकों को नहीं वितरित किया गया था तथा राशि ₹ 1.26 लाख की फर्जी निकासी की गयी।
2	सहरसा	ग्रा.पं. इटहरी (पं.स. बनमा इटहरी)	04, 05, 06 07, 08, 10, 11 एवं 12/2010–11	ज्योतिष प्रसाद, पंचायत सचिव तथा नागेंद्र पंडित.	वितरित किए गए कुल 120 चापाकलों में से 34 चापाकलों का संयुक्त जाँच किया जिसमें राशि ₹ 1.39 लाख के 21 चापाकलों (₹ 6625 × 21) को लाभुकों को नहीं वितरित किया गया था तथा राशि ₹ 1.39 लाख की फर्जी निकासी की गयी।
3	सहरसा	ग्रा.पं. साहपुर (पं.स. सतर कटैया)	2,4/2010–11	उमा शंकर शर्मा, पंचायत सचिव तथा कंचन देवी	कुल 50 चापाकलों में से 20 चापाकलों का संयुक्त जांच किया गया जो विभिन्न स्थानों पर अधिष्ठापित पाए गए। सभी चापाकल निजी अहातों में अधिष्ठापित पाए गए जो पि.क्षे.अ.नि. की मार्गदर्शिका एवं उच्च स्तरीय समिति के दिनांक 28.04.2010 के निर्णय के विरूद्ध था जिसमें यह निर्देशित किया गया था कि सार्वजनिक स्थानों पर ही चापाकल का अधिष्ठापन किया जाय।
4	भोजपुर	ग्रा.प. सेदहां (पं.स. तरारी)	01/10–11	अंगद दुबे, पंचायत सचिव	मापीपुस्त में दर्ज कुल 12 चापाकल मे से 1 चापाकल निर्धारित स्थल में अधिष्ठापित पाया गया।
5	सीतामढ़ी	ग्रा.पं. बनौली	4, 5/11–12, 4,6, 7/12–13; 01/13–14; 04/14–15	योगेंद्र प्रसाद, दसई बैठा	कुल 29 चापाकल में से 16 चापाकल का संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया जिनमे 5 चापाकल निजी अहाता/आवास में अधिष्ठापित पाया गया।
6	सीतामढ़ी	ग्रा.प. दधावाड़ी	04/11–12; 05,07/12–13	उपेन्द्र साह, योगेंद्र प्रसाद	सभी 11 चापाकल का संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया जिनमें 4 चापाकल निजी अहाता/आवास में अधिष्ठापित पाया गया।
7	सीतामढ़ी	पं.स. सुरसंड	07,10/12–13	उपेंद्र कुमार, राम जी राम	कुल 38 चापाकल में से 8 चापाकल का संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया जिनमे 3 चापाकल निजी अहाता/आवास मे अधिष्ठापित पाया गया।
8	सीतामढ़ी	ग्रा.पं. बेलाही नीलकंठ	07,08/10–11; 02/13–14	राज नरायण सिंह	कुल 16 चापाकल में से 5 चापाकल का संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया जिनमें 3 चापाकल निजी अहाता/आवास में अधिष्ठापित पाया गया।

9	सीतामढ़ी	ग्रा.पं. अथरी	02, 03, 05, 08, 09, 10–11; 08,09 / 12–13	राज नारायण सिंह, अनिल कुमार सिंह	कुल 22 चापाकल में से 8 चापाकल का संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया जिनमे 5 चापाकल निजी अहाता / आवास में अधिष्ठापित पाया गया।
10	सीतामढ़ी	पं.स. रून्नीसैदपुर	1, 54, 58 / 13–14	त्रिभुवन सिंह, अशेश्वर राम	कुल 11 चापाकल में से 5 चापाकल का संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया जिनमें 3 चापाकल निजी अहाता / आवास में अधिष्ठापित पाया गया।
11	सीतामढ़ी	ग्रा.पं. बरहेत्ता	6, 7 / 11–12	राज नारायण चौधरी	कुल 9 चापाकल में से 3 चापाकल का संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया जिनमे 2 चापाकल निजी अहाता / आवास में अधिष्ठापित पाया गया।
12	सीतामढ़ी	ग्रा.पं. बघारी	1, 5,6 / 12–13	जीतेंद्र ठाकुर	कुल 13 चापाकल में से 6 चापाकल का संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया जिनमें 4 चापाकल निजी अहाता / आवास में अधिष्ठापित पाया गया।
13	सीतामढ़ी	ग्रा.पं. गौसनगर	3 / 10–11	राम चरित्र ठाकुर	सभी 2 चापाकल का संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया जिनमें 1 चापाकल निजी अहाता / आवास में अधिष्ठापित पाया गया।
14	सीतामढ़ी	ग्रा.पं. देवना बुजुर्ग	12 / 12–13; 64,65 / 13–14	रामचंद्र सिंह	कुल 12 चापाकल में से 4 चापाकल का संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया जिनमें 4 चापाकल निजी अहाता / आवास में अधिष्ठापित पाया गया।
15	सीतामढ़ी	पं.स.नानपुर	1, 3 / 10–11; 3, 30 / 11–12; 3, 5, 6, 9 / 12–13	श्याम नंदन चौधरी, राम कैलाश भगत, शिव शंकर पंडित, हरि नारायण राय, सुरेंद्र बैठा	कुल 126 चापाकल में से 23 चापाकल का संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया जिनमें 13 चापाकल निजी अहाता / आवास में अधिष्ठापित पाया गया।
16	सीतामढ़ी	ग्रा.पं. सिरसी	3 / 10–11; 4, 5 / 12–13	हरि नारायण राय	कुल 12 चापाकल में से 5 चापाकल का संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया जिनमें 3 चापाकल निजी अहाता / आवास में अधिष्ठापित पाया गया।
17	सीतामढ़ी	ग्रा.पं. जानीपुर	4, 5,6 / 10–11	श्याम नंदन चौधरी	कुल 13 चापाकल में से 8 चापाकल का संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया जिनमें 3 चापाकल निजी अहाता / आवास में अधिष्ठापित पाया गया।
18	सीतामढ़ी	ग्रा.पं. नानपुर	2 / 11–12; 4, 5 / 12–13, 01 / 13–14; 01 / 14–15	हरि नारायण राय, शिव शंकर पंडित, दिलिप कुमार, विजय पासवान	कुल 26 चापाकल में से 8 चापाकल का संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया जिनमें 4 चापाकल निजी अहाता / आवास में अधिष्ठापित पाया गया।

(स्रोतः संयुक्त भौतिक निरीक्षण)

परिशिष्ट–2.22

(संदर्भ : कंडिका 2.1.9; पृष्ठ–43)

संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्षों की विवरणी

जिला	इकाई	कार्य का विवरण	फोटोग्राफ	अभियुक्ति
समस्तीपुर	ग्रा.पं. रायपुर बुजुर्ग (सं.भौ.स. की तिथि 24.07.15)	योजना सं.: 02/09–10 योजना का नामः रायपुर बुजुर्ग में भगत जी के बथान के निकट कल्वर्ट एवं नाली का निर्माण प्राक्कलित राशिः ₹ 3.50 लाख व्ययः ₹ 0.65 लाख		योजना कार्य को बीच में ही छोड़ दिया गया था।
समस्तीपुर	ग्रा.पं. गंगसारा (सं.भौ.स. की तिथि 24.07.15)	योजना सं.: 01/10–11 योजना का नामः गंगसारा में आंगनबाड़ी केंद्र सं. – 113 का निर्माण प्राक्कलित राशिः ₹ 5.30 लाख व्ययः ₹ 4.95 लाख		आंगनबाड़ी केंद्र परित्यक्त अवस्था में था।
समस्तीपुर	ग्रा.पं. गंगसारा (सं.भौ.स. की तिथि 24.07.15)	योजना सं.: 02/10–11 योजना का नामः गंगसारा में जोर अशर्फी के घर के पास रैन बसेरा का निर्माण प्राक्कलित राशिः ₹ 3.81 लाख व्ययः ₹ 3.60 लाख		रैन बसेरा परित्यक्त अवस्था में था।
समस्तीपुर	ग्रा.पं. गंगसारा (सं.भौ.स. की तिथि 24.07.15)	योजना सं.: 03/10–11 योजना का नामः गंगसारा में अहमदपुर भूइया स्थान से पोखर तक नाली का निर्माण प्राक्कलित राशिः ₹ 4.99 लाख व्ययः ₹ 3.20 लाख		नाली का निर्माण कार्य बीच में ही छोड़ दिया गया और वह परित्यक्त स्थिति में थी।
समस्तीपुर	ग्रा.पं. गंगसारा (सं.भौ.स. की तिथि 27.06.15)	योजना सं.: 01/12–13 योजना का नामः मध्य विद्यालय होते हुए आर.ई.ओ. सड़क से हाट तक पी.सी.सी. निर्माण प्राक्कलित राशिः ₹ 4.99 लाख व्ययः ₹ 1.85 लाख		पी.सी.सी. कार्य परित्यक्त अवस्था में था। फलतः स्थानीय लोग योजना के लाभ से वंचित रहे।

लखीसराय	पं.स. चानन (सं.भौ.स. की तिथि 27.06.15)	योजना सं.: 02/12–13 योजना का नाम: ग्रा.पं. इटौना में राजू यादव के घर से नरेश भारती के घर तक पी.सी.सी. कार्य प्राक्कलित राशि: ₹ 4.95 लाख व्यय: ₹ 4.94 लाख		मापीपुस्त के अनुसार सड़क की मुटाई 5.6 इंच से 6 इंच थी परंतु लेखापरीक्षा दल द्वारा की गयी जांच में पूरे सड़क में मुटाई मात्र 2 इंच से 3 इंच पायी गयी। पूरी सड़क क्षतिग्रस्त थी।
लखीसराय	पं.स. चानन (सं.भौ.स. की तिथि 25.06.15)	योजना सं.: 09/11–12 योजना का नाम: रामपुर मुसहरी से भलूई सीमा तक पी.सी.सी. सड़क का निर्माण (भाग –II) प्राक्कलित राशि: ₹ 4.94 लाख व्यय: ₹ 4.85 लाख		मापीपुस्त में 624 फीट पी. सी.सी. कार्य में 9 फीट से 10 फीट चौड़ाई एवं 5 इंच से 7 इंच मुटाई में दर्ज की गयी थी परंतु जांच में मोटाई मात्र 2 इंच से 3 इंच ही पायी गयी। पूरी सड़क क्षतिग्रस्त थी।
लखीसराय	पं.स. चानन (सं.भौ.स. की तिथि 30.06.15)	योजना सं.: 05/11–12 योजना का नाम: ग्राम पंचायत संग्रामपुर में कमल यादव के घर से बसंत यादव के घर तक पी.सी.सी. सड़क का निर्माण प्राक्कलित राशि: ₹ 4.99 लाख व्यय: ₹ 4.99 लाख		मापीपुस्त में 985 फीट पी. सी.सी. कार्य में 8 फीट 3 इंच से 11 फीट चौड़ाई एवं 6 इंच मुटाई दर्ज की गयी थी परंतु, जांच में चौड़ाई मात्र 8 फीट एवं मुटाई 2 इंच से 3 इंच ही पायी गयी। पूरी सड़क क्षतिग्रस्त थी।
लखीसराय	जि.प. लखीसराय (सं.भौ.स. की तिथि 25.06.15)	योजना सं.: 02/13–14 योजना का नाम: पंचायत सलेमपुर पश्चिम अंतर्गत मौलानगर में प्रभु तांती के घर से रामकिशुन तांती के घर तक पी.सी.सी. कार्य प्राक्कलित राशि: ₹ 4.40 लाख व्यय: ₹ 3.08 लाख		मापीपुस्त के अनुसार सड़क की मुटाई 6 इंच थी परंतु सं.भौ.स. में मुटाई 1.5 इंच से 2 इंच से अधिक नहीं पायी गयी। विभिन्न बिंदुओं पर मोटाई इस प्रकार थीं– 1. प्रारंभ में–1.5 इंच 2. 100 फीट पर–1.5 इंच 3. 150–200 फीट पर–1.25 इंच
लखीसराय	पं.स. पिपरिया (सं.भौ.स. की तिथि 30.06.15)	योजना सं.: 05/14–15 योजना का नाम: ग्राम रामचंद्रपुर में मनोज कुमार सिंह एवं चंदन कुमार के घर के सामने शौचालय एवं चापाकल का निर्माण प्राक्कलित राशि: ₹ 2.48 लाख व्यय: ₹ 2.15 लाख		योजना का कार्यान्वयन ('शौचालय का निर्माण) श्री मनोज सिंह के निजी घर में किया जा रहा था।

पटना	पं.स. दुल्हिन बाजार (सं.भौ.स. की तिथि 30.04.15)	योजना सं.: 01/11–12 योजना का नामः ग्राम धरमपुर खडवा में मस्जिद होते हुए ललन साव के घर से राजा राम के घर तक पी.सी.सी. सड़क का निर्माण प्राक्कलित राशिः ₹ 4.11 लाख व्ययः ₹ 4.10 लाख		मापीपुस्त में मुटाई 7 इंच से 3 इंच दर्ज की गयी थी परंतु जांच में संपूर्ण सड़क की मुटाई मात्र 4 इंच से 2 इंच ही पायी गयी।
सीतामढ़ी	ग्रा.पं. सुरसंड उत्तरी (सं.भौ.स. की तिथि 05.06.15)	योजना सं.: 02/10–11 योजना का नामः पासवान के प्रांगण में ईंटीकरण एवं चबूतरा का निर्माण प्राक्कलित राशिः ₹ 1.35 लाख व्ययः ₹ 1.30 लाख		चबूतरा इतना क्षतिग्रस्त था कि इसका उपयोग नहीं किया जा सकता था।
पटना	जि.प. पटना (सं.भौ.स. की तिथि 02.05.15)	योजना सं.: 01/09–11 योजना का नामः धनरूआ के डुमरा हरिजन टोला में सामुदायिक भवन का निर्माण प्राक्कलित राशिः ₹ 5.80 लाख व्ययः ₹ 4.24 लाख		पांच वर्ष बीतने के बावजूद मापीपुस्त के अनुसार सतह का निर्माण एवं प्लास्टर इत्यादि का कार्य पूरा नहीं किया गया
पटना	जि.प. पटना (सं.भौ.स. की तिथि 02.05.15	योजना सं.: 99/10–11 योजना का नामः दयालचक हरिजन टोला, मनेर में मिट्टी भराई एवं पी.सी.सी. कार्य प्राक्कलित राशिः ₹ 4.21 लाख व्ययः ₹ 4.21 लाख		मूल प्राक्कलित राशि ₹ 8.28 लाख को पुनरीक्षित करके ₹4.21 लाख किया गया। सड़क में कई स्थान पर दरार एवं क्षतिग्रस्त थे। मापी पुस्त में मुटाई 6 इंच दर्ज थी परंतु जांच में किनारे की मुटाई 5 इंच एवं मध्य में 2 इंच से 3 इंच पायी गयी।
मधेपुरा	ग्रा.पं. नरथुआ भागीपुर (सं.भौ.स. की तिथि 19.06.15	योजना सं.: 02/12–13 योजना का नामः सरस्वती स्थान में थियेटर भवन के उपर पुस्तकालय का निर्माण प्राक्कलित राशिः ₹ 16.00 लाख व्ययः ₹ 12.09 लाख	3 वर्ष बीतने के बावजूद कार्य अधूरा रहा। केवल ईंट कार्य एवं छत ढलाई का कार्य किया गया।	
मधेपुरा	ग्रा.पं. नरथुआ भागीपुर (सं.भौ.स. की तिथि 19.06.15	योजना सं.: 03/11–12 योजना का नामः वार्ड नं. 4 में भागीपुर रोड के निकट दो शौचालय का निर्माण प्राक्कलित राशिः ₹ 1.00 लाख व्ययः ₹ 0.90 लाख	निकास पाईप टूटा हुआ था। योजनास्थल पर सूचना पट्ट नहीं लगा था। चार वर्ष बीतने के बावजूद शौचालय उपयोग में नहीं था।	
मधेपुरा	ग्रा.पं. औराई (सं.भौ.स. की तिथि 15.06.15	योजना सं.: 01/11–12 योजना का नामः पूर्वी औराई में विकास भवन के निकट शौचालय का निर्माण प्राक्कलित राशिः ₹ 1.32 लाख व्ययः ₹ 1.18 लाख	कार्य अधूरा था और जो कार्य किया गया था वह भी क्षतिग्रस्त था।	

(स्रोत : संयुक्त भौतिक सत्यापन)

परिशिष्ट–2.23

(संदर्भ : कंडिका 2.1.10; पृष्ठ–43)

बैंक खाता अवशेष से अधिक रोकड़बही अवशेष को दर्शाती विवरणी

जिला	इकाई का नाम	31 मार्च 2015 को रोकड़ बही शेष	बैंक खाता सं.	31 मार्च 2015 को बैंक खाता शेष	अंतर
औरंगाबाद	जि.अ, औरंगाबाद	8809978	म.बि.ग्रा.बै., खाता सं. 70860100121839	2299909	6510069
भागलपुर	पं.स., रंगरा चौक	369579	इंडियन बैंक, खाता सं. 758442573	197349	172230
मधेपुरा	जि.अ., जि.प.	5181658	सेंट्रल बैंक, खाता सं. 3050681432	4544258	637400
सहरसा	पं.स. बनमा इटहरी	677053	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, खाता सं. 0507 उ.बि.ग्रा.बै., खाता सं. 0056	36253	640800
कुल योग					**7960499**

(स्रोत : संबंधित इकाईयों का रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक)

परिशिष्ट–2.24

(संदर्भ : कंडिका 2.1.10; पृष्ठ–44)

रोकड़ बही अवशेष से अधिक बैंक खाता अवशेष को दर्शाती हुई विवरणी

जिला	इकाई का नाम	31 मार्च 2015 को रोकड़ बही शेष	बैंक खाता सं.	31 मार्च 2015 को बैंक खाता शेष	अंतर
औरंगाबाद	पं.स. औरंगाबाद सदर	1146003	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, खाता सं. 30361192540	1190184	44181
	पं.स. रफीगंज	3403532	इंडियन बैंक, खाता सं.764997163	3856680	453148
				कुल	**497329**
भागलपुर	पं.स. पीरपैंती	1729807	इंडियन बैंक, खाता सं. 755691838	3322475	1592668
	पं.स. शाहकुंड	0	इंडियन बैंक, खाता सं. 751172781	1149	1149
				कुल	**1593817**
भोजपुर	जि.प. भोजपुर	14851441	पी.एन.बी. 4910, म.बि.ग्रा.बैं. 1144, एच.डी.एफ.सी.1538	30304196	15452755
	पं.स. पीरो	2211515	पी.एन.बी., खाता सं. 0103349798	2334049	122534
	पं.स. संदेश	1124184	म.बि.ग्रा.बैं. 73985 तथा पी.एन.बी. 546921	2515435	1391251
	पं.स. तरारी	577096	पी.एन.बी., खाता सं. 546958	2118951	1541855
				कुल	**18508395**
कटिहार	पं.स. कुरसेला	18491	इलाहाबाद बैंक, खाता सं. 8363	147723	129232
	पं.स. कोढ़ा	243243	बैंक ऑफ बड़ौदा 4072, इलाहाबाद बैंक 6665	258955	15712
	पं.स. प्राणपुर	357972	एक्सिस बैंक 7243364, इलाहाबाद बैंक 9542	6443642	6089670
				कुल	**6234614**
लखीसराय	जि.प. लखीसराय	8747056	पी.एन.बी., खाता सं. 3936000100000033	8707038	15998
			स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, खाता सं. 30280155176	56016	
	पं.स. चानन	12137	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता सं. 3017169082	2487063	2474926
	पं.स. पिपरिया	1782341	बैंक ऑफ बड़ौदा, खाता सं. 30430100001751	2115585	333244
				कुल	**2824168**
मधेपुरा	पं.स. आलम नगर	979708	उ.बि.ग्रा.बै., खाता सं. 1008251010001690	5223644	4243936
	पं.स. बिहारीगंज	1444363	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता सं. 31099249984	2508260	1063897
	पं.स. पुरैनी	227292	उ.बि.ग्रा.बैं., खाता सं. 1007361010005052	1214400	987108
कुल					**6294941**
कुल योग					**35953264**

(स्रोत : संबंधित इकाईयों का रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक)

परिशिष्ट–4.1

(संदर्भ : कंडिका 4.3.2; पृष्ठ–49)

श.स्था.नि. द्वारा किये जा रहे 13 कार्यों/विषयों की सूची

1	नगर योजना को शामिल करते हुए शहरी आयोजना
2	आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए योजना
3	सड़कें और पुलें
4	घरेलू, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु जलापूर्ति
5	जन स्वास्थ्य (रोकथाम उपाय जैसे टीका, स्प्रे इत्यादि) स्वच्छता, सफाई एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
6	गंदी बस्ती का सुधार एवं उत्थान
7	शहरी गरीबी उन्मूलन
8	नगरीय सुविधाएँ जैसे–उद्यान, बगीचे, खेल के मैदान के लिए प्रावधान
9	कब्र और कब्रिस्तान, दाह संस्कार भूमि और विद्युतीय दाहसंस्कार
10	मवेशी के लिए तालाब, जानवरों के प्रति क्रूरता का निवारण
11	जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण आँकड़ें
12	जन सुविधाएं जैसे गलियों में रोशनी, पार्किंग स्थल, बस–स्टैंड एवं जन सुविधाएं
13	कसाईखानों एवं चर्म उद्योगों का नियमन

(स्रोतः नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रदत्त जानकारी)

परिशिष्ट–4.2

(संदर्भ : कंडिका 4.8.1.3; पृष्ठ–55)

28 श.स्था.नि. की प्राप्ति एवं उपयोगिता को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श.स्था.नि. का नाम	वित्तीय वर्ष 2012–13			वित्तीय वर्ष 2013–14			वित्तीय वर्ष 2014–15		
		प्रारंभिक शेष (प्रा.शे.)	प्राप्ति	व्यय	प्रारंभिक शेष (प्रा. शे.)*	प्राप्ति	व्यय	प्रारंभिक शेष (प्रा.शे.)	प्राप्ति	व्यय
1	पटना	64.44	64.43	44.27	84.61	116.52	72.35	128.78	146.84	121.82
2	दानापुर	5.59	5.91	4.63	6.87	4.64	2.53	8.98	27.14	10.33
3	खगौल	0.94	2.80	2.60	1.14	2.99	1.69	2.44	4.79	4.63
4	फुलवारीशरीफ	2.42	4.72	2.57	4.57	6.62	3.39	7.79	5.15	1.85
5	आरा	10.68	16.24	10.61	16.30	23.80	8.65	31.45	14.07	27.74
6	बेगूसराय	4.48	3.10	0.99	6.59	1.44	0.45	7.58	4.73	3.50
7	छपरा	10.37	10.80	7.49	13.68	3.70	7.38	10.00	24.47	10.55
8	बिहारशरीफ	14.31	14.31	11.17	17.45	23.27	17.00	23.73	21.73	19.28
9	सिवान	8.68	8.36	4.49	12.55	8.69	8.64	12.61	12.99	11.77
10	हाजीपुर	0.74	7.19	3.17	4.76	5.54	5.10	5.19	32.58	14.39
11	भागलपुर	16.56	12.57	10.33	18.80	16.81	11.66	23.95	30.22	21.80
12	जमालपुर	2.97	15.67	7.83	10.81	11.05	15.39	6.47	4.20	4.77
13	मुंगेर	15.10	16.85	20.59	11.36	32.94	11.27	33.03	43.24	38.87
14	गया	20.85	21.33	10.01	32.16	22.25	22.05	32.36	48.08	28.76
15	औरंगाबाद	3.37	5.34	2.93	5.77	8.69	4.54	9.93	10.52	1.04
16	बोधगया	2.98	1.79	1.53	3.24	4.39	2.21	5.42	6.07	1.54
17	नवादा	5.79	4.37	3.07	7.09	11.84	11.47	7.46	14.23	4.44
18	सासाराम	9.50	7.28	5.73	11.04	18.52	15.26	14.30	14.57	10.89
19	डेहरी	5.66	5.53	4.05	7.13	11.91	9.06	9.98	14.89	4.85
20	किशनगंज	13.54	10.80	4.57	19.77	16.97	7.12	29.62	30.90	34.70
21	कटिहार	19.57	5.35	5.84	19.08	22.34	10.01	31.41	14.67	16.12
22	पूर्णिया	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	56.98	40.09	47.11
23	सहरसा	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	16.09	23.16	25.86
24	मुजफ्फरपुर	30.09	17.91	12.29	39.71	13.54	12.12	41.13	49.20	31.40
25	दरभंगा	21.95	13.26	6.76	28.45	14.78	11.50	31.73	42.85	25.36
26	मोतीहारी	7.68	10.01	5.95	11.74	14.70	3.50	22.94	18.12	17.57
27	बेतिया	13.84	8.84	6.89	15.79	8.35	6.32	17.82	22.70	28.26
28	सीतामढ़ी	14.88	6.03	1.30	19.62	18.04	15.94	12.72	12.97	20.20
कुल		**326.98**	**300.79**	**201.66**	**430.08**	**444.33**	**296.60**	**641.89**	**735.17**	**589.40**

(स्रोतः नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना)

उ.न. = उपलब्ध नहीं

* पूर्ववत्ती वर्षों के अं.शे. के साथ प्रा.शे. का मिलान नहीं था

परिशिष्ट–5.1
(संदर्भ : कंडिका 5.1.2; पृष्ठ–59)
च.रा.वि.आ. अनुदान की विमुक्ति को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उच्च प्राथमिकता क्षेत्र	करों का शेष भाग	कुल विमुक्त की जानेवाली	विमुक्त निधि		कम विमुक्ति	विमुक्त की जानेवाली असंबद्ध निधि	विमुक्त निधि		कम विमुक्ति
				राशि	तिथि			राशि	तिथि	
1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (4–5)	8	9	10	11 (8–9)
2011–12	72.39	99.17	171.56	171.56	22.03.2012 एक किस्त	शून्य	27.77 53.30 81.07	27.49 51.97 79.46	22.03.2012 एक किस्त	1.61
2012–13	67.20	144.27	211.47	211.47	11.03.2013 एक किस्त	शून्य	53.30	52.80	11.03.2013 एक किस्त	0.50
2013–14	37.20	235.43	272.63	272.32	15.03.2014 एक किस्त	शून्य	53.30	53.00	15.03.2014 एक किस्त	0.30
2014–15	37.20	316.29	353.49	176.75	20.03.2015	शून्य	53.30	26.60	20.03.2015	0.10
				176.75	25.03.2015			26.60	25.03.2015	
कुल	**213.99**	**795.16**	**1009.15**	**1009.15**			**240.97**	**238.46**		**2.51**

(स्रोतः च.रा.वि.आ. प्रतिवेदन एवं विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी)

(अ) श.स्था.नि. के संबंध में च.रा.वि.आ. की महत्त्वपूर्ण अनुशंसाओं की विवरणी

च.रा.वि.आ. प्रतिवेदन की कंडिका सं.	अनुशंसाएँ	अभियुक्ति
10.61	स्थानीय निकायों के हिस्से की विमुक्ति ठीक विगत वर्ष की प्राप्तियों के आंकड़ों के आधार पर किया जाना चाहिए।	स्थानीय निकायों के हिस्से की विमुक्ति, पिछले दो वर्षों के आंकड़ों के आधार पर किया गया।
13.3	स्थानीय निकाय कर्मियों के संस्वीकृत पदों के विरूद्व कार्यरत कर्मियों के वर्तमान वेतन पर व्यय बिना किसी कटौती के अगले पाँच वर्षों तक सरकार द्वारा उठाया जाए।	श.स्था.नि. के कर्मचारियों के वेतन के लिए अनुदान विमुक्त किए गए थे।
13.5	श.स्था.नि. के लिए पाँच उच्च प्राथमिकता वाले कार्यकलापों[1] को चिन्हित किया गया है। इन कार्यकलापों को मुख्य रूप से राज्य करों में हिस्सेदारी के हस्तांतरण द्वारा वित्त पोषण किया जा सकता है। 2010–15 के दौरान प्राक्कलित राशि ₹ 251 करोड़ है।	अनुशंसा के अनुसार उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए अनुदान विमुक्त किए गए थे।
13.6	राज्य के निवल स्वयं कर राजस्व का 7.5% हिस्सा स्थानीय निकायों को प्रत्यायोजित किया जाना चाहिए। आगे, 70% पं.रा.सं. को एवं 30% श.स्था.नि. को वितरित किया जाना चाहिए।	सरकार ने अनुशंसा को स्वीकार किया (अगस्त 2011) तथा तदनुसार निधि विमुक्त किया।
13.7	स्थानीय निकायों का हिस्सा प्रतिवर्ष दो अर्धवार्षिक किश्तों में निर्गत की जाए।	अनुदान एक ही किस्त में वित्तीय वर्ष के अंत में (2014–15 में अपवाद) विमुक्त किए गए थे।
13.14	स्थानीय निकायों के कर्मियों के सेवानिवृत्ति लाभों के बकाए की एकमुश्त सहायता अनुदान द्वारा समाशोधित किया जाना चाहिए।	सरकार ने अनुशंसा को स्वीकार किया तथा सेवानिवृति लाभ के लिए ₹ 27.49 करोड़ की राशि मार्च 2012 में विमुक्त किया।
13.16	श.स्था.नि. को अनुदान राज्य के संचित निधि से निम्नलिखित तरीके से दी जानी चाहिएः **(i)** पटना नगर निगम (प.न.नि.) - ₹ 5 करोड़ प्रतिवर्ष **(ii)** प.न.नि. को छोड़कर प्रत्येक नगर निगम - ₹ 1 करोड़ प्रतिवर्ष **(iii)** प्रत्येक नगर परिषद् - ₹ 50 लाख प्रतिवर्ष **(iv)** प्रत्येक नगर पंचायत - ₹ 20 लाख प्रतिवर्ष	श.स्था.नि. को अनुशंसा के अनुसार अनुदान विमुक्त किए गए थे।

(स्रोतः च.रा.वि.आ. प्रतिवेदन एवं विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी)

[1] *मैला ढोने, नगरपालिका क्षेत्रों में सड़कें, जलापूर्ति, सामुदायिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, तथा गलियों में प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग स्थल एवं सार्वजनिक सुविधाएं*

परिशिष्ट–5.2

(संदर्भ : कंडिका 5.1.2 एवं 5.1.9.1; पृष्ठ–59 एवं 66)

राजस्व के स्रोत से संबंधित विवरणी

क्र. सं	कर	उपयोगकर्ता शुल्क	शुल्क एवं जुर्माना
1	भूमि (खाली भूमि सहित) एवं भवनों पर संपत्ति कर	जलापूर्ति, नाला एवं सीवरेज का प्रावधान	भवन योजनाओं की मंजूरी तथा पूर्णता प्रमाणपत्रों का निर्गमन
2	भूमि एवं भवनों के स्थानांतरण पर अधिभार	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	भूमि एवं भवन के विभिन्न गैर–आवासीय प्रयोगों हेतु नगरपालिका अनुज्ञप्ति निर्गत करना
3	किसी गैर–आवासीय भवन में पार्किंग स्थल के अभाव पर कर	विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न अवधियों के लिए विभिन्न प्रकार के वाहनों का पार्किंग	अनुज्ञप्ति देना
4	जल कर	किसी प्रकार के निर्माण, परिवर्तन, मरम्मति एवं विध्वंस के कार्य हेतु सार्वजनिक सड़कों पर सामग्रियों या मलबा को जमा करना	जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र निर्गत करना
5	अग्नि कर	नियमावलियों के द्वारा समय समय पर निर्धारित दरों पर इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत अन्य कोई विशेषीकृत सेवाएं	
6	समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों के अलावा अन्य विज्ञापनों पर कर		
7	मनोरंजन कर पर अधिभार		
8	नगरपालिका क्षेत्र में विद्युत उपभोग पर अधिभार		
9	सभा कर		
10	तीर्थयात्रियों तथा पर्यटकों पर कर		
11	मार्ग कर		
12	मोबाईल टावर एवं संबंधित संरचना/डिस्क एंटीना		

(स्रोतः बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007)

परिशिष्ट–5.3

(संदर्भ : कंडिका 5.1.5; पृष्ठ–59)

स्ट्रेटीफाइड सैंपलिंग पद्धति के तहत सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट पद्धति के आधार पर चयनित श.स्था.नि. की सूची

नगर निगम	नगर परिषद्	नगर पंचायत
दरभंगा	अरवल	अरेराज
बिहारशरीफ	बगहा	बखरी
मुंगेर	बाढ़	बांका
	जमुई	बैरगनिया
	किशनगंज	बिक्रमगंज
	मधेपुरा	चनपटिया
	मोकामा	दिघवारा
	जमालपुर	एकमा
	सासाराम	गोगरी जमालपुर
	सिवान	झंझारपुर
	सुपौल	कांटी
		कटैया
		कोईलवर
		लालगंज
		महनार
		मैरवा
		मोतीपुर
		नबीनबर
		नासरीगंज
		नौबतपुर
		शेरघाटी
		सिमरी बख्तियारपुर
कुल - 3	**11**	**22**

परिशिष्ट–5.4

(संदर्भ : कंडिका 5.1.7.2, 5.1.7.3, 5.1.7.4; पृष्ठ–61 से 63)

श.स्था.नि. में स्वास्थ्य उपकर एवं शिक्षा उपकर को जमा नहीं किए जाने की विवरणी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	श.स्था.नि. का नाम	स्वास्थ्य उपकर की जमा नहीं की गई राशि	शिक्षा उपकर की जमा नहीं की गई राशि	कुल	अभियुक्ति
1.	बिहारशरीफ निगम	136.50	136.50	273.00	1218.00
2.	दरभंगा निगम	188.00	188.00	376.00	
3.	मुंगेर निगम	284.50	284.50	569.00	
4.	बगहा परिषद्	1.39	1.39	2.78	531.83
5.	बाढ़ परिषद्	5.16	5.16	10.32	
6.	जमालपुर परिषद्	97.75	95.97	193.72	
7.	जमुई परिषद्	6.68	6.68	13.36	
8.	किशनगंज परिषद्	1.31	5.05	6.36	
9.	मोकामा परिषद्	25.46	25.46	50.92	
10.	सासाराम परिषद्	68.09	68.09	136.18	
11.	सीवान परिषद्	41.20	41.20	82.40	
12.	सुपौल परिषद्	17.97	17.82	35.79	
13.	बैरगानिया पंचायत	0.00	0.70	0.70	57.24
14.	बिक्रमगंज पंचायत	7.07	7.07	14.14	
15.	चनपटिया पंचायत	2.21	2.21	4.42	
16.	दिघवारा पंचायत	3.39	3.39	6.78	
17.	एकमा पंचायत	0.19	0.19	0.38	
18.	झंझारपुर पंचायत	0.54	0.54	1.08	
19.	कांटी पंचायत	0.91	0.91	1.82	
20.	कटैया पंचायत	0.76	0.76	1.52	
21.	लालगंज पंचायत	2.36	2.36	4.72	
22.	महनार पंचायत	2.00	2.00	4.00	
23.	मैरवा पंचायत	3.65	3.65	7.30	
24.	मोतीपुर पंचायत	0.95	0.95	1.90	
25.	नबीनगर पंचायत	3.67	2.93	6.60	
26.	नासरीगंज पंचायत	0.94	0.94	1.88	
	कुल	**902.65**	**904.42**	**1807.07**	**1807.07**

(स्रोतः लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट–5.5

(संदर्भ : कंडिका 5.1.7.5; पृष्ठ–64)

निगमों में प्राप्ति एवं व्यय के बजट एवं वास्तविक में अंतर को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

नगर निगम	वर्ष	प्राप्ति		अंतर (प्रतिशत)	व्यय		अंतर (प्रतिशत)
		बजट	वास्तविक	राशि	राशि	वास्तविक	राशि
बिहारशरीफ	2010–11	51.65	10.56	41.09(80)	2.85	8.09	(–) 5.24(184)
	2011–12	51.65	12.46	39.19(76)	4.32	13.38	(–) 9.06(210)
	2012–13	62.86	19.68	43.18(69)	4.31	14.42	(–) 10.11(235)
	2013–14	75.12	35.67	39.45(53)	6.06	36.94	(–) 30.88(510)
	2014–15	94.42	25.03	69.39(73)	7.16	17.01	(–) 9.85(138)
दरभंगा	2010–11	47.96	19.59	28.37(59)	62.63	20.49	42.14(67)
	2011–12	33.55	21.27	12.28(37)	68.74	20.39	48.35(70)
	2012–13	21.04	28.93	(–) 7.89(38)	28.44	21.99	6.45(23)
	2013–14	20.58	30.75	(–) 10.17(50)	43.80	19.89	23.91(55)
	2014–15	149.08	34.74	114.34(77)	172.95	31.90	141.05(82)
मुंगेर	2010–11	33.57	6.05	27.52(82)	37.85	8.20	29.65(78)
	2011–12	36.08	12.79	23.29(65)	45.57	3.84	41.73(92)
	2012–13	18.27	32.53	(–) 14.26(78)	24.64	25.56	(–) 1.00(4)
	2013–14	178.55	32.93	145.62(82)	189.49	16.07	173.42(92)
	2014–15	62.02	48.86	13.16(21)	62.02	39.47	22.55(36)

(स्रोतः लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट–5.6

(संदर्भ : कंडिका 5.1.7.5; पृष्ठ–64)

निगमों में बजट के अंगीकरण एवं प्रेषण में विलंब को दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	नगर निगम	अवधि जिसके लिए बजट तैयार किया गया	बोर्ड के द्वारा अनुमोदन एवं सरकार/विभाग को प्रेषण (15 मार्च की नियत तिथि)			
			अनुमोदन की वास्तविक तिथि	विलंब (दिन में)	प्रेषण की वास्तविक तिथि	विलंब (दिन में)
1	बिहारशरीफ	2010–11	12.04.2010	28	15.04.2010	31
		2013–14	30.03.2013	15	30.03.2013	15
		2014–15	31.05.2014	77	15.03.2014	16
2	दरभंगा	2010–11	08.04.2010	24	13.05.2010	59
		2011–12	15.06.2011	92	27.07.2011	134
		2013–14	30.03.2013	15	24.05.2013	70
		2014–15	28.02.2014	–	28.05.2014	74
3	मुंगेर	2010–11	09.04.2010	25	09.04.2010	25
		2011–12	13.04.2011	29	13.04.2011	29
		2012–13	02.05.2012	48	02.05.2012	48
		2013–14	30.03.2013	15	28.05.2013	74

(स्रोतः लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट–5.7

(संदर्भ : कंडिका – 5.1.7.5; पृष्ठ- 64)

परिषद्ों में बजट एवं वास्तविक प्राप्ति एवं व्यय में अंतर को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परिषद् का नाम	वर्ष	प्राप्ति		अंतर (प्रतिशत)	व्यय		अंतर (प्रतिशत)
			बजट	वास्तविक	राशि	बजट	वास्तविक	राशि
1.	अरवल	2011–12	0.22	2.44	(–)2.22(1009)	9.30	0.15	9.15(98)
		2012–13	3.00	6.12	(–)3.12(104)	7.93	1.68	6.25(79)
		2013–14	12.27	5.15	7.12(58)	13.26	2.29	10.97(83)
		2014–15	17.15	9.01	8.14(47)	16.77	2.08	14.69(88)
2.	बाढ़	2010–11	47.87	0.58	47.29(99)	23.77	1.92	21.85(92)
		2011–12	89.50	3.01	86.49(97)	90.81	1.50	89.31(98)
		2012–13	111.88	3.07	108.81(97)	113.80	3.03	110.77(97)
		2013–14	111.12	5.15	105.97(95)	112.71	1.62	111.09(99)
		2014–15	279.42	9.37	(–)270.05(97)	279.42	6.36	273.06(98)
3.	जमालपुर	2010–11	6.63	4.12	2.51 (38)	8.13	2.85	5.28(65)
		2011–12	3.35	7.51	(–)4.16 (124)	5.35	4.69	0.66(12)
		2012–13	5.86	16.39	(–)10.53(180)	7.98	8.55	(–)0.57(7)
		2013–14	9.93	14.04	(–)4.11(41)	10.35	15.67	(–)5.32(51)
		2014–15	28.31	19.74	8.57 (30)	28.31	20.54	7.77(27)
4.	किशनगंज	2010–11	16.35	15.85	0.5(0.03)	18.98	13.12	5.86(31)
		2011–12	16.94	9.60	7.34(43)	25.62	9.02	16.6(65)
		2012–13	16.20	13.74	2.46(15)	25.16	7.33	17.83(71)
		2013–14	33.49	17.78	15.71(47)	34.80	8.73	26.07(75)
		2014–15	104.75	31.11	73.64(70)	104.75	20.39	84.36(81)
5.	मोकामा	2010–11	3.60	2.79	0.81(23)	3.09	3.27	(–)0.18(6)
		2011–12	13.23	3.34	9.89(75)	13.18	2.66	10.52(80)
		2012–13	13.23	5.13	8.1(61)	13.18	4.62	8.56(65)
		2013–14	7.35	18.57	(–)11.22(153)	7.52	3.59	3.93(52)
		2014–15	88.57	35.17	53.40(60)	88.31	27.04	61.27(69)
6.	सासाराम	2010–11	26.65	6.81	19.84(74)	24.55	3.97	20.58(84)
		2011–12	40.05	7.14	32.91(82)	39.65	4.51	35.14(89)
		2012–13	35.17	9.63	25.54(73)	35.04	8.25	26.79(76)
		2013–14	24.29	14.81	9.48(39)	23.15	10.74	12.41(54)
		2014–15	43.44	17.05	26.39(61)	42.85	15.04	27.81(65)
7.	सिवान	2010–11	15.83	10.68	5.15(10)	15.60	5.48	10.12(65)
		2011–12	26.69	5.43	21.26(80)	29.08	4.13	24.95(86)
		2012–13	15.13	8.40	6.73(44)	29.56	6.40	23.16(78)
		2013–14	17.51	8.68	8.83(50)	29.46	13.65	15.81(54)
		2014–15	21.70	17.41	4.29(20)	34.19	15.85	18.34(54)
8.	सुपौल	2010–11	25.74	1.97	23.77(92)	25.93	3.34	22.59(87)
		2012–13	4.09	5.13	(–)1.04(25)	4.36	2.72	1.64(38)
		2013–14	23.27	5.59	17.68(76)	35.02	6.76	28.26(81)
		2014–15	28.95	8.23	20.72(72)	31.83	11.99	19.84(62)

(स्रोतः लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट–5.8

(संदर्भ : कंडिका – 5.1.7.5; पृष्ठ – 64)

परिषद्ों में बजट के अंगीकरण एवं प्रेषण में विलंब को दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	नगर परिषद् का नाम	अवधि जिसके लिए बजट तैयार किया गया	बोर्ड के द्वारा अनुमोदन (प्रति वर्ष 15 मार्च की नियत तिथि)		सरकार को प्रेषण (प्रति वर्ष 15 मार्च की नियत तिथि)	
			अनुमोदन की वास्तविक तिथि	विलंब (दिन में)	प्रेषण की वास्तविक तिथि	विलंब (दिन में)
1.	अरवल	2011–12	29.08.2011	187	06.09.2011	175
		2012–13	30.03.2012	15	21.04.2012	37
		2013–14	26.03.2013	11	24.04.2013	40
2.	बगहा	2010–11	28.05.2010	73	–	–
		2011–12	02.05.2011	47	30.09.2011	198
		2012–13	15.03.2013	365	–	–
3.	बाढ	2012–13	31.03.2012	16	12.04.2012	28
4.	जमालपुर	2011–12	30.03.2011	15	16.05.2011	61
		2013–14	21.03.2013	6	07.05.2013	52
5.	जमुई	2010–11	21.03.2011	371	27.07.2011	499
		2011–12	27.07.2011	134	27.07.2011	134
6.	किशनगंज	2010–11	21.06.2010	98	28.06.2010	105
		2011–12	18.04.2011	34	19.04.2011	35
		2012–13	12.04.2012	28	16.04.2012	32
		2013–14	12.04.2013	28	02.05.2013	48
7.	मधेपुरा	2014–15	29.03.2014	14	02.04.2014	18
8.	मोकामा	2011–12	14.05.2011	76	14.05.2011	76
9.	सासाराम	2011–12	31.03.2011	16	31.03.2011	16
		2014–15	31.03.2014	16	31.03.2014	16
10.	सिवान	2011–12	19.03.2012	4	28.04.2012	44
		2012–13	25.03.2013	10	11.05.2013	57
		2013–14	31.03.2014	16	31.03.2014	16
11.	सुपौल	2010–11	28.08.2010	166	30.08.2010	168
		2011–12	31.05.2011	77	05.06.2011	82
		2012–13	03.07.2012	110	04.07.2012	111
		2013–14	30.09.2013	199	01.10.2013	200

(स्रोतः लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट–5.9

(संदर्भ : कंडिका – 5.1.7.5; पृष्ठ – 65)

पंचायतों के द्वारा तैयार नहीं की गई बजट की विवरणी

क्र. सं.	नगर पंचायत	अवधि जिसके लिए बजट तैयार नहीं किया गया था	अभियुक्ति
1.	बैरगनिया	2010–11 से 2012–13	
2.	बाँका	2011–12 से 2014–15	
3.	गोगरी जमालपुर	2010–11 से 2013–14	
4.	कांटी	2010–15	
5.	नबीनगर	2010–11 से 2014–15	
6.	नौबतपुर	2010–11 से 2013–14	
7.	सिमरी बख्तियारपुर	2012–13 से 2014–15	अगस्त 2012 से शुरूआत से

(स्रोतः लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट–5.10

(संदर्भ : कंडिका – 5.1.7.5; पृष्ठ – 65)

पंचायतों में बजट एवं वास्तविक प्राप्ति एवं व्यय में अंतर को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	नगर पंचायत	वर्ष	प्राप्ति		अंतर (प्रतिशत)	व्यय		अंतर (प्रतिशत)
			बजट	वास्तविक	राशि	बजट	वास्तविक	राशि
1	बैरगनिया	2013–14	18.15	3.24	14.91(82)	19.27	2.03	17.24(89)
		2014–15	17.98	2.88	15.10(84)	17.98	2.86	15.12(84)
2	बखरी	2013–14	28.92	3.59	25.33(88)	30.66	0.31	30.35(99)
		2014–15	72.20	3.52	68.68(95)	73.06	2.60	70.44(96)
3	बिक्रमगंज	2011–12	5.29	2.12	3.17(60)	5.29	1.71	3.58(68)
		2012–13	9.00	1.83	7.17(80)	9.00	2.13	6.87(76)
		2013–14	8.82	8.30	0.52(6)	8.82	2.27	6.55(74)
		2014–15	6.90	4.09	2.81(41)	6.90	10.43	(–)3.53(51)
4	गोगरी जमालपुर	2014–15	2.64	9.29	(–)6.65(252)	6.34	0.62	5.72(90)
5	कोइलवर	2010–11	1.16	1.05	0.11(9)	3.71	0.77	2.94(79)
		2011–12	0.61	1.28	(–)0.67(110)	2.54	0.33	2.21(87)
		2012–13	2.00	1.54	0.46(23)	2.27	0.68	1.59(70)
		2013–14	3.64	2.38	1.26(35)	3.89	1.16	2.73(70)
		2014–15	3.82	2.13	1.69(44)	3.82	4.01	(–)0.19(5)
6	लालगंज	2010–11	11.68	0.74	10.94(94)	11.61	1.13	10.48(90)
		2011–12	12.51	0.73	11.78(94)	12.9	1.38	11.52(89)
		2012–13	14.68	10.58	4.10(28)	15.35	1.67	13.68(89)
		2013–14	18.56	4.90	13.66(74)	18.50	10.18	8.32(45)
		2014–15	16.22	5.33	10.89(67)	16.19	4.63	11.56(71)
7	मैरवा	2010–11	0.54	0.74	(–)0.20(37)	1.91	0.48	1.43(75)
		2011–12	0.98	1.24	(–)0.26(26)	1.45	0.41	1.04(72)
		2012–13	1.35	2.04	(–)0.69(51)	1.93	0.58	1.35(70)
		2013–14	2.52	0.75	1.77(70)	3.70	0.46	3.24(88)
		2014–15	3.35	1.75	1.60(48)	7.00	1.44	5.56(79)
8	मोतीपुर	2010–11	1.76	0.65	1.11(63)	1.22	0.37	0.85(70)
		2011–12	1.51	1.33	0.18(12)	1.32	0.70	0.62(47)
		2012–13	1.32	1.85	(–)0.53(40)	1.18	1.24	(–)0.06(5)
		2013–14	3.56	4.52	(–)0.96(27)	3.87	1.51	2.36(61)
		2014–15	6.13	4.29	1.84(30)	5.33	2.42	2.91(55)
9	नासरीगंज	2011–12	10.78	0.69	10.09(94)	10.78	0.89	9.89(92)
		2013–14	11.65	2.61	9.04(78)	10.94	1.29	9.65(88)
		2014–15	7.71	1.87	5.84(76)	7.71	2.29	5.42(70)
10	नौबतपुर	2014–15	1.86	15.44	(–) 13.58(730)	2.13	16.93	(–)14.80(695)
11	शेरघाटी	2010–11	1.98	0.90	1.08(55)	4.59	0.24	4.35(95)

(स्रोतः लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट–5.11

(संदर्भ : कंडिका – 5.1.7.5; पृष्ठ – 65)

पंचायतों में बजट के अंगीकरण एवं प्रेषण में विलंब को दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	नगर पंचायत	अवधि जिसके लिए बजट तैयार किया गया	बोर्ड के द्वारा अनुमोदन (प्रति वर्ष 15 मार्च की नियत तिथि)		सरकार को प्रेषण (प्रति वर्ष 15 मार्च की नियत तिथि)	
			अनुमोदन की वास्तविक तिथि	विलंब (दिन में)	प्रेषण की वास्तविक तिथि	विलंब (दिन में)
1	बखरी	2014–15	15.03.2014	–	02.04.2014	18
2	बिक्रमगंज	2014–15	19.12.2014	279	–	–
3	गोगरी जमालपुर	2014–15	24.03.2014	9	30.06.2014	107
4	कोइलवर	2012–13	21.03.2013	371	–	–
5	लालगंज	2010–11	03.09.2010	172	10.09.2010	189
		2011–12	16.05.2011	62	16.05.2011	62
		2012–13	31.03.2012	16	01.04.2012	17
		2013–14	22.07.2013	130	24.07.2013	131
		2014–15	29.03.2014	14	31.03.2014	16
6	महनार	2011–12	31.03.2011	16	–	–
		2012–13	11.07.2012	118	–	–
7	मैरवां	2010–11	25.05.2010	71	–	–
8	मोतीपुर	2014–15	19.06.2014	96	–	–
9	नासरीगंज	2012–13	31.07.2012	138	–	–
		2013–14	30.03.2013	15	–	–
		2014–15	28.03.2014	13	29.03.2014	14
10	शेरघाटी	2010–11	30.03.2010	15	30.03.2010	15
		2012–13	08.06.2011	85	08.06.2011	85
		2013–14	14.03.2012	–	07.07.2012	114
		2014–15	23.05.2014	69	26.05.2014	72

(स्रोतः लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट–5.12

(संदर्भ : कंडिका – 5.1.8.2; पृष्ठ – 66)

परिषदों में जिला योजना समिति के अनुमोदन के बिना स्वयं के स्रोतों से कार्यों के कार्यान्वयन को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	नगर परिषद्	कार्यों की संख्या	व्यय
1.	बगहा	5	12.08
2.	जमुई	1	21.75
3.	किशनगंज	64	241.38
4.	मधेपुरा	50	254.50
5.	सासाराम	104	171.90
6.	सिवान	212	497.78
7.	सुपौल	10	64.98
कुल		**446**	**1264.37**

(स्रोतः लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट–5.13

(संदर्भ : कंडिका – 5.1.8.3; पृष्ठ–66)

पंचायतों में जिला योजना समिति के अनुमोदन के बिना स्वयं के स्रोतों से कार्यों के कार्यान्वयन को दर्शाती विवरणी

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	नगर पंचायत	योजनाओं की संख्या	व्यय
1.	बखरी	1	14151
2.	बिक्रमगंज	7	1023500
3.	चनपटिया	2	112785
4.	कोइलवर	23	5849137
5.	लालगंज	68	2067997
6.	मैरवा	11	4270379
7.	मोतीपुर	19	2547382
8.	शेरघाटी	16	2808875
कुल		**147**	**18694206**

(स्रोतः लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट–5.14

(संदर्भ : कंडिका – 5.1.9.1; पृष्ठ – 66)

निगमों द्वारा करों एवं शुल्कों/जुर्मानों के अध्यारोपण की विवरणी

क्र.सं.	नगर निगम	अध्यारोपित कर	अध्यारोपित शुल्क एवं जुर्माने
1	बिहारशरीफ	i. भूमि एवं भवनों पर संपत्ति कर (रिक्त भूमि सहित), ii. जल कर, iii. मोबाईल टावर एवं संबंधित संरचना/डिश एंटीना	i. भवन योजनाओं की स्वीकृति एवं पूर्णता प्रमाण–पत्रों का निर्गम, ii. विभिन्न श्रेणियों के पेशेवरों जैसे पलंबर एवं सर्वेयर, विभिन्न गतिविधियों जैसे नल कूप का अधिष्ठापन, मांस, मछली एवं पॉलट्री का विक्रय, सामानों का विक्रय, ठेला एवं गाड़ी, तथा ऐसी अन्य गतिविधियां जिनके लिए इस अधिनियम के अंतर्गत अनुज्ञा या अनुमति की आवश्यकता हो, की अनुज्ञप्ति देना, iii. जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्रों का निर्गम
2	दरभंगा	i. भूमि एवं भवनों पर संपत्ति कर (रिक्त भूमि सहित), ii. भूमि एवं भवनों के हस्तांतरण पर अधिभार, iii. जल कर, iv. समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों के अलावे विज्ञापनों पर कर, v. मोबाईल टावर एवं संबंधित संरचना /डिश एंटीना	i. भवन योजनाओं की स्वीकृति एवं पूर्णता प्रमाण–पत्रों का निर्गम, ii. विभिन्न गतिविधियों जैसे नल कूप का अधिष्ठापन, मांस, मछली एवं पॉलट्री का विक्रय, सामानों का विक्रय, विज्ञापनों के लिए प्रयुक्त स्थलों या निजी बाजारों के लिए उपयोग किए गए परिसरों, मवेशी, ठेला एवं गाड़ी, तथा ऐसी अन्य गतिविधियां जिनके लिए इस अधिनियम के अंतर्गत अनुज्ञा या अनुमति की आवश्यकता हो की अनुज्ञप्ति देना, iii. जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्रों का निर्गम
3	मुंगेर	i. भूमि एवं भवनों पर संपत्ति कर (रिक्त भूमि सहित), ii. भूमि एवं भवनों के हस्तांतरण पर अधिभार, iii. जल कर, iv. समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों के अलावे विज्ञापनों पर कर, v. टॉल (i) सड़कों, पुलों, फेरी एवं नौगम्य चैनल पर एवं (ii) भारी ट्रकों जो भारी मालवाहक होंगे तथा बसें जो भारी यात्री मोटर होंगे, vi. मोबाईल टावर एवं संबंधित संरचना /डिश एंटीना	i. भवन योजनाओं की स्वीकृति एवं पूर्णता प्रमाण–पत्रों का निर्गम, ii. भूमि एवं भवनों के विभिन्न गैर आवासीय उपयोग के लिए नगरपालिका अनुज्ञप्ति का निर्गम, iii. विभिन्न गतिविधियों जैसे नल कूप का अधिष्ठापन, मांस, मछली एवं पॉलट्री का विक्रय, सामानों का विक्रय, तथा ऐसी अन्य गतिविधियां जिनके लिए इस अधिनियम के अंतर्गत अनुज्ञा या अनुमति की आवश्यकता हो की अनुज्ञप्ति देना, iv. जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्रों का निर्गम

(स्रोतः लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी)

परिशिष्ट–5.15

(संदर्भ : कंडिका – 5.1.9.2; पृष्ठ – 68)

परिषदों द्वारा करों एवं शुल्कों/जुर्मानों के अध्यारोपण की विवरणी

क्र. सं.	परिषद्रों के नाम	अध्यारोपित कर	अध्यारोपित शुल्क एवं जुर्माने
1	अरवल	i. मोबाईल टावर एवं संबंधित संरचना/डिश एंटीना	i. भवन योजनाओं की स्वीकृति एवं पूर्णता प्रमाण–पत्रों का निर्गम, ii. विभिन्न गतिविधियों जैसे नल कूप का अधिष्ठापन, मांस, मछली एवं पॉलट्री का विक्रय, सामानों का विक्रय, विज्ञापनों के लिए प्रयुक्त स्थलों या निजी बाजारों के लिए उपयोग किए गए परिसरों के अनुज्ञप्ति देना, iii. जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्रों का निर्गम
2	बगहा	i. भूमि एवं भवनों पर संपत्ति कर (रिक्त भूमि सहित), ii. मोबाईल टावर एवं संबंधित संरचना/डिश एंटीना	i. भवन योजनाओं की स्वीकृति एवं पूर्णता प्रमाण–पत्रों का निर्गम, ii. विभिन्न गतिविधियों जैसे नल कूप का अधिष्ठापन, मांस, मछली एवं पॉलट्री का विक्रय, सामानों का विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति देना, iii. जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्रों का निर्गम
3	बाढ़	i. भूमि एवं भवनों पर संपत्ति कर (रिक्त भूमि सहित), ii. भूमि एवं भवनों के हस्तांतरण पर अधिभार, iii. जल कर, iv. मोबाईल टावर एवं संबंधित संरचना/डिश एंटीना	i. विज्ञापनों के लिए प्रयुक्त स्थलों या निजी बाजारों के लिए उपयोग किए गए परिसरों इत्यादि, ठेला एवं गाड़ी, तथा ऐसी अन्य गतिविधियां जिनके लिए इस अधिनियम के अंतर्गत अनुज्ञा या अनुमति की आवश्यकता हो की अनुज्ञप्ति देना, ii. जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्रों का निर्गम
4	जमालपुर	i. भूमि एवं भवनों पर संपत्ति कर (रिक्त भूमि सहित), ii. जल कर, iii. भारी ट्रकों जो भारी मालवाहक होंगे तथा बसें जो भारी यात्री मोटर होंगे, iv. मोबाईल टावर एवं संबंधित संरचना/डिश एंटीना	i. भवन योजनाओं की स्वीकृति एवं पूर्णता प्रमाण–पत्रों का निर्गम, ii. ठेला एवं गाड़ी की अनुज्ञप्ति, iii. जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्रों का निर्गम
5	जमुई	i. भूमि एवं भवनों पर संपत्ति कर (रिक्त भूमि सहित), ii. समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों के अलावे विज्ञापनों पर कर, iii. मोबाईल टावर एवं संबंधित संरचना/डिश एंटीना	i. भवन योजनाओं की स्वीकृति एवं पूर्णता प्रमाण–पत्रों का निर्गम, ii. जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्रों का निर्गम
6	किशनगंज	i. भूमि एवं भवनों पर संपत्ति कर (रिक्त भूमि सहित), ii. भूमि एवं भवनों के हस्तांतरण पर अधिभार, iii. जल कर, iv. अग्नि कर v. नगरपालिका क्षेत्रों में विद्युत उपभोग पर अधिभार, vi. मोबाईल टावर एवं संबंधित संरचना/डिश एंटीना	i. भवन योजनाओं की स्वीकृत एवं पूर्णता प्रमाण–पत्रों का निर्गम, ii. जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्रों का निर्गम
7	मधेपुरा	i. भूमि एवं भवनों पर संपत्ति कर (रिक्त भूमि सहित), ii. समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों के अलावे विज्ञापनों पर कर, iii. मोबाईल टावर एवं संबंधित संरचना/डिश एंटीना	i. भवन योजनाओं की स्वीकृति एवं पूर्णता प्रमाण–पत्रों का निर्गम, ii. भूमि एवं भवनों के विभिन्न गैर आवासीय उपयोग के लिए नगरपालिका अनुज्ञप्ति का निर्गम, iii. जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्रों का निर्गम
8	मोकामा	i. भूमि एवं भवनों पर संपत्ति कर (रिक्त भूमि सहित), ii. जल कर,	i. भवन योजनाओं की स्वीकृति एवं पूर्णता प्रमाण–पत्रों का निर्गम,

		iii. मोबाईल टावर एवं संबंधित संरचना/डिश एंटीना	ii. विभिन्न श्रेणियों के पेशेवरों जैसे पलंबर एवं सर्वेयर तथा ऐसी गतिविधियां जिनके लिए इस अधिनियम के अंतर्गत अनुज्ञा या अनुमति की आवश्यकता हो की अनुज्ञप्ति देना, iii. जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्रों का निर्गम
9	सासाराम	i. भूमि एवं भवनों पर संपत्ति कर (रिक्त भूमि सहित), ii. भूमि एवं भवनों के हस्तांतरण पर अधिभार, iii. जल कर, iv. मोबाईल टावर एवं संबंधित संरचना/डिश एंटीना	i. भवन योजनाओं की स्वीकृति एवं पूर्णता प्रमाण–पत्रों का निर्गम, ii. विज्ञापनों के लिए प्रयुक्त स्थलों या निजी बाजारों के लिए उपयोग किए गए परिसरों के अनुज्ञप्ति देना तथा ठेला एवं गाड़ी की अनुज्ञप्ति, iii. जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्रों का निर्गम
10	सिवान	i. भूमि एवं भवनों पर संपत्ति कर (रिक्त भूमि सहित), ii. भूमि एवं भवनों के हस्तांतरण पर अधिभार, iii. जल कर, iv. मोबाईल टावर एवं संबंधित संरचना/डिश एंटीना	i. भवन योजनाओं की स्वीकृति एवं पूर्णता प्रमाण–पत्रों का निर्गम, ii. विभिन्न गतिविधियों जैसे नल कूप का अधिष्ठापन, मांस, मछली एवं पॉलट्री का विक्रय, सामानों का विक्रय, विज्ञापनों के लिए प्रयुक्त स्थलों या निजी बाजारों के लिए उपयोग किए गए परिसरों के अनुज्ञप्ति देना iii. जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्रों का निर्गम
11	सुपौल	i. भूमि एवं भवनों पर संपत्ति कर (रिक्त भूमि सहित), ii. समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों के अलावे विज्ञापनों पर कर, iii. मोबाईल टावर एवं संबंधित संरचना/डिश एंटीना	i. भवन योजनाओं की स्वीकृति एवं पूर्णता प्रमाण–पत्रों का निर्गम, ii. भूमि एवं भवनों के विभिन्न गैर आवासीय उपयोग के लिए नगरपालिका अनुज्ञप्ति का निर्गम, iii. जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्रों का निर्गम

(स्रोतः लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी)

परिशिष्ट – 5.16

(संदर्भ : कंडिका – 5.1.9.2; पृष्ठ – 68)

परिषद्ों में संपत्ति कर का पुनरीक्षण नहीं किए जाने की विवरणी

क्र. सं.	नगर परिषद्	अंतिम पुनरीक्षण का वर्ष	पुनरीक्षण का नियत वर्ष	विलंब की अवधि (वर्ष में)
1.	बगहा	1994–95	1999–2000	16
2.	बाढ़	2008–09	2013–14	2
3.	जमालपुर	1994–95	1999–2000	16
4.	जमुई	2007–08	2012–13	3
5.	किशनगंज	2003–04	2008–09	7
6.	मधेपुरा	2013–14	1987–88	28
7.	मोकामा	2007–08	2012–13	3
8.	सासाराम	2006–07	2011–12	4
9.	सिवान	2015–16	2010–11	5
10.	सुपौल	2007–08	2012–13	3

(स्रोतः लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट – 5.17

(संदर्भ : कंडिका – 5.1.9.3; पृष्ठ – 69)

पंचायतों द्वारा करों एवं शुल्कों/जुर्मानों के अध्यारोपण की विवरणी

क्र. सं.	नगर पंचायत	अध्यारोपित कर	अध्यारोपित शुल्क एवं जुर्माने
1.	अरेराज	i. मोबाईल टावर एवं संबंधित संरचना/डिश एंटीना	शून्य
2.	बैरगनिया	i. भूमि एवं भवनों पर संपत्ति कर (रिक्त भूमि सहित), ii. सड़कों, पुलों, फेरी एवं नौगम्य चैनल पर टॉल, iii. मोबाईल टावर एवं संबंधित संरचना/डिश एंटीना	i. भवन योजनाओं की स्वीकृति एवं पूर्णता प्रमाण–पत्रों का निर्गम, ii. जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्रों का निर्गम
3.	बखरी	i. मोबाईल टावर एवं संबंधित संरचना/डिश एंटीना	i. भवन योजनाओं की स्वीकृति एवं पूर्णता प्रमाण–पत्रों का निर्गम, ii. जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्रों का निर्गम
4.	बांका	i. भूमि एवं भवनों पर संपत्ति कर (रिक्त भूमि सहित), ii. जल कर, iii. भारी ट्रकों जिसमें भारी माल वाहक बसें शामिल हैं पर टॉल, iv. मोबाईल टावर एवं संबंधित संरचना/डिश एंटीना	i. भवन योजनाओं की स्वीकृति एवं पूर्णता प्रमाण–पत्रों का निर्गम, ii. ठेला एवं गाड़ी की अनुज्ञप्ति, iii. जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्रों का निर्गम
5.	बिक्रमगंज	i. भूमि एवं भवनों पर संपत्ति कर (रिक्त भूमि सहित), ii. भूमि एवं भवनों के हस्तांतरण पर अधिभार, iii. जल कर, iv. मोबाईल टावर एवं संबंधित संरचना/डिश एंटीना	i. भवन योजनाओं की स्वीकृति एवं पूर्णता प्रमाण–पत्रों का निर्गम, ii. विभिन्न गतिविधियों जैसे नल कूप का अधिष्ठापन, मांस, मछली एवं पॉलट्री का विक्रय, सामानों का विक्रय, ठेला एवं गाड़ी की अनुज्ञप्ति, iii. जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्रों का निर्गम
6.	चनपटिया	i. भूमि एवं भवनों पर संपत्ति कर (रिक्त भूमि सहित), ii. मोबाईल टावर एवं संबंधित संरचना/डिश एंटीना	i. जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्रों का निर्गम
7.	दिघवारा	i. भूमि एवं भवनों पर संपत्ति कर (रिक्त भूमि सहित), ii. मोबाईल टावर एवं संबंधित संरचना/डिश एंटीना	i. जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्रों का निर्गम
8.	एकमा	i. भूमि एवं भवनों पर संपत्ति कर (रिक्त भूमि सहित), ii. मोबाईल टावर एवं संबंधित संरचना/डिश एंटीना	i. भवन योजनाओं की स्वीकृति एवं पूर्णता प्रमाण–पत्रों का निर्गम, ii. जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्रों का निर्गम
9.	गोगरी जमालपुर	i. भूमि एवं भवनों पर संपत्ति कर (रिक्त भूमि सहित), ii. मोबाईल टावर एवं संबंधित संरचना/डिश एंटीना	i. भवन योजनाओं की स्वीकृति एवं पूर्णता प्रमाण–पत्रों का निर्गम, ii. जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्रों का निर्गम
10.	झंझारपुर	i. भूमि एवं भवनों पर संपत्ति कर, ii. भारी ट्रकों जिसमें भारी माल वाहक बसें शामिल हैं पर टॉल, iii. मोबाईल टावर एवं संबंधित संरचना/डिश एंटीना	i. भवन योजनाओं की स्वीकृति एवं पूर्णता प्रमाण–पत्रों का निर्गम, ii. विभिन्न गतिविधियों जैसे नल कूप का अधिष्ठापन, मांस, मछली एवं पॉलट्री का विक्रय, सामानों का विक्रय, की अनुज्ञप्ति, iii. जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्रों का निर्गम
11.	कांटी	i. भूमि एवं भवनों पर संपत्ति कर (रिक्त भूमि सहित), ii. मोबाईल टावर एवं संबंधित संरचना/डिश एंटीना	i. भवन योजनाओं की स्वीकृति एवं पूर्णता प्रमाण–पत्रों का निर्गम, ii. जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्रों का निर्गम
12.	कटैया	i. भूमि एवं भवनों पर संपत्ति कर (रिक्त भूमि सहित)	i. जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्रों का निर्गम
13.	कोइलवर	i. भूमि एवं भवनों पर संपत्ति कर (रिक्त भूमि सहित)	i. जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्रों का निर्गम
14.	लालगंज	i. भूमि एवं भवनों पर संपत्ति कर (रिक्त भूमि सहित), ii. भूमि एवं भवनों के हस्तांतरण पर अधिभार, iii. मोबाईल टावर एवं संबंधित संरचना/डिश एंटीना	i. भवन योजनाओं की स्वीकृति एवं पूर्णता प्रमाण–पत्रों का निर्गम, ii. जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्रों का निर्गम

15.	महनार	i. भूमि एवं भवनों पर संपत्ति कर (रिक्त भूमि सहित), ii. मोबाईल टावर एवं संबंधित संरचना/डिश एंटीना	i. जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्रों का निर्गम
16.	मैरवां	i. भूमि एवं भवनों पर संपत्ति कर (रिक्त भूमि सहित), ii. मोबाईल टावर एवं संबंधित संरचना/डिश एंटीना	i. भवन योजनाओं की स्वीकृति एवं पूर्णता प्रमाण–पत्रों का निर्गम, ii. जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्रों का निर्गम
17.	मोतीपुर	i. भूमि एवं भवनों पर संपत्ति कर (रिक्त भूमि सहित), ii. मोबाईल टावर एवं संबंधित संरचना/डिश एंटीना	i. भवन योजनाओं की स्वीकृति एवं पूर्णता प्रमाण–पत्रों का निर्गम, ii. विज्ञापनों के लिए प्रयुक्त स्थलों या निजी बाजारों के लिए परिसरों के उपयोग हेतु अनुज्ञप्ति, iii. जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्रों का निर्गम
18.	नबीनगर	i. भूमि एवं भवनों पर संपत्ति कर (रिक्त भूमि सहित), ii. मोबाईल टावर एवं संबंधित संरचना/डिश एंटीना	i. भवन योजनाओं की स्वीकृति एवं पूर्णता प्रमाण–पत्रों का निर्गम, ii. जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्रों का निर्गम
19.	नासरीगंज	i. भूमि एवं भवनों पर संपत्ति कर (रिक्त भूमि सहित), ii. जल कर, iii. नगरपालिका क्षेत्रों में विद्युत उपभोग पर अधिभार, iv. मोबाईल टावर एवं संबंधित संरचना/डिश एंटीना	i. भवन योजनाओं की स्वीकृति एवं पूर्णता प्रमाण–पत्रों का निर्गम, ii. जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्रों का निर्गम
20.	नौबतपुर	i. मोबाईल टावर एवं संबंधित संरचना/डिश एंटीना	i. भवन योजनाओं की स्वीकृति एवं पूर्णता प्रमाण–पत्रों का निर्गम (2014–15 से), ii. भूमि एवं भवनों के विभिन्न गैर आवासीय उपयोग हेतु नगरपालिका अनुज्ञप्ति का निर्गम (2011–12 से), iii. जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्रों का निर्गम (2010–11 से)
21.	शेरघाटी	i. भूमि एवं भवनों पर संपत्ति कर (रिक्त भूमि सहित), ii. जल कर (2012–13 से), iii. समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों के अलावे विज्ञापनों पर कर (अगस्त 2011 से), iv. मोबाईल टावर एवं संबंधित संरचना/डिश एंटीना	i. भवन योजनाओं की स्वीकृति एवं पूर्णता प्रमाण–पत्रों का निर्गम, ii. भूमि एवं भवनों के विभिन्न गैर आवासीय उपयोग हेतु नगरपालिका अनुज्ञप्ति का निर्गम (2011–12 से), iii. ठेला एवं गाड़ी की अनुज्ञप्ति, iv. जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्रों का निर्गम
22.	सिमरी बख्तियारपुर	i. भूमि एवं भवनों के हस्तांतरण पर अधिभार (2014–15 से), ii. मोबाईल टावर एवं संबंधित संरचना/डिश एंटीना (2012–13 से)	i. भवन योजनाओं की स्वीकृति एवं पूर्णता प्रमाण–पत्रों का निर्गम (2014–15 से), ii. जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्रों का निर्गम (2012–13 से)

(स्रोतः लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी)

परिशिष्ट – 5.18

(संदर्भ : कंडिका – 5.1.9.3; पृष्ठ – 69)

पंचायतों में संपत्ति कर का पुनरीक्षण नहीं किए जाने की विवरणी

क्र. सं.	नगर पंचायत	अंतिम पुनरीक्षण का वर्ष	पुनरीक्षण का नियत वर्ष	विलंब की अवधि (वर्ष में)
1	बैरगनिया	1988–89	1993–94	21
2	बांका	1975–76	1980–81	35
3	बिक्रमगंज	1992–93	1997–98	18
4	चनपटिया	2009–10	2014–15	1
5	दिघवारा	2004–05	2009–10	6
6	गोगरी जमालपुर	2006–07	2011–12	3
7	कांटी	वर्ष 2002 में गठन से नहीं किया गया	2007–08	8
8	कटैया	2006–07	2011–12	4
9	महनार	2008–09	2013–14	2
10	मैरवां	2008–09	2013–14	2
11	मोतीपुर	2009–10	2014–15	1
12	नबीनगर	1988–89	1993–94	21
13	नासरीगंज	2008–09	2013–14	2
14	शेरघाटी	2011–12	1980–81	31

(स्रोतः लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट – 5.19

(संदर्भ : कंडिका – 5.1.9.3; पृष्ठ – 69)

पंचायतों में ठो.अ.प्र. के अंतर्गत उपभोक्ता शुल्क अध्यारोपित नहीं किए जाने की विवरणी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	नगर पंचायत	ठो.अ.प्र. के अंतर्गत उपभोक्ता शुल्क अध्यारोपण नहीं किए जाने से हानि		
		आवासीय परिसरों से	गैर आवासीय परिसरों से	कुल
1	2	3	4	5 (3+4)
1.	अरेराज	20.40	28.57	48.97
2.	बैरगनिया	16.51	6.94	23.45
3.	बखरी	0	3.07	3.07
4.	बांका	57.36	15.57	72.93
5.	एकमा	6.24	13.92	20.16
6.	गोगरी जमालपुर	19.92	6.53	26.45
7.	झंझारपुर	13.82	16.81	30.63
8.	कटैया	18.53	14.57	33.10
9.	लालगंज	30.32	21.12	51.44
10.	महनार	20.33	9.93	30.26
11.	नबीनगर	6.19	4.83	11.02
12.	नौबतपुर	0	5.23	5.23
13.	शेरघाटी	9.95	16.76	26.71
14.	सिमरी बख्तियारपुर	0	9.61	9.61
कुल		**219.57**	**173.46**	**393.03**

(स्रोतः लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट – 5.20

(संदर्भ : कंडिका – 5.1.10.1; पृष्ठ – 70)

निगमों के माँग, वसूली एवं बकाया राजस्व की विवरणी

(₹ लाख में)

नगर निगम का नाम	संपत्ति कर			मोबाइल टॉवर कर			दुकान किराया		
	माँग	वसूली	बकाया	माँग	वसूली	बकाया	माँग	वसूली	बकाया
बिहारशरीफ	966.15	642.64	323.51	155.65	39.85	115.80	35.93	13.87	22.06
दरभंगा	2357.41	1512.45	844.96	70.00	9.30	60.70	169.84	64.95	104.89
मुंगेर	1732.19	1517.79	214.40	71.65	30.82	40.83	77.03	15.83	61.20
कुल	**5055.75**	**3672.88**	**1382.87**	**297.30**	**79.97**	**217.33**	**282.80**	**94.65**	**188.15**

(स्रोतः लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट – 5.21

(संदर्भ : कंडिका – 5.1.10.2; पृष्ठ – 72)

परिषद्ों में बकाया संपत्ति कर की विवरणी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	नगर परिषद्	कुल माँग	कुल वसूली	31 मार्च 2015 को बकाया कर	वसूली का प्रतिशत
1.	बगहा	13.40	3.09	10.31	4 – 13
2.	बाढ़	228.34	178.57	49.77	23 – 68
3.	जमालपुर	554.56	198.91	355.65	7 – 36
4.	जमुई	137.15	53.47	83.68	11– 29
5.	किशनगंज	250.23	196.87	52.56	21 – 52
6.	मोकामा	513.17	237.67	275.50	7 – 27
7.	सासाराम	624.74	408.51	216.23	14 – 38
8.	सिवान	293.89	115.59	178.30	9 – 15
9.	सुपौल	125.14	97.63	27.51	18 – 45
कुल		**2740.62**	**1490.31**	**1249.51**	

(स्रोतः लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट – 5.22

(संदर्भ : कंडिका – 5.1.10.2; पृष्ठ – 72)

परिषद्ों में बकाया मोबाइल टॉवर कर की विवरणी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	नगर परिषद्	लगाए गए मोबाईल टॉवरों की संख्या	01.04.2010 को माँग	माँग (2010–15)	कुल माँग	कुल वसूली	वसूली का प्रतिशत	बकाया राशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6 (4+5)**	**7**	**8**	**9 (6–7)**
1	अरवल	24	0.00	18.60	18.60	0.00	0	18.60
2	बगहा	21	18.20	6.40	24.60	6.00	24	18.60
3	बाढ़	3	1.40	1.80	3.20	1.20	37	2.00
4	जमालपुर	30	17.70	15.40	33.10	10.40	31	22.70
5	जमुई	24	12.00	11.20	23.20	6.00	26	17.20
6	किशनगंज	43	25.20	19.80	45.00	8.20	18	36.80
7	मधेपुरा	28	15.20	13.60	28.80	0.00	0	28.80
8	मोकामा	23	10.40	12.30	22.70	4.50	20	18.20
9	सासाराम	68	28.29	21.30	49.59	21.27	43	28.32
10	सिवान	24	14.20	12.00	26.20	17.24	66	8.96
11	सुपौल	24	16.60	11.90	28.50	10.60	37	17.90
	कुल		**159.19**	**144.30**	**303.49**	**85.41**		**218.08**

(स्रोतः लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट – 5.23

(संदर्भ : कंडिका – 5.1.10.2; पृष्ठ – 72)

परिषद्ों में बकाया दुकान किराया को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	नगर परिषद्	दुकानों की संख्या	01.04.2010 को माँग	2010–15 के दौरान माँग	कुल माँग	कुल वसूली	मार्च 2015 में बकाया दुकान किराया	वसूली का प्रतिशत
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6 (4+5)**	**7**	**8**	**9**
1.	बगहा	23	0.02	6.47	6.49	0.03	6.46	0.46
2.	जमालपुर	111	6.98	20.20	27.18	9.33	17.85	34
3.	जमुई	20	1.88	4.80	6.68	2.51	4.17	38
4.	किशनगंज	309	–	24.76	24.76	12.60	12.16	51
5.	मधेपुरा	113	18.67	22.66	41.33	11.32	30.01	27
6.	सासाराम	257	29.16	26.84	56.00	0.00	56.00	0
7.	सिवान	414	9.06	34.94	44.00	19.44	24.56	44
8.	सुपौल	34	4.74	9.92	14.66	9.31	5.35	64
	कुल	**1281**	**70.51**	**150.59**	**221.10**	**64.54**	**156.56**	

(स्रोतः लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट – 5.24

(संदर्भ : कंडिका – 5.1.10.2; पृष्ठ – 72)

परिषदों में विलंब से जमा की विवरणी

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	नगर परिषद्	वसूली गई राशि	वसूली की अवधि	जमा की गई राशि	जमा की अवधि	विलंब (दिन में)
1.	जमालपुर	1,08,92,666	31.05.2010 से 31.03.2015	1,54,409	24.08.2010	71–86
2.	जमुई	30,934	01.04.2013 से 31.10.2013	30,934	01.07.2013 से 31.05.2014	73–231
3.	किशनगंज	55,540	01.05.2013 से 31.08.2013	55,540	01.08.2013 से 31.01.2014	63–205
4.	मोकामा	20,82,256	06.04.2011 से 09.09.2014	1,588	16.06.2011	72
5.	सुपौल	1,29,870	01.03.2013 से 31.03.2015	1,29,870	01.09.2013 से 31.05.2015	31–700
कुल		**1,13,17,266**				

(स्रोतः लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट – 5.25

(संदर्भ : कंडिका – 5.1.10.2; पृष्ठ – 72)

परिषद्ों में बकाया बंदोबस्ती की राशि को दर्शाती विवरणी

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	नगर परिषद्	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	कुल
1.	बगहा	0	0	4800	2260	7000	14060
2.	जमालपुर	0	0	60000	16000	0	76000
3.	जमुई	27300	5125	0	0	0	32425
4.	किशनगंज	0	3679	173000	401000	177700	755379
5.	सुपौल	0	0	0	41303	0	41303
कुल		**27300**	**8804**	**237800**	**460563**	**184700**	**919167**

(स्रोतः लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट – 5.26

(संदर्भ : कंडिका – 5.1.10.3; पृष्ठ – 73)

पंचायतों में बकाया संपत्ति कर की विवरणी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	नगर पंचायत	2010–15 के दौरान कुल माँग	2010–15 के दौरान कुल वसूली	मार्च 2015 में बकाया संपत्ति कर	2010–15 के दौरान वसूल की गई संपत्ति कर का परास (प्रतिशत में)
1	बैरगनिया	16.62	8.60	8.02	5 से 43
2	बांका	24.73	11.89	12.84	11 से 27
3	बिक्रमगंज	37.62	31.40	6.22	10 से 62
4	चनपटिया	11.76	5.11	6.65	11 से 26
5	दिघवारा	109.77	15.06	94.71	3 से 5
6	एकमा	15.17	1.19	13.98	0 से 8
7	गोगरी जमालपुर	31.05	18.99	12.06	13 से 26
8	झंझारपुर	71.86	4.82	67.04	1 से 4
9	कटैया	7.89	3.36	4.53	0 से 24
10	लालगंज	57.20	18.39	38.81	10 से 16
11	महनार	56.69	16.04	40.65	2 से 14
12	मैरवां	46.50	8.11	38.39	3 से 9
13	मोतीपुर	16.43	4.23	12.20	6 से 14
14	नबीनगर	14.44	11.42	3.02	5 से 45
15	नासरीगंज	11.59	4.40	7.19	3 से 20
कुल		**529.32**	**163.01**	**366.31**	

(स्रोतः लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट – 5.27

(संदर्भ : कंडिका – 5.1.10.3; पृष्ठ – 73)

पंचायतों में बकाया मोबाइल टॉवर कर की विवरणी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	नगर पंचायत	अधिष्ठापित मोबाइल टॉवरों की संख्या	01.04.2010 को माँग	2010–15 के दौरान माँग	कुल माँग	कुल वसूली	वसूली का प्रतिशत	कुल बकाया
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9
1.	अरेराज	8	3.32	3.72	7.04	1.20	17	5.84
2.	बैरगनिया	6	2.16	3.00	5.16	0.30	6	4.86
3.	बखरी	7	0	3.54	3.54	0.68	19	2.86
4.	बांका	19	10.02	7.60	17.62	5.70	32	11.92
5.	बिक्रमगंज	12	1.76	4.64	6.40	1.20	19	5.20
6.	चनपटिया	8	4.40	3.20	7.60	2.00	26	5.60
7.	दिघवारा	8	4.64	3.20	7.84	2.00	25	5.84
8.	एकमा	8	0	5.28	5.28	0.90	17	4.38
9.	गोगरी जमालपुर	12	5.86	4.94	10.80	4.30	40	6.50
10.	झंझारपुर	7	3.32	2.86	6.18	0.76	12	5.42
11.	काँटी	7	4.10	2.80	6.90	1.60	23	5.30
12.	कटैया	8	4.32	3.20	7.52	0	0	7.52
13.	कोइलवर	6	2.84	2.40	5.24	1.72	33	3.52
14.	लालगंज	14	6.60	5.60	12.20	4.38	36	7.82
15.	महनार	8	3.54	3.50	7.04	0.60	8	6.44
16.	मोतीपुर	7	2.62	3.24	5.86	1.54	26	4.32
17.	नबीनगर	6	2.92	2.40	5.32	0.90	17	4.42
18.	नासरीगंज	10	4.08	4.52	8.60	0	0	8.60
19.	नौबतपुर	5	0	3.10	3.10	0.30	10	2.80
20.	शेरघाटी	18	4.68	10.08	14.76	5.02	34	9.74
कुल		**184**	**71.18**	**82.82**	**154.00**	**35.10**		**118.90**

(स्रोतः लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट – 5.28

(संदर्भ : कंडिका – 5.1.10.3; पृष्ठ – 73)

पंचायतों में बकाया दुकान किराया को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	नगर पंचायत	दुकानों की संख्या	01.04.2010 को माँग	2010–15 के दौरान माँग	कुल माँग	कुल वसूली	मार्च 2015 में बकाया दुकान किराया	वसूली का प्रतिशत
1.	बिक्रमगंज	7	1.80	0.93	2.73	0.45	2.28	16
2.	चनपटिया	142	2.18	10.31	12.49	1.08	11.42	9
3.	लालगंज	39	1.55	8.30	9.85	6.85	3.00	70
4.	मोतीपुर	45	4.55	11.22	15.77	6.22	9.55	67
5.	नासरीगंज	11	0	2.40	2.40	0.27	2.13	11
6.	शेरघाटी	234	2.03	71.10	73.13	39.27	33.86	54
	कुल	**478**	**12.11**	**104.26**	**116.37**	**54.14**	**62.24**	

(स्रोतः लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट – 5.29

(संदर्भ : कंडिका – 5.1.10.3; पृष्ठ – 74)

पंचायतों में वसूली की गई राशि का कम/नहीं जमा की विवरणी

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	नगर पंचायत	वसूली की अवधि	वसूली गई राशि	जमा की गई राशि	कम/नहीं जमा	सीधे विनियोग की राशि	दुर्विनियोजन की राशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6 (4–5)**	**7**	**8 (6–7)**
1.	बैरगनिया	अक्टूबर 2012 से मार्च 2015	494489	0	494489	0	494489
2.	बखरी	दिसंबर 2014 से मार्च 2015	9146	0	9146	0	9146
3.	बांका	2010–15	2602385	2523344	79041	0	79041
4.	चनपटिया	2011–15	327888	286018	41870	0	41870
5.	गोगरी जमालपुर	जुलाई 2010 से मार्च 2015	4381704	2807244	1574460	1574460	0
6.	झंझारपुर	2010–15	1519855	1359594	160261	0	160261
7.	कोइलवर	फरवरी 2013 से मार्च 2015	945225	0	945225	0	945225
8.	लालगंज	2010–15	379045	337133	41912	0	41912
9.	नबीनगर	जनवरी 2012 से मार्च 2015	59085	0	59085	0	59085
10.	नौबतपुर	अप्रैल 2014 से मार्च 2015	2677947	1970004	707943	0	707943
11.	शेरघाटी	अगस्त 2011 से अक्टूबर 2014	559157	0	559157	0	559157
12.	सिमरी बख्तियारपुर	अप्रैल 2014 से मार्च 2015	240000	226906	13094	13094	0
	कुल		**14195926**	**9510243**	**4685683**	**1587554**	**3098129**

(स्रोतः लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट – 5.30

(संदर्भ : कंडिका – 5.1.10.3; पृष्ठ – 74)

पंचायतों में वसूली की गई राशि का विलंब से जमा को दर्शाती विवरणी

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	नगर पंचायत	वसूली गई राशि	वसूली की अवधि	जमा की गई राशि	जमा की अवधि	विलंब (दिन में)
1.	बांका	2,57,281	01.05.2011 से 29.09.2014	2,57,281	30.05.2011 से 06.12.2014	30–68
2.	कोइलवर	8,17,305	28.03.2011 से 24.09.2014	8,17,305	23.01.2012 से 25.06.2015	41–1550
3.	नबीनगर	2591	20.05.2012	2,591	26.12.2013	575–584
4.	शेरघाटी	4,535	27.09.2013 से 03.02.2014	4,535	21.01.2014 से 07.08.2014	111–187
कुल		**10,81,712**				

(स्रोतः लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट – 5.31

(संदर्भ : कंडिका – 5.1.10.3; पृष्ठ – 74)

पंचायतों में बंदोबस्ती की बकाया राशि को दर्शाती विवरणी

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	नगर पंचायत	बकाया बंदोबस्ती की राशि					कुल
		2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	
1.	बैरगनिया	189750	0	0	493402	136760	819912
2.	बिक्रमगंज	159500	96130	139080	0	0	394710
3.	चनपटिया	0	0	0	0	131000	131000
4.	झंझारपुर	0	0	52700	0	0	52700
5.	कोइलवर	817000	518500	0	27775	0	1363275
6.	लालगंज	0	0	7000	12000	12000	31000
7.	मैरवा	16000	0	16500	14500	40800	87800
8.	नबीनगर	0	32550	0	0	0	32550
9.	नौबतपुर	0	0	0	0	47000	47000
कुल		**1182250**	**647180**	**215280**	**547677**	**367560**	**2959947**

(स्रोतः लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट – 5.32

(संदर्भ : कंडिका – 5.1.10.3; पृष्ठ – 74)

पंचायतों में सैरातों की बंदोबस्ती नहीं होने से हुई हानि को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	नगर पंचायत	अवधि	राशि	सैरातों की संख्या
1.	कोइलवर	2013–14	9.18	1
2.	लालगंज	2013–14	0.08	1
3.	मैंरवा	2010–11 से 2013–14	1.47	4
4.	शेरघाटी	2011–12	1.47	1
5.	मोतीपुर	2010–12	6.67	2
	कुल		**18.87**	**9**

(स्रोतः लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट – 5.33 (अ)

(संदर्भ : कंडिका – 5.1.12.1; पृष्ठ – 75)

निगमों में स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल की विवरणी

नगर निगम	स्वीकृत बल			कार्यरत बल			रिक्तियाँ (प्रतिशत में)		
	कुल	कर संग्राहक	कर दारोगा	कुल	कर संग्राहक	कर दारोगा	कुल	कर संग्राहक	कर दारोगा
बिहारशरीफ	430	9	1	208	7	1	52	22	0
दरभंगा	850	23	1	263	12	1	69	48	0
मुंगेर	674	10	1	355	1	1	47	90	0

(स्रोतः लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट – 5.33 (ब)

(संदर्भ : कंडिका – 5.1.12.1; पृष्ठ – 75)

परिषदों में स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल की विवरणी

क्र. सं.	नगर परिषद् का नाम	स्वीकृत बल			कार्यरत बल			रिक्तियाँ (प्रतिशत में)		
		कुल	कर संग्राहक	कर दारोगा	कुल	कर संग्राहक	कर दारोगा	कुल	कर संग्राहक	कर दारोगा
1	अरवल	9	0	1	0	0	0	100	0	100
2	बगहा	10	1	1	5	1	0	50	0	100
3	बाढ़	128	6	3	49	4	1	62	33	67
4	जमालपुर	290	10	1	146	4	0	50	60	100
5	जमुई	70	3	1	31	1	0	56	67	100
6	किशनगंज	138	7	1	41	3	1	70	57	0
7	मधेपुरा	47	4	1	10	2	0	79	50	100
8	मोकामा	122	7	1	57	6	1	53	14	0
9	सासाराम	342	11	1	92	4	0	73	64	100
10	सिवान	202	8	2	83	2	2	59	75	0
11	सुपौल	59	8	1	21	5	0	64	38	100
कुल		**1417**	**65**	**14**	**535**	**32**	**5**			

(स्रोतः लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट – 5.33 (स)

(संदर्भ : कंडिका – 5.1.12.1; पृष्ठ – 75)

पंचायतों में स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल की विवरणी

क्र. सं.	नगर पंचायत का नाम	स्वीकृत बल			कार्यरत बल			रिक्तियाँ (प्रतिशत में)		
		कुल	कर संग्राहक	कर दारोग	कुल	कर संग्राहक	कर दारोगा	कुल	कर संग्राहक	कर दारोगा
1	अरेराज	4	0	1	3	0	1	25	0	0
2	बैरगनिया	9	0	1	8	0	1	11	0	0
3	बखरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	बांका	26	0	1	14	0	1	46	0	0
5	बिक्रमगंज	30	4	2	10	1	1	67	75	50
6	चनपटिया	26	2	1	17	2	1	33	0	0
7	दिघवारा	9	0	1	4	0	0	56	0	100
8	एकमा	9	0	1	9	0	1	0	0	0
9	गोगरी जमालपुर	9	0	1	4	0	0	56	0	100
10	झंझारपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	कांटी	9	0	1	0	0	0	100	0	100
12	कटेया	0	0	0	0	0	0	–	–	–
13	कोइलवर	3	0	0	3	0	0	0	0	0
14	लालगंज	93	6	1	31	1	1	67	83	0
15	महनार	70	10	3	19	0	1	73	100	67
16	मैरवा	11	0	1	4	0	0	64	0	100
17	मोतीपुर	9	0	1	4	0	0	56	0	100
18	नबीनगर	9	0	1	3	0	0	67	0	100
19	नासरीगंज	9	0	1	0	0	1	100	0	0
20	नौबतपुर	9	0	1	9	0	1	0	0	0
21	शेरघाटी	9	0	1	5	0	0	44	0	100
22	सिमरी बख्तियारपुर	9	0	1	0	0	0	100	0	100
	कुल	**362**	**22**	**21**	**147**	**4**	**10**			

(स्रोतः लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट – 5.34

(संदर्भ : कंडिका – 5.1.13.2; पृष्ठ – 76)

(अ) निगमों में असमायोजित अग्रिम की विवरणी

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	नगर निगम का नाम	2010–11 से पूर्व	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	कुल
1.	मुंगेर	650477	0	0	0	1400	95000	746867
2.	दरभंगा	34625512	149400	400	97100	104460	4947306	39924178
	कुल	**35275989**	**149400**	**400**	**97100**	**105860**	**5042306**	**40671055**

(स्रोतः लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

(ब) परिषद्ों में असमायोजित अग्रिम की विवरणी

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	नगर परिषद् का नाम	2010–11 से पूर्व	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	कुल
1.	बगहा	126138	0	59243	0	0	0	185381
2.	जमालपुर	1227855	0	0	0	0	0	1227855
3.	किशनगंज	73100	0	9500	35000	118600	37200	273400
4.	मधेपुरा	322517	82300	178500	8300	35563	1200	628380
5.	मोकामा	0	0	0	0	0	145000	145000
6.	सासाराम	0	25000	0	0	0	15000	40000
7.	सिवान	4577106	0	0	0	0	0	4577106
	कुल	**6326716**	**107300**	**247243**	**43300**	**154163**	**198400**	**7077122**

(स्रोतः लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

(स) पंचायतों में असमायोजित अग्रिम की विवरणी

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	नगर पंचायत का नाम	2010–11 से पूर्व	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	कुल
1.	बैरगनिया	376400	0	0	0	910000	690656	1977056
2.	एकमा	0	0	0	0	0	5301800	5301800
3.	महनार	0	0	0	0	0	207000	207000
4.	मैरवा	0	22000	77600	25000	22300	1570500	1717400
5.	नौबतपुर	0	0	0	500000	0	0	500000
	कुल	**376400**	**22000**	**77600**	**525000**	**932300**	**7769956**	**9703256**

(स्रोतः लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट – 6.1

(संदर्भ : कंडिका – 6.1; पृष्ठ – 79)

पटना सिटी चौक से पटना–फतुहा बाईपास सड़क तक नाला निर्माण की स्थिति को दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	विवरण	भाग – I पटना सिटी चौक से रेलवे स्टेशन तक आर.सी.सी. नाला (500 मी.)	भाग– II मंगल तालाब क्षेत्र से गुरू गोविंद सिंह लेन तक (615 मी.)	भाग–III न्यू बाय–पास रोड से होते हुए रेलवे लाईन से पहाड़ी–पुनपुन नाले तक का नाला (1700 मी.)			
				भाग– I (0–550 मी.)	भाग– II (550–1100 मी.)		भाग– III (1100–1700 मी.)
1.	एकरारनामा मूल्य (₹ लाख में)	140.08	40.56	66.72	67.36		61.65
2.	कार्यादेश की तिथि	06.05.2009	16.06.2006	16.06.2006	01.06.2006		07.09.2006
3.	पूर्ण करने की लंबित तिथि	05.05.2010	31.05.2007	31.05.2007	31.05.2007		15.02.2007
4.	अभिकर्ता का नाम	श्री मनोज कुमार	श्री मनोज कुमार	श्री अरविंद कुमार	मेसर्स जे.पी. इंटरप्राइजेज		श्री मनोज कुमार
5.	निष्पादित कार्य का मूल्य (₹ लाख में)	94.63	38.41	62.05	29.51		32.01
6.	भुगतान किया गया (₹ लाख में)	71.02	38.41	62.05	29.51		32.01
7.	अंतिम भुगतान की तिथि	11.09.2012	28.03.2009	05.10.2010	16.05.2008		15.05.2008
8.	नाला की लंबाई (मीटर)	500	615	550	85	275 190	246 330 24
9.	भौतिक प्रगति (मीटर)	435	615	550	0	275 0	0 330 0
10.	कार्य की स्थिति (जून 2015)	500 मी. में से केवल 435 मी. पूर्ण किया गया।	पूर्ण	पूर्ण	500 मी. में से केवल 275 मी. पूर्ण किया गया।		600 मी. में से केवल 330 मी. पूर्ण किया गया।

(स्रोतः बि.रा.ज.प. द्वारा प्रदत्त जानकारी)

नोटः * मूल लंबाई – 1260 मी

** छायांकित भाग छूटे हुए हिस्से को दर्शाते हैं यानी नाले के अकार्यान्वित भाग।

परिशिष्ट – 6.2

(संदर्भ : कंडिका – 6.2; पृष्ठ – 82)

क्रय किए गए व नगर परिषद्‌ों को सौंपे गए वाहनों एवं उपकरण की विवरणी

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	मद	दर प्रति इकाई	नगर परिषद्, फुलवारीशरीफ		नगर परिषद्, खगौल		नगर परिषद्, दानापुर	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	35 लीटर एच.डी.पी.ई. के 6 डिब्बों वाली हाथ गाड़ी	11000	40	440000	36	396000	102	1122000
2	25 लीटर एच.डी.पी.ई. के 8 डिब्बों वाली तिपहिया	17600	40	704000	36	633600	102	1795200
3	दुकान व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के लिए कूड़े के डिब्बे (150 लीटर)	3500	90	315000	80	280000	230	805000
4	आंतरिक सड़क सफाई के लिए व्हील बैरो	3300	6	19800	4	13200	12	39600
5	नालों के गाद निकासी हेतु व्हील बैरो	3300	6	19800	4	13200	12	39600
6	लोडर बैक–हो मशीन	2417800	1	2417800	1	2417800	1	2417800
7	1.1 सी.यू.एम. क्षमता वाले कंटेनर्स	44000	48	2112000	43	1892000	123	5412000
8	कूड़े के परिवहन हेतु 14 सी.यू.एम. क्षमता वाले कॉम्पैक्टर	2527700	1	2527700	1	2527700	1	2527700
कुल			**232**	**8556100**	**205**	**8173500**	**583**	**14158900**

(स्रोतः लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा प्रदत्त जानकारी)

परिशिष्ट – 6.3

(संदर्भ : कंडिका – 6.2; पृष्ठ – 82)

क्षतिग्रस्त वाहनों एवं उपकरण की विवरणी

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	मद	प्रति इकाई दर	नगर परिषद्, फुलवारीशरीफ		नगर परिषद्, खगौल		नगर परिषद्, दानापुर	
			क्षतिग्रस्त संख्या	राशि	क्षतिग्रस्त संख्या	राशि	क्षतिग्रस्त संख्या	राशि
1	35 लीटर एच.डी.पी. ई. के 6 डब्बोंवाली हाथ गाड़ी	11000	40	440000	36	396000	0	0
2	25 लीटर एच.डी.पी. ई. के 8 डब्बेवाली तिपहिया	17600	40	704000	36	633600	0	0
3	दुकान व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के लिए कूड़े के डब्बे (150 लीटर)	3500	80	280000	0	0	0	0
4	आंतरिक सड़क सफाई के लिए व्हील बैरो	3300	6	19800	0	0	0	0
5	नालों के गाद निकासी हेतु व्हील बैरो	3300	6	19800	0	0	0	0
6	लोडर बैक–हो मशीन	2417800	0	0	0	0	1	2417800
7	1.1 सी.यू.एम. क्षमता वाले कंटेनर्स	44000	33	1452000	43	1892000	0	0
8	कूड़े के परिवहन हेतु 14 सी.यू.एम. क्षमता वाले कॉम्पैक्टर	2527700	1	2527700	1	2527700	1	2527700
	कुल		**206**	**5443300**	**116**	**5449300**	**2**	**4945500**

(स्रोतः लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा प्रदत्त जानकारी)

परिशिष्ट – 6.4

(संदर्भ : कंडिका – 6.2; पृष्ठ – 82)

उपकरणों व वाहनों की स्थिति ज्ञात नहीं को दर्शाती विवरणी

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	मद	प्रति इकाई दर	नगर परिषद्, फुलवारीशरीफ		नगर परिषद्, दानापुर	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	35 लीटर एच.डी.पी.ई. के 6 डब्बेवाली हाथ गाड़ी	11000	0	0	102	1122000
2	25 लीटर एच.डी.पी.ई. के 8 डब्बेवाली तिपहिया	17600	0	0	102	1795200
3	दुकान व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के लिए कूड़े के डब्बे (150 लीटर)	3500	29	101500	230	805000
4	आंतरिक सड़क सफाई के लिए व्हील बैरो	3300	4	13200	12	39600
5	नालों के गाद निकासी हेतु व्हील बैरो	3300	4	13200	12	39600
6	लोडर बैक–हो मशीन	2417800	0	0	0	0
7	1.1 सी.यू.एम. क्षमता वाले कंटेनर्स	44000	0	0	123	5412000
8	कूड़े के परिवहन हेतु 14 सी. यू.एम. क्षमता वाले कॉम्पैक्टर	2527700	0	0	0	0
कुल			**37**	**127900**	**581**	**9213400**

(स्रोतः लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा प्रदत जानकारी)

संक्षिप्तियों की शब्दावली

पं.रा.सं.	पंचायती राज संस्थाएं	**न.प.**	नगर परिषद्
बि.पं.रा.अ.	बिहार पंचायत राज अधिनियम	**सं.सं.अ.**	संविधान संशोधन अधिनियम
ग्रा.पं	ग्राम पंचायत	**बि.न.अ.**	बिहार नगरपालिका अधिनियम
पं.स.	पंचायत समिति	**न.वि. एवं आ.वि.**	नगर विकास एवं आवास विभाग
जि.प.	जिला परिषद्	**स.स्था.स.**	सशक्त स्थायी समिति
पं.रा.वि.	पंचायती राज विभाग	**बूडा**	बिहार शहरी विकास अभिकरण
प्र.वि.प.	प्रखंड विकास पदाधिकारी	**डूडा**	जिला शहरी विकास अभिकरण
उ.वि.आ.	उप विकास आयुक्त	**प्रा.वि.यो.**	प्रारूप विकास योजना
जि.यो.स.	जिला योजना समिति	**स्था.ले.प.**	स्थानीय लेखापरीक्षक
नि.म.ले.प.	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक	**स्पर**	शहरी सुधार हेतु सहयोग कार्यक्रम
स्था.नि.	स्थानीय निकाय	**रा.न.ले.पु.**	राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा पुस्तिका
नि.प्र.	निरीक्षण प्रतिवेदन	**बि.न.ले.पु.**	बिहार नगरपालिका लेखा पुस्तिका
का.प.	कार्यपालक पदाधिकारी	**द्वि.प्र.ले.प्र.**	द्वि–प्रविष्टि लेखांकन प्रणाली
श.स्था.नि.	शहरी स्थानीय निकाय	**जी.आई.एस.**	भौगोलिक सूचना प्रणाली
मनरेगा	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रमीण रोजगार गारंटी योजना	**सु.वृ.यो.**	सुनिश्चित वृति योजना
पि.क्षे.अ.नि.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	**क्ष.नि.अ.**	क्षमता निर्माण अनुदान
उ.प्र.प.	उपयोगिता प्रमाण पत्र	**वि.अ.**	विकास अनुदान
के.प्रा.यो.	केंद्रीय प्रायोजित योजना	**बि.को.सं.**	बिहार कोषागार संहिता
ते.वि.आ.	तेरहवां वित्त आयोग	**जि.अ.**	जिला अभियंता
च.रा.वि.आ.	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	**मु.का.प.**	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
रा.वि.आ.	राज्य वित्त आयोग	**उ.स्त.स.**	उच्च स्तरीय समिति
रा.सू.के	राष्ट्रीय सूचना केंद्र	**टी.एस.आई.**	टेक्निकल सर्पोट इन्स्टीटयूशन
ग्रा.वि.वि.	ग्रामीण विकास विभाग	**ब्रेडा**	बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण
उ.वि.आ.–सह–मु.का.प.	उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	**बि.रा.ज.प.**	बिहार राज्य जल पर्षद
आ.वि.प.	आहरण एवं वितरण पदाधिकारी	**का.अ.**	कार्यपालक अभियंता
बि.वि.नि.	बिहार वित्तीय नियमावली	**जे.एन.एन.यू. आर.एम**	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन
रा.क्र.सं.	राज्य क्रय संगठन	**ठो.अ.प्र.**	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
बेलट्रॉन	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	**बुडको**	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम
पं.रा.मं.	पंचायती राज मंत्रालय	**का.अ.**	कार्यान्वयन अभिकरण

© भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
www.saiindia.gov.in